MPEDA

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2020-2021

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

The Marine Products Export Development Authority
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

www.mpeda.gov.in

Fish Rolls
Kabab
MPEDA
mpeda.gov.in

STUFFED
POMFRET
FRIED
MPEDA

वार्षिक रिपोर्ट | ANNUAL REPORT 2020-2021

MPEDA

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
भारत सरकार

एमपीईडीए हाऊस, पनम्पिल्ली नगर, कोच्ची - 682 036, केरल

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry)
Government of India

MPEDA House, Panampilly Nagar, Kochi - 682 036, KERALA
www.mpeda.gov.in

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
1. प्राधिकरण	4
2. कार्यालय संरचना	6
3. निर्यात निष्पादन	8
3.1 प्रमुख मद-वार निर्यात	12
3.2 बाजार-वार निर्यात	18
3.3 प्रमुख पत्तन-वार निर्यात	24
4. बजट और व्यय के साथ वार्षिक योजना	32
5. पंजीकरण	34
6. निर्यात संवर्धन	36
6.1 विपणन सेवाएं	36
6.2 बाजार संवंर्धन	58
7. कल्चर मात्स्यिकी	74
7.1 जलकृषि के माध्यम से निर्यात उत्पादन	74
8. प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्य वर्धन	120
9. गुणवत्ता नियंत्रण	130
10. एमपीईडीए के अधीन सोसाइटियां	142
10.1 राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए)	142
10.2 मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और चिरस्थायी मत्स्यन हेतु नेटवर्क (नेटफिश)	162
10.3 राष्ट्रीय चिरस्थायी जलकृषि केंद्र (नाक्सा)	180
11. राजभाषा कार्यकलाप	196
12. अन्य कार्यकलाप	198
13. आभारोक्ति	206
अनुबंध-1	208
अनुबंध-2	212
वार्षिक लेखे 2020-21	218

CONTENT

	Page No.
1. The Authority	5
2. Office Structure	7
3. Export Performance	9
3.1 Major Item-wise exports	13
3.2 Market-wise exports	19
3.3 Major Port-wise exports	25
4. Annual Plan with Budget and Expenditure	33
5. Registration	35
6. Export Promotion	37
6.1 Marketing Services	37
6.2 Market Promotion	59
7. Culture Fisheries	75
7.1 Export production through aquaculture	75
8. Processing infrastructure and value addition	121
9. Quality Control	131
10. Societies under MPEDA	143
10.1 Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA)	143
10.2 Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing (NETFISH)	163
10.3 National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA)	181
11.0 Official Language activities	197
12. Other Activities	199
13. Acknowledgement	207
Appendix-1	209
Appendix-2	213
Annual Accounts 2020-21	219

1.0 प्राधिकरण

वर्ष 1972 के दौरान संसद के एक अधिनियम द्वारा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) की स्थापना की गयी थी। भारत सरकार द्वारा सितंबर 1961 में स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद को 24 अगस्त 1972 को एमपीईडीए में परिवर्तित कर दिया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है जिसे निर्यात के विशेष संदर्भ के साथ समुद्री उत्पादों के उद्योग के विकास का प्राथमिक कार्य सौंपा गया है।

प्राधिकरण में (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) एक अध्यक्ष, निदेशक, संसद के 3 सदस्य, जिनमें दो लोक सभा तथा एक राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, केंद्र के कृषि, वित्त, विदेश व्यापार, उद्योग, नौवहन और परिवहन मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 सदस्य और समुद्री तटीय राज्यों और एमपीईडीए नियम, 1972 में यथानिर्दिष्ट संगत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाले 20 अन्य सदस्यों सहित कुल 30 सदस्य होते हैं।

1.1 प्राधिकरण के कार्य

एमपीईडीए अधिनयम, 1972, ने निम्नलिखित कार्यो को प्राधिकरण को सौपा है।

(1) केंद्र सरकार के नियंत्रण के तहत, प्राधिकरण का कर्तव्य, निर्यात के विशेष संदर्भ के साथ, समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास कार्यों को, जैसा वह उचित समझे, बढावा देना है।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, इसमें निर्दिष्ट उपायों को निम्न केलिए प्रदान किया जा सकता हैः-

क) अपतट और गभीर सागर मत्स्यन को विकसित और विनियमित करना और अपतट और गभीर सागर मत्स्यन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उपाय करना।

ख) समुद्री उत्पादों केलिए मत्स्यन यानों, प्रसंस्करण संयंत्रों या भंडारण परिसरों तथा समुद्री उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को पंजीकृत करना

ग) निर्यात के प्रयोजनों के लिए समुद्री उत्पादों के मानकों और विनिर्देशों को नियत करना

घ) अपतट और गभीर सागर मत्स्यन में जुटे मत्स्यन यानों के मालिकों, समुद्री उत्पादों केलिए भंडारण परिसरों या प्रसंस्करण संयन्त्रों के मालिकों और समुद्री उत्पादों के परिवहन केलिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों केलिए वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करना, और प्राधिकरण को यथा सौंपी जा सकने वाली ऐसी राहत और इमदाद योजनाओं केलिए एजेंसी के रूप में कार्य करना;

ङ) ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी भी मत्स्यन यान, प्रसंस्करण संयंत्र, भंडारण परिसर, वाहन या अन्य स्थानों में समुद्री उत्पादों का निरीक्षण करना जहां ऐसे उत्पादों को रखा या हैंडल किया जाता है;

च) समुद्री उत्पादों के निर्यात को विनियमित करना;

छ) भारत के बाहर समुद्री उत्पादों के विपणन में सुधार करना;

ज) निर्धारित की जानेवाली शुल्क के भुगतान पर समुद्री उत्पादों के निर्यातकों को पंजीकृत करना;

झ) मत्स्य या अन्य समुद्री उत्पादों की पकड़ में जुटे व्यक्तियों, समुद्री उत्पादों केलिए भंडारण परिसरों या प्रसंस्करण संयन्त्रों के मालिकों या समुद्री उत्पादों के परिवहन केलिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों,

1.0 THE AUTHORITY

The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) was set up by an act of Parliament during 1972. The erstwhile Marine Products Export Promotion Council established by the Government of India in September, 1961 was converged into MPEDA on 24th August, 1972. The Marine Products Export Development Authority under the Ministry of Commerce and Industry is a statutory body entrusted with the primary task of promotion of export of marine products.

The Authority consists of 30 members including a Chairman (Appointed by the Central Government), Director, 3 Members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States, 5 members representing Central Ministries of Agriculture, Finance, Foreign Trade, Industry, Shipping and Transport and 20 other members to represent the Maritime States and other relevant fields as specified in MPEDA Rules, 1972.

1.1 Functions of the Authority

The MPEDA Act, 1972, has assigned the following functions to the Authority.

(1) It shall be the duty of the Authority to promote, by such measures as it thinks fit, the development under the control of the Central Government of the marine products industry with special reference to exports.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the measures referred to therein may provide for:-

a) developing and regulating off-shore and deep-sea fishing and undertaking measures for the conservation and management of off-shore and deep-sea fisheries;

b) registering fishing vessels, processing plants or storage premises for marine products and conveyances used for the transport of marine products;

c) fixing of standards and specifications for marine products for purposes of export;

d) rendering of financial or other assistance to owners of fishing vessels engaged in off-shore and deep-sea fishing and owners of processing plants or storage premises for marine products and conveyances used for the transport of marine products, and acting as an agency for such relief and subsidy schemes as may be entrusted to the Authority;

e) carrying out inspection of marine products in any fishing vessel, processing plant, storage premises, conveyance or other places where such products are kept or handled, for the purpose of ensuring the quality of such products;

f) regulating the export of marine products;

g) improving the marketing of marine products outside India;

h) registering of exporters of marine products on payment of such fees as may be prescribed;

i) collecting statistics from persons engaged in the catching of fish or other marine products, owners of processing plants or storage premises for marine products, or conveyances used for

ऐसे उत्पादों के निर्यातकों और समुद्री उत्पादों के उद्योग से संबंधित किसी भी मामले पर यथा निर्धारित ऐसे अन्य व्यक्तियों से आंकडों को एकत्रित करना और ऐसे एकत्रित आंकडों को या उसके एक भाग या उसके सार को प्रकाशित करना;

ञ) समुद्री उत्पादों के उद्योग के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण; एवं

ट) यथा निर्धारित ऐसे अन्य मामले।

(3) प्राधिकरण इस धारा के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार और उसके अधीन अपने कार्यों को पूरा करेगा।

प्राधिकरण का पुर्नगठन 22 मार्च 2019 को तीन वर्षो की अवधि के लिए किया गया था। दिनांक 31/03/2021 तक की प्राधिकरण के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 के रुप में संलग्न है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान श्री के एस श्रीनिवास, भा.प्र.से., एमपीईडीए के अध्यक्ष बने रहे। दिनांक 1.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान प्राधिकरण की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गयी।

क्र. सं.	बैठकें	दिनांक	स्थान
1.	प्राधिकरण की 138 वीं बैठक	29.06.2020	कोच्ची (वीसी के माध्यम से)
2.	प्राधिकरण की 139 वीं बैठक	28.01.2021	कोच्ची (वीसी के माध्यम से)

2.0 कार्यालय संरचना

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष के संपूर्ण पर्यवेक्षण में कार्य करता है जिसकी सहायता मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय दोनों के अधिकारियों के एक दल द्वारा की जाती है। एमपीईडीए की संस्वीकृत कार्मिक संख्या 423 (अध्यक्ष सहित) है और वर्तमान में 59 ग्रुप ए, 69 ग्रुप बी, 77 ग्रुप सी अधिकारियों के साथ प्रतिनियुक्ति पर 13 अधिकारियों को छोड़कर प्रभावी कार्मिक संख्या 205 है। अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-2 में दी गई है।

2.1 मुख्यालय

प्राधिकरण का मुख्यालय कोच्ची में स्थित है और इसके सभी समुद्र तटीय राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अध्यक्ष प्राधिकरण के उचित कामकाज और अधिनियम और नियमों के तहत अपने कार्य के निर्वहन के लिए जिम्मेदार है।

2.2 क्षेत्रीय कार्यालय

प्राधिकरण को सौंपे गए निर्यात संवर्धन एवं जलकृषि विकास के विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए सभी तटवर्ती राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय हैं। पणधारियों को समय पर सलाह सुनिश्चित करने हेतु समुद्री उत्पाद निर्यातकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और जलकृषकों को सहायता प्रदान करने केलिए 08 क्षेत्रीय प्रभाग और 10 उप क्षेत्रीय प्रभाग हैं। राजीव गांधी जलकृषि केंद्र द्वारा कोच्ची में एक बहु प्रजाति जलकृषि कॉम्पलेक्स (एमएसी) संचालित किया जा रहा है।

2.3 व्यापार संवर्धन कार्यालय

एमपीईडीए के तीन व्यापार संवर्धन कार्यालय हैं जिनमें से एक नई दिल्ली में हैं जो मुख्य रूप से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ संबंध स्थापित करने का काम करता है। अन्य दो कार्यालय न्यूयार्क और टोक्यो में है जो भारतीय समुद्री खाद्य के दो महत्वपूर्ण बाज़ार हैं। ये व्यापार संवर्धन कार्यालय, आयातकों, सरकारी एजेन्सियों,

the transport of marine products, exporters of such products and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the marine products industry and the publishing of statistics so collected, or portions thereof or extracts there from;

j) training in various aspects of the marine products industry; and

k) such other matters as may be prescribed.

(3) The Authority shall perform its functions under this section in accordance with and subject to such rules as may be made by the Central Government.

The Authority was re-constituted on 22nd March 2019 for a period of three years. The list of Authority Members as on 31.03.2021 is annexed as **Appendix I.** Shri K. S. Srinivas, IAS continued to be the Chairman of MPEDA during the period under report. During the period from 1.04.2020 to 31.03.2021, the following meetings of the Authority were convened.

Sl. No.	Meeting	Date	Place
(1)	138th Authority Meeting	29.06.2020	Kochi (via VC)
(2)	139th Authority Meeting	28.01.2021	Kochi (via VC)

2.0 OFFICE STRUCTURE

The Marine Products Export Development Authority functions under the overall supervision of the Chairman, supported by a team of officials both at the Head Office and the Field Offices. The sanctioned strength of MPEDA is 423 (including Chairman) and at present the effective strength is 205 excluding 13 officials on deputation with 59 Group A, 69 Group B, 77 Group C officials. List of officials are given in **Appendix- 2**.

2.1 Head Office

Head office of the authority is located at Kochi and it has field offices across all maritime states. The Chairman is responsible for the proper functioning of the Authority and the discharge of its function under the Act and Rules.

2.2 Field Offices

The Authority has field offices in all the maritime states to carry out various export promotion, aquaculture development functions assigned to it. There are 8 Regional Divisions and 10 Sub-Regional Divisions to assist the marine product exporters, processors and aqua culturists for ensuring timely advice to the stakeholders. A Multi species Aquaculture Complex (MAC) at Kochi is being operated by Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture.

2.3 Trade Promotion Offices

MPEDA has three Trade Promotion Offices of which one is in New Delhi, mainly to liaise with various Ministries of Government of India. The other two offices are at New York and Tokyo, the two important markets for Indian sea food. These Trade Promotion offices liaise with Importers, Government Agencies,

नियामक प्राधिकरणों, व्यापारी संघों आदि से संपर्क रखते हैं और देश के भीतर तथा पड़ोसी देशों के ऐसे विभिन्न घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र रखते हैं जिनसे भारत से होनेवाले समुद्री खाद्य व्यापार पर प्रभाव पड़ सकता है।

2.4 गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

एमपीईडीए ने कोच्ची (केरल), नेल्लोर व भीमावरम (आंध्र प्रदेश), भुवनेश्वर (ओडिशा) एवं पोरबंदर (गुजरात) में पांच संपूर्ण सुसज्जित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। ये प्रयोगशालाएं परिष्कृत विश्लेषात्मक उपकरणों जैसे एलसी-एमएसएमएस, जीसीएमएस/जीसी-एमएसएमएस, आईसीपी एमएस, एचपीएलसी आदि के साथ रासायनिक अवशेषों का परीक्षण करने केलिए सुसज्जित हैं। सभी प्रयोगशालाएँ एनएबीएल (राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) द्वारा आईएसओ / आईईसी 17025 मानकों के तहत मान्यता प्राप्त है और निर्यात पूर्व जांच नमूनों का विश्लेषण करने केलिए ईआईसी (निर्यात निरीक्षण परिषद) द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। कोच्चि की गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला में बैक्टीरिया और वायरस के परीक्षण के लिए एक सूक्ष्म - जीव विज्ञान प्रभाग है और प्रयोगशाला, एफएसएसएआई द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। प्रयोगशालाएं मुख्य रूप से राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) से जुड़ी हैं, जो ईआईसी की ओर से यूरोपीय आयोग विनियम के तहत एक आवश्यकता है।

इसके अलावा, एमपीईडीए ने तटीय राज्यों में बारह एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाएं भी स्थापित की हैं, जो हार्वेस्ट से पूर्व नाइट्रोफ्यूरांस और क्लोरम्फेनिकॉल जैसी प्रतिबंधित जीवाणुरोधियों के लिए जलकृषि उत्पादों की जांच करती हैं। ये प्रयोगशालाएं जलकृषि उत्पादों के लिए प्री-हार्वेस्ट टेस्ट (पीएचटी) प्रमाणपत्र जारी कर रही हैं।

2.5 सोसाइटियाँ

एमपीईडीए ने निर्यातोन्मुख जलकृषि क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप करने हेतु राजीव गाँधी जलकृषि केन्द्र (आरजीसीए), मात्स्यिकी से संबंधित विषयों पर, विशेष रूप से मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन संरक्षण एवं चिरस्थाई मत्स्यन पर मछुआरा समुदाय को सशक्त करने हेतु तृण मूल स्तर पर विस्तारण कार्यकलापों के लिए मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन तथा चिरस्थाई मत्स्यन के लिए नेटवर्क (नेटफिश), जलकृषि में गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित जलीय उत्पादों के लिए जलकृषि कृषकों द्वारा चिरस्थाई और पर्यावरण उन्मुख कृषि प्रक्रियाओं को अपनाने हेतु राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा) जैसी तीन सोसाइटियों का गठन किया है।

3.0 निर्यात निष्पादन (2020-21)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत ने 5.96 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के 11,49,510 मी.टन समुदी खाद्यों का निर्यात किया। यूएसए तथा चीन समुद्री खाद्य के प्रमुख आयातक हैं। प्रशीतित श्रिम्प के बाद प्रशीतित मत्स्य प्रमुख निर्यात मद बना रहा।

निर्यात सारांश रिपोर्ट तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1 वर्ष 2019-2020 की तुलना में वर्ष 2020-2021 के दौरान का निर्यात निष्पादन			
निर्यात विवरण	2020-21	2019-20	वृद्धि %
मात्रा टन में	11,49,510	12,89,651	-10.88
मूल्य करोड़ में	43,720.98	46,662.85	-6.31
अमेरिकी डॉलर दशलक्ष में	5,956.93	6,678.69	-10.81
इकाई मूल्य (अमेरिकी किलो/डॉलर)	5.18	5.18	0.00

कोविड महामारी ने समुद्री खाद्य क्षेत्र को भी नहीं बख्शा है। हालांकि वर्ष की पहली छमाही के दौरान समुद्री खाद्य निर्यात काफी प्रभावित हुआ था, इस क्षेत्र ने अच्छी तरह से पुनर्जीवित किया और वर्ष की अंतिम तिमाही में सुधार

Regulatory authorities, Trade Associations, etc and keep a close watch on various developments within the country as well as other competing countries that may have an impact on the seafood trade from India.

2.4 Quality Control Laboratories

MPEDA has set up five full-fledged Quality Control Laboratories, at Kochi (Kerala), Nellore & Bhimavaram (Andhra Pradesh), Bhubaneshwar (Odisha) and Porbandar (Gujarat). These laboratories are equipped with sophisticated analytical instruments like LC-MSMS, GCMS/GC-MSMS, ICP MS, HPLC, etc for testing chemical residues. All labs are accredited under ISO/IEC 17025 by the NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) and also recognized by EIC (Export Inspection Council) to analyze Pre Export Test samples. Quality Control Lab at Kochi has a Micro Biology division for testing of Bacteria and Viruses and lab is also recognized by FSSAI. The labs are mainly associated with the National Residue Control Plan (NRCP), a requirement under the European Commission regulation, on behalf of the EIC.

In addition, MPEDA has also established twelve ELISA Screening Laboratories in the coastal states to screen aquaculture products for banned antibiotics like Nitrofurans and Chloramphenicol prior to harvest. These labs are issuing Pre-Harvest Test (PHT) certificate for the Aquaculture produce.

2.5 Societies

MPEDA has set up three societies viz., *Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA)* for carrying out Research & Development activities in the areas of export oriented aquaculture, *Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing (NETFISH)* for extension activities at grass root level to empower fishermen community on fishery related subjects particularly on fish quality management, conservation and sustainable Fishing and *National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA)* to enable aquaculture farmers to adopt sustainable and environment friendly farming practices to produce quality and safe aquatic products in the Aquaculture.

3.0 EXPORT PERFORMANCE (2020-21)

During the financial year 2020-21, India exported 11,49,510 MT of Seafood worth US$ 5.96 Billion. USA and China are the major importers of Indian seafood. Frozen Shrimp continued to be the major export item followed by frozen fish.

Export summary are given in the Table.1

Table 1: Export Performance During 2020-21 compared to 2019-20

Export Details	2020-21	2019-20	Growth %
Quantity in Tons	11,49,510	12,89,651	-10.87
Value in Crores	43,720.98	46,662.85	-6.30
USD in Million	5,956.93	6,678.69	-10.81
Unit Value (USD/Kg)	5.18	5.18	0.00

The COVID Pandemic has not spared the seafood sector as well. Though the seafood export was drastically affected during the first half of the year, the sector revived well and has shown improvement in the last

दिखाया है। हालांकि, इस वर्ष के दौरान समुद्री खाद्य निर्यात में रुपये के मूल्य में 6.30%, अमेरिकी डॉलर के मूल्य में 10.81% और मात्रा में 10.87% की गिरावट आई है। औसत इकाई मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में लगभग समान रहा।

समुद्री उत्पादों का दशकीय निर्यात निष्पादन चित्र 1 के रूप में दिया गया है।

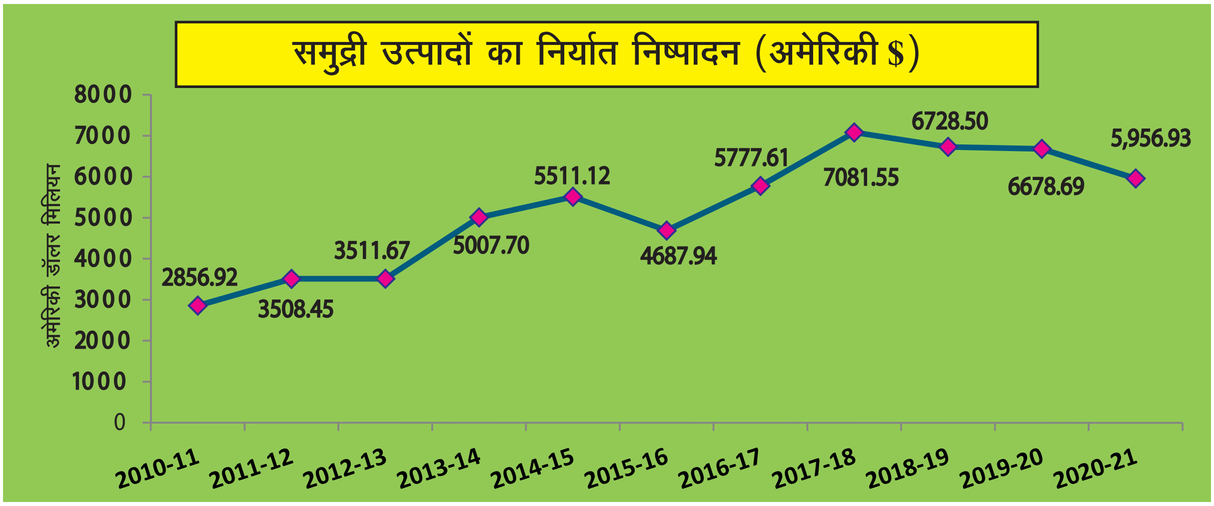

चित्र.1 समुद्री उत्पादों के निर्यात का दशकीय निष्पादन

जलकृषि क्षेत्र ने इस वर्ष बेहतर निष्पादन किया है जो कि तालिका 2 में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है। जलकृषि सेक्टर ने निर्यात की गई मदों में यूएस डॉलर में 67.98 % और मात्रा में 46.44 % का योगदान दिया है, जो कि 2019-20 की तुलना में क्रमश 4.40 % और 2.48 % ज्यादा है। कैप्चर मत्स्य पालन का योगदान मात्रा में 56.03 % से घटकर 53.56 % और यूएस डॉलर मूल्य के संदर्भ में 36.42 प्रतिशत से घटाकर 32.02 % कर हो गया। जलकृषि उत्पादों का इकाई मूल्य 7.49 अमेरिकी डॉलर से 7.59 अमेरिकी डॉलर तक 0.1 अमेरिकी डॉलर से मामूली रूप से बढ़ गया। कैप्चर मत्स्य पालन मदों का इकाई मूल्य 3.37 अमेरिकी डॉलर से घटकर 3.10 अमेरिकी डॉलर हो गया।

तालिका 2 जलकृषि और कैप्चर मत्स्य पालन का योगदान

	जलकृषि (%)		कैप्चर मत्स्य पालन (%)	
वर्ष	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
मात्रा	43.97	46.44	56.03	53.56
₹ में मूल्य	63.57	68.06	36.43	31.94
अमेरिकी डॉलर मूल्य	63.58	67.98	36.42	32.02
अमेरिकी डॉलर मूल्य /कि.ग्रा	7.49	7.59	3.37	3.10

यह ध्यान देने योग्य है कि तिलापिया और आलंकारिक मत्स्य ने मात्रा में क्रमशः 55.83 % और 66.55 % की वृद्धि के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है, और यूएस $ आय में क्रमशः 38.07 % और 14.63 % की वृद्धि हुई है। ट्यूना ने यद्यपि मात्रा में 14.6 % की वृद्धि दिखाई, अमेरिकी डॉलर की आय में 7.39 % की वृद्धि नकारात्मक हुई। स्कैम्पी और केकड़े के निर्यात में मात्रा और मूल्य में भी गिरावट आई। विवरण के लिए कृपया तालिका 3 देखें।

quarter of the year. However, the seafood export during this year has declined by 6.30% in rupee terms, 10.81% in US dollar value terms and 10.87% in quantity terms. The average unit value remained almost same compared to last year.

The decadal export performance of marine products is given as Fig.1.

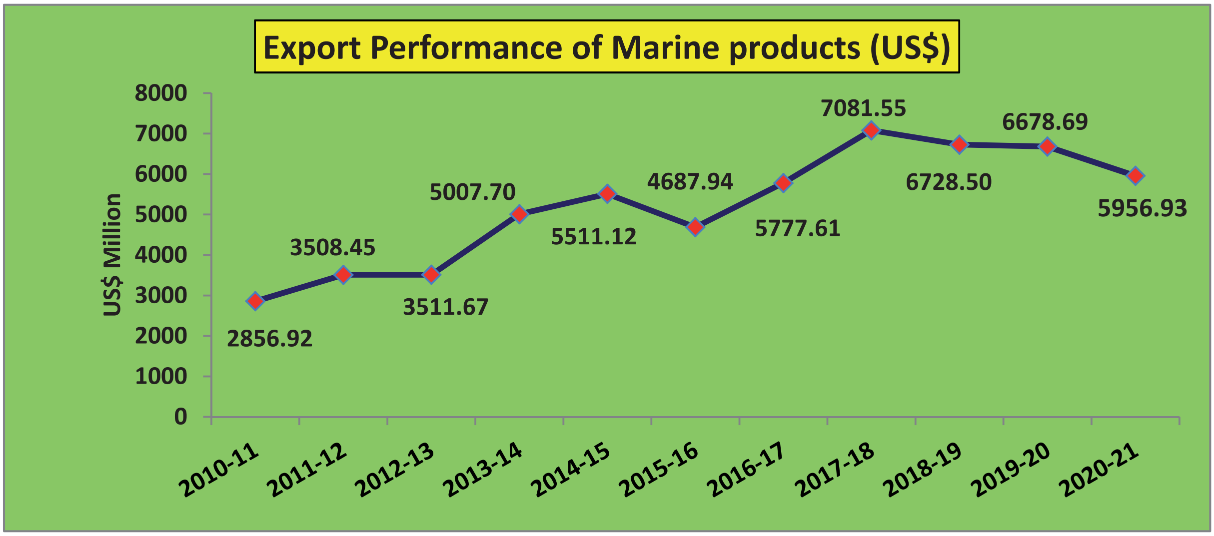

Fig.1 Decadal performance of Marine Products Exports

Aquaculture sector has performed better this year as evident from the figures given in Table.2. The aquaculture sector has contributed 67.98% of exported items in terms of US$ and 46.44% in terms of quantity which is 4.40% and 2.48% respectively more when compared to 2019-20. Capture fisheries contribution reduced from 56.03% to 53.56% in terms of quantity and reduced from 36.42% to 32.02% in terms of US$ value. The unit value of aquaculture products increased by marginal value 0.1 US$ from 7.49 to 7.59 US$ but the unit value of capture fisheries items reduced marginally from 3.37 to 3.10 US$.

Table 2: Contribution of Aquaculture and Capture fisheries

	Aqua Culture (%)		Capture Fisheries (%)	
Year	**2019-20**	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**
Qty	43.97	46.44	56.03	53.56
Value in ₹	63.57	68.06	36.43	31.94
Value in US $	63.58	67.98	36.42	32.02
US $/KG	7.49	7.59	3.37	3.10

It is pertinent to note that Tilapia and Ornamental fish has performed well with 55.83% and 66.55% increase respectively in quantity and 38.07% and 14.63% respectively increase in US$ earnings. Tuna, though showed 14.6% increase in quantity, it showed a negative growth of 7.39% in US$ earnings. Scampi and Crab exports reduced both in quantity and value. Please see Table.3 for details.

तालिका 3 कुछ प्रजातियों का प्रदर्शन				
वर्ष		2019-20	2020-21	वृद्धि %
तिलापिया	मात्रा मी.टन	1597	2489	55.83
	मू करोड़ में	13.03	18.89	45.01
	यू एस डॉलर में	1.87	2.59	38.07
आलंकारिक मत्स्य	मात्रा मी.टन	32	54	66.55
	मू करोड़ में	10.84	13.08	20.59
	यू एस डॉलरमें	1.56	1.79	14.63
ट्यूना	मात्रा मी.टन	36287	41586	14.60
	मू करोड़ में	396.72	384.10	-3.18
	यू एस डॉलरमें	56.58	52.40	-7.39
स्कैम्पी	मात्रा मी.टन	1855	1334	-28.09
	मू करोड़ में	125.91	97.21	-22.80
	यू एस डॉलरमें	18.08	13.23	-26.82
केकड़े	मात्रा मी.टन	6733	5489	-18.48
	मू करोड़ में	549.07	397.81	-27.55
	यू एस डॉलरमें	78.62	54.26	-30.99

3.1 प्रमुख मदवार निर्यात विवरण

प्रशीतित श्रिम्प मात्रा में 51.36 % तथा कुल अमेरिकी डॉलर के अर्जन के 74.31% हिस्से के साथ मात्रा एवं मूल्य के हिसाब से निर्यात की प्रमुख मद बनी रही। लेकिन प्रशीतित श्रिम्प की इकाई मूल्य वृद्धि लगभग 0.04 % पर 7.496 से 7.499 हो गई और इस अवधि के दौरान श्रिम्प निर्यात में यूएस डॉलर मूल्य में 9.47% और मात्रा में 9.50% की गिरावट आई।

वर्ष 2020-21 के दौरान श्रिम्प का समग्र निर्यात 5,90,275 मीट्रिक टन था, जिसकी कीमत 4,426.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यूएसए प्रशीतित श्रिम्प के आयात का सबसे बड़ा बाजार है (2,72,041 मीट्रिक टन) इसके बाद चीन (1,01,846 मीट्रिक टन), यूरोपीय संघ (70,133 मीट्रिक टन), जापान (40,502 मीट्रिक टन), दक्षिण पूर्व एशिया (38,389 मीट्रिक टन), मध्य पूर्व (29,108 मीट्रिक टन) एवं अन्य देश (38,257 मीट्रिक टन) आते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान वन्नामी श्रिम्प का निर्यात 5,12,204 मीट्रिक टन से घटकर 4,92,271 मीट्रिक टन हो गया है। कुल वन्नामी श्रिम्प के निर्यात में से अमेरिकी डॉलर मूल्य के हिसाब से 56.37 यूएसए को निर्यात किया गया था, इसके बाद चीन को 15.13%, यूरोपीय संघ को 7.83%, दक्षिण पूर्व एशिया को 5.76%, जापान को 4.96,% मध्य पूर्व को 3.59% और अन्य देशों के लिए 6.36% निर्यात किया गया था। इस वर्ष जापान ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए प्रमुख बाजार है, जिसमें यूएस डॉलर मूल्य के मामले में 39.68% हिस्सेदारी है, इसके बाद यूएसए (26.03%), दक्षिण पूर्व एशिया (9.32%) और यूएस डॉलर में यूरोपीय संघ (8.95%), मध्य पूर्व (6.04%), चीन (3.76%) और अन्य (6.23%) हैं।

प्रशीतित मत्स्य दूसरा सबसे बड़ा निर्यात मद है, जिसका हिस्सा मात्रा में 16.37% एवं अमेरिकी डॉलर अर्जन में 6.75% है। इस वर्ष प्रशीतित मत्स्य के निर्यात में मात्रा में 15.76%, अमेरिकी डॉलर मूल्य में 21.67% की अवनति दर्शाई है।

अन्य मदें तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी थी जिसने मात्रा और रुपये के मूल्य में क्रमशः 0.24%, 0.40% की मामूली सकारात्मक वृद्धि दर्शाई, हालांकि यूएस डॉलर के संदर्भ में 4.89% की अवनति दर्शाई है। यह श्रेणी मुख्य रूप से (मात्रा में 75.70% और मूल्य के अनुसार 66.21%) सुरीमी और सुरीमी एनालॉग (कृत्रिम) उत्पादों द्वारा गठित की गई थी।

प्रशीतित स्क्विड ने मात्रा, रुपये के मूल्य एवं अमेरिकी डॉलर के अर्जन में क्रमश 30.19%, 9% और 13% की अवनति दिखाई है। हालांकि, प्राप्ति का यूनिट मूल्य 24.62 प्रतिशत से बढ़कर 3.59 से 4.47 हो गया है।

Table.3: Performance of some species				
Year		**2019-20**	**2020-21**	**Growth%**
Tilapia	Qty MT	1597	2489	55.83
	₹ Cr	13.03	18.89	45.01
	US$ Mln.	1.87	2.59	38.07
Ornamental fish	Qty MT	32	54	66.55
	₹ Cr	10.84	13.08	20.59
	US$ Mln.	1.56	1.79	14.63
Tuna	Qty MT	36287	41586	14.60
	₹ Cr	396.72	384.10	-3.18
	US$ Mln.	56.58	52.40	-7.39
Scampi	Qty MT	1855	1334	-28.09
	₹ Cr	125.91	97.21	-22.80
	US$ Mln.	18.08	13.23	-26.82
Crab	Qty MT	6733	5489	-18.48
	₹ Cr	549.07	397.81	-27.55
	US$ Mln.	78.62	54.26	-30.99

3.1 Major Item-wise exports details

Frozen shrimp continued to be the major item of export in terms of quantity and value, accounting for a share of 51.36 % in quantity and 74.31% of the total USD earnings. But the Unit value increase of frozen shrimp was almost inconspicuous at 0.04% from 7.496 to 7.499 and Shrimp exports during the period declined by 9.47% in USD value and 9.50% in quantity.

The overall export of shrimp during 2020-21 was to the tune of 5,90,275 MT worth USD 4,426.19 Million. USA is the largest importer (2,72,041 MT) of frozen shrimp followed by China (1,01,846 MT), European Union (70,133 MT), Japan (40,502 MT), South East Asia (38,389 MT), Middle East (29,108 MT) and Other Countries (38,257 MT).

The export of Vannamei shrimp has decreased from 5,12,204 MT to 4,92,271 MT in 2020-21. Out of the total Vannamei shrimp exports, in USD value terms, about 56.37 % was exported to USA followed by 15.13% to China, 7.83% to European Union, 5.76 % to South East Asia, 4.96 % to Japan, 3.59 % to Middle East and 6.36% to Other Countries. Japan in this year is the major market for Black Tiger shrimp with a share of 39.68% in terms of USD value followed by USA (26.03%), South East Asia (9.32%) and European Union (8.95%) in USD, Middle East (6.04%), China (3.76%) and Others (6.23%).

Frozen Fish retained the second position as the largest export item, accounting for a share of 16.37% in quantity and 6.75% in USD earnings. This year the export of Frozen fish has declined by 15.76% in Quantity and 21.67% in terms of USD value.

Other Items was the third largest category that shown a marginal positive growth of 0.24%, 0.40% by quantity and rupee value respectively however declined in USD terms by 4.89%. This category was predominantly (75.70% in quantity and 66.21% by value) constituted by Surimi and Surimi analogue (imitation) products.

Frozen Squid has shown a decline of 30.19%, 9%, and 13% in terms of quantity, rupee value and USD earnings respectively. However Unit value of realization has been appreciably increased by 24.62% from 3.59 to 4.47.

प्रशीतित कटलफिश के निर्यात में मात्रा में 16.38%, रुपये मूल्य में 19.08% एवं अमेरिकी डॉलर में 22.50% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाई गई है।

सूखी मदें ही एकमात्र ऐसी मदें हैं, जिन्होंने मात्रा, रुपए के मूल्य और अमेरिकी डॉलर की अर्जन में क्रमशः 1.47%, 17% और 11.46% की वृद्धि दिखाई है। इसके अलावा, सूखे मदों का इकाई मूल्य सकारात्मक रूप से 9.84% बढ़कर 1.67 से 1.83 हो गया है।

ठंडी मदों के निर्यात में मात्रा, रुपए मूल्य और अमेरिकी डॉलर अर्जन में क्रमशः 16.89%, 24.35% और 27.90% की गिरावट दर्शाई गई है।

जीवित मदों ने मात्रा, रुपए और अमेरिकी डॉलर मूल्य में क्रमशः 39.91%, 26.08% और 29.53% की गिरावट दर्शाई है। हालांकि, इस वर्ष इकाई मूल्य 17.26% बढ़कर 6.37 से 7.47 अमेरिकी डॉलर हो गया। ठंडा और जीवित मदों का निर्यात नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ, मुख्य रूप से कोविड महामारी की स्थिति के कारण एयर कार्गो कनेक्टिविटी में कमी आई है।

निर्यात की प्रमुख मदों के विवरण निम्नलिखित तालिका 4 में दिए गए हैं।

तालिका 4 अप्रैल-मार्च 2020-21 के दौरान मदवार निर्यात विवरण

मा मात्रा टन में, मू मूल्य करोड़ ₹ में, डॉ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर में

मद		हिस्सा (%)	2020 - 2021	2019 - 2020	वृद्धि (%)
प्रशीतित श्रिम्प	मा	51.35	590275	652253	-9.50
	मू	74.38	32520.29	34152.03	-4.78
	डॉ	74.30	4426.19	4889.12	-9.47
	यूवीडॉ		7.50	7.50	।।।
प्रशीतित मत्स्य	मा	16.37	188130	223318	-15.76
	मू	6.73	2941.65	3610.01	-18.51
	डॉ	6.75	402.31	513.60	-21.67
	यूवीडॉ		2.14	2.30	-7.02
प्रशीतित कट्टल फिश	मा	5.16	59292	70906	-16.38
	मू	3.72	1626.34	2009.79	-19.08
	डॉ	3.73	221.97	286.40	-22.50
	यूवीडॉ		3.74	4.04	-7.31
प्रशीतित स्क्विड	मा	5.32	61176	87631	-30.19
	मू	4.57	1998.90	2196.59	-9.00
	डॉ	4.59	273.37	314.23	-13.00
	यूवीडॉ		4.47	3.59	24.62
सूखी मदें	मा	7.45	85661	84417	1.47
	मू	2.63	1148.38	981.50	17.00
	डॉ	2.64	156.94	140.81	11.46
	यूवीडॉ		1.83	1.67	9.84
जीवित मदें	मा	0.38	4379	7287	-39.91
	मू	0.55	239.69	324.26	-26.08
	डॉ	0.55	32.72	46.43	-29.53
	यूवीडॉ		7.47	6.37	17.26
ठंडी मदें	मा	1.53	17622	21202	-16.89
	मू	1.09	477.99	631.84	-24.35
	डॉ	1.09	65.14	90.34	-27.90
	यूवीडॉ		3.70	4.26	-13.25

Export of Frozen Cuttlefish has shown a negative growth of 16.38 % in quantity, 19.08% in rupee value and 22.50% in USD terms.

Dried Items are the only items which have shown an increase of 1.47%, 17% and 11.46% in all terms quantity, rupee value and USD earnings, respectively. In addition, unit value of dried items has been positively increased by 9.84% from 1.67 to 1.83.

Export of Chilled Items has shown a decline of 16.89 %, 24.35% and 27.90% in terms of quantity, rupee value and USD earnings respectively.

Live Items have shown a decline of 39.91%, 26.08% and 29.53% in terms of quantity, rupee and USD value respectively. However the unit value is increased by 17.26% from 6.37 to 7.47 USD this year. Export of Chilled and Live items were negatively affected mainly due to the reduced air cargo connectivity resulted due to the COVID pandemic situation.

The details of major items of exports are given in the Table.4

Table.4: Item wise Export Details during April-March 2020-21

Q: Quantity in Tons, V: Value in ₹ Crores, $: USD Million, UV$:USD/Kg

ITEM		Share %	2020 - 21	2019 - 20	Growth (%)
FROZEN SHRIMP	Q:	51.35	590275	652253	-9.50
	V:	74.38	32520.29	34152.03	-4.78
	$:	74.30	4426.19	4889.12	-9.47
	UV$:		7.50	7.50	***
FROZEN FISH	Q:	16.37	188130	223318	-15.76
	V:	6.73	2941.65	3610.01	-18.51
	$:	6.75	402.31	513.60	-21.67
	UV$:		2.14	2.30	-7.02
FROZEN CUTTLE FISH	Q:	5.16	59292	70906	-16.38
	V:	3.72	1626.34	2009.79	-19.08
	$:	3.73	221.97	286.40	-22.50
	UV$:		3.74	4.04	-7.31
FROZEN SQUID	Q:	5.32	61176	87631	-30.19
	V:	4.57	1998.90	2196.59	-9.00
	$:	4.59	273.37	314.23	-13.00
	UV$:		4.47	3.59	24.62
DRIED ITEMS	Q:	7.45	85661	84417	1.47
	V:	2.63	1148.38	981.50	17.00
	$:	2.64	156.94	140.81	11.46
	UV$:		1.83	1.67	9.84
LIVE ITEMS	Q:	0.38	4379	7287	-39.91
	V:	0.55	239.69	324.26	-26.08
	$:	0.55	32.72	46.43	-29.53
	UV$:		7.47	6.37	17.26
CHILLED ITEMS	Q:	1.53	17622	21202	-16.89
	V:	1.09	477.99	631.84	-24.35
	$:	1.09	65.14	90.34	-27.90
	UV$:		3.70	4.26	-13.25

अन्य	मा	12.44	142975	142638	0.24
	मू	6.33	2767.74	2756.84	0.40
	डॉ	6.35	378.30	397.77	-4.89
	यूवीडॉ		2.65	2.79	-5.12
कुल	**मा**	**100.00**	**1149510**	**1289651**	**-10.87**
	मू	**100.00**	**43720.98**	**46662.85**	**-6.30**
	डॉ	**100.00**	**5956.93**	**6678.69**	**-10.81**
	यूवीडॉ		**5.18**	**5.18**	*******

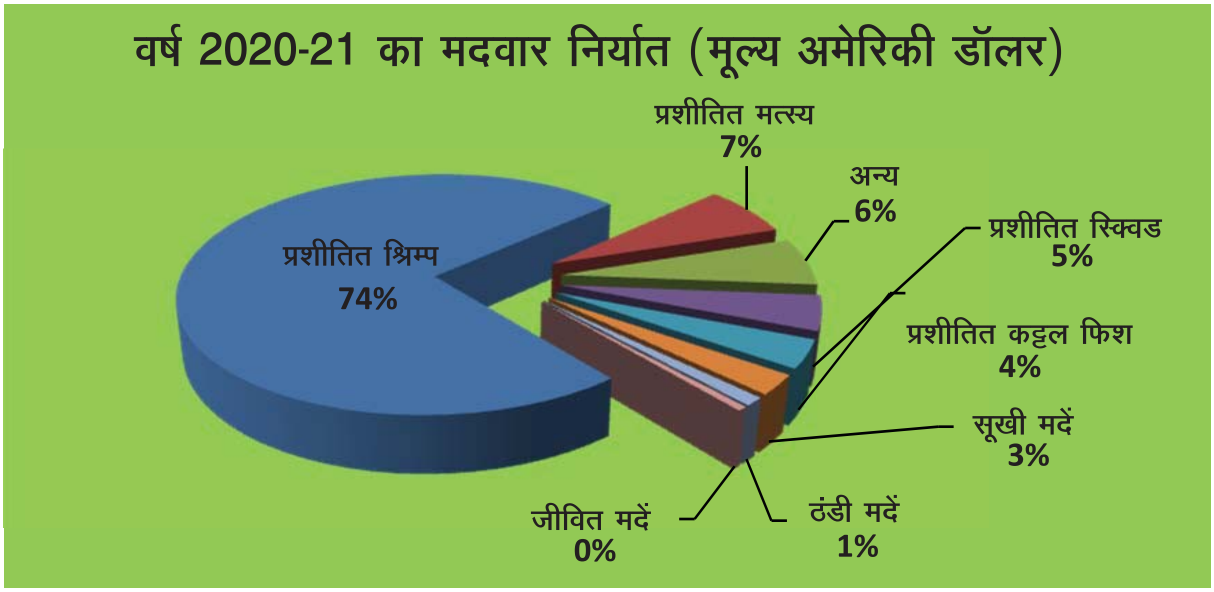

चित्र 2 : मदवार निर्यात 2020-21 (मूल्य अमेरिकी डॉलर)

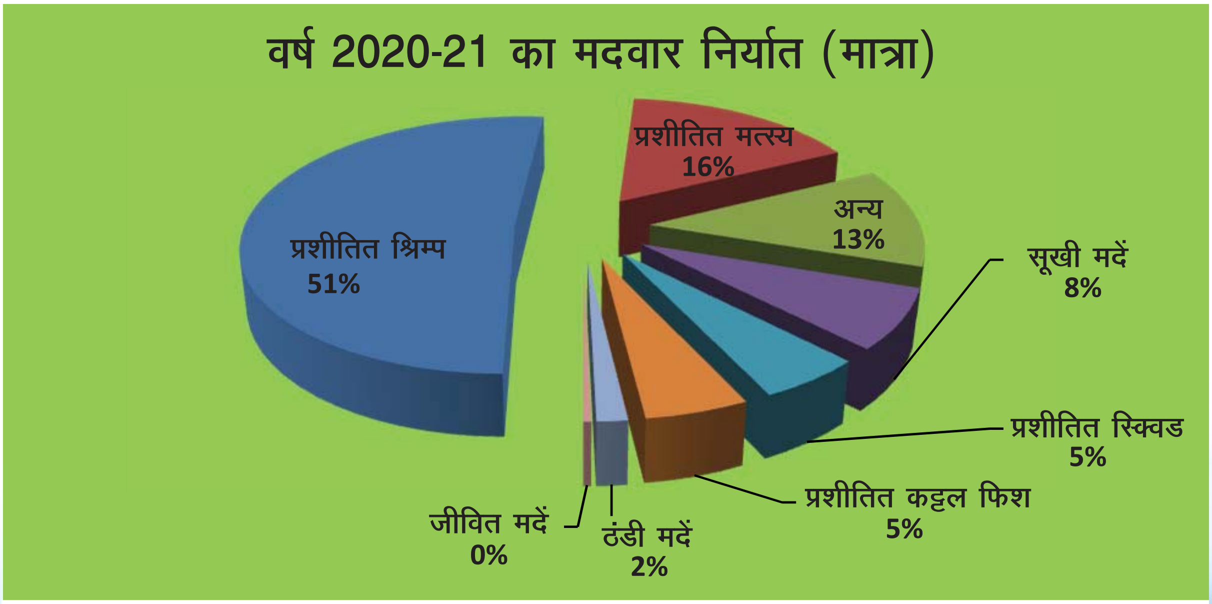

चित्र 3 : मदवार निर्यात 2020-21 (मात्रा)

OTHERS	Q:	12.44	142975	142638	0.24
	V:	6.33	2767.74	2756.84	0.40
	$:	6.35	378.30	397.77	-4.89
	UV$:		2.65	2.79	-5.12
TOTAL	**Q:**	**100.00**	**1149510**	**1289651**	**-10.87**
	V:	**100.00**	**43720.98**	**46662.85**	**-6.30**
	$:	**100.00**	**5956.93**	**6678.69**	**-10.81**
	UV$:		**5.18**	**5.18**	*****

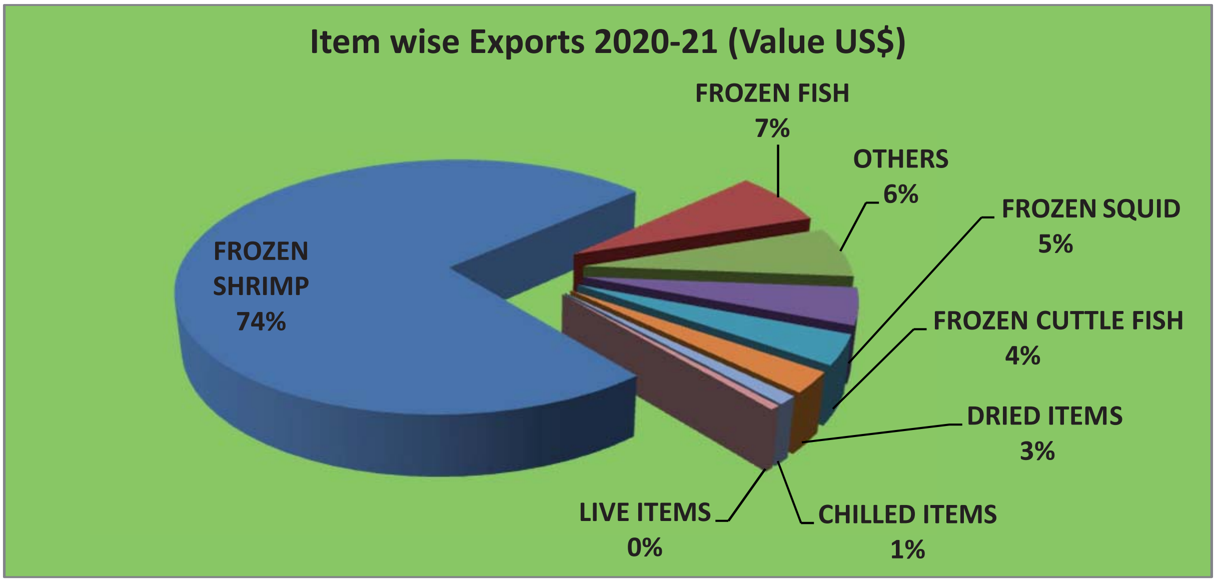

Fig.2 Item wise exports 2020-21 (Value US$)

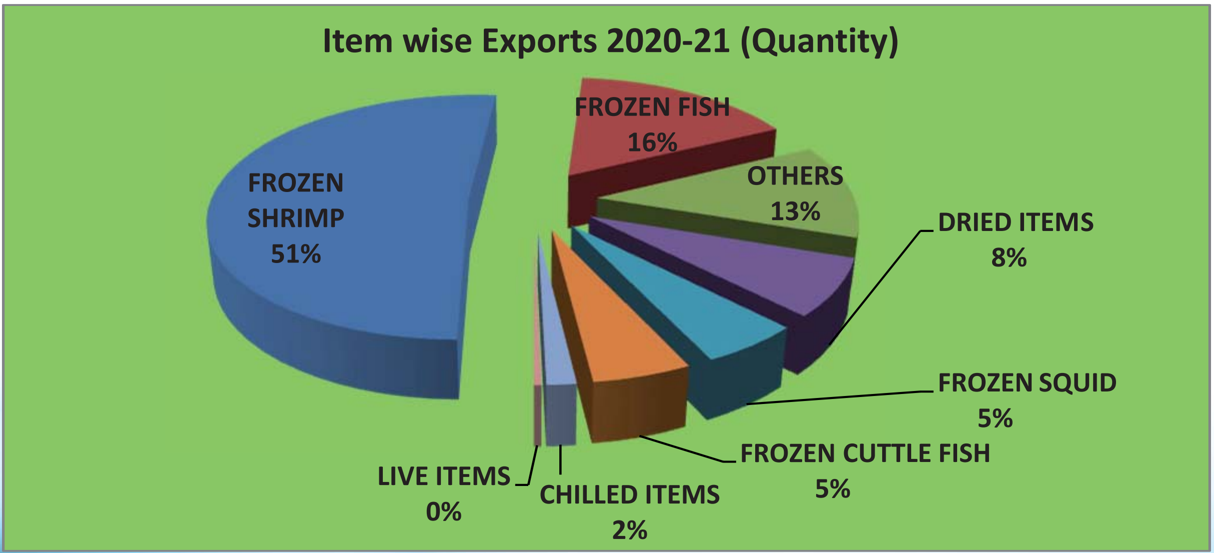

Fig.3 Item wise exports 2020-21 (Quantity)

3.2 बाज़ार वार निर्यात विवरण

यूएसए अमेरिकी डॉलर मूल्य के संदर्भ में 41.15 % हिस्से के साथ भारतीय समुद्री खाद्य का प्रमुख आयातक बना रहा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान यूएसए ने 2,91,948 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य का आयात किया। यूएसए को किए गए निर्यात में 0.48% की वृद्धि दिखाई है, हालांकि मात्रा और यूएस डॉलर मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 4.34 % और 4.35 % की गिरावट दर्शाई है। प्रशीतित श्रिम्प अमेरिकी डॉलर मूल्य में 95.63% हिस्से के साथ यूएसए को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मद बनी रही। यूएसए को वन्नामी श्रिम्प के निर्यात में मात्रा में 6.75%, रुपये के मूल्य में 13.16% और अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 7.81% की वृद्धि दर्शाई गई। यूएसए को ब्लैक टाइगर श्रिम्प के निर्यात में मात्रा, रुपये एवं मूल्य और अमेरिकी डॉलर में क्रमशः 70.96%, 63.33% और 65.24 % की अवनति हुई है।

चीन अमेरिकी डॉलर अर्जन के हिसाब से 15.77% और मात्रा में 19% की हिस्से के साथ भारतीय समुद्री उत्पादों का दूसरा बड़ा बाजार गंतव्य स्थान बना रहा। चीन ने 939.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 2,18,343 मीट्रिक टन समुद्री खाद्य का आयात किया। चीन को किए गए निर्यात में मात्रा, रुपए मूल्य और अमेरिकी डॉलर के हिसाब से क्रमश 33.73%, 28.17% और 31.68% की गिरावट आई है। प्रशीतित श्रिम्प चीन को किए जानेवाले निर्यात की प्रमुख मद है, जिसका हिस्सा चीन के कुल निर्यात में मात्रा में 46.64% और अमेरिकी डॉलर अर्जन में 61.87% हैं।

यूरोपीय संघ अमेरिकी डॉलर मूल्य में 13.80% हिस्से के साथ भारतीय समुद्री खाद्य के लिए तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य स्थान बना रहा। प्रशीतित श्रिम्प यूरोपीय संघ को कुल निर्यात में मात्रा में 45.91% और अमेरिकी डॉलर अर्जन में 58.38% के साथ प्रमुख मद बना रहा। यूरोपीय संघ को किए गए प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात में क्रमशः मात्रा और अमेरीकी डॉलर मूल्य 5.27% और 6.48% की अवनति दर्शाई गई है।

दक्षिण पूर्व एशिया अमेरिकी डॉलर अर्जन में 11.17% हिस्से के साथ भारतीय समुद्री खाद्य का चौथा सबसे बड़ा गंतव्य स्थान है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए कुल निर्यात में मात्रा में 2.55%, रुपये के मूल्य में 1.09% और 5.72% अमेरिकी डॉलर अर्जन में अवनति हुई है।

जापान अमेरिकी डॉलर अर्जन में मात्रा के हिसाब से 6.92% एवं मात्रा में 7.55% की हिस्से के साथ भारतीय समुद्री खाद्य का पॉंचवा सबसे बड़ा गंतव्य स्थान है। जापान को किए गए निर्यात में मात्रा में 10.58% और रुपये के मूल्य में 3.87% की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई गई है, हालांकि अमेरिकी डॉलर में 2.40% की अवनति हुई है। प्रशीतित श्रिम्प मात्रा में 46.65% और अमेरिकी डॉलर अर्जन में 76.87% की हिस्से के साथ जापान को किए गए निर्यात का प्रमुख मद बना रहा। जापान को किए जानेवाले प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात में मात्रा, रुपये मूल्य और अमेरिकी डॉलर में क्रमश 3.95% और 1.54% की वृद्धि हुई, हालांकि अमेरिकी डॉलर में क्रमशः 3.94% की अवनति हुई है।

मध्य पूर्व के निर्यात में यूएस डॉलर मूल्य में 4.22% की हिस्से के साथ भारतीय समुद्री खाद्य के लिए छठा सबसे बड़ा गंतव्य स्थान है। इस बाजार ने मात्रा, रुपए मूल्य और यूएस डॉलर मूल्य में क्रमश 15.30%, 11.34% और 15.51% की गिरावट दर्शाई है। मध्य पूर्व को किए जानेवाले प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात में अमेरिकी डॉलर की अर्जन में 72.23% हिस्से के साथ निर्यात की प्रमुख मद बनी रही।

अन्य देशों को निर्यात ने मात्रा के मामले में 2.61% की सकारात्मक वृद्धि दिखाई, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में रुपये में 0.93% और अमेरिकी डॉलर की अर्जन में 5.36% की अवनति दर्शाई है। अन्य देशों ने यूएस डॉलर के संदर्भ में 6.98% की हिस्सेदारी का योगदान दिया। अन्य देशों में कनाडा (35.86%), रूस (20.27%), बांग्लादेश (8.19%), ट्यूनीशिया (6.64%), डोमिनिकन गणराज्य (3.67%) ने मिलकर यूएस डॉलर के संदर्भ में लगभग 75% हिस्सेदारी का योगदान दिया।

3.2 Market-wise export details

USA retained the title as the major importer of Indian seafood with a share of 41.15% in terms of USD. USA imported 2,91,948 MT of seafood in the current financial year. Export to USA has showed a growth of 0.48 % in rupee value however declined by 4.34% and 4.35% in quantity and USD value terms respectively. Frozen Shrimp continued to be the principle item exported to USA with a share of 95.63% in USD value. Exports of Vannamei shrimp to USA showed a growth of 6.75% in quantity, 13.16% in rupee value and 7.81% in USD terms. The Black Tiger Shrimp exports to USA decreased by 70.96%, 63.33% and 65.24% in terms of Quantity, rupee value and USD terms respectively.

China continued to be the second largest market destination for Indian Seafood with a share of 15.77% in USD earnings and 19% in quantity terms. China imported 2,18,343 MT of Seafood worth USD 939.17 million. The export to China has declined by 33.73%, 28.17% & 31.68% in quantity, rupee value and USD terms respectively. Frozen Shrimp is the major item of exports to China accounting a share of 46.64% in quantity and 61.87% in USD earnings.

European Union continued to be the third largest destination for Indian Seafood with a share of 13.80% in USD. Frozen Shrimp continued to be the major item of exports to EU accounting for a share of 45.91% in quantity and 58.38% in USD earnings out of the total exports to EU. Export of frozen shrimp to EU decreased by 5.27% and 6.48% in quantity and USD value.

South East Asia is the fourth largest market destination of Indian Marine products accounting for a share of 11.17% in USD terms. Overall exports to South East Asia declined by 2.55% in quantity 1.09% in rupee value and 5.72% in US $ earnings.

Japan is the fifth largest destination for Indian Seafood with a share of 6.92% in USD earnings and 7.55% in quantity terms. Exports to Japan have shown a positive growth of 10.58% in quantity terms and 3.87% in rupee value terms however, shown a decline of 2.40 % in USD terms. Frozen Shrimp continued to be the major item of exports to Japan accounting a share of 46.65% in quantity and 76.87% in USD earnings. Exports of Frozen shrimp to Japan increased by 3.95%, 1.54% in quantity, rupee value respectively however declined 3.94% in USD terms respectively.

Middle East is the sixth largest destination for Indian Seafood with a share of 4.22% in USD value terms. This market has shown a decline of 15.30%, 11.34%, 15.51% in quantity, rupee value and USD value respectively. Frozen Shrimp continued to be the major item of exports to Middle East accounting a share of 72.23% in USD earnings.

The exports to ***Other Countries*** showed a positive growth of 2.61% in terms of quantity terms however decreased by 0.93% by rupee terms and 5.36% in USD terms when compared to previous year. The other countries export basket contributed to a share of 6.98% in USD terms. Among other countries Canada (35.86%), Russia (20.27%), Bangladesh (8.19%), Tunisia (6.64%), Dominican Republic (3.67%) together contributes almost 75% share in USD terms.

भारतीय समुद्री उत्पादों के प्रमुख बाज़ारों के विवरण तालिका-5 में दिए गए हैं:

तालिका 5 : अप्रैल-मार्च 2020-21 के दौरान बाजारवार निर्यात विवरण

मा मात्रा टन में, मू मूल्य करोड़ ₹ में, डॉ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर में

बाजार		हिस्सा %	2020 - 21	2019 - 20	वृद्धि (%)
जापान	मा	7.55	86814	78507	10.58
	मू	6.94	3033.36	2920.28	3.87
	डॉ	6.92	412.11	422.24	-2.40
यूएसए	मा	25.40	291948	305178	-4.34
	मू	41.15	17990.40	17904.37	0.48
	डॉ	41.15	2451.04	2562.54	-4.35
यूरोपीय संघ	मा	13.29	152770	165773	-7.84
	मू	13.78	6022.83	6136.71	-1.86
	डॉ	13.80	821.83	876.47	-6.23
चीन	मा	18.99	218343	329479	-33.73
	मू	15.80	6908.63	9617.44	-28.17
	डॉ	15.77	939.17	1374.63	-31.68
दक्षिण पूर्व एशिया	मा	18.94	217710	223398	-2.55
	मू	11.15	4876.05	4929.90	-1.09
	डॉ	11.17	665.60	705.99	-5.72
मध्य पूर्व	मा	4.23	48606	57387	-15.30
	मू	4.22	1843.39	2079.12	-11.34
	डॉ	4.22	251.13	297.23	-15.51
अन्य	मा	11.60	133319	129929	2.61
	मू	6.97	3046.32	3075.03	-0.93
	डॉ	6.98	416.05	439.60	-5.36
कुल	**मा**	**100.00**	**1149510**	**1289651**	**-10.87**
	मू	**100.00**	**43720.98**	**46662.85**	**-6.30**
	डॉ	**100.00**	**5956.93**	**6678.69**	**-10.81**

The details on major markets for Indian marine products are given in the Table. 5

Table.5: Market wise Export Details during April-March 2020-21					
Q: Quantity in Tons, V: Value in ₹ Crore, $: USD Million					
Market		**Share %**	**2020 - 21**	**2019 - 20**	**Growth (%)**
JAPAN	Q:	7.55	86814	78507	10.58
	V:	6.94	3033.36	2920.28	3.87
	$:	6.92	412.11	422.24	-2.40
USA	Q:	25.40	291948	305178	-4.34
	V:	41.15	17990.40	17904.37	0.48
	$:	41.15	2451.04	2562.54	-4.35
EUROPEAN UNION	Q:	13.29	152770	165773	-7.84
	V:	13.78	6022.83	6136.71	-1.86
	$:	13.80	821.83	876.47	-6.23
CHINA	Q:	18.99	218343	329479	-33.73
	V:	15.80	6908.63	9617.44	-28.17
	$:	15.77	939.17	1374.63	-31.68
SOUTH EAST ASIA	Q:	18.94	217710	223398	-2.55
	V:	11.15	4876.05	4929.90	-1.09
	$:	11.17	665.60	705.99	-5.72
MIDDLE EAST	Q:	4.23	48606	57387	-15.30
	V:	4.22	1843.39	2079.12	-11.34
	$:	4.22	251.13	297.23	-15.51
OTHERS	Q:	11.60	133319	129929	2.61
	V:	6.97	3046.32	3075.03	-0.93
	$:	6.98	416.05	439.60	-5.36
TOTAL	**Q:**	**100.00**	**1149510**	**1289651**	**-10.87**
	V:	**100.00**	**43720.98**	**46662.85**	**-6.30**
	$:	**100.00**	**5956.93**	**6678.69**	**-10.81**

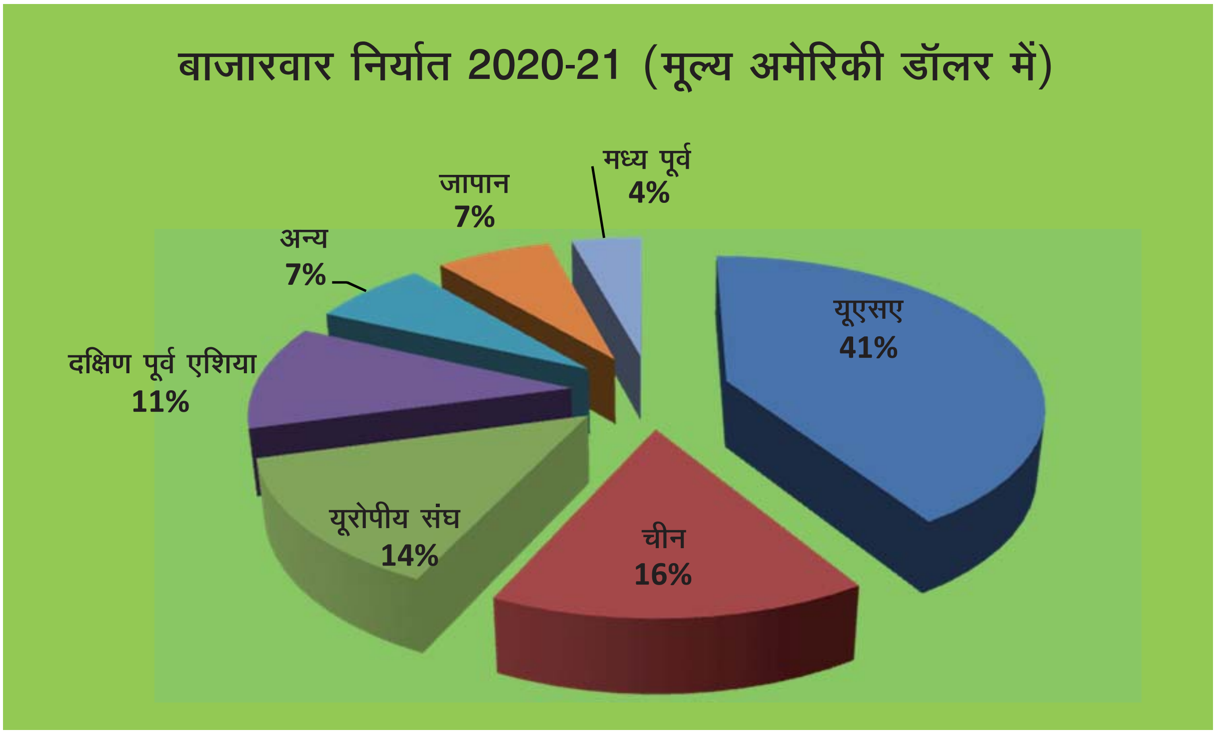

चित्र 4 : बाजारवार निर्यात 2020-21 (मूल्य यूएस डॉलर)

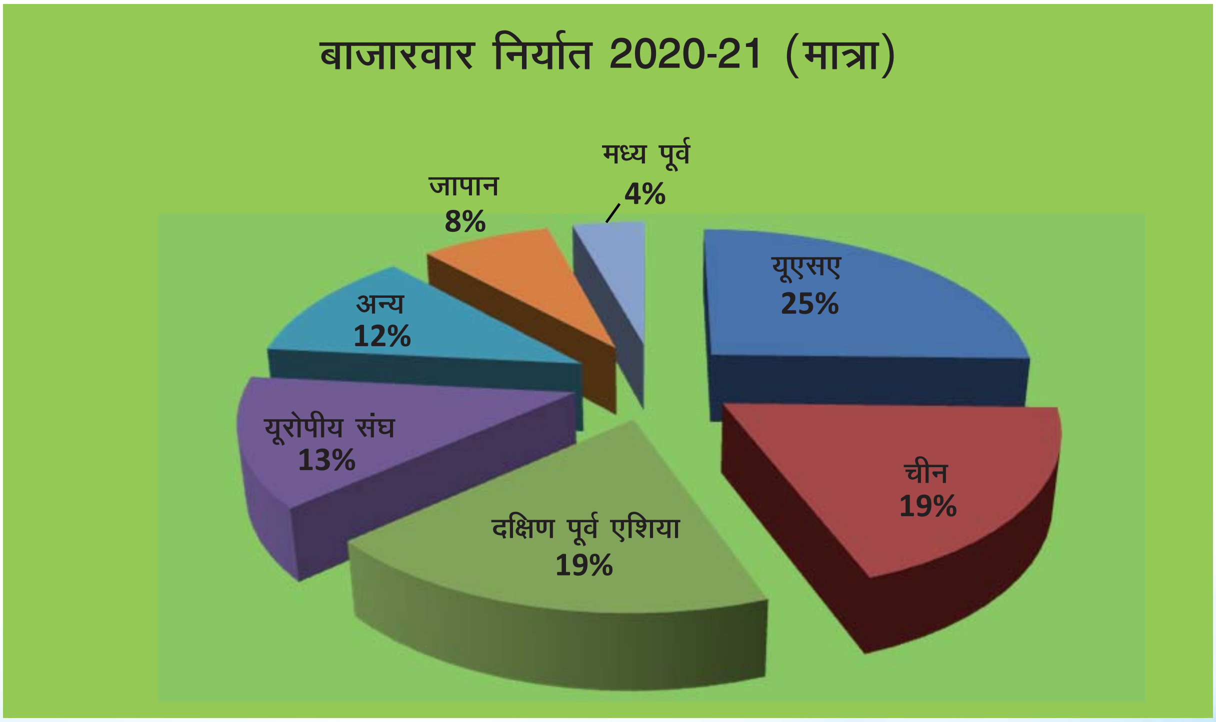

चित्र 5 : बाजारवार निर्यात 2020-21 (मात्रा)

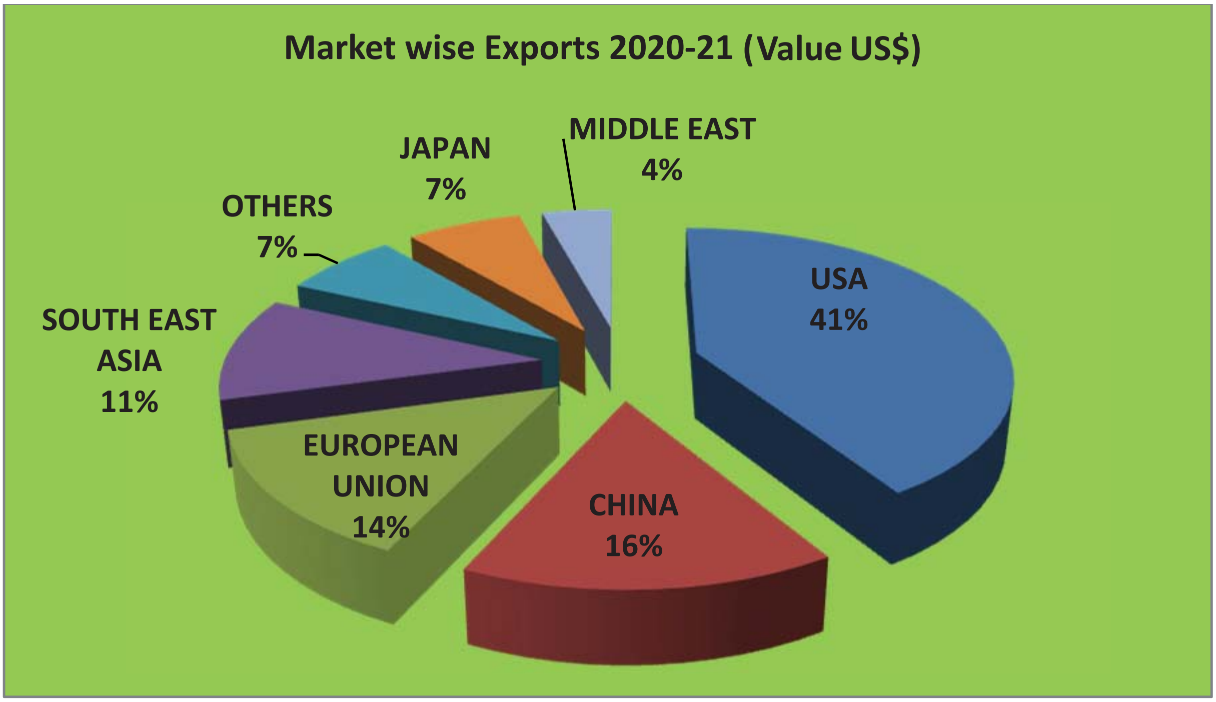

Fig.4 Market Wise Exports 2020-21 (Value US$)

Fig.5 Market wise Exports 2020-21 (Quantity)

3.3 प्रमुख पत्तनवार निर्यात

समुद्री उत्पादों के निर्यात 30 विभिन्न तरीकों समुद्री/वायु/भूमि बंदरगाहों के द्वारा किए गए। समुद्री कार्गो को हैंडिल करने वाले प्रमुख पत्तन हैं विजाग, कलकत्ता, कोच्चि, कृष्णापट्टनम और जेएनपी। प्रमुख पत्तनवारवार निर्यात विवरण नीचे दिए गए है। विजाग ने यूएस डॉलर के संदर्भ में भारत से 28% निर्यात को संभाला।

तालिका 6 : अप्रैल-मार्च 2020-21 के दौरान पत्तनवार निर्यात विवरण

मा मात्रा टनों में, मू मूल्य करोड़ रुपए में, डॉ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर में

पत्तन		हिस्सा %	2020 - 21	2019 - 20	वृद्धि (%)
विज़ाग	मा	18.83	216457	241783	-10.47
	मू	28.28	12362.71	13139.73	-5.91
	डॉ	28.22	1681.20	1880.49	-10.60
कलकत्ता	मा	10.13	116419	128150	-9.15
	मू	11.69	5112.77	5308.02	-3.68
	डॉ	11.68	695.84	760.90	-8.55
कोच्ची	मा	12.49	143552	146038	-1.70
	मू	11.42	4994.75	4904.49	1.84
	डॉ	11.43	681.04	700.26	-2.74
कृष्णापट्टनम	मा	5.59	64230	97708	-34.26
	मू	8.61	3762.21	5134.31	-26.72
	डॉ	8.59	511.79	735.44	-30.41
जेएनपी	मा	9.10	104605	134766	-22.38
	मू	8.17	3573.53	4359.71	-18.03
	डॉ	8.19	487.70	623.40	-21.77
पिपावाव	मा	16.16	185817	257402	-27.81
	मू	7.62	3330.90	4556.19	-26.89
	डॉ	7.63	454.46	650.01	-30.08
चेन्नई	मा	6.00	68973	51539	33.83
	मू	7.20	3147.48	2045.57	53.87
	डॉ	7.22	430.21	292.97	46.84
तूतीकोरिन	मा	4.11	47299	57159	-17.25
	मू	5.52	2414.66	2942.64	-17.94
	डॉ	5.52	328.74	421.04	-21.92
मेंगलोर/आईसीडी	मा	9.16	105278	95757	9.94
	मू	3.52	1539.45	1358.89	13.29
	डॉ	3.54	210.64	197.74	6.52
काटुपल्ली / इन्नोर	मा	2.73	31421	26174	20.05
	मू	3.51	1533.49	1220.50	25.64
	डॉ	3.51	208.91	174.77	19.53
अन्य	मा	5.69	65459	53176	23.10
	मू	4.46	1949.05	1692.80	15.14
	डॉ	4.47	266.40	241.69	10.22
कुल	**मा**	100.00	1149510	1289651	-10.87
	मू	100.00	43720.98	46662.85	-6.30
	डॉ	100.00	5956.93	6678.69	-10.81

3.3 Major Port-wise Exports

Marine products were exported through 30 different sea/air/land ports. Vizag, Calcutta, Kochi, Krishnapatnam, and JNP are the major ports which have handled marine cargo. Major Port wise export details are given below. Vizag handled 28% of exports from India in US$ terms.

Table.6: Port Wise Export Details during April-March 2020-21					
Q: Quantity in Tons, V: Value in ₹ Crores,$: USD Million					
Ports		**Share %**	**2020 - 21**	**2019 - 20**	**Growth (%)**
VIZAG	Q:	18.83	216457	241783	-10.47
	V:	28.28	12362.71	13139.73	-5.91
	$:	28.22	1681.20	1880.49	-10.60
CALCUTTA	Q:	10.13	116419	128150	-9.15
	V:	11.69	5112.77	5308.02	-3.68
	$:	11.68	695.84	760.90	-8.55
KOCHI	Q:	12.49	143552	146038	-1.70
	V:	11.42	4994.75	4904.49	1.84
	$:	11.43	681.04	700.26	-2.74
KRISHNAPATNAM	Q:	5.59	64230	97708	-34.26
	V:	8.61	3762.21	5134.31	-26.72
	$:	8.59	511.79	735.44	-30.41
J N P	Q:	9.10	104605	134766	-22.38
	V:	8.17	3573.53	4359.71	-18.03
	$:	8.19	487.70	623.40	-21.77
PIPAVAV	Q:	16.16	185817	257402	-27.81
	V:	7.62	3330.90	4556.19	-26.89
	$:	7.63	454.46	650.01	-30.08
CHENNAI	Q:	6.00	68973	51539	33.83
	V:	7.20	3147.48	2045.57	53.87
	$:	7.22	430.21	292.97	46.84
TUTICORIN	Q:	4.11	47299	57159	-17.25
	V:	5.52	2414.66	2942.64	-17.94
	$:	5.52	328.74	421.04	-21.92
MANGALORE/ICD	Q:	9.16	105278	95757	9.94
	V:	3.52	1539.45	1358.89	13.29
	$:	3.54	210.64	197.74	6.52
KATTUPALLI/ ENNORE	Q:	2.73	31421	26174	20.05
	V:	3.51	1533.49	1220.50	25.64
	$:	3.51	208.91	174.77	19.53
OTHERS	Q:	5.69	65459	53176	23.10
	V:	4.46	1949.05	1692.80	15.14
	$:	4.47	266.40	241.69	10.22
TOTAL	**Q:**	**100.00**	**1149510**	**1289651**	**-10.87**
	V:	**100.00**	**43720.98**	**46662.85**	**-6.30**
	$:	**100.00**	**5956.93**	**6678.69**	**-10.81**

3.4 कोविड-19 प्रभाव के अलावा 2020-21 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात में गिरावट के प्रमुख कारण नीचे सूचीबद्ध हैं,

क उत्पादन पक्ष:

1. मछली पकड़ने के दिनों की कम संख्या के कारण कम मछली लैंडिंग, और कीमतों के बारे में मछुआरों के बीच अनिश्चितता के कारण निर्यातकों ने धीमी लॉजिस्टिक गतिविधियों और बाजार की अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए कच्चे माल की खरीद कम कर दी है।
2. मछली पकड़ने और प्रसंस्करण संयंत्रों में मजदूरों की कमी एक प्रमुख मुद्दा था।

   हालांकि जलकृषि उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन कम लॉजिस्टिक ने परेषणों की आवागमन को प्रभावित किया है।
3. बंदरगाहों पर कंटेनरों की कमी के साथ ही माल ढुलाई (फ्राईट) शुल्क में भी वृद्धि लॉजिस्टिक्स में प्रमुख मुद्दा था।
4. सीमित उड़ान उपलब्धता और उच्च हवाई माल ढुलाई लागत के कारण उच्च मूल्य वाले उत्पादों जैसे कि ठंडा और जीवित उत्पादों का निर्यात महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ।
5. पैकेजिंग, लेबलिंग सामग्री, संबद्ध उत्पादों और सेवाओं की कमी भी देखी गई।

ख. बाजार पक्ष:

1. **चीन:** कंटेनर की कमी के अलावा, माल ढुलाई शुल्क में वृद्धि, सीमा शुल्क और स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर आयातित समुद्री खाद्य की परेषण पर कोविड-19 परीक्षण ने बाजार की अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया। कोविड सकारात्मक परिणामों वाली प्रसंस्करण इकाइयों के निलंबन ने निर्यातकों में आशंका पैदा कर दी है। लेकिन यह देखा गया है कि मार्च 2021 से निर्यात की स्थिति बेहतर हो रही है।
2. **यूएसए:** कंटेनरों की कमी के कारण निर्यातकों के लिए समय पर ऑर्डर निष्पादित करना मुश्किल था। एचओआरईसीए (HoReCa) सेगमेंट के बंद होने से भी मांग पर असर पड़ा।
3. **यूरोपीय संघ:** यूरोपीय संघ वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख यूरोपीय संघ के देशों ने लॉकडाउन या आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रखा है। इसने खुदरा, रेस्तरां, सुपरमार्केट और होटल की खपत को सुस्त बना दिया है। आयातकों की प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि यूरोपीय संघ के साथ उनके मुक्त व्यापार समझौते के कारण वियतनाम की कीमतें बहुत अधिक स्पर्धात्मक हो गई।
4. **जापान:** कोविड-19 लॉक डाउन, प्रतिबंध, प्रमुख शहरों में आपातकाल की स्थिति कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने मांग और खपत को प्रभावित किया।

3.5 निर्यात रिपोर्ट और प्रदान किए गए कोड / आयोजित बैठकों के आंकड़े

क्रमांक	रिपोर्ट प्रकार	संख्या
1	हर महीने की 5 तारीख से पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को मासिक अनंतिम निर्यात रिपोर्ट।	12
2	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक समुद्री निर्यात निष्पादन रिपोर्ट की तैयारी करना।	1
3	की गई कार्रवाई और प्रमुख उपलब्धि रिपोर्ट तैयार करना।	12
4	10 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 69,000 शिपिंग बिलों का निर्यात डेटा समाधान ज़िप फ़ाइल पोर्टिंग और शिपिंग बिल संशोधनों सहित 20 यात्राओं के साथ।	200
5	मुख्यालय, एमपीईडीए और वरिष्ठ अधिकारियों के विभिन्न अनुभागों को प्रदान की गई डेटा रिपोर्ट।	512
6	एमपीईडीए फील्ड कार्यालयों को प्रदान की गई डेटा रिपोर्ट।	308
7	शुल्क मुक्त आयात प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने और जारी करने के लिए प्रदान की गई डेटा रिपोर्ट।	86

3.4 Major reasons for the decline in exports of marine products during 2020-21 in addition to COVID-19 impact are listed below:

A. Production side:

1. Reduced fish landings due to less number of fishing days, and the uncertainty among the fishers regarding the prices as exporters have reduced the purchase of raw materials, citing slow logistic movements and market uncertainties.
2. Scarcity of laborers was a major issue in fishing and processing plants. Though aquaculture production was not affected, reduced logistics has affected the movement of consignments.
3. Scarcity of containers at seaports was the major issue in logistics coupled with increased freight charges.
4. Export of high value products like chilled and live products were significantly impacted due to the limited flight availability and high air freight costs.
5. Scarcity of packaging, labeling material, allied products and services were also observed.

B. Market Side:

1. **China:** In addition to container shortage, increased freight charges, COVID-19 testing on the imported seafood consignments at the customs and local authority level increased the market uncertainties. Suspension of processing units with COVID positive results have created apprehension among exporters. But it is noticed from March 2021 onward the export situation is getting better.
2. **USA:** Due to scarcity of containers it was difficult for exporters to execute orders, in time. Closure of HoReCa segment also affected the demand.
3. **EU:** During the fiscal major EU countries has continued the locked down or movement restrictions. This has made the retail, restaurant, supermarkets and hotel consumption sluggish. Feedback from importers indicates that Vietnam prices are much more competitive due to their Free Trade Agreement with EU.
4. **Japan:** COVID-19 lock down, restrictions, state of emergency in major cities are some of the factors that affected the demand and consumption.

3.5. Statistics of Export Reports & Codes Provided / Meetings conducted

Sl. No	Report type	Number
1	Monthly provisional export report to Ministry of Commerce & Industry before 5^{th} of every month.	12
2	Preparation of Annual Marine Export Performance report for the F.Y. 2020-21	1
3	Preparation of Action taken & major achievement Report	12
4	Export data reconciliation of 69,000 shipping bills for 10 field offices with 20 iterations including Zip file porting & shipping bill modifications.	200
5	Data reports provided to different sections at HO, MPEDA & Senior officials	512
6	Data reports provided to MPEDA Field Offices	308
7	Data reports provided for verifying & issuing Duty Free Import certificates	86

8	राज्य सरकार के संस्थानों को प्रदान की गई डेटा रिपोर्ट।	11
9	बाहरी संस्थाओं केंद्र सरकार / (डीओसी, डीओएफ, अन्य..) और निजी संस्थान को प्रदान की गई डेटा रिपोर्ट।	26
10	ब्रांच मॉड्यूल डेटा प्रविष्टि के लिए फील्ड कार्यालयों को प्रदान किया गया कोड।	21
11	नए ईस्टेट पैकेज के विकास के लिए मेसर्स ब्रॉडवे इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा के साथ आयोजित की गई वर्चुअल बैठकें।	30

3.6 ऑनलाइन ई-स्टाट पैकेज

मैसर्स ब्रॉडवे इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को 25 अगस्त 2021 को कार्य आदेश जारी किया गया और निर्यात डेटा की ऑनलाइन प्रविष्टि के लिए वेब आधारित सांख्यिकी पैकेज के विकास के लिए 4 सितंबर 2021 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। पोर्टल अगस्त 2021 तक पूरा होना अपेक्षित है।

3.7. मूल प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी

सांख्यिकी अनुभाग ने डीजीएफटी और एमपीईडीए फील्ड कार्यालयों के साथ समन्वय किया और विभिन्न व्यापार अनुबंधों के तहत मूल प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान की। एमपीईडीए के लिए डीजीएफटी सीओओ का प्रबंधक पृष्ठ सांख्यिकी अनुभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

2020-21 के लिए क्षेत्रीय प्रभाग / उप क्षेत्रीय प्रभाग से जारी सीओओ पर रिपोर्ट		
1	व्यापार वरीयता की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)	0
2	भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएलएफटीए)	0
3	एशियन-भारत मुक्त व्यापार करार (एशियन भारत एफटीए)	488
4	भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (आईकेसीईपीए)	41
5	भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (आईएमसीईसीए)	0
6	भारत-जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (आईजेसीईपीए)	1555
7	भारत-अफगानिस्तान अधिमान्य व्यापार करार (भारत-अफगानिस्तान पीटीए)	0
8	दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा))	0
9	भारत-चिली अधिमान्य व्यापार करार (भारतचिली पीटीए)	1
10	भारत-मेरकोसुर अधिमान्य व्यापार करार (भारत मेरकोसुर पीटीए)	0
11	एशियाप्रशांत व्यापार करार (आप्ता)	4036
12	सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था (साप्ता)	0
13	भारत-थाईलैंड अर्ली हार्वेस्ट योजना	0
14	भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)	0
15	वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) योजना	112
16	भारत-मॉरीशस व्यापक सहयोग और साझेदारी करार	0
	कुल	**6233**

8	Data reports provided to State Government Institutions	11
9	Data reports provided to External Entities Central Government / (DoC, DoF, others..) & Private Institutions	26
10	Code provided to field offices for branch module data entry	21
11	Virtual meetings conducted with M/s Broadway Infotech Private Limited, Noida for the development of new e-stat package.	30

3.6. Online E-Stat Package

Work order issued to M/s Broadway Infotech Private Limited, Noida on 25th August 2021 and signed agreement on 4th September 2021 for the development of web based statistics package for online entry of export data. The portal is expected to be completed by August 2021.

3.7. Certificate of Origin (CoO) Issued

Statistics section coordinated with DGFT & MPEDA field offices and facilitated the issue of Certificates of Origin under various trade agreements. The administrator page of DGFT CoO for MPEDA is managed by statistics section.

REPORT ON CoO ISSUED FROM RD/SRDs FOR 2020-21		
1	Global System of Trade Preferences (GSTP)	0
2	India Sri Lanka Free Trade Agreement (ISLFTA)	0
3	ASEAN-India Free Trade Agreement (ASEAN-India FTA)	488
4	India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA)	41
5	India-Malaysia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (IMCECA)	0
6	India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IJCEPA)	1555
7	India-Afghanistan Preferential Trading Agreement (India- Afghanistan PTA)	0
8	South Asia Free Trade Area (SAFTA))	0
9	India-Chile Preferential Trading Agreement (India-Chile PTA)	1
10	India-Mercosur Preferential Trading Agreement (India-Mercosur PTA)	0
11	Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)	4036
12	SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA)	0
13	India-Thailand Early Harvest Scheme	0
14	India-Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA)	0
15	Generalized System of Preferences (GSP) Scheme	112
16	India Mauritius Comprehensive Cooperation & Partnership Agreement	0
	TOTAL	**6233**

3.8 अन्य कार्यकलाप

क) विश्व सांख्यिकी दिवस 2020

एमपीईडीए ने 20.10.2020 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया है, इस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है, **"जिसका विषय है दुनिया को उस डेटा से जोड़ना जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं"**। डॉ. वी. गीतालक्ष्मी, प्रधान वैज्ञानिक, विस्तार, सूचना एवं सांख्यिकी प्रभाग, आईसीएआर-सीआईएफटी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में एमपीईडीए स्टाफ, निर्यातकों, किसानों और विद्वानों सहित प्रतिभागियों ने भाग लिया। एमपीईडीए ने आयोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्राफिकल पोस्ट बनाए हैं और एमपीईडीए के सोशल मीडिया हैंडल (फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम) के माध्यम से प्रकाशित किए हैं।

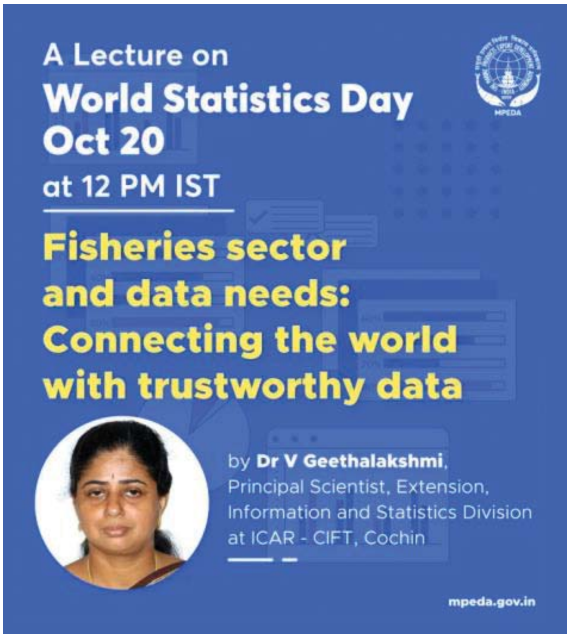

सांख्यिकी वेबिनार के लिए तैयार किए गए सोशल मीडिया बैनर

एमपीईडीए के सांख्यिकी अनुभाग द्वारा विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया

3.8. Other Activities

a) World Statistics Day 2020

MPEDA has celebrated the World Statistics day on 20.10.2020 by organising a Webinar on the Theme 'CONNECTING THE WORLD WITH THE DATA WE CAN TRUST'. Dr. V. Geethalakshmi, Principal Scientist, Extension, Information & Statistics Division, ICAR-CIFT gave the lecture through virtual platform. The programme was attended by participants including MPEDA staff, exporters, farmers and academicians. MPEDA has created graphical posts for the popularisation of the event and published through the social media handles (Facebook, Twitter and Instagram) of MPEDA.

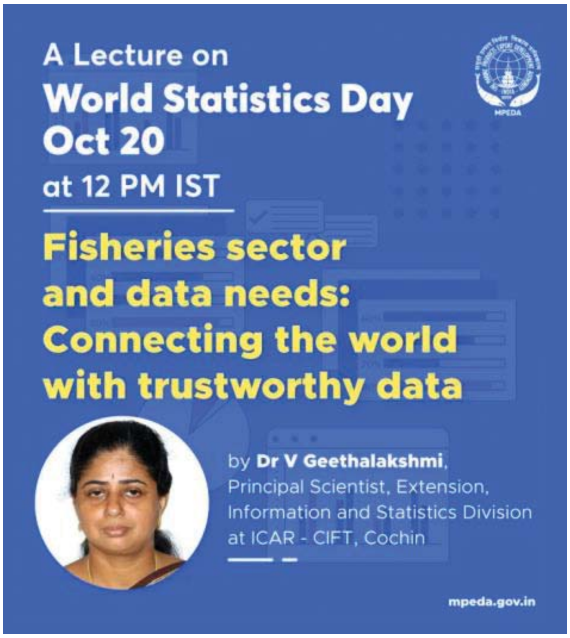

Social Media banners prepared for the Statistics Webinar

World Statistics Day celebrated by Statistics section of MPEDA

2020-21 की पहली छमाही के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात निष्पादन पर वेबिनार

ख. वेबिनार

सांख्यिकी अनुभाग ने 26.11.2020 को "2020-21 की पहली छमाही के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात निष्पादन" पर एक वेबिनार का आयोजन किया। लगभग 133 निर्यातकों, छात्रों, किसानों, अनुसंधान कर्मियों ने भाग लिया

4.0 बजट तथा व्यय सहित वार्षिक योजना

4.1 सुनियोजित योजना कार्यान्वयन में प्रगति

विकासात्मक/ संवर्धनात्मक कार्यकलापों को छह प्रमुख शीर्षों के तहत किया गया था, (क) बाजार संवर्धन (ख) निर्यात के लिए मूल्य संवर्धन (ग) मत्स्य पालन और जलकृषि सुधार (घ) गुणवत्ता आश्वासन (ई) स्थापना और कार्यालय अवसंरचना (नेट) और (एफ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कल्याण।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत बजट (आर ई) ₹ 110 करोड़ (योजना/इमदाद ₹ 70 करोड़, वेतन/सामान्य व्यय ₹ 30.02 करोड़ एवं ₹ 9.98 करोड़ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए) था। एमपीईडीए ने एनआरसीपी खर्च के लिए ईआईसी से ₹ 2 करोड़ प्राप्त किए और ₹ 12.43 करोड़ का आईईबीआर सृजित किया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एमपीईडीए के पास कुल उपलब्ध निधि 124.43 करोड़ रुपये थी।

उपलब्ध निधि में से; 72 करोड़ रुपये योजना व्यय के लिए और 42.45 करोड़ रुपये सामान्य वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए और 9.98 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए उपयोग किए गए थे। 31.03.2021 को निधि शेष शून्य है।

विभिन्न योजना घटक केलिए आबंटित योजना बजट निम्नानुसार है।

b) **Webinar**

Statistics section organized one webinar on "Export Performance of Marine Products during the first half of 2020-21" on 26.11.2020. Around 133 exporters, students, farmers, research personnel participated.

Webinar on "Export Performance of Marine Products during the first half of 2020-21"

4.0 ANNUAL PLAN WITH BUDGET AND EXPENDITURE

4.1 Progress of plan scheme Implementation:

The developmental/promotional activities were carried out under six major heads viz., (A) Market Promotion (B) Value Addition for Exports (C) Fisheries & Aquaculture Improvement (D) Quality Assurance (E) Establishment & Office Infrastructure (Net) and (F) Welfare of SC/ST and North Eastern Region.

Budget (RE) approved for the FY 2020-21 was ₹ 110 Crore (Scheme/Subsidies ₹ 70 Crore, Salary/General expenses ₹ 30.02 Crore & ₹ 9.98 Crore for welfare of SC/ST). MPEDA has received ₹ 2 Crore from EIC for NRCP expenses and generated IEBR of ₹ 12.43 Crore. The total available fund with MPEDA for the FY 2020-21 was ₹ 124.43 Crore

Out of the available fund; ₹ 72 Crore was fully utilized for Scheme Expenses and ₹ 42.45 Crore was utilized for General Salary and other Administrative Expenses and ₹ 9.98 Crore utilized for Welfare of SC/ST. The fund balance as on 31.03.2021 is NIL.

The plan budget allocated to various scheme components is as follows.

(₹ करोड़ में)

कोड	शीर्ष का नाम	राशि
छ	बाज़ार संवर्धन	6.00
ळ	निर्यात के लिए मूल्य संवर्धन	19.00
भ	मत्स्य पालन और जलकृषि सुधार	23.50
ङ	गुणवत्ता आश्वासन	11.50
ख	स्थापना और कार्यालय अवसंरचना (नेट)	40.00
क्ष	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण	10.00
	कुल	**110.00**

वर्ष 2020-21 के लिए बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	एमओसीआई द्वारा जारी निधि	अन्य एजेंसी से प्राप्त निधि	आईईबीआर	एमपीईडीए द्वारा व्यय	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधि (संचयी)
2020-21	110.00	110.00	2.00	12.43	124.43	-

5.0 पंजीकरण

एमपीईडीए अधिनियम और नियमों के सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यातकों, मत्स्यन यानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, हिम संयंत्रों, शीत भंडारों और हैंडलिंग केंद्रों आदि का पंजीकरण/विपंजीकरण एवं रद्दकरण जारी रखा। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत किए गए पंजीकरण, विपंजीकरण एवं रद्दकरण के विवरण निम्नलिखित तालिका 7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 7 दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि के दौरान संस्थाओं का पंजीकरण, विपंजीकरण एवं रद्दकरण तालिका

श्रेणी	01.04.2020 के अनुसार पंजीकृत	वर्ष के दौरान किए गए पंजीकरण	वर्ष के दौरान किए गए विपंजीकरण	निवेदन के अनुसार रद्दीकरण किया गया	ऑन लाइन के अनुसार 31.03.2021 तक पंजीकृत	क्षमता मी.टन में
निर्माता निर्यातक	712	33	24	36	686	एनए
व्यापारी निर्यातक	780	74	123	74	655	एनए
रूट थ्रु निर्यातक	88	8	3	4	89	एनए
आलंकारिक मत्स्य निर्यातक	45	10	11	1	41	एनए
निर्यातक	1,625	125	159	115	1,471	
मत्स्यन यान	11,168	1	1	0	11,168	एनए
संसाधन संयंत्र	608	17	14	30	611	34,495.95
ताज़ा/शीतित मत्स्य हैंडलिंग केंद्र	65	5	3	2	67	1,196.30
जीवित मत्स्य हैंडलिंग केंद्र	63	2	2	7	63	1,676.36
सूखी / लवणीय मत्स्य हैंडलिंग केंद्र	134	16	17	5	133	2,473.26
भंडारगृह	778	32	20	42	790	476,324.76
हिम संयंत्र	82	1	4	13	79	2,262.35
पीलिंग शेड	689	18	17	39	690	10,859.04
वाहन	209	20	2	44	227	211,102.35

(₹ in Crore)

CODE	NAME OF HEADS	AMOUNT
A	Market Promotion	6.00
B	Value Addition for Exports	19.00
C	Fisheries & Aquaculture Improvement	23.50
E	Quality Assurance	11.50
F	Establishment & Office Infrastructure (Net)	40.00
G	Welfare of SC/ST and North Eastern Region	10.00
	TOTAL	**110.00**

Budget & Expenditure for the year 2020-21

(₹ In Crore)

Year	Budget Provision	Funds released by the MoCI	Fund received from Other Agency	IEBR	Expenditure by the MPEDA	Unutilized funds (Cumulative) at the end of the year
2020-21	110.00	110.00	2.00	12.43	124.43	-

5.0 REGISTRATION

The Authority under the statutory provisions of the MPEDA Act and Rules continued to Register/De-register and Cancel the Exporters, Fishing Vessels, Processing Plants, Ice Plants, Cold Storages and Handling Centers etc. during 2020-21.The details of Registration, De-registration and Cancellation effected as on 31.03.2021 under various categories are shown below in Table 7.

Table 7: Registration, De-registration and Cancellation of entities during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021

Category	Registered as on 01.04.2020	Registration done during the year	De-Registration done During the year	Cancellation done as per request	Registered as on 31.03.2021	Capacity in MT
Manufacturer Exporter	712	33	24	36	686	NA
Merchant Exporter	780	74	123	74	655	NA
Route Through Exporter	88	8	3	4	89	NA
Ornamental Fish Exporter	45	10	11	1	41	NA
Exporter	1,625	125	159	115	1,471	
Fishing vessels	11,168	1	1	0	11,168	NA
Processing Plants	608	17	14	30	611	34,495.95
Fresh/Chilled Fish Handling Centre	65	5	3	2	67	1,196.30
Live Fish Handling Centre	63	2	2	7	63	1,676.36
Dried/Salted Fish Handling Centre	134	16	17	5	133	2,473.26
Storages	778	32	20	42	790	476,324.76
Ice Plants	82	1	4	13	79	2,262.35
Peeling shed	689	18	17	39	690	10,859.04
Conveyance	209	20	2	44	227	211,102.35

6.0 निर्यात संवर्धन

6.1 बाज़ार सेवाएँ

व्यापार नीति, एसपीएस/टीबीटी अधिसूचना, एंटी डंपिंग ड्यूटी, यूएस पब्लिक लॉ की धारा 609, समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम (एमएमपीए), समुद्री खाद्य आयात निगरानी कार्यक्रम (एसआईएमपी) और यूरोपीय संघ अधिसूचना संख्या-1005/2009 जो प्रमुख बाजारों में भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें सुलझाया गया और विभिन्न व्यापार करारों के तहत, समुद्री सेक्टर से जुड़े मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है और समान मुद्दों को उचित स्तर पर उठाने के लिए वाणिज्य विभाग को और मत्स्य पालन विभाग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को भी टिप्पणियां और इन्पुट्स प्रस्तुत किए जाते हैं।

व्यापार करने में आसानी के लिए, निर्यात सुगमता प्रमाणपत्र जैसे, डीएस-2031, शुल्क मुक्त आयात प्रमाणपत्र, कानूनी मूल का प्रमाणपत्र, और नॉन-रेडियोएक्टिविटी प्रमाणपत्र ऑनलाइन किए गए थे। इसने इस महामारी की अवधि के दौरान समुद्री खाद्य निर्यात की लेनदेन लागत को कम कर दिया।

भारत में समुद्री मत्स्य का उत्पादन 1950 में 0.58 मिलियन टन से लगातार बढ़कर 2019-20 में 3.72 मिलियन टन हो गया है (मात्स्यिकी सांख्यिकी पर हैंडबुक 2020 डीओएफ)। भारत के लिए समुद्री मत्स्य उत्पादन की संभावना 5.31 मिलियन टन होने का अनुमान है। कैप्चर मत्स्य पालन सहित समुद्री क्षेत्र जीडीपी के 1.1 का तथा कृषि जीडीपी के 1.1 का योगदान देता है (एनएफडीबी 2018)। वर्ष 2019-20 में, भारत ने 6.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के समुद्री खाद्य का निर्यात किया है। निर्यात मूल्य में कैप्चर मत्स्य पालन का योगदान लगभग 36.5 था, जबकि शेष योगदान जलकृषि का था।

6.1.1 यूएसए को किए जाने वाले भारतीय श्रिम्प के निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क।

सदर्न श्रिम्प प्रोड्यूसर्स एलायंस (यूएसए के स्थानीय श्रिम्प उत्पादक संघ) के अभ्यावेदन के आधार पर, यूएस डीओसी वर्ष 2004 से भारत से किए जाने वाले श्रिम्प आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा रहा था। प्रारंभिक एंटी डंपिंग शुल्क 10.17% था। बाद में प्रशासनिक समीक्षा में इसकी समीक्षा की गई। अब तक 14 प्रशासनिक समीक्षाएं की जा चुकी हैं और भारतीय श्रिम्प के लिए लगाया गया वर्तमान पाटनरोधी शुल्क 3.06% है। एमपीईडीए यूएसए द्वारा भारतीय श्रिम्प पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने पर एमओसीआई को टिप्पणियां और विवरण प्रदान करता है।

6.1.2 मुक्त व्यापार समझौतों पर दिए गए इन्पुट एवं व्यापार बैठकें

भारत जापान सीईपीए, भारत कोरिया सीईपीए, भारत ईयू एफटीए, भारत चिली व्यापार समझौता, जमैका में व्यापार और निवेश, ईएईयू जॉर्जिया और उजबेकिस्तान के साथ बातचीत, यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार, मॉरीशस एफटीए, भारत इक्वाडोर संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेईटीसीओ), भारत और फिलीपींस के बीच व्यापार और निवेश पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीटीआई), भारत रूस व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग, भारत अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी), भारत पुर्तगाल संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी), भारत यूएई निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (एचएलटीएफआई), व्यापार और निवेश पर जेडब्ल्यूजी, भारत ऑस्ट्रेलिया जेडब्ल्यूजी, भारत फ्रांस संयुक्त समिति, व्यापार और निवेश पर भारत ट्यूनीशिया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी), उज्बेकिस्तान अंतरसरकारी आयोग, व्यापार और निवेश पर भारत कनाडा वार्षिक मंत्रिस्तरीय संवाद, भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच व्यापार समझौता ईएईयू, भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी), यूके उन्नत ट्रेड पार्टनरशिप, और भारत सेनेगल संयुक्त आयोग की बैठक जैसे विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत, उत्पाद विशिष्ट नियमों, टैरिफ दरों में छूट और ओरिजिन के नियमों पर इनपुट / टिप्पणियां प्रदान की गईं।

6.0 EXPORT PROMOTION

6.1 Marketing Services

The issues related to trade policy, SPS/TBT Notifications, Anti-dumping duty, Section 609 of US Public Law, Marine Mammal Protection Act (MMPA), Seafood Import Monitoring Programme (SIMP) and EU notification no. 1005/2009, which are affecting market access for the Indian marine products in major markets were addressed and also under the various trade agreements, the issues related to marine sector are analyzed and inputs furnished to the Department of Commerce for taking up those at appropriate levels. Comments and inputs were also provided to Department of Fisheries and Ministry of Food Processing Industries for policy formulations related to seafood industry.

For ease of doing business, export facilitation certificates like, DS-2031, Duty free import certificate, certificate of legal origin, and Non- radioactivity certificate were made online. This reduced the transaction cost of the seafood export during this pandemic period.

Marine Fish production in India has been continuously increased from 0.58 million tons in 1950 to 3.72 million tons in 2019-20 (Handbook on Fisheries Statistics: 2020, DoF). The potential for marine fish production for India is estimated to be 5.31 million tons. The marine sector including the capture fisheries contributes to 1.1 % of the GDP and 5.15 % of the agricultural GDP (NFDB, 2018). In 2019-20, India has exported seafood valued US$ 6.68 billion. Capture fisheries contributed nearly 36.5% of the export value, while the rest came from aquaculture.

6.1.1 Antidumping duty on exports of Indian Shrimp to USA

Based on the representations of Southern Shrimp Producers Alliance (the association of local shrimp producers in USA), the US DOC was imposing anti-dumping duty on shrimp imports from India since 2004. The initial anti dumping duty was 10.17%. This was reviewed subsequently in Administrative Reviews. So far 14 administrative reviews have been conducted and the present antidumping duty imposed for Indian shrimp is 3.06%. MPEDA provides comments and details to MoCI on imposition of Antidumping duty on Indian shrimp by US.

6.1.2 Inputs offered on Free Trade agreements & Trade meetings

Inputs/comments were provided on Product Specific Rules, tariff rates relaxation and Rules of Origin under various trade agreements and trade meetings related to India - Japan CEPA, India-Korea CEPA, India-EU FTA, India-Chile Trade Agreement, Trade and Investment in Jamaica, Negotiations with EAEU, Georgia and Uzbekistan, bilateral trade with European Countries, Mauritius FTA, India-Ecuador Joint Economic and Trade Committee (JETCO),Joint Working Group on Trade & Investment (JWGTI) between India and Philippines, India-Russia Inter Governmental Commission on Trade, Economic, Scientific, Technical and Cultural Cooperation, India-Argentina Joint Trade Committee (JTC), India-Portugal Joint Economic Commission (JEC), India-Saudi Strategic Partnership, India-Myanmar Joint Trade Committee (JTC), India-UAE High Level Task Force on Investment (HLTFI), JWG on Industry, Trade and Investment, India – Australia JWG, India-France Joint Committee, India – Tunisia Joint Working Group (JWG) on trade and investment, Uzbekistan Inter-Governmental Commission, India – Canada Annual Ministerial Level Dialogue on Trade and Investment, Trade Agreement between India and Eurasian Economic Union [EaEU], India-Spain Joint Economic Commission (JEC), UK Enhanced Trade Partnership, and India – Senegal Joint commission meeting.

6.1.3 निर्यात संवर्धन से संबंधित मुद्दों का समाधान।

- यूएस पब्लिक लॉ की धारा 609 और एमएमपीए, जो यूएस बाज़ार पहुँच को प्रभावित कर रहे हैं, के विशेष संदर्भ में, मुद्दों को निपटाया गया औरत यूएस को किए जाने वाले प्रकृतिकृत रूप से पकड़े गए समुद्री खाद्य के निर्यात की बाजार पहुंच के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।
- एमपीईडीए ने कोचीन मत्स्य पालन बंदरगाह के विकास के लिए एक डीपीआर प्रस्तुत किया और एसपीवी के गठन की अनुमति मांगी। एमपीईडीए के हस्तक्षेप के आधार पर, केंद्र सरकार ने हाल के केंद्रीय बजट में 5 प्रमुख फिशिंग हार्बर विकसित करने का निर्णय लिया।
- समुद्री खाद्य निर्यात से संबंधित व्यापार मुद्दों और व्यापार शिकायतों को निपटाया गया।
- यूएस द्वारा भारतीय श्रिम्प पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने पर एमओसीआई को टिप्पणियां और विवरण प्रदान किए।
- केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए निर्यात नीति तैयार करने के लिए कदम उठाए गए।
- एमईआईएस, टीएमए से संबंधित मुद्दों को एमओसीआई को सूचित किया गया।
- निर्यात मत्स्य पालन पर एक पॉलिसी पत्र तैयार करने के लिए नीति आयोग को सुझाव और इनपुट्स दिए गए।
- पुनः निर्यात के लिए कच्चे माल के आयात के लिए स्वच्छता आयात परमिट (एसआईपी) की आवश्यकता को दूर करने के लिए मत्स्य पालन विभाग को इनपुट और सुझाव प्रदान किए गए।
- नई विदेश व्यापार नीति और औद्योगिक नीति के लिए इनपुट प्रदान किए गए।
- फिश मील के मूल सीमा शुल्क को घटाकर 0% करने के लिए राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआईएस तैयार करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को सुझाव और ब्यौरा उपलब्ध कराया गया।
- श्रीलंका में सूखे स्प्रैट्स को छोड़कर सूखी मछली की सभी मछली प्रजातियों के आयात के अस्थायी निलंबन का निपटान किया।
- एमपीईडीए ने बेहतर बाजार पहुंच के लिए प्रकृतिकृत पकडे गए मत्स्यों के लिए स्थायी प्रमाणीकरण के महत्व को संवेदनशील बनाया और इस क्षेत्र में आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए डीओएफ से अनुरोध किया।
- विश्व व्यापार संगठन में मात्स्यिकी सब्सिडी पर यूएसए और कनाडा द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिए इनपुट प्रदान किए गए।

6.1.4 कोविड-19 व्यापार मुद्दे

- कंटेनरों की निकासी, विलंबित भुगतान और चीन के खरीदारों द्वारा मूल्य सौदेबाजी से संबंधित निर्यातकों के सामने आने वाले मुद्दों का निपटान किया गया।
- रीफर कंटेनर की अनुपलब्धता और फ्रेट दर में भारी वृद्धि से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए पणधारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

6.1.5 विभिन्न देशों के एसपीएस/टीबीटी मुद्दे

वर्ष 2020-21 के दौरान एपीजेएसएलजी विधि कार्यालयों, नई दिल्ली, (एमओसीएंडआई के सलाहकार) को 129 एसपीएस और टीबीटी पर टिप्पणियां भेजी गईं।

6.1.3 Issues addressed related to export promotion.

- Addressed the issues and took necessary steps for market access of wild caught seafood export to US with specific reference to Section 609 of US Public Law and MMPA which are affecting the US market access.
- MPEDA submitted a DPR for development of Cochin Fisheries Harbour and sought permission for formation of SPV. Based on the intervention of MPEDA, Union Govt. decided to develop 5 major Fishing Harbours in recent Union Budget.
- Addressed the trade issues and trade complaints related to seafood export.
- Provided comments and details to MoCI on imposition of Anti Dumping Duty on Indian shrimp by US.
- Steps taken to frame Export Policy for UT of Lakshadweep.
- Addressed the issues related to MEIS, TMA to MoCI.
- Provided suggestions to NITI Aayog for formulation of a policy paper on export fisheries.
- Provided inputs and suggestions to department of fisheries to do away with the requirement of Sanitary Import Permit (SIP) for import of raw material for re-export.
- Inputs provided for New Foreign Trade Policy and Industrial Policy.
- Requested to department of revenue for reduction of Basic Customs Duty of fish meal to 0%.
- Suggestions and details provided to Ministry of food processing for formulation of PLIS for Incentivizing the Processing Units for Increasing Production of Value Added Products in Fishery Sector.
- Addressed temporary suspension of Importation of all fish species of Dry fish except dried sprats to Sri Lanka.
- MPEDA sensitized the importance of sustainable certification for wild caught fisheries for better market access and requested DoF for further necessary action in this area.
- Inputs were provided for the queries raised by USA and Canada on fisheries subsidies in WTO.

6.1.4 COVID-19 Trade Issues

- Addressed the issues faced by exporters related to clearance of containers, delayed payments and price bargaining resorted by buyers from China.
- Meeting conducted with stake holders to address the issues related to non availability of reefer container and huge increase in the freight rate.

6.1.5 SPS/TBT Issues of Various Countries

Comments on 129 nos. of SPS and TBT notification were provided to APJ-SLG Law offices, New Delhi, (consultant to MOC&I) during the year 2020-21.

6.1.6 विशेष इनपुट और ब्रांड नामों के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा

- निर्यात के पिछले वित्तीय वर्ष के एफओबी मूल्य के 1% की सीमा तक निर्दिष्ट विशिष्ट इनपुट/रसायन और वासक तेल आदि के शुल्क मुक्त आयात के लिए 86 मामलों को मंजूरी दी गई थी।
- समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए 21 निर्यातकों को 67 ब्रांड नामों की मंजूरी दी गई।

6.1.7 समुद्री संसाधनों का संरक्षण:

6.1.7.1 कैच सर्टिफिकेश स्कीम

यूरोपीय संघ विनियम 1005/2008 के कार्यान्वयन 1 जनवरी 2010 से यूरोपीय संघ को समुद्र से पकड़ी गई किस्मों के निर्यात के लिए पकड़ प्रमाणपत्र के सत्यापन की मांग करता है। एमपीईडीए को भारत सरकार द्वारा कैच सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए अधिकृत किया गया है।

एमपीईडीए 01.04.2019 से कैच सर्टिफिकेट के ऑनलाइन सत्यापन को लागू कर रहा है। कैच डेटा संग्रह के लिए, हार्बर डेटा कलेक्टर्स (एचडीसी) की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी गई है और इन्हें कैच सर्टिफिकेट के सत्यापन केलिए मत्स्यन यान यात्राओं एवं लैंडिंग की ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु नाव आगमन के वास्तविक समय का पता लगाने के लिए भारत के सभी समुद्री राज्यों के प्रमुख मत्स्यन बंदरगाहों के अलावा छोटे मत्स्यन बंदरगाहों/लैंडिंग केंद्रों में तैनात किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, यूरोपीय संघ और गैर-यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए 7339 कैच प्रमाणपत्रों को इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मान्य किया गया, जिससे 203.24 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

6.1.7.2 गैर-यूरोपीय संघ कैच प्रमाणपत्र:

व्यापार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, एमपीईडीए यूरोपीय संघ के अलावा अन्य देशों के लिए सभी समुद्र से पकड़े गए समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए कैच सर्टिफिकेट को मान्य कर रहा है, जो कि 5.3.2018 से प्रभावी है। वर्ष 2020-21 के दौरान, एमपीईडीए ने गैर यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए ₹ 7.31 लाख का राजस्व उत्पन्न करने केलिए 354 कैच प्रमाणपत्रों क मान्य किया है।

6.1.7.3 डीएस 2031 प्रमाणपत्र

संयुक्त राज्य अमेरिका को किए जाने वाले श्रिम्प परेषण के साथ डीएस 2031 प्रमाणपत्र का होना अनिवार्य है, जो यह सूचित करता है कि समुद्री कछुओं को नुकसान न पहुँचने वाले तरीके से या जलकृषि द्वारा श्रिम्प का संग्रह किया गया है। एमपीईडीए ने 06.04.2020 से अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डीएस-2031 प्रमाणपत्र का ऑनलाइन सत्यापन शुरू किया। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 17,800 डीएस-2031 प्रमाणपत्रों को सत्यापित किया गया था, और इस खाते से उत्पन्न राजस्व ₹ 359.70 लाख था।

6.1.7.4 आईसीसीएटी प्रमाणपत्र

भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 जून 2016 के पत्र सं.5/1/2015 ईपी (एमपी) के अधीन प्रशांत महासागर एवं आसपास के महासागरों में टयूना एवं टयूना जैसी प्रजातियों के संरक्षण हेतु युरोपीय संघ के कुछ बाजारों में स्वोर्ड फिश एवं बिग आई ट्यूना के निर्यात के लिए अटलैंटिक ट्यूना के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आई सी सी ए टी) स्वोर्ड फिश सांख्यिकी दस्वावेज के वैधीकरण के लिए एमपीईडीए को प्राधिकृत किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 329 आईसीसीएटी स्वोर्डफ़िश सांख्यिकीय दस्तावेजों का सत्यापन किया गया, जिससे राजस्व के रूप में ₹ 3.38 लाख उत्पन्न हुए।

6.1.7.5 गैर रेडियो धर्मिता प्रमाणपत्र

पर्यावरण या खाद्य श्रृंखला में रेडियोधर्मिता संदूषण के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए बीएआरसी मुंबई के माध्यम से उत्पादों की एक श्रृंखला पर रेडियोधर्मिता परीक्षण किया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 201 नॉन -रेडियो एक्टिव प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया गया, और राजस्व ₹ 2.37 लाख उत्पन्न हुए।

6.1.6 Facilitated duty free import of specialised inputs & Brand Names

- 86 cases were cleared for duty free import of specified specialized inputs/chemicals and flavouring oil etc. to the extent of 1% of FOB value of preceding financial year of export.
- 67 Brand names were cleared to 21 exporters for the export of Marine products.

6.1.7 Conservation of Marine Resources:

6.1.7.1 Catch Certification Scheme

Implementation of European Union Regulation 1005/2008 demands validation of catch certificate for export of sea caught varieties to European Union since 1st January 2010. MPEDA has been authorized by the Govt. of India for validation of catch certificate.

MPEDA is implementing online validation of catch certificate with effect from 01.04.2019. For catch data collection, the strength of Harbour Data Collectors (HDCs) enhanced to 100 and are deployed in minor fishing harbours/landing centres apart from the major fishing harbours in all maritime states of India for capturing real time boat arrivals to ensure traceability of landings and fishing vessel voyages for validating the catch certificates. During the year 2020-21, 7339 catch certificates for export to EU were validated by MPEDA, generating revenue of ₹ 203.24 lakh.

6.1.7.2 Non-EU Catch Certificate:

Based on the request from the trade, MPEDA has been validating Catch Certificates for the export of all sea caught marine products destined for countries other than European Union, w.e.f. 5.3.2018. During the year 2020-21, MPEDA has validated 354 catch certificates for export to Non-EU generating revenue of ₹ 7.31 lakh.

6.1.7.3 DS 2031 certificates

It is mandatory for the shrimp consignment to USA to be accompanied by DS 2031 certificate, which states that the shrimps are harvested in a manner not harmful to sea turtles or harvested by aquaculture. MPEDA started online validation of DS 2031 certificate with digital signature of officers from 06.04.2020. A total of 17,800 DS 2031 certificates were validated during 2020-21, and the revenue generated on this account was ₹ 420.08 Lakh.

6.1.7.4 ICCAT certificates

MPEDA has been authorized by the Govt. of India vide letter no. 5/1/2015-EP (MP) dated 27th June 2016 to validate International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) Swordfish Statistical Document for the export of Big Eye tuna and swordfish to EU & certain markets for conservation of tunas and tuna like species in the Atlantic Ocean and its adjacent seas. A total of 329 ICCAT Swordfish Statistical Documents were validated during 2020-21 generating ₹ 3.38 Lakh as revenue.

6.1.7.5 Non Radio Activity Certificate

To control the risk of radio-active contamination in the environment or food chain carries out radio activity testing on a range of products through BARC Mumbai. A total of 201 Non-Radio Active certificates were validated during 2020-21, and revenue generated was ₹ 2.37 Lakh.

6.1.7.6 डॉल्फिन मुक्त प्रमाणपत्र

वर्ष 2020-21 के दौरान कोई डॉल्फिन मुक्त प्रमाणपत्र का सत्यापन नहीं किया गया।

6.1.7.7 कानूनी मूल का प्रमाणपत्र

नेशनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सर्विस (एसईआरएनएपीईएससीए), चिली ने एमपीईडीए को चिली को किए जाने वाले निर्यात के लिए आवश्यक कानूनी मूल के प्रमाणपत्र को मान्य करने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में पहचान की है। वर्ष 2020-21 के दौरान कानूनी मूल के तीन प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया गया, और ₹ 0.0035 लाख राजस्व प्राप्त हुए।

6.1.8 अन्य प्रमुख कार्यकलाप

6.1.8.1 यूएस पब्लिक लॉ 101-162 की धारा 609 के तहत श्रिम्प हार्वेस्टिंग वाले राष्ट्रों का वार्षिक प्रमाणन

छयूएस विदेश विभाग ने भारत से यूएसए में हमारे प्रकृतिकृत पकड़े गए श्रिम्प निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि हमारी प्रकृतिकृत पकड़ी गई श्रिम्प मछली यूएस पब्लिक लॉ 101-162 की धारा 609 के तहत प्रमाणित नहीं है। यह मुख्य रूप से भारत में अपनाई जाने वाली मछली पकड़ने की विधियों जैसे ट्रॉल नेट, ट्रैमेल नेट, गिल नेट, डोल नेट आदि के कारण है जो कथित तौर पर समुद्री कछुए की आबादी को प्रभावित करते हैं। जवाब में, वाणिज्य विभाग ने वैज्ञानिक संस्थानों और संबंधित राज्य मत्स्य पालन विभागों के परामर्श से वैज्ञानिक प्रमाण और भारत के प्रत्येक समुद्री राज्यों में प्रचलित विनियमन और संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन पर डेटा के साथ यूएस राज्य विभाग को विचार करने और यूएस पब्लिक लॉ 101-162 की धारा 609 के तहत भारतीय श्रिम्प मछली पालन को प्रमाणित करने के अनुरोध के साथ टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

एनएमएफएस-एनओएए द्वारा अग्रेषित नॉन-पेपर में कहा गया है कि सीआईएफटी-टीईडी, एनएमएफएस-यूएस आयामों को पूरा नहीं करता है और टीईडी का उपयोग भारत में मैकेनिकल ट्रॉलरों में नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रों को केवल तभी प्रमाणित किया जा सकता है जब ट्रॉल नेट टीईडी के साथ जुड़ा हो और प्रभावी कार्यान्वयन और दंडात्मक कार्रवाई के साथ सख्त प्रवर्तन हो। यूएस डीओसी ने राष्ट्रों से यह सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यापन योग्य और प्रभावी तरीका प्रदर्शित करने का भी अनुरोध किया कि चिल्का और केरल के बैक वॉटर से श्रिम्प की हार्वेस्टिंग तरीकों के निर्धारण के लिए नहीं मिलाया जाता है।

भारतीय दूतावास, वाशिंगटन ने सितंबर और अक्टूबर 2020 में भारतीय पणधारियों और एनओएए के साथ एक वर्चुअल बैठक की व्यवस्था की थी। तदनुसार, सीआईएफटी ने एनएमएफएस आवश्यकता के अनुसार टेड डिजाइन को अच्छी फाइन ट्यून किया है। फाइन ट्यून किए हुए सीआईएफटी-टीईडी डिजाइन पर प्रस्ताव, और निर्यात से पहले प्रसंस्करण या पैकेजिंग के दौरान विभिन्न हार्वेस्टिंग प्रणालियों से प्राप्त श्रिम्प को नहीं मिश्रित किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सत्यापन योग्य और प्रभावी विधि के प्रदर्शन पर एक प्रस्ताव डीओसी को पत्र दिनांकित 02.02.2021 को यूएस डीओएस को उनकी टिप्पणियों और मार्गदर्शन के लिए आगे भेजने हेतु ईओआई, वाशिंगटन को आवश्यक कदम उठाने के लिए अग्रेषित किया गया है।

6.1.8.2 यूएस समुद्री खाद्य आयात निगरानी कार्यक्रम (एसआईएमपी)

एमपीईडीए यूएस समुद्री खाद्य आयात निगरानी कार्यक्रम प्रक्रियाओं पर ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संवेदीकरण कार्यशालाएं/प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है ताकि निर्यातकों को सामग्री के स्रोत के बारे में आवश्यक पता लगाने योग्य जानकारी यू एस इंपोर्टर ऑन रेकॉर्ड (आईओआर) को देने के लिए तैयार किया जा सके, जिसके पास कार्गो क्लियरिंग के लिए यूएस के साथ सीफूड निर्यात व्यापार में एसआईएमपी चरण में सुगम ट्रांसिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य व्यापार परमिट (आईएफटीपी) है।

6.1.8.3 समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम (एमएमपीए)

संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी सेवा (एनएमएफएस) ने भारतीय मत्स्य पालन में समुद्री स्तनपायी उप-पकड़ के समग्र जोखिम को 'उच्च' पाया है। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एमएमपीए नियम विदेशी हार्वेस्टिंग वाले देशों को अमेरिकी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में तुलनीय नियामक कार्यक्रमों को विकसित

6.1.7.6 Dolphin free Certificate

No Dolphin free Certificate were validated during the year 2020-21.

6.1.7.7 Certificate of Legal origin

National Fisheries and Aquaculture Service (SERNAPESCA), Chile has identified MPEDA as an Authority to validate the Certificate of Legal Origin required for export to Chile. Three Certificates of Legal origin were validated during 2020-21. Revenue generated was ₹ 0.0035 Lakh.

6.1.8 Other major activities

6.1.8.1 Annual Certification of Shrimp Harvesting Nations under Section 609 of US Public Law 101-162

US Department of State has banned our wild caught shrimp exports from India to USA as our wild caught shrimp fishery is not certified under Section 609 of US Public Law 101-162. This is mainly due to the fishing methods followed in India such as trawl nets, trammel nets, gill nets, Dol nets etc. which allegedly affect sea turtle population. In response, Department of Commerce has submitted comments in consultations with scientific institutions and concerned State Fisheries Departments along with scientific evidence and data on implementation of regulation and conservation measures prevailing in each maritime states of India to US state department with a request to consider and certify Indian shrimp fisheries under Section 609 of US Public Law 101-162.

The non-paper forwarded by NMFS-NOAA stated that CIFT-TED did not meet the NMFS-US dimensions and TED is not being used in Mechanical Trawlers in India. Nations can be certified only if the trawl net is fitted with TED & effective implementation and strict enforcement with penal action. US DoC also requested nations to demonstrate a verifiable and effective method for ensuring that shrimp from Chilika & Back waters of Kerala harvesting methods are not commingled for determination.

Embassy of India, Washington had arranged a virtual meeting with Indian stake holders and NOAA in September and October 2020. Accordingly, CIFT has fine tuned the TED design as per the NMFS requirement. The proposal on fine tuned CIFT-TED design, and a proposal on demonstration of a verifiable and effective method for ensuring that shrimp from different harvesting methods is not commingled during processing or packaging prior to export has been forwarded to DoC vide letter dated 02.02.2021 to take necessary steps to forward to EoI, Washington for onward transmission to US DoS, for their comments and guidance.

6.1.8.2 US SEAFOOD IMPORT MONITORING PROGRAMME (SIMP)

MPEDA has been conducting sensitization workshops/training in different regions to impart the knowledge on the US Sea Food Import Monitoring Programme procedures so as to equip the exporters to pass on the required traceability information on source of materials to the US Importer on Record, (IoR) who is in possession of the International Fisheries Trade Permit (IFTP) for smooth transition to the SIMP phase in the seafood export trade with the US for clearing the cargo.

6.1.8.3 MARINE MAMMAL PROTECTION ACT (MMPA)

The National Marine Fisheries Service (NMFS) of USA has observed that the overall risk of the marine mammal by-catch in Indian fishery, as ‘High’. To ensure effective implementation, MMPA rule establishes a 5 - Year exemption period to allow foreign harvesting nations time to develop, as appropriate, regulatory programs

करने हेतु समय देने और उनके मत्स्य पालन के लिए तुलनात्मक निष्कर्षों के लिए आवेदन करने हेतु 5 साल की छूट अवधि स्थापित करता है। एमपीईडीए ने वर्ष 2019 को एनओएए पोर्टल को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और वर्ष 2020 में सीएमएफआरआई, एफएसआई और सीआईएफटी, वन्य जीवन विभाग, राज्य मत्स्यपालन विभाग जैसे वैज्ञानिक संस्थानों और एसईएआई के परामर्श से समीक्षा की। वर्ष 2020 में प्रकाशित भारत का अंतिम एलओएफएफ 15 (12 निर्यात और 3 शुल्क से मुफ्त मात्स्यिकी) है और अमेरिकी अधिकारियों को सूचीबद्ध मत्स्य पालन के लिए तुलनात्मक निष्कर्ष फाइल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है।

एमओईएफएंडसीसी द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार, एमपीईडीए ने अध्ययन करने के लिए सीएमएफआरआई को धन आवंटित किया है और सीएमएफआरआई ने पहले ही अध्ययन शुरू कर दिया है। इसके अलावा, एमपीईडीए ने मत्स्यपालन विभाग से सीएमएफआरआई को एफएसआई अनुसंधान यान प्रदान करके आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है, ताकि पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों पर एक साथ अध्ययन किया जा सके और 30 नवंबर 2021 की समय सीमा के भीतर प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। रक्षा मंत्रालय से एनपीओएल के माध्यम से सीएमएफआरआई को नौसेना पोत द्वारा एकत्रित ध्वनिक डेटा प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया था।

डीओएफ ने एफएसआई यान की सहायता प्रदान करने की सहमति दी है और सीएमएफआरआई को अध्ययन जारी रखने की अनुमति दी है। तदनुसार, एमपीईडीए ने 29.01.2021 को एक बैठक आयोजित की और समय पर अध्ययन पूरा करने के लिए सीएमएफआरआई, सीआईएफटी और एफएसआई द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में की जा रही कार्य योजना पर चर्चा की। सीएमएफआरआई/एफएसआई ने तटीय और अपतटीय दृश्य सर्वेक्षण शुरू किया है, सीएमएफआरआई और नेटफिश-एमपीईडीए सभी समुद्री राज्यों को कवर करते हुए चयनित लैंडिंग केंद्र/बंदरगाहों में बाय-कैच डेटा सर्वेक्षण निष्पादित कर रहे हैं। 18 मार्च 2021 को, अध्यक्ष, एमपीईडीए ने रक्षा सचिव से व्यक्तिगत रूप से भारतीय नौसेना को भारतीय ईईजेड में समुद्री स्तनधारियों के ध्वनिक डेटा को विश्लेषण और विवेचन के लिए एनपीओएल/सीएमएफआरआई को प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अध्ययन के परिणाम भारतीय ईईजेड में समुद्री स्तनपायी आबादी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, जिसका उपयोग 30 नवंबर 2021 को या उससे पहले यूएसए में तुलनात्मकता निष्कर्ष आवेदन फाइल करने के लिए किया जाएगा और यूएसए में भारत से प्रकृतिकृत पकड़े गए समुद्री उत्पाद निर्यात की बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

6.1.8.4 तोपुंपडी मत्स्यन बन्दरगाह का उन्नयन

प्रथम मील कनेक्टिविटी में कमियों को पाटकर कैच की हैंडलिंग में सुधार और अंततः उन्हें राजस्व उत्पन्न करने वाली या आत्मनिर्भर संस्थाओं में बदलने के प्रयास में एक पेशेवर प्रबंधन निकाय के गठन के माध्यम से उनका प्रबंधन करने के लिए एमपीईडीए ने भारत में मछली पकड़ने के 25 बंदरगाहों की पहचान की है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों में अपग्रेड किया जाना है। प्रारंभिक चरण में, आधुनिकीकरण के लिए दो मत्स्यन बंदरगाहों को लेने का प्रस्ताव है, एक पश्चिमी तट में; केरल में थोप्पमपडी मत्स्यन बंदरगाह और दूसरा पूर्वी तट में; आंध्र प्रदेश में निजामपट्टनम मत्स्यन बंदरगाह। मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी, नई दिल्ली को डीपीआर तैयार करने और परियोजना के शुरू से अंत तक निष्पादन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में चुना गया है।

सलाहकार मैसर्स एर्नस्ट एंड यंग एलएलपी (मैसर्स ईएंडवाई) द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना प्रस्ताव को प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन के लिए डीओएफ और डीओसी को भेज दिया गया है। एमपीईडीए और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने परियोजना को लागू करने के लिए एसपीवी बनाने की अनुमति के लिए 28.09.2020 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। परियोजना की लागत 140 करोड़ है। वर्ष 2020-21 के लिए आधुनिक केंद्रीय बजट में मत्स्यन के पांच प्रमुख बंदरगाह-कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुआघाट को आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है।

6.1.9 बैठकें, सेमिनार, कार्यशाला आदि

1. निदेशक (एम) और उनकी मार्केटिंग टीम ने 09.04.2020 को वीसी के माध्यम से माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के साथ पणधारियों की बैठक में भाग लिया।
2. निदेशक (विपणन), संयुक्त निदेशक (एम) और सीईओ नेटफिश ने 11.05.2020 को सीएमएफआरआई में 10.30 बजे राज्य के मत्स्यपालन क्षेत्र में आपूर्ति और मांग श्रृंखला की स्ट्रीम लाइनिंग के लिए वैज्ञानिक सुझाव /सिफ़ारिश तैयार करने हेतु एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने के लिए बैठक में भाग लिया।

comparable in effectiveness to the US programs and apply for comparability findings for their fisheries. MPEDA submitted the progress report to NOAA portal on 2019 and reviewed in 2020 in consultation with scientific institutes such as CMFRI, FSI, CIFT, Wild Life Dept, State Fisheries Dept & SEAI. India's final LOFF published in 2020 is 15 (12 Export & 3 Exempt fisheries) and the last date for filing Comparability Finding for the listed fisheries to U.S authorities is 30th November 2021.

As per the permission given by MoEF&CC, MPEDA has allotted funds to CMFRI for carrying out the study and CMFRI has already initiated the study. Further, MPEDA has requested Dept. of Fisheries to provide necessary support to CMFRI by providing FSI research vessels, so as to conduct the study on both East & West Coast simultaneously and complete the process within the time limit of 30th November 2021. Ministry of Defence was also requested to provide the acoustic data collected by Navy vessel to CMFRI through NPOL.

DoF has consented to provide the support of FSI vessels and permitted CMFRI to continue the study. Accordingly, MPEDA has conducted a meeting on 29.01.2021 and discussed the plan of action by CMFRI, CIFT and FSI on their respective fields for completing the study in time. CMFRI/FSI has started Coastal and off shore visual survey, CMFRI and NETFISH – MPEDA are executing by-catch data survey in the selected landing centre/harbours covering all maritime states. On 18th March 2021, Chairman, MPEDA requested Defence Secretary in person to direct the Indian Navy to provide the acoustic data of Marine Mammals in Indian EEZ to NPOL/CMFRI towards analysis and interpretation. The outcome of the study will provide information on the marine mammal population in the Indian EEZ, which will be used for filing comparability finding application to USA on or before 30th November 2021 and will facilitate market access of wild caught marine product export from India in US.

6.1.8.4 UPGRADATION OF THOPPUMPADY FISHING HARBOUR

MPEDA has identified 25 Fishing harbours in India to be upgraded to International Standards so as to improve the handling of the catch by bridging the gaps in first mile connectivity and to manage them through the formation of a professional management body, in an effort to eventually turn them into revenue generating or self sustaining entities.

At the initial phase, it is proposed to take up two fishing harbors for modernization one in the west coast ie; the Thoppumpady fishing harbor in Kerala and the other in the east coast ie; the Nizampatnam fishing harbour in Andhra Pradesh. M/s. Ernst & Young LLP, New Delhi has been selected as the Project Management Consultant for preparation of DPR and for the end to end execution of the project.

The Detailed Project proposal prepared by the consultant M/s Ernst & Young LLP (M/s E&Y) has been forwarded to DoF and, DOC for administrative and financial approval. MPEDA and Cochin Port Trust signed a MoU on 28.09.2020 for permission to form the SPV for implementing the project. The project cost is 140 Crores. The recent Union Budget for the year 2020-21 has announced to develop five major fishing harbours – Kochi, Chennai, Vishakapatnam, Paradip and Petuaghat as a hub of economic activity.

6.1.9 Meetings, Seminars, Workshop etc.

1. Director (M) & his marketing team have attended stake holders meeting with Hon'ble Minister of Food Processing Industries through VC on 09.04.2020.

2. Director (Marketing), JD (M) and CEO Net fish attended meeting to prepare a combined report formulating scientific suggestions/recommendations for stream lining of supply and demand chain in the Fisheries sector of the state on11.05.2020 at 10.30 at CMFRI.

3. उप निदेशक (एमएस) ने 14.05.2020 को वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री. केशव चंद्र की अध्यक्षता में भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी सहमति (सीईसीपीए) पर डिजिटल वीडियो सम्मेलन में भाग लिया।
4. एमएस अनुभाग ने दिनांक 01.06.2020 को उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) के संबंध में निर्यातकों के साथ एक वीडियो सम्मेलन का आयोजन किया।
5. उप निदेशक (एमएस) ने 09.06.2020 को प्रस्तावित एसपीएस/टीबीटी पर भारत-ईयू जेडब्ल्यूजी की प्राथमिक वेबिनार बैठक में भाग लिया।
6. एमएस अनुभाग ने 10.06.2020 को तोप्पुम्पडी मत्स्यन बन्दरगाह के उन्नयन पर कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, नेटफिश, मेसर्स ईएंडवाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की.
7. उप निदेशक (एमएस) ने 30.06.2020 को एपीईडीए मुख्यालय द्वारा आयोजित एनएबी की 36वीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
8. निदेशक (एम) ने 02.07.2020 को चिरस्थाई मत्स्य पालन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और आइसलैंड के बीच संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भाग लिया।
9. निदेशक और उप निदेशक (एमएस) ने 16.07.2020 को कोविड के समय में मत्स्य पालन और जलकृषि उद्योग-चुनौतियां और आगे का रोड मैप पर एएसएसओसीएचएएम वेबिनार में भाग लिया।
10. उप निदेशक (एमएस) ने 17.07.2020 को मत्स्य पालन सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ टास्क फोर्स की बैठक में भाग लिया।
11. संयुक्त निदेशक (एम) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 22.07.2020 को शक्तिकुलंगरा मत्स्यन बंदरगाह पर वीडियो सम्मेलन में भाग लिया।
12. उप निदेशक (एमएस) ने 27.07.2020 को निर्धारित सीआईआई की व्यापार नीति परिषद की पहली बैठक में भाग लिया।
13. उप निदेशक (एमएस) ने 28.07.2020 को पर्याप्त आधारिक संरचना की स्थापना के लिए हवाई अड्डे पर भूमि की बोली लगाने - डीपीआईआईटी प्रस्ताव से संबन्धित वेबेक्स बैठक में भाग लिया।
14. उप निदेशक (एमएस) ने 29.07.2020 को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित समुद्री और समुद्री खाद्य क्षेत्र में अवसरों पर ई-सम्मेलन में भाग लिया।
15. उप निदेशक (एमएस) ने 29.07.2020 को समुद्री स्तनपायी परियोजना पर साक्षात्कार आयोजित करने के लिए पैनल सदस्य के रूप में एमपीईडीए का प्रतिनिधित्व किया।
16. उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 04.08.2020 को निजामपट्टनम मत्स्यन बंदरगाह के उन्नयन के लिए वीसी की बैठक में भाग लिया।
17. उप निदेशक (एमएस), सहायक निदेशक (एमएस) और सीई नेटफिश ने 05.08.2020 को टूना ट्रेड एंड मार्केट्स - उत्क्रांति एवं अवसर पर आयोजित वेबिनार में भाग लिया।
18. उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 11.08.2020 को कोचीन मत्स्यन बंदरगाह उन्नयन के संबंध में सहमति ज्ञापन की समीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए वीसी बैठक में भाग लिया।
19. उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 12.08.2020 को समुद्री स्तनपायी परियोजना स्थापना कार्यशाला में भाग लिया।
20. उप निदेशक, टीपीओ नई दिल्ली ने 13.08.2020 को आईओटीसी प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए कार्य समूह की 13वीं बैठक में भाग लिया।

3. Deputy Director (MS) attended digital video conference on India-Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA) chaired by Shri. Keshav Chandra, Joint Secretary, Department of Commerce on 14.05.2020.

4. MS section organized a video conference with exporters regarding Production Linked Incentive Scheme (PLIS) on 01.06.2020.

5. Deputy Director (MS) attended preparatory webinar meeting of the India - EU JWG on SPS/TBT proposed on 09.06.2020.

6. MS section organized video conference with Cochin Port Trust, NETFISH, M/s E&Y on upgradation of Thoppumpady Fishing Harbour on 10.06.2020.

7. Deputy Director (MS) attended the 36th meeting of NAB through Video Conferencing hosted by APEDA HO on 30.06.2020.

8. Director (M) attended the video conference on 02.07.2020 the 1st meeting of the Joint Working Group (JWG) between India and Iceland on co-operation in the field of sustainable fisheries development.

9. Director and Deputy Director (MS) attended the ASSOCHAM webinar on Fisheries and Aquaculture industry in covid times - challenges and a road map ahead on 16.07.2020.

10. Deputy Director (MS) attended the meeting on WTO Task Force on Fisheries subsidies on 17.07.2020.

11. Joint Director (M) and Assistant Director (MS) attended the video conference on Sakthikulangara fishing harbour on 22.07.2020.

12. Deputy Director (MS) attended first meeting of the Trade Policy Council of CII scheduled on 27.07.2020.

13. Deputy Director (MS) attended webex meeting on 28.07.2020 regarding the bidding out land at airport for setting up adequate infrastructure - DPIIT proposal.

14. Deputy Director (MS) attended the e-conference on opportunities in marine and seafood sector organized by Indian Chamber of Commerce on 29.07.2020.

15. Deputy Director (MS) represented MPEDA as a panel member for conducting the interview on Marine Mammal Project on 29.07.2020.

16. Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the VC meeting for upgradation of Nizampatnam Fishing harbour on 04.08.2020.

17. Deputy Director (MS), Assistant Director (MS) and CE, NETFISH attended the webinar on Tuna Trade & Markets - Evolution and Opportunities on 05.08.2020.

18. Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the VC meeting for vetting of MoU and finalization in connection with upgrdation of Cochin Fishing Habour on 11.08.2020.

19. Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the Marine Mammal Project inception workshop on 12.08.2020.

20. Deputy Director, TPO New Delhi attended the 13th Meeting of the working group for monitoring and review of implementation of IOTC Resolutions on 13.08.2020.

21. उप निदेशक (एमएस) ने 21.08.2020 को भारत-न्यूजीलैंड वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया।
22. उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 24.08.2020 को समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम (एमएमपीए) पर समीक्षा बैठक में भाग लिया।
23. 09.09.2020 को एसपीवी के गठन की प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी-कोचीन मत्स्यन बंदरगाह के उन्नयन पर एमओएफपीआई के साथ बैठक की व्यवस्था की।
24. सीएमएफआरआई के निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक के साथ संयुक्त निदेशक (एम) ने समुद्री स्तनधारियों के स्टॉक मूल्यांकन अध्ययन के लिए लगभग सभी भारतीय नौसेना के जहाजों में लगे सोनार्स (एनपीओएल द्वारा विकसित) से डेटा की उपलब्धता के बारे में चर्चा करने के लिए 10.09.2020 को एनपीओएल का दौरा किया।
25. द्वीप से टूना निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में 11.09.2020 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन के साथ निर्यातक बैठक का आयोजन किया।
26. उप निदेशक (एमएस) ने 11.09.2020 को आईओटीसी प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए कार्य समूह की 14वीं बैठक में भाग लिया।
27. उप निदेशक और सहायक निदेशक, एसआरडी मैंगलोर ने 16.09.2020 को कृषि, पशुपालन, समुद्री और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एसएलईपीसी की उप समिति की पहली बैठक में भाग लिया।
28. एफएसआई/सीआईएफएनईटी के जहाजों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 22.09.2020 को सीएमएफआरई, एमपीईडीए,एमओईएफ एवं सीसी,डीओसी, एफएसआई और सीआईएफएनईटी के साथ एमएमपीए पर डीओएफ बैठक में भाग लिया।
29. 22.09.2020 को यूएस राज्य विभाग, भारतीय दूतावास, मत्स्य विभाग, सीआईएफटी, सीएमएफआरआई और एसईएआई के साथ धारा 609 प्रमाणन पर बैठक में भाग लिया।
30. संयुक्त निदेशक (एम) और उप निदेशक (एमएस) ने वैश्विक श्रिम्प बाजारः जलकृषि व्यावसायिकों (एसएपी) की सोसाइटी द्वारा महामारी से परे पर वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया
31. उप निदेशक (एमएस) ने 25.09.2020 को "फिलीपीन प्रसंस्कृत खाद्य के लिए भारत में अवसरों की खोज" पर फिलीपीन कंपनियों के वेबिनार में भाग लिया।
32. कोचीन मत्स्य पालन बंदरगाह के आधुनिकीकरण पर एसपीवी के गठन के लिए 28.09.2020 को सीपीटी और एमपीईडीए के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
33. टेड डिजाइन के विकास के लिए धारा 609 प्रमाणन पर मत्स्य पालन विभाग और सीआईएफटी के साथ 29.09.2020 को भारतीय दूतावास वाशिंगटन द्वारा आयोजित यूएस अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।
34. उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने ईओआई, वाशिंगटन द्वारा 06.10.2020 और 13.10.2020 को यूएसए राज्य विभाग, सीआईएफटी, एसईएआई और डीओएफ के साथ धारा 609 पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भाग लिया।
35. उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 15-16 अक्तूबर 2020 को समुद्री स्तनपायी और समुद्री कछुआ प्रजातियों की पहचान और डेटा संग्रह पर आईसीएआर-सीएमएफआरआई और एमपीईडीए प्रशिक्षण में भाग लिया।
36. डीडी, टीपीओ नई दिल्ली ने दिनांक 28.10.2020 को संयुक्त सचिव (समुद्री) की अध्यक्षता में मात्स्यिकी सब्सिडी पर टास्क फोर्स की बैठक में भाग लिया।
37. उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने कोचीन बंदरगाह के माध्यम से विशेष रूप से मालदीव से समुद्री खाद्य के आयात को बढ़ावा देने के लिए पणधारियों की परामर्श बैठक-फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), केरल राज्य परिषद द्वारा 04.11.2020 को आयोजित वेबेक्स बैठक में भाग लिया।

21. Deputy Director (MS) attended India - New Zealand Virtual Meeting on 21.08.2020.

22. Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the review meeting on Marine Mammal Protection Act (MMPA) on 24.08.2020.

23. Arranged a meeting with MoFPI on upgrdation of Cochin Fisheries Harbour - Administrative and Financial sanction of formation of SPV on 09.09.2020.

24. Joint Director (M) along with Director and Senior Scientist, CMFRI visited NPOL on 10.09.2020 for discussing about the availability of data from the sonars (developed by NPOL) fitted in almost all Indian Naval Vessels for marine mammals stock assessment study.

25. Organized exporter meeting with Union Territory of Lakshadweep Administration on 11.09.2020 with respect to promotion of tuna exports from the Island.

26. Deputy Director (MS) attended the 14th meeting of working group for monitoring and review of implementation of IOTC Resolutions on 11.09.2020.

27. Deputy Director and Assistant Director, SRD Mangalore attended the 1st meeting of the sub-committee of SLEPC for Agriculture, Animal Husbandry, Marine & Food Processing sector on 16.09.2020.

28. Attended DoF meeting on MMPA with CMFRI, MPEDA, MoEF&CC, DoC, FSI and CIFNET on 22.09.2020 for availing services of vessels of FSI/CIFNET.

29. Attended meeting on 22.09.2020 with US Dept of State, Embassy of India, Department of Fisheries, CIFT, CMFRI and SEAI on Section 609 certification.

30. Joint Director (M) and Deputy Director (MS) attended the virtual conference on Global Shrimp markets: Looking beyond the pandemic by society of Aqua Culture Professionals (SAP).

31. Deputy Director (MS) attended webinar Philippine companies on 25.09.2020 on "Exploring Opportunities in India for Philippine Processed Food".

32. MoU has been signed between CPT & MPEDA on 28.09.2020 for formation of SPV on modernization of Cochin Fisheries harbour.

33. Attended the meeting with US officials organized by Embassy of India Washington on 29.09.2020 with Dept. of Fisheries and CIFT on Section 609 certification for Development of TED design.

34. Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the video conference meeting organized by EOI, Washington on 06.10.2020 and 13.10.2020 with US Dept. of State, CIFT, SEAI and DoF on Section 609.

35. Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the ICAR-CMFRI and MPEDA training on marine mammal and sea turtle species identification and by-catch data collection on 15th - 16th October 2020.

36. DD, TPO New Delhi attended the meeting of the Task Force on Fisheries subsidies under the Chairmanship of JS (Marine) on 28.10.2020.

37. Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the webex meeting on 04.11.2020 arranged by Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry (FICCI), Kerala State Council - Stakeholders consultation meeting exclusively on the promotion of seafood imports from Maldives via Cochin Port.

38. सहायक निदेशक (एमएस) ने 06.11.2020 को सीएमएफआरआई द्वारा आयोजित समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम (एमएमपीए) पर वेबेक्स बैठक में भाग लिया।
39. उप निदेशक (एमएस) ने 19.11.2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से "एक जिला एक कल्पना" पर के-डीआईएससी के साथ बैठक में भाग लिया।
40. उप निदेशक, टीपीओ नई दिल्ली ने विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में दिनांक 20.11.2020 को इंडो-पैसिफिक में मत्स्य पालन प्रबंधन; फ्रांसीसी रणनीति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, बैठक में भाग लिया।
41. उप निदेशक (एमएस) ने 20.11.2020 को केरल वाणिज्य मिशन के साथ वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
42. सहायक निदेशक (एमएस) ने 25.11.2020 को प्रशांत महासागर में कोविड-19 के बीच टूना मत्स्यन पर वेबिनार में भाग लिया।
43. उप निदेशक, क्षेत्रीय प्रभाग कोच्चि ने राज्य मत्स्यपालन प्रबंधन परिषद, त्रिवेंद्रम की तीसरी परिषद की बैठक में भाग लिया।
44. सहायक निदेशक (एमएस) ने दिनांक 26.11.2020 को 13वीं विस्तृत बैठक आईएसओ/टीसी 234 -मत्स्यन और जलकृषि पर वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
45. निदेशक ने 27.11.2020 को एनओएए, यूएस द्वारा प्रस्तुत गैर-दस्तावेज़ -वाइल्ड कैच के आधार पर प्रकृतिकृत पकड़ी गई श्रिम्प मत्स्यन के प्रमाणीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा और पुनरीक्षण के लिए धारा 609 पर एक आंतरिक बैठक की व्यवस्था की।
46. उप निदेशक, क्षे.प्र.कोच्चि ने 27.11.2020 को राज्य मत्स्य विभाग द्वारा नीली अर्थव्यवस्था पर वीडियो सम्मेलन में भाग लिया।
47. उप निदेशक (एमएस) ने 02.12.2020 को 12वीं भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति के संबंध में आंतरिक पणधारियों की बैठक में भाग लिया।
48. संयुक्त निदेशक (एम) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 10.12.2020 को एमएमपीए के तुलनात्मक खोज आवेदन को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए एनओएए द्वारा निर्धारित वेबेक्स बैठक में भाग लिया।
49. सहायक निदेशक (एमएस) ने 11.12.2020 को यूरोपीय संघ के विनियमन की 10वीं वर्षगांठ के सिलसिले में "आईयूयू मत्स्यन के खिलाफ लड़ाई-स्वस्थ महासागरों के लिए यूरोपीय संघ का दृष्टि कोण" पर वेबिनार में भाग लिया।
50. संयुक्त निदेशक (एम), उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 14.12.2020 को संयुक्त सचिव, एमओसीआई द्वारा आयोजित एमएमपीए पर बैठक में भाग लिया।
51. संयुक्त निदेशक (एम), उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 14.12.2020 को जर्मनी पर केंद्रित यूरोपीय संघ के समुद्री खाद्य बाजार पर वेबिनार में भाग लिया।
52. संयुक्त निदेशक (एम), उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 16.12.2020 को समुद्र में पकड़े गए उत्पादों के प्रमाणन कार्यक्रम पर वर्चुअल परामर्श बैठक में भाग लिया।
53. संयुक्त निदेशक (एम) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 17.12.2020 को यूएसए को श्रिम्प परेषण के निर्यात के लिए डीएस 2031 ऑनलाइन प्रमाणपत्र विचारार्थ हेतु सीएसआई-एसआईजी ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2020 में भाग लिया।
54. संयुक्त निदेशक (एम), सहायक निदेशक (एमएस) और सीईओ, नेटफिश ने 17.12.2020 को डॉल्फिन सेफ टूना निगरानी कार्यक्रम पर बैठक में भाग लिया।

38. Assistant Director (MS) attended the webex meeting on Marine Mammal Protection Act (MMPA) conducted by CMFRI on 06.11.2020.

39. Deputy Director (MS) attended meeting with K-DISC on “One District One Idea” through virtual platform on 19.11.2020.

40. Deputy Director, TPO New Delhi attended the meeting on Fisheries Management in the Indo-Pacific; a vital sector of French strategy at Ministry of External Affairs, New Delhi on 20.11.2020.

41. Deputy Director (MS) attended the virtual meeting with Kerala Commerce Mission on 20.11.2020.

42. Assistant Director (MS) attended the webinar on Tuna fisheries in the Pacific amidst COVID 19 on 25.11.2020.

43. Deputy Director, RD Kochi attended the 3rd Council meeting of State Fisheries Management Council, Trivandrum.

44. Assistant Director (MS) attended the virtual meeting on 13th plenary meeting ISO/TC 234 - Fisheries & Aquaculture on 26.11.2020.

45. Director arranged an internal meeting on Section 609 for discussing and vetting the proposal for certification of wild caught shrimp fishery based on the Non-paper - wild caught submitted by NOAA, US on 27.11.2020.

46. Deputy Director, RD Kochi attended the video conference on Blue Economy by state Fisheries Department on 27.11.2020.

47. Deputy Director (MS) attended the internal stakeholder meeting regarding 12th India-Thailand Joint Trade Committee on 02.12.2020.

48. Joint Director (M) and Assistant Director (MS) attended the webex meeting scheduled by NOAA for successful submission of comparability finding application of MMPA on 10.12.2020.

49. Assistant Director (MS) attended the webinar on "fighting against IUU fishing - the EU vision for healthy oceans" in connection with the 10th anniversary of EU Regulation on 11.12.2020.

50. Joint Director (M), Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the meeting on MMPA arranged by Joint Secretary, MoCI on 14.12.2020.

51. Joint Director (M), Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the webinar on EU seafood market focusing Germany on 14.12.2020.

52. Joint Director (M), Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the virtual consultative meeting on certification programme for sea-caught products on 16.12.2020.

53. Joint Director (M) and Assistant Director (MS) attended the CSI-SIG e-governance Award 2020 for considering DS 2031 online certificate for export of shrimp consignment to USA on 17.12.2020.

54. Joint Director (M), Assistant Director (MS) and CEO, NETFISH attended the meeting on Dolphin safe tuna monitoring programme on 17.12.2020.

55. संयुक्त निदेशक (एम), उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने एसईएआई प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मेसर्स शिप्सी डिजिटल लॉजिस्टिक प्रबंधन प्लेटफॉर्म इंटरेक्शन मीटिंग में भाग लिया।
56. उप निदेशक, टीपीओ नई दिल्ली ने 23.12.2020 को डब्ल्यूटीओ में मत्स्यन इमदाद बातचीत पर टास्क फोर्स की बैठक में भाग लिया।
57. उप निदेशक, टीपीओ नई दिल्ली ने 23.12.2020 को समुद्री मत्स्यन (विनियमन और प्रबंधन) विधेयक के पुन प्रारूपण के लिए गठित समिति की 6वीं बैठक में भाग लिया।
58. धारा 609 के तहत संशोधित टेड पर प्रस्ताव के बारे में सीआईएफटी के साथ चर्चा करने के लिए 15.01.2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) बैठक आयोजित की।
59. उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 15.01.2021 को कंटेनरों की कमी पर शिपिंग महानिदेशालय, मुंबई द्वारा आयोजित वीसी बैठक में भाग लिया।
60. उप निदेशक, टीपीओ नई दिल्ली ने दिनांक 18.01.2021 को मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित आईओटीसी संकल्प के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए कार्य समूह की 15वीं बैठक में भाग लिया।
61. संयुक्त निदेशक (एम), उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 21.01.2021 को एमएमपीए तुलनात्मक खोज आवेदन प्रस्तुति, पर एनओएए द्वारा आयोजित दूसरे वेबिनार में भाग लिया।
62. सचिव (मत्स्य पालन), केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जिन्होंने 28.01.2021 को एमपीईडीए, मुख्यालय का दौरा किया के साथ बैठक की व्यवस्था की।
63. उप निदेशक, टीपीओ नई दिल्ली ने दिनांक 01.02.2021 को आईओटीसी प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के कार्यकारी दल की 16वीं बैठक में भाग लिया।
64. उप निदेशक (एमएस) ने 05.02.2021 को अध्यक्ष द्वारा निर्यातकों के साथ 2021-22 के केंद्रीय बजटीय प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया।
65. उप निदेशक (एमएस) ने 19.02.2021 को हुई बैठक में ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट सर्टिफिकेट, लीगल ऑरिजिन सर्टिफिकेट और नॉन-रेडियो एक्टिविटी सर्टिफिकेट के ऑनलाइन मॉड्यूल का प्रदर्शन किया।
66. उप निदेशक (एमएस) ने 15.02.2021 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) पर बैठक में भाग लिया।
67. उप निदेशक (एमएस) ने 19.02.2021 को डीओसी उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापार विवाद डीजीएफ टी-क्यूसीटीडी मॉड्यूल प्रशिक्षण पर बैठक में भाग लिया।
68. संयुक्त निदेशक (एम) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 20.02.2021 को एमएमपीए अध्ययन और पोत पहचान पर एफएसआई द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।
69. संयुक्त निदेशक (एम), उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 22.02.2021 को एफएसआई-मेड जेट्टी, कोच्चि में एमएमपीए गंभीर सागर सर्वेक्षण के लिए एमएफवी लावनिका पर एमपीईडीए-सीएमएफआरआई-एफएसआई द्वारा आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में भाग लिया।
70. उप निदेशक (एमएस) और प्रणाली विश्लेषक ने 23.02.2021 को प्रस्तावित एकीकृत ई-आरसीएमसी बनावट पर परामर्श से संबन्धित डीजीएफटी बैठक में भाग लिया।
71. उप निदेशक (एमएस) ने 22.3.2021 को अपराह्न 4.00 बजे निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ माननीय सीआईएम बैठक में वीसी के माध्यम से भाग लिया।
72. भारत और ईएईयू के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली इच्छा सूची को अंतिम रूप देने के लिए उप निदेशक (एमएस) ने 17 मार्च, 2021 को शाम 5 बजे भारत और ईएईयू के साथ व्यापार करार-वर्चुअल पारस्परिक विचार-विमर्श में भाग लिया।

55. Joint Director (M), Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the virtual M/s. SHIPSY digital logistic management platform interaction meeting with SEAI representatives.
56. Deputy Director, TPO New Delhi attended the meeting of the Task Force on Fisheries subsidies negotiation in WTO on 23.12.2020.
57. Deputy Director, TPO New Delhi attended the 6th meeting of the committee constituted for re-drafting of the Marine Fisheries (Regulation & Management) Bill on 23.12.2020.
58. Arranged a Video Conference (VC) meeting with CIFT to discuss about the proposal on revised TED under Section 609 held on 15.01.2021.
59. Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended VC meeting organized by Directorate General of Shipping, Mumbai on shortage of containers on 15.01.2021.
60. Deputy Director, TPO New Delhi attended the 15th Meeting of the Working Group for monitoring and review the implementation of IOTC Resolution organized by Department of Fisheries on 18.01.2021.
61. Joint Director (M), Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the 2nd Webinar arranged by NOAA on submission of MMPA Comparability Finding Application on 21.01.2021.
62. Arranged a meeting with Secretary (Fisheries), Union Territory of Lakshadweep who visited to MPEDA, Head Office on 28.01.2021.
63. Deputy Director, TPO New Delhi attended the 16th Meeting of working group for monitoring and review of implementation of IOTC Resolutions on 01.02.2021
64. Deputy Director (MS) attended the meeting with exporters arranged by Chairman to discuss the 2021-22 Union Budgetary provisions on 05.02.2021.
65. Deputy Director (MS) attended the meeting on 19.02.2021 Demonstration of Online module of Duty Free Import certificate, Certificate of Legal Origin and Non-Radio Activity Certificate.
66. Deputy Director (MS) attended the meeting on Foreign Trade Policy (FTP) on 15.02.2021.
67. Deputy Director (MS) attended the meeting on Trade dispute DGFT-QCTD module training for DoC users on 19.02.2021.
68. Joint Director (M) and Assistant Director (MS) attended a meeting convened by FSI on MMPA study and vessel identification on 20.02.2021.
69. Joint Director (M), Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the flagging off ceremony organized by MPEDA-CMFRI-FSI onboard MFV Lavanika for MMPA deep sea survey on 22.02.2021 at FSI-MED Jetty, Kochi.
70. Deputy Director (MS) and Systems Analyst attended the DGFT Meeting on 23.02.2021 regarding Consultations on the proposed Unified e-RCMC Framework.
71. Deputy Director (MS) attended the Hon'ble CIM meeting with Export Promotion Councils over VC at 4.00 PM on 22.3.2021.
72. Deputy Director (MS) attended the Trade Agreement with India and EAEU - Virtual Interaction on 17th March, 2021 at 5 PM with Stakeholders for the finalization of Wish Lists to be exchanged between India and the EAEU.

73. निदेशक, संयुक्त निदेशक (एम), उप निदेशक (एमएस) और सहायक निदेशक (एमएस) ने 09.03.2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे चीन के प्रमुख निर्यातकों के साथ निर्यात परिदृश्य और चाइना के लिए निर्यात बढ़ाने के संभावित तरीकों पर चर्चा करने के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया। बैठक में देश भर से लगभग 45 प्रमुख चीनी निर्यातकों ने भाग लिया।

74. निदेशक और उप निदेशक (एमएस) ने 02.03.2021 को घरेलू और नाफ्टा देशों को निर्यात बढ़ाने के रास्ते में आने वाली विदेशी बाधाओं की पहचान करने के लिए ईपीसी के साथ बैठक में भाग लिया।

75. लक्षद्वीप से समुद्री खाद्य निर्यात के बारे में चर्चा करने के लिए 04.03.2021 को एक प्रारंभिक निर्यातक बैठक का आयोजन किया।

76. सहायक निदेशक (एमएस) ने 05.03.2021 को हार्वेस्ट के बाद के नुकसान-आकलन और रोकथाम रणनीतियों पर नैबकॉन के सेमिनार में भाग लिया।

77. 08.03.2021 को टूना प्रशिक्षण पर वीडियो के संबंध में मैसर्स बी वर्ल्ड के साथ बैठक की व्यवस्था की।

78. एवेन्यू सेंटर होटल में दिनांक 12.03.2021 को निर्यातकों ने यूटीएलए, निर्यातकों और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक की।

79. अध्यक्ष और निदेशक ने 18.03.2021 को नई दिल्ली में नौसेना/एनपीओएल से ध्वनिक डेटा के संबंध में सचिव, रक्षा से मुलाकात की।

80. उप निदेशक, टीपीओ नई दिल्ली ने 20.03.2021 को आयोजित आईओटीसी प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा के लिए कार्य दल की 18वीं बैठक में भाग लिया।

81. अध्यक्ष, निदेशक, संयुक्त निदेशक (एम) और सहायक निदेशक (एमएस) ने एमएमपीए स्टॉक मूल्यांकन अध्ययन से संबंधित ध्वनिक डेटा पर 24.03.2021 को निदेशक, एनपीओएल से मुलाकात की।

73. Director, Joint Director (M), Deputy Director (MS) and Assistant Director (MS) attended the virtual meeting organized on 09.03.2021 at 11.00 AM with leading exporters to China to discuss the export scenario and possible ways to increase the exports to China. Around 45 leading China exporters from all over the country attended the meeting.

74. Director and Deputy Director (MS) attended the meeting with EPC's to identify domestic and overseas constraints coming in the way of enhancing export to NAFTA countries on 02.03.2021.

75. Arranged a preliminary Exporters Meet on 04.03.2021 to discuss about the seafood export from Lakshadweep.

76. Assistant Director (MS) attended the NABCON`s seminar on Post harvest Losses - Assessment and prevention strategies on 05.03.2021.

77. Arranged a meeting with M/s B World regarding the video on tuna training on 08.03.2021.

78. Exporters meet with UTLA, Exporters and other concerned Departments at Avenue Centre Hotel on 12.03.2021.

79. Chairman and Director met Secretary, Defence regarding the acoustic data from Navy/NPOL on 18.03.2021 at New Delhi.

80. Deputy Director, TPO New Delhi attended the 18th Meeting of the working group for monitoring and review the implementation of IOTC Resolutions held on 20.03.2021.

81. Chairman, Director, Joint Director (M) and Assistant Director (MS) met Director, NPOL on acoustic data related to MMPA stock assessment study on 24.03.2021.

कोचीन मत्स्यन बंदरगाह के आधुनिकीकरण पर एसपीवी के गठन के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और एमपीईडीए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

एमएमपीए गहरे समुद्र सर्वेक्षण के लिए एमएफवी लवणिका के ऑनबोर्ड पर एमपीईडीए सीएमएफआरआई एफएसआई द्वारा
झंडी दिखाकर रवाना किए जाने वाले समारोह का आयोजन

Signing of MoU between Cochin Port Trust & MPEDA for formation of SPV on modernization of Cochin Fisheries harbor

Flagging off ceremony organized by MPEDA-CMFRI-FSI onboard MFV Lavanika for MMPA deep sea survey

द्वीप से टूना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों ने लक्षद्वीप प्रशासन, निर्यातकों और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक की

6.2 बाजार संवर्धन

6.2.1 अंतर्राष्ट्रीय मेले

बाजार संवर्धन कार्यकलापों के भाग के रूप में, एमपीईडीए भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों के सह-प्रदर्शन के साथ एक भारतीय पवेलियन की स्थापना करके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य मेलों में भारत की भागीदारी का आयोजन करता था। अंतर्राष्ट्रीय मेलों में इंडिया पवेलियन ने भारतीय निर्यातकों के लिए अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और विदेशी खरीदारों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच के रूप में काम किया। इन मेलों से बनाए गए व्यापार पूछताछ ने भारत में पूरे समुद्री खाद्य उद्योग के लिए अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए एक सूचना बैंक के रूप में काम किया।

कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए, आयोजकों द्वारा 2020-21 के दौरान यूरोप, अमेरिका, जापान और चीन में होने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय समुद्री खाद्य मेलों को बंद कर दिया गया था।

Exporters meet with Lakshadweep Administration, Exporters and other concerned Departments for promotion of tuna exports from Island

6.2 Market Promotion

6.2.1 International Fairs

As part of the Market Promotion activities, MPEDA used to organize participation of India in major International Seafood Fairs by setting up an India pavilion along with co-exhibiting Indian Seafood exporters. The India Pavilion in International fairs acted as a platform for Indian exporters to showcase their products and to interact with overseas buyers. The trade enquiries generated from these fairs acted as an information bank for the entire Seafood industry in India to expand their trade.

In view of the COVID-19 pandemic situation, the world's most popular Seafood Fairs such as those in Europe, USA, Japan and China, had been called off during 2020-21 by the organizers.

कोविड-19 महामारी की स्थिति के बावजूद, विश्व स्तर पर भारतीय समुद्री खाद्य को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निरंतर उपस्थिति बनाए रखने के लिए, एमपीईडीए ने एक वर्चुअल मंच पर आयोजित 2 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनियों में भाग लिया था।

1. जापान इंटरनेशनल सीफूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो (जेआईएसटीई) द्वारा आयोजित वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 30 सितंबर 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए वर्चुअल सहभागिता के द्वारा भागीदारी के माध्यम से जापानी खरीदारों को भारतीय समुद्री खाद्य को डिजिटल रूप से बढ़ावा दिया गया।

2. वर्चुअल इवेंट - सीफूड एक्सपो नॉर्थ अमेरिका रीकनेक्ट 2021, को 15 से 17 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया था। एमपीईडीए द्वारा एक इंडस्ट्री पॉड की स्थापना की गई थी, जहां एमपीईडीए की पूरी गतिविधियों को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया गया था।

6.2.2 देशीय मेले

एमपीईडीए की सेवाओं को समुद्री खाद्य उद्योग के पणधारियों और मत्स्यन, जलकृषि और आलंकारिक मत्स्य क्षेत्रों के क्षेत्र में निवेश के अवसरों को लोकप्रिय बनाने के लिए, एमपीईडीए भारत में आयोजित मेलों में भाग लेता था। 2020-21 में कोविड-19 महामारी के प्रतिबंधों के कारण भारत में बहुत कम मेलों का आयोजन किया गया। कुछ मेलों का आयोजन वर्चुअल भी किया गया। इस अवधि के दौरान, एमपीईडीए ने निम्नलिखित मेलों में भाग लिया।

1. जुलाई 2020 से 3 महीने की अवधि के लिए सीआईआई द्वारा आयोजित खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर वर्चुअल एक्सपो।

सीआईआई द्वारा आयोजित खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर वर्चुअल एक्सपो में एमपीईडीए स्टॉल

2. चेन्नई में तमिलनाडु मत्स्य पालन विकास निगम द्वारा मत्स्य खाद्य महोत्सव - फरवरी 2021 आयोजित किया गया। एमपीईडीए की भागीदारी का आयोजन एमपीईडीए क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था।

Despite the COVID-19 pandemic situation, to promote the Indian seafood globally, and to have a continued presence in the international trade, MPEDA had participated in 2 international seafood exhibitions held on a virtual platform.

1. Virtual exhibition organized by the Japan International Seafood & Technology Expo (JISTE). Through the virtual participation for a period of 1 year from 30th September 2020 onwards Indian Seafood was promoted digitally to Japanese buyers through the participation.

2. Virtual Event - Seafood Expo North America Reconnect 2021, which was held from 15th to 17th March 2021. An Industry Pod was set up by MPEDA, where the entire activities of MPEDA were digitally displayed.

6.2.2 Domestic fairs

In order to popularize the services of MPEDA to the stakeholders of the Seafood industry and the investment opportunities in the field of fisheries, aquaculture and ornamental fish sectors, MPEDA used to participate in fairs organized in India. In 2020-21, very few fairs were organized in India on account of the restrictions due to the COVID-19 pandemic. Some fairs were also organized virtually. During the period, MPEDA had participated in the following fairs.

1. Virtual Expo on Food Processing Technology, organized by CII for a period of 3 months from July 2020.

MPEDA stall in Virtual Expo on Food Processing Technology, organized by CII

2. Fish food Festival organized by Tamil Nadu Fisheries Development Corporation at Chennai – February 2021. The participation of MPEDA in the event was organized by the MPEDA Regional office in Chennai.

फेडरल एजेंसी फॉर फिशरीज, रशिया द्वारा विश्व मछली बाजार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्सेस महामारी पर ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन

3. बंगाल फिशरमेन ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर मीट 2021 - फरवरी 2021। इस ईवेंट में एमपीईडीए की भागीदारी का आयोजन एमपीईडीए क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा किया गया था।

उपरोक्त मेलों के अलावा, एमपीईडीए ने निम्नलिखित सम्मेलनों और वेबिनार में भी भाग लिया और समर्थन किया।.

1. 29 जुलाई 2020 को "समुद्री खाद्य उद्योगों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण, प्रशीतन और निर्यात के अवसर" पर ई-सम्मेलन। ई-सम्मेलन में अध्यक्ष एमपीईडीए एक विशेष अतिथि थे।

2. वैश्विक मात्स्यिकी फोरम, रूस के भाग के रूप में फेडरल एजेंसी फॉर फिशरीज, रूस द्वारा 22 सितंबर 2020 को "विश्व मात्स्यिकी बाजारः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाम महामारी" पर ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया गया।

3. "वैश्विक श्रिम्प बाजार - महामारी से परे देखना" पर सोसाइटी फॉर एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स द्वारा 23 से 24 सितंबर 2020 तक वेबिनार आयोजित किया गया।

6.2.3 एमपीईडीए द्वारा आयोजित वेबिनार (प्राथमिक वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठकें)

एमपीईडीए ने संभावित बाजारों के उद्योग विशेषज्ञों के साथ बाजार अपडेट पर वेबिनार/प्राथमिक वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित करके व्यापार का समर्थन किया। प्राथमिक वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक ने भारतीय निर्यातकों को उच्च मांग वाले उत्पादों, उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव और निर्यातकों द्वारा इन देशों को निर्यात करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में प्रमुख बाजारों का बाजार परिज्ञान हासिल करने में मदद की। इनमें से प्रत्येक वेबिनार में, बाजार विशेषज्ञों द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुति के बाद भारतीय निर्यातकों को विशेषज्ञ के साथ बातचीत करके बाजार में निर्यात करने पर अपनी आशंकाओं को दूर करने का अवसर दिया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान एमपीईडीए ने यूएसए, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, स्पेन, वियतनाम, जर्मनी, कुवैत, बेल्जियम के 9 बाजारों में ऐसे 13 प्राथमिक वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया था, जिसमें विदेशी बाजारों से 1582 भारतीय निर्यातकों और लगभग 155 आयातकों / अधिकारियों ने भाग लिया था।

Online conference on "World Fish Market International Cooperation Vs. Pandemic" organised by Federal Agency for Fisheries, Russia

3. Bengal Fisherman Orientation and Exposure meet 2021 – February 2021. The participation of MPEDA in the event was organized by the MPEDA Regional office in Kolkata.

Apart from the above fairs, MPEDA also participated and supported the following conferences & Webinars.

1. E-conference on "Opportunities in Processing, Freezing and Exporting of Value Added Products for Seafood Industries" on 29th July 2020. Chairman MPEDA was a special guest in the E-Conference
2. Online conference on "World Fish Market: International Cooperation Vs. Pandemic" held on 22nd September 2020 organised by Federal Agency for Fisheries, Russia as part of the Global Fishery Forum, Russia.
3. Webinar on "Global Shrimp Markets - Looking Beyond the Pandemic" organised by Society for aquaculture Professionals from 23rd to 24th September 2020.

6.2.3 Webinars (Primary Virtual Buyer Seller Meets) organized by MPEDA

MPEDA supported the trade by organizing webinars/Primary Virtual Buyer Seller Meets on Market updates with industry experts from prospective markets. The Primary Virtual Buyer Seller Meets helped the Indian exporters to gain market insights on major markets with regard to the products in high demand, changes in consumer behaviour and precautions to be taken by exporters while exporting to these countries. In each of these webinars, after the brief presentation by the market experts, Indian exporters were given the opportunity to clear their apprehensions on export to these market by interacting with the expert virtually. During 2020-21 MPEDA had organized 13 such Primary Virtual Buyer Seller Meets on 9 markets from USA, South Korea, Japan, China, Spain, Vietnam, Germany, Kuwait, Belgium which had a participation of 1582 Indian exporters and almost 155 importers/officials from the overseas markets.

स्पेन में भारत के राजदूत श्री संजय वर्मा एच.ई और श्री के एस श्रीनिवास आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए की उपस्थिति में स्पेन के साथ प्राथमिक वर्चुअल केताविकेता बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कोंक्सेमार के अध्यक्ष श्री जोस लुइस फ्रेयर।

दक्षिण कोरिया के प्राथमिक वर्चुअल क्रेता-विक्रेता मीट के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री क्रिस ली, बेस्ट जॉइन कॉरपोरेशन, सियोल, दक्षिण कोरिया

जापान के साथ प्राइमरी वर्चुअल क्रेता-विक्रेता मीट के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री सूनेओसुजुकी, टोक्यो प्रोविजन्स ग्रोसर कमोडिटी ब्रांच टोकई डेनपुन कंपनी लिमिटेड, जापान

यूएसए के साथ वेबिनार के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री रिचर्ड बोरी, निदेशक, कार्यक्रम राष्ट्रीय मात्स्यिकी संस्थान, यूएसए

6.2.4 एमपीईडीए द्वारा आयोजित वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक (द्वितीय वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक)

महामारी की स्थिति के कारण भारतीय निर्यातकों के लिए विदेशों से सीधे संपर्क करने के अवसर की कमी को देखते हुए, एमपीईडीए ने प्रमुख बाजारों में भारतीय मिशनों के साथ द्वितीय वर्चुअल क्रेताविक्रेता बैठक आयोजित करने के लिए हाथ मिलाया। भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय समुद्री खाद्य के आयात में रुचि रखने वाले संभावित खरीदारों की पहचान की गई, जिसके लिए एमपीईडीए निर्यातकों के एक समूह की पहचान करता था जो रुचि रखते हैं और विशेष बाजार में आपूर्ति करने में सक्षम हैं। क्रेता और विकेता एक वर्चुअल बैठक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जहां भारतीय आपूर्तिकर्ता खरीदारों के समूह को अपनी क्षमता और उत्पादों की श्रेणी प्रस्तुत करते हैं। विस्तृत चर्चा और आगे की व्यापारिक बातचीत के लिए एमपीईडीए भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के संपर्कों को आयातकों के बीच प्रसारित करने के लिए भारतीय मिशन के साथ साझा करता है और इसी तरह मिशन द्वारा साझा किए गए आयातक विवरण भारतीय निर्यातकों को परिचालित किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 में एमपीईडीए ने 163 भारतीय निर्यातकों और लगभग 140 विदेशी खरीदारों की भागीदारी के साथ सिंगापुर, स्पेन, चीन, कुवैत, मालदीव, अमेरिका, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के 11 देशों में लगभग 12 एसवीबीएसएमएस का आयोजन किया। विदेशी खरीदारों और भारतीय मिशनों के अनुरोधों के आधार पर, एमपीईडीए ने व्यक्तिगत खरीदारों के लिए विशिष्ट क्रेता विक्रेता बैठकें भी आयोजित की हैं।

Mr. Jose Luis Freire, President of CONXEMAR addressing the participants of the Primary Virtual Buyer-Seller Meet with Spain in presence of Mr. Sanjay Verma H. E . Ambassador of India to Spain and Mr. K S Srinivas IAS, Chairman, MPEDA

Mr. Kriss Lee, Best Join Corporation, Seoul, South Korea addressing participants of the Primary Vitrual Buyer-Seller Meet ith South Korea

Mr. Tsuneo Suzuki, Tokyo Provisions Grocer Commodity Branch Tokai Denpun Co Ltd., Japan addressing participants of Primary Virtual Buyer-Seller Meet with Japan

Mr. Richard Borry, Director, Programs National Fisheries Institute, USA addressing participants of the Webinar with USA

6.2.4 Virtual Buyer Seller Meets (Secondary virtual Buyer Seller Meets) organized by MPEDA

In view of the lack of opportunity for the Indian exporters to have direct interaction with overseas on account of the pandemic conditions, MPEDA joined hands with the Indian Missions in major markets, to organize Secondary Virtual Buyer Seller Meets. Prospective buyers interested in importing Indian seafood were identified by the Indian Missions, for which MPEDA used to identify a group of exporters who are interested and capable of supplying to the particular market. The buyers and sellers are linked through a virtual meeting, where the Indian suppliers present their potential and the range of products to group of buyers. For detailed discussions and further business negotiations, MPEDA shares the contacts of the Indian suppliers to the Indian mission for circulating among the importers and similarly importer details shared by the mission are circulated to the Indian exporters. In 2020-21 MPEDA organized 12 SVBSMs across 11 countries from Singapore, Spain, China, Kuwait, Maldives, USA, Italy, Portugal, Belgium, South Africa and Netherlands with a participation of 163 Indian exporters and almost 140 overseas buyers. Based on the requests from overseas buyers and the Indian Missions, MPEDA has also organized specific buyer seller meets for individual buyers.

6.2.5 वर्चुअल कार्यशालाएं

क. एमपीईडीए-सिंगापुर साझेदारी के भाग के रूप में सॉफ्ट शेल केकड़ा उत्पादन और निर्यात पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ख. एमपीईडीए-सिंगापुर साझेदारी प्रस्ताव के हिस्से के रूप में 'लाइव श्रिम्प निर्यात' पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन एक्वाकल्चर इनोवेशन सेंटर (एआईसी), सिंगापुर की तकनीकी सहायता से किया गया था, जिसमें 90 से अधिक प्रतिभागियों में समुद्री खाद्य निर्यातक, एक्वा किसान, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ और अनुसंधान विद्वान शामिल थे।

6.2.6 सोशल मीडिया कार्यकलाप

6.2.6.1 अभियान

क. एमपीईडीए ने 2 महीने की अवधि के लिए दिसंबर 2020 में फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर "कोविड प्रोटोकॉल पर एमपीईडीए फिल्म" को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया। इस अभियान को यूएसए में एमपीईडीए के सोशल मीडिया अनुयायियों को बढ़ाने की पहल के साथ जोड़ा गया था। अभियानों की कुल पहुंच 122,071 थी और 8214 पेज लाइक्स उत्पन्न हुए।

कोविड प्रोटोकॉल पर एमपीईडीए फिल्म

ख. एमपीईडीए ने पूरे अमेरिका में ब्रांड इंडिया और भारतीय समुद्री खाद्य को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन ब्रांड प्रचार / उत्पाद जागरूकता अभियान चलाया। ऑनलाइन अभियान का उद्देश्य भारतीय श्रिम्प के लिए रुचि पैदा करना था, जो उपभोक्ता केंद्रित था और दिसंबर 2020 से 2 महीने की अवधि के लिए यूएसए भर में कैप्टिव ओडियन्स को लक्षित था। अभियान का तरीका भारतीय वन्नामी श्रिम्प के साथ त्वरित रेसिपी वीडियो के प्रचार और यूएस के खाद्य विशिष्ट ब्लॉगों में एमपीईडीए ब्लॉग में भारतीय श्रिम्प पर प्रकाशित लेख के माध्यम से भारतीय श्रिम्प को बढ़ावा देना था।। अभियान ने 8,723,165 इंप्रेशन, 1,959,285 व्युएबल इंप्रेशन और 14,762 क्लिक सृजित किए।

6.2.5 Virtual Workshops

a. Organized a Virtual Workshop on Soft Shell crab production & Export as part of the MPEDA-Singapore Partnership. The programme was attended by 14 participants.

b. Organized a Virtual Workshop on 'Live Shrimp Export' as part of the MPEDA- Singapore Partnership proposal. The workshop was conducted with the technical assistance of Aquaculture Innovation Centre (AIC), Singapore, with more than 90 participants comprising of Seafood Exporters, Aqua farmers, Scientists, Technical Experts and research scholars.

6.2.6 Social Media Activities

6.2.6.1 Campaigns

a. MPEDA launched a campaign to promote the "MPEDA Film on COVID Protocol" internationally, through Facebook and Youtube in December 2020 for a period of 2 months. The campaign was clubbed with an initiative to increase the Social Media followers of MPEDA in USA. The campaigns had a total reach of 122,071 and generated 8214 page likes.

MPEDA Film on COVID Protocol

b. MPEDA conducted an online Brand Promotion/ Product Awareness campaign to promote Brand India and Indian Seafood across US. The online campaign was intended to generate interest for Indian Shrimp, which were consumer centric and targeting captive audience across USA for a period of 2 months from December 2020. The modus operandi of the campaign was to promote Indian Shrimp through the promotion of quick recipe videos with Indian Vannamei Shrimps and articles on Indian Shrimp published in MPEDA Blog across Food specific blogs in US. The campaign generated 8,723,165 impressions, 1,959,285 Viewable Impressions and 14,762 Clicks.

6.2.6.2 एमपीईडीए सोशल मीडिया विश्लेषण

एमपीईडीए की सोशल मीडिया कार्यकलापों ने दिसंबर 2019 में ही आकार लेना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया हैंडल (फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब एवं कू) के माध्यम से एमपीईडीए के कुल 450 पोस्ट और 25 वीडियो जारी किए गए। वर्ष 2020-2021 के लिए एमपीईडीए के सोशल मीडिया कार्यकलापों, अनुयायियों और लाइक्स की प्रगति पर विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

सोशल मीडिया हैंडल	विवरण	2020-21
फ़ेसबुक	समर्थक	30,533
	पोस्ट	450
	वीडियो	25
	लाईक्स	254,413
ट्विटर	समर्थक	3,005
	पोस्ट	450
	वीडियो	25
	लाईक्स	14,905
इंस्टाग्राम	समर्थक	2,432
	पोस्ट	450
	वीडियो	25
	लाईक्स	13,999
यूट्यूब	समर्थक	1,222
	वीडियो	25
	लाईक्स	12,117
कू	समर्थक	946
	पोस्ट	8
	वीडियो	-
	लाईक्स	

6.2.7 प्रकाशनों का मुद्रण

- अंग्रेजी और हिंदी में मासिक आधार पर एमपीईडीए न्यूजलेटर निकाला गया। पत्रिका ने जलकृषि, प्रसंस्करण उद्योग, विभिन्न देशों के गुणवत्ता मानदंडों के समुद्री खाद्य उद्योग में हाल के विकास को प्रसारित करने में मदद की।
- संपूर्ण समुद्री खाद्य सेक्टर के लिए "समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए एमपीईडीए कोविड-19 मार्गनिर्देश" डिजिटल रूप से प्रकाशित और परिचालित किया गया। पुस्तिका को सार्वजनिक डोमेन में भी रखा गया है।
- टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रूप के सहयोग से अंग्रेजी और मलयालम में हैंडबुक "बीट कोविड-19" की 50,000 प्रतियां मुद्रित और प्रकाशित की गईं। विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए त्रिवेंद्रम, कोचीन और कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थापित स्वास्थ्य कियोस्क के माध्यम से लगभग 50,000 प्रवासियों को पुस्तिकाएं वितरित की गईं।

6.2.6.2 MPEDA- Social Media Analytics

The Social Media activities of MPEDA started gaining shape only in December 2019. A total of 450 posts and 25 videos were released through the social media handles (FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM, YOUTUBE and KOO) of MPEDA. The Analytics on the progress of Social Media activities of MPEDA, followers and likes for the year 2020-2021 is produced below.

Social Media Handle	Particulars	2020-21
FACEBOOK	Followers	30,533
	Posts	450
	Videos	25
	Likes	254,413
TWITTER	Followers	3,005
	Posts	450
	Videos	25
	Likes	14,905
INSTAGRAM	Followers	2,432
	Posts	450
	Videos	25
	Likes	13,999
YOUTUBE	Followers	1,222
	Videos	25
	Likes	12,117
KOO	Followers	946
	Posts	8
	Videos	-
	Likes	

6.2.7 Printing of publications

- Brought out MPEDA Newsletter on a monthly basis in English and Hindi. The magazine helped to disseminate the recent developments in aquaculture, processing industry, quality norms of various countries to the seafood industry.
- Published and circulated “MPEDA Covid-19 Guidelines for seafood sector” digitally for the entire seafood sector. The booklet is also placed in the public domain.
- Printed and published 50,000 copies of Handbook “Beat Covid-19” in English & Malayalam in association with Times of India Group. The booklets were distributed to almost 50,000 expatriates through the health Kiosks setup at Trivandrum, Cochin and Calicut international Airports to screen the passengers coming from abroad.

- "समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए एमपीईडीए कोविड-19 मार्गनिर्देश" बुकलेट की 4500 प्रतियां अंग्रेजी में एमपीईडीए द्वारा प्रकाशित की गईं और एमपीईडीए फील्ड कार्यालयों और सोसायटियों के माध्यम से देश भर के समुद्री खाद्य क्षेत्र में पणधारियों को वितरित की गईं। पुस्तिका की प्रतियां प्रमुख बाजारों में भारतीय मिशनों, भारत में मात्स्यिकी संस्थानों और राज्य मात्स्यिकी विभागों को भी भेजी गई थीं।
- एमपीईडीए द्वारा प्रकाशित और मुद्रित हिंदी में कोविड-19 दिशानिर्देश पुस्तिका की 1200 प्रतियां एमपीईडीए के क्षेत्रीय कार्यालयों और सोसाइटियों के माध्यम से पूरे उत्तर भारत में समुद्री खाद्य क्षेत्र में पणधारियों को वितरित की गईं।
- एमपीईडीए के भारतीय समुद्री खाद्य ब्लॉग में भारतीय समुद्री खाद्य पर 8 लेख प्रकाशित किए गए।
- पाक्षिक आधार पर ऑनलाइन न्यूजलेटर - एमपीईडीए वेव्स निकाला गया।

6.2.8. विज्ञापन और विज्ञापनिका जारी करना

क. देशीय विज्ञापन

प्रमुख पत्रिकाओं और दैनिकी में 28 देशीय विज्ञापन जारी किए गए।

ख. अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन

मार्च 2021 में सीफ़ूड एक्सपो नॉर्थ अमेरिका रीकनेक्ट-2021 के इवेंट गाइड में

भारतीय श्रिम्प को बढ़ावा देने वाला विज्ञापन जारी किया गया।

ग. बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ में एमपीईडीए का टेलीविज़न विज्ञापन

- उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़ के माध्यम से भारतीय समुद्री खाद्य के ब्रांड प्रचार के लिए दिसंबर 2020 में जारी एमपीईडीए टीवी कमर्शियल को आशाजनक परिणामों के साथ 29 जनवरी 2021 तक सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसका उद्देश्य इन प्रमुख बाजारों में उपभोक्ताओं और खरीदारों के बीच भारतीय समुद्री खाद्य को लोकप्रिय बनाना था। टीवीसीआई की पहुंच 1,16,58,000 थी, जिसने 78,144 का प्रभाव उत्पन्न किया और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में 329.21 का सकल रेटिंग बिंदु (जीआरपी) उत्पन्न किया।

6.2.9 प्रचार वीडियो और लघु वीडियो का विमोचन

- एमपीईडीए ने भारत में संपूर्ण समुद्री खाद्य क्षेत्र में कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन पर एक लघु वीडियो जारी किया। लघु वीडियो का उद्देश्य भारत से निर्यात किए जाने वाले समुद्री खाद्य उत्पाद सुरक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ हैं, इसे सुनिश्चित करने हेतु पूरे सेक्टर में भारत द्वारा लागू की गयी सुरक्षा सावधानियों से समुद्री खाद्य के अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना था। वीडियो को एमपीईडीए के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से विदेशों में भारतीय मिशनों और भारत में सभी पणधारियों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया गया है।
- "अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में "समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए एमपीईडीए कोविड-19 मार्गनिर्देश" एनिमेशन लघु वीडियो जारी किए गए। एनीमेशन फिल्म का उद्देश्य समुद्री खाद्य प्रसंस्करण के सभी चरणों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के महत्व पर पणधारियों के बीच जागरूकता पैदा करना था। अंग्रेजी और 4 क्षेत्रीय भाषाओं में एनिमेशन फिल्मों को एमपीईडीए के क्षेत्रीय कार्यालयों और इसकी समितियों के माध्यम से सभी पणधारियों के बीच व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

- 4500 copies of the booklet "MPEDA Covid-19 Guidelines for seafood sector" in English, published by MPEDA was printed and distributed to the stakeholders in the Seafood Sector across the country, through the MPEDA field offices and societies. Copies of the booklet were also forwarded to Indian Missions in major markets, Fisheries institutes in India and State Fisheries Departments.

- 1200 copies of the Covid-19 guidelines booklet in Hindi, published by MPEDA was printed and distributed to the stakeholders in the Seafood Sector across North India, through the MPEDA field offices and societies.

- Published 8 articles on Indian Seafood in the Indian Seafood Blog of MPEDA.

- Brought out Online newsletter – MPEDA Waves on a fortnightly basis.

6.2.8. Release of Advertorial and Advertisements

a. Domestic Advertisements

28 domestic advertisements were released in leading magazines and journals.

b. International Advertisements

Released Advertisement promoting Indian shrimps in the event guide of the Seafood Expo North America Reconnect- 2021 in March 2021.

c. Television Commercial of MPEDA in BBC World News

MPEDA TV Commercial released in December 2020 for Brand Promotion of Indian Seafood through BBC World News, across North America, Europe, Middle East and North Africa was successfully completed by 29th January 2021 with promising results. It was aimed at popularizing Indian Seafood among consumers and buyers across these major markets. The TVC had a reach of 1, 16, 58,000, generated an impact of 78,144 and Gross rating point (GRP) of 329.21 across USA, Europe and Middle East.

6.2.9 Release of Promotional Video & Short Videos

- MPEDA released a short video on implementation of COVID safety protocols across the entire Seafood sector in India. The short video was intended to assure the International buyers and consumers of Seafood, on the safety precautions that India has implemented across the sector to ensure that the Seafood products exported from India is Safe, Healthy & Hygienic. The video has been circulated internationally through Indian Missions abroad and among all the stake holders in India through the field office of MPEDA.

- Released animation short videos on - 'MPEDA's - COVID-19 Guidelines for Seafood Sector' in English, Hindi, Malayalam, Tamil & Telugu. The animation film was intended to create awareness among the stakeholders on the importance of strictly following Covid protocol at all stages of Seafood processing. The animation films in English and 4 regional languages have been widely circulated among all stakeholders through the field offices of MPEDA and through its societies.

- भारतीय वन्नामी श्रिम्प पर केंद्रित 6 रेसिपी वीडियो का विमोचन किया गया और एमपीईडीए के भारतीय समुद्री खाद्य ब्लॉग के माध्यम से प्रचारित किया गया।

6.2.10 प्रकाशनों की बिक्री

वर्ष 2020-21 के दौरान प्रकाशनों की बिक्री से ₹ 31,127/- की राशि एकत्र की गई। न्यूज़लेटर में विज्ञापन से राजस्व के रूप में ₹ 5,79,214/- की आय हुई है।

6.2.11 प्रेस विज्ञप्ति

निम्नलिखित प्रेस विज्ञप्ति के लिए व्यवस्थाओं का समन्वय किया

1 भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात परिदृश्य, पणधारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों और कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर निर्यात को आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर टिप्पणियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दैनिक और पत्रिकाओं को दिए गए - अप्रैल 2020।

2 एमपीईडीए ने सीफूड में फॉर्मालर्डेहाइड अपमिश्रण का परीक्षण करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित किया - मई 2020।

3 पांडिचेरी के कराईकल में एमपीईडीए-आरजीसीए का डेमो फार्म 1.0 हेक्टेयर में 15 टन सीबास का उत्पादन करता है - जून 2020।

4 एमपीईडीए की जलीय संगरोध सुविधा को संगरोध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से व्हाइटलेग श्रिम्प ब्रूडस्टॉक का सबसे बडा परेषण प्राप्त होता है - जून 2020।

5 एमपीईडीए का बहु-प्रजाति एक्वाकल्चर कॉम्प्लेक्स करीमीन मत्स्य के वाणिज्यिक स्तर पर बीज उत्पादन विकसित करता है - जून 2020।

6 वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के समुद्री खाद्य निर्यात पर प्रेस विज्ञप्ति - अगस्त 2020।

7 पोरबंदर में नई गुनि प्रयोगशाला के उद्घाटन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति - अगस्त 2020

8 भुवनेश्वर में पुनर्निर्मित गुनि प्रयोगशाला के कार्य पर प्रेस विज्ञप्ति - अगस्त 2020।

9 कोच्चि मत्स्य बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ एमपीईडीए द्वारा सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति।

10 एमपीईडीए ने हैदराबाद में एमपीईडीए का नया उप क्षेत्रीय प्रभाग खोला - अक्तूबर 2020।

11 एमपीईडीए ने विजयवाड़ा में भारत का पहला एक्वा किसान कॉल सेंटर लॉन्च किया - दिसंबर 2020

12 जापान ने भारत से ब्लैक टाइगर श्रिम्प्स का निरीक्षण पूरी तरह से हटा लिया - दिसंबर 2020

13 एमपीईडीए और एनसीडीसी ने निर्यातोन्मुख समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यक्रमों में तालमेल बिठाने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए - फरवरी 2021।

मुद्रण और दृश्य मीडिया में सभी प्रेस विज्ञप्तियों की अच्छी कवरेज थी।

- Released 6 recipe videos focusing Indian Vannamei Shrimp and promoted through the Indian Seafood Blog of MPEDA.

6.2.10 Sale of publications

An amount of ₹ 31,127/- was collected by sale of publications during the year 2020-21. An amount of ₹ 5,79,214/- has been generated as revenue from the advertisement in newsletter.

6.2.11 Press Release

Coordinated the arrangements for the following Press release:

1 Comments on the Indian Seafood Export scenario, difficulties faced by stakeholders and action taken by the Govt. to ease exports in wake of the COVID-19 situation were given to national and International dailies and magazines – April 2020.

2 MPEDA develops protocol to test formaldehyde adulteration in seafood – May 2020.

3 Demo farm of MPEDA-RGCA at Karaikal in Pondicherry produces 15 tons of sea bass in 1.0 hectare – June 2020.

4 MPEDA's Aquatic Quarantine Facility receives biggest consignment of White leg Shrimp Broodstock from USA for quarantine – June 2020.

5 MPEDA's Multispecies Aquaculture Complex develops commercial-scale seed production of Karimeen fish – June 2020.

6 Press release on India's Seafood Exports for the Financial year 2019-20 – August 2020.

7 Press releases in connection with the inauguration of new QC lab at Porbandar- August-2020

8 Press Release on the functioning of the renovated QC lab at Bhubaneswar– August 2020.

9 Press release in connection with the signing of MOU by MPEDA with Cochin Port Trust for the modernization of Kochi Fisheries harbor.

10 MPEDA opens new Sub Regional Division of MPEDA in Hyderabad – October 2020.

11 MPEDA launches India's First Aqua farmers Call Centre in Vijayawada – December 2020

12 Japan completely lifts inspection of Black Tiger Shrimps from India – December 2020

13 MPEDA and NCDC sign MoU to synergise their programmes for promotion of export-oriented marine products – February 2021.

There was good coverage for all the press release in print and visual media.

7.0 कल्चर मात्स्यिकी

7.1. जलकृषि के माध्यम से निर्यात उत्पादनः

निर्यात उन्मुख जलकृषि उत्पादन में वर्ष 2020-21 के दौरान (चित्र 1) 8,66,600 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो वर्ष 2019-20 के 7,66,809 मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है। उत्पादन में वृद्धि पूरी तरह से पैसिफिक व्हाइटलेग श्रिम्प (लिटोपेनियस वन्नामी) के उत्पादन में वृद्धि पर निर्भर करती है।

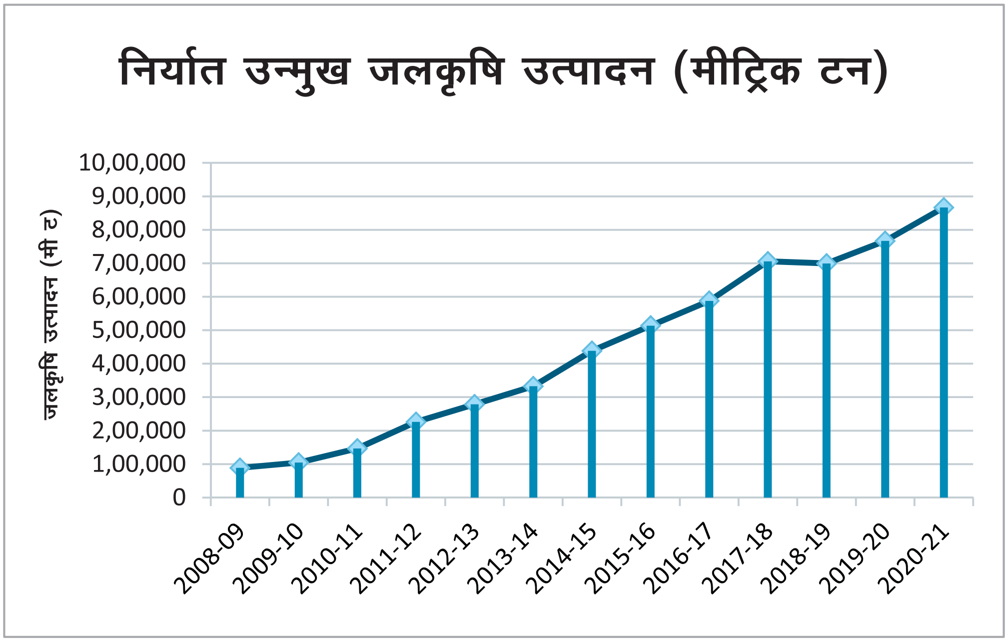

चित्र 6. निर्यात उन्मुख जलकृषि उत्पादन

7.1.1 श्रिम्प जलकृषि उत्पादनः

क्ष्वर्ष 2020-21 के दौरान फील्ड से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर भारत में श्रिम्प का कुल जलकृषि उत्पादन 8,43,679 मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष के दौरान दर्ज की गई 7,47,694 मीट्रिक टन के उत्पादन से 12.83% की वृद्धि दर्ज करता है। वृद्धि मुख्य रूप से पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प (लिटोपेनियस वन्नामी) के उत्पादन में वृद्धि के कारण थी।

वर्ष के दौरान वन्नामी का उत्पादन 8,15,745 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष के 7,11,674 मीट्रिक टन उत्पादन से 1,04,071 मीट्रिक टन अधिक है, इस प्रकार 14.62% की वृद्धि दर्ज की गई। एल.वन्नामी उत्पादन ने देश में कुल श्रिम्प जलकृषि उत्पादन का लगभग 96% योगदान दिया।

टाइगर श्रिम्प, अन्य श्रिम्प और स्कैम्पी के कुल उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 22%, 45% और 13% की गिरावट दर्ज की गई। वन्नामी श्रिम्प, ब्लैक टाइगर श्रिम्प और अन्य श्रिम्प का उत्पादन 2019-20 के दौरान लगभग 7,47,693 मीट्रिक टन से 2020-21 के दौरान 8,43,679 मीट्रिक टन बढ़ गया।

श्रिम्प और स्कैम्पी के कुल उत्पादन (8,51,982 मीट्रिक टन) ने भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.51% की वृद्धि दर्ज की (तालिका 8)।

7.0 CULTURE FISHERIES

7.1. Export production through Aquaculture:

Export oriented aquaculture production, showed a remarkable increase during the year 2020-21 (Fig. 6) with a production of 8,66,600 MT, which is significantly high compared to a production 7,66,809 MT of year 2019-20. The increase in production solely depends on the increase in the production of Pacific White leg shrimp (*Litopenaeus vannamei*).

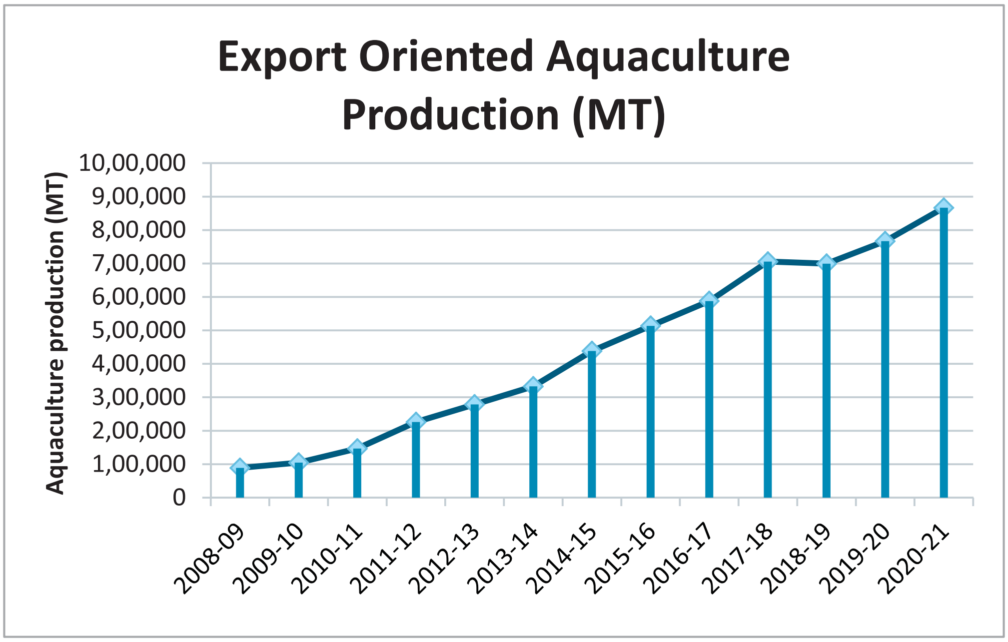

Fig. 6. Export oriented aquaculture production

7.1.1 Shrimp Aquaculture production

India's total Aquaculture production of shrimp estimated based on the reports received from the field is 8,43,679 MT during 2020-21, registering an increase of 12.83 % over the production of 7,47,694 MT recorded during the previous year. The increase was propelled mainly by the increase in production of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei).

The vannamei production during the year was 8,15,745 MT, which is more than 1,04,071 MT of the previous year production of 7,11,674 MT, thus registering an increase of 14.62 %. L.vannamei production contributed to around 96% of the total shrimp aquaculture production in the country.

Total production of tiger shrimp, other shrimp and Scampi registered a decline of 22%, 45% and 13% respectively compared to previous year. The shrimp production comprising Vannamei, Black Tiger and other shrimp increased from about 7,47,694 MT during 2019-20 to 8,43,679 MT during 2020-21.

Total production of Shrimp and Scampi (8,51,982 MT) also registered an increase of about 12.51% compared to previous year (Table 8).

तालिका 8 : 2019-20 बनाम 2020-21 में प्रजातिवार कल्चर उत्पादन

प्रजातियां	2020-21	2019-20	अंतर	% वृद्धि / कमी
एल. वन्नामी	8,15,745	7,11,674	वृद्धि / कमी	+14.62
पी. मोनोडोन	27,616	35,437	-7,821	-22.07
अन्य श्रिम्प	318	582	-264	-45.36
स्कैम्पी	8,303	9,540	-1,237	-12.97
कुल	**8,51,982**	**7,57,233**	**94,749**	**+12.51**

वन्नामी श्रिम्प ने भारत के कल्चर श्रिम्प और झींगा उत्पादन में प्रमुख योगदान जारी रखा। चित्र 2 से पता चलता है कि 2020-21 के दौरान कुल श्रिम्प और झींगा उत्पादन में वन्नामी का हिस्सा देश में कुल श्रिम्प जलकृषि उत्पादन का 96% था।

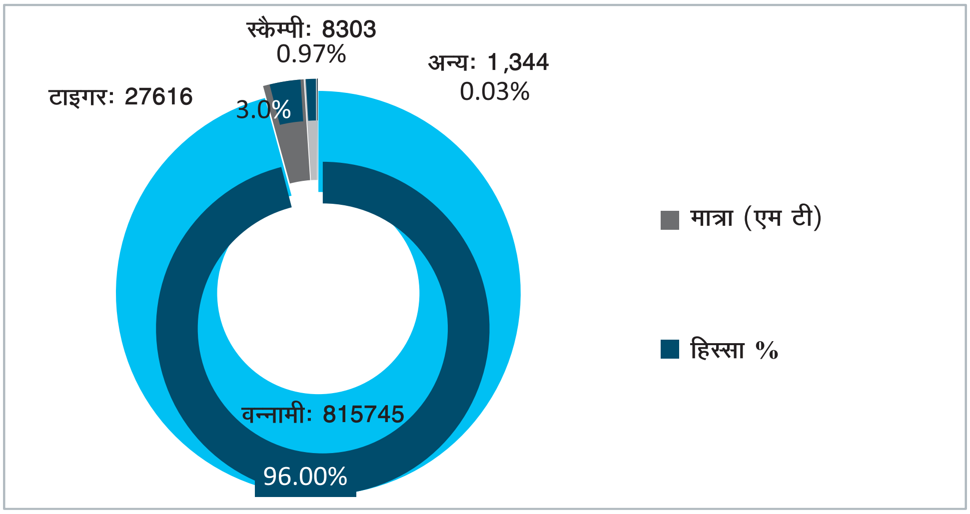

चित्र 7 जलकृषि उत्पादन में श्रिम्प प्रजातियों का संघटन 2020-21

देशी प्रजातियों, ब्लैक टाइगर श्रिम्प (पेनियस मोनोडोन) का योगदान 27,616 मीट्रिक टन था, जो कुल उत्पादन मात्रा का लगभग 3% था। स्कैम्पी और अन्य श्रिम्प (पेनियस इंडिकस और अन्य पेनाइड श्रिम्प) का कुल श्रिम्प उत्पादन में क्रमशः 0.97% और 0.03% हिस्सा था।

7.1.1.1. पैसिफिक व्हाइट लेग/वन्नामी श्रिम्प

2020-21 के दौरान वन्नामी श्रिम्प की खेती और उत्पादन के क्षेत्र का राज्यवार विवरण तालिका 9 में दिया गया है। आंध्र प्रदेश ने एक बार फिर 6,34,672 मीट्रिक टन के कुल उत्पादन के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, इसके बाद गुजरात ने 50,410 मीट्रिक टन उत्पादन किया, तमिलनाडु 44,735 मीट्रिक टन, ओडिशा 43,677.4 मीट्रिक टन, पश्चिम बंगाल 35,392 मीट्रिक टन और अन्य। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात वर्ष के दौरान हासिल की गई उत्पादकता में अग्रणी राज्य थे।

Table 8: Species-wise culture production in 2020-21 vs 2019-20

Species	2020-21	2019-20	Difference	% increase/ decrease
L. vannamei	8,15,745	7,11,674	+1,04071	+14.62
P. monodon	27,616	35,437	-7,821	-22.07
Other shrimp	318	582	-264	-45.36
Scampi	8,303	9,540	-1,237	-12.97
TOTAL	**8,51,982**	**7,57,233**	**94,749**	**+12.51**

Vannamei shrimp continued to contribute the lion's share of India's cultured shrimp and prawn production. Fig. 7 shows that the share of vannamei in total shrimp and prawn production during 2020-21 was 96 % of the total shrimp aquaculture production in the country.

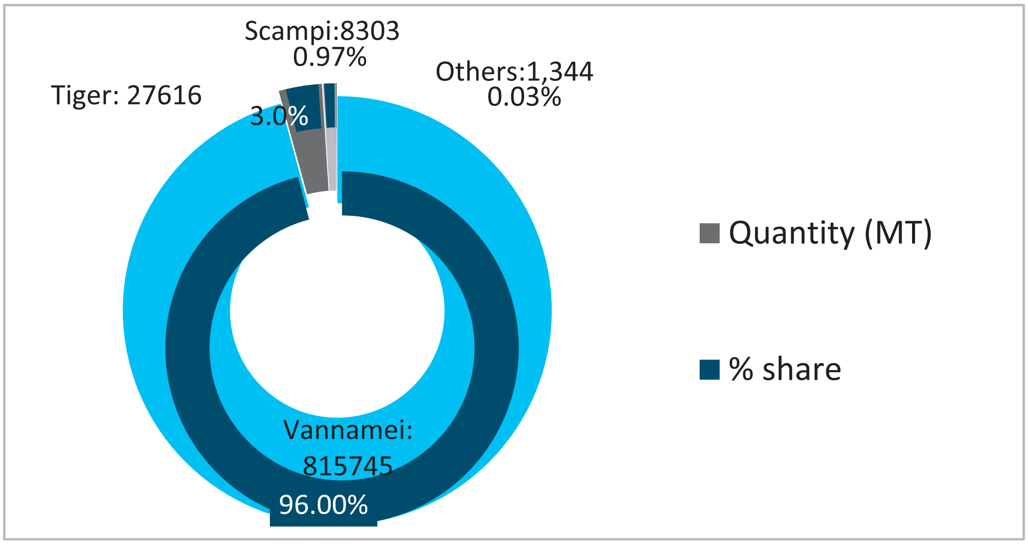

Fig. 7: Composition of shrimp species in aquaculture production 2020-21

The contribution of the native species, Black Tiger shrimp (Penaeus monodon) was 27,616 MT, which formed about 3% of the total production quantity. Scampi and other shrimps (Penaeus indicus and other penaeid shrimps) accounted for 0.97% and 0.03% respectively of the total shrimp production.

7.1.1.1. Pacific White leg/Vannamei Shrimp

State-wise details of area under culture and production of Vannamei shrimp during 2020-21 is given in Table 9. Andhra Pradesh once again led the table with a total production of 6,34,672 MT, followed by Gujarat with a production of 50,410 MT, Tamil Nadu with 44,735 MT, Odisha with 43,677.4 MT, West Bengal with 35,392 MT and others. Andhra Pradesh, West Bengal and Gujarat were the leading states in productivity achieved during the year.

तालिका 9 : 2020-21 में वन्नामी का राज्यवार उत्पादन

क्र.सं	राज्य	उपयोग किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)	उत्पादकता (मी.ट/ हेक्टेयर / वर्ष)
1	आंध्र प्रदेश	71,921	6,34,672	8.82
2	गुजरात	8,986	50,410	5.61
3	तमिलनाडु	8,600	44,735	5.2
4	पश्चिम बंगाल	6,059	35,392	5.84
5	उड़ीसा	10,649	43,677.4	4.1
6	महाराष्ट्र	1,183.49	4,252.1	3.6
7	कर्नाटक और गोवा	970.39	2185.84	2.25
8	केरल	157.39	420.85	2.67
	कुल	**1,08,526.27**	**8,15,745**	**7.5**

देश के समुद्री राज्यों में वन्नामी श्रिम्प के लिए उपयोग किया क्षेत्र और उत्पादन की प्रवृत्ति तालिका 10 में दी गई है। 2019-20 के दौरान 1,00,206 हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में 2020-21 के दौरान कल्चर के तहत क्षेत्र 1,08,526.27 हेक्टेयर था। पिछले वर्ष के दौरान 7.1 मीट्रिक टन/हेक्टेयर/वर्ष की तुलना में औसत उत्पादकता बढ़कर 7.50 मीट्रिक टन/हेक्टेयर/वर्ष हो गई। मध्यम सघनता वाले खेतों में भंडारण और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के परिणामस्वरूप इस वर्ष उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

तालिका 10 राज्यवार कृषि क्षेत्र और वन्नामी का उत्पाद

राज्य		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प.बंगाल	क.अ.क्षे	326	1,387	3,657	4,127	5,096	6,072	6,059
	अ.उ.	395	6,776	26,085	22,191	29,846	31,376	35,392
ओडिशा	क.अ.क्षे	2,340	4,439	6,300	8,862	5,102	10,554.8	10,649
	अ.उ.	11,866	19,241	25,594	37,229	24,123	44,007	43,677.4
आंध्र प्रदेश	क.अ.क्षे	37,560	39,800	61,391	62,342	50,474	63,678	71,921
	अ.उ.	2,76,077	2,95,332	3,51,137	4,56,300	4,50,797	5,10,794	6,34,672
तमिलनाडु और पांडिचेरी	क.अ.क्षे	5,037	7,615	8,601	8,849	6,989	8,190	8,600
	अ.उ.	32,688	44,453	48,670	43,622	47,184	44,467	44,735
केरल	क.अ.क्षे	6	22	31	52	53	234.74	157.39
	अ.उ.	12	74	110	208	259	670.7	420.85
कर्नाटक और गोवा	क.अ.क्षे	125	333	405	399	219	539.97	970.39
	अ.उ.	623	1,045	1,457	1,465	918	1,195.1	2,185.84
महाराष्ट्र	क.अ.क्षे	1,275	1,356	1,646	1,291	916	1,328.31	1,183.49
	अ.उ.	4,901	6,118	6,831	6,073	6,567	5,625.1	4,252.1
गुजरात	क.अ.क्षे	3,545	4,154	5,219	7,542	6,585	9,608	8,986
	अ.उ.	26,763	32,946	41,409	55,161	58,764	73,539	50,410
कुल	**क.अ.क्षे**	**50,240**	**59,116**	**87,252**	**93,496**	**75,494**	**1,00,206**	**1,08,526.27**
	अ.उ.	**3,53,413**	**4,06,018**	**5,01,297**	**6,22,327**	**6,18,678**	**7,11,674**	**8,15,745**

क.अ.क्षे कल्चर अधीन क्षेत्र
अ.उ. अनुमानित उत्पादन

Table 9: State- wise production of Vannamei in 2020-21

Sl.No	State	Area Utilized (Ha)	Production (MT)	Productivity (MT/Ha/Yr)
1	Andhra Pradesh	71,921	6,34,672	8.82
2	Gujarat	8,986	50,410	5.61
3	Tamil Nadu	8,600	44,735	5.2
4	West Bengal	6,059	35,392	5.84
5	Odisha	10,649	43,677.4	4.1
6	Maharashtra	1,183.49	4,252.1	3.6
7	Karnataka & Goa	970.39	2185.84	2.25
8	Kerala	157.39	420.85	2.67
	TOTAL	**1,08,526.27**	**8,15,745**	**7.5**

The trend in the area utilization and production of Vannamei shrimp in the maritime states of the country is given in Table 10. During 2020-21, the area under culture was 1,08,526.27 Ha compared to the area of 1,00,206 Ha during 2019-20. The productivity increased to 7.50 MT/Ha/yr compared to 7.1 MT/Ha/yr during previous year. The stocking of farms in medium densities and adoption of better management practices have resulted in the increased productivity this year.

Table 10: State-wise farm area and production of Vannamei

State		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
W. Bengal	AUC	326	1,387	3,657	4,127	5,096	6,072	6,059
	EP	395	6,776	26,085	22,191	29,846	31,376	35,392
Orissa	AUC	2,340	4,439	6,300	8,862	5,102	10,554.8	10,649
	EP	11,866	19,241	25,594	37,229	24,123	44,007	43,677.4
Andhra Pradesh	AUC	37,560	39,800	61,391	62,342	50,474	63,678	71,921
	EP	2,76,077	2,95,332	3,51,137	4,56,300	4,50,797	5,10,794	6,34,672
Tamil Nadu & Pondichery	AUC	5,037	7,615	8,601	8,849	6,989	8,190	8,600
	EP	32,688	44,453	48,670	43,622	47,184	44,467	44,735
Kerala	AUC	6	22	31	52	53	234.74	157.39
	EP	12	74	110	208	259	670.7	420.85
Karnataka & Goa	AUC	125	333	405	399	219	539.97	970.39
	EP	623	1,045	1,457	1,465	918	1,195.1	2,185.84
Maharashtra	AUC	1,275	1,356	1,646	1,291	916	1,328.31	1,183.49
	EP	4,901	6,118	6,831	6,073	6,567	5,625.1	4,252.1
Gujarat	AUC	3,545	4,154	5,219	7,542	6,585	9,608	8,986
	EP	26,763	32,946	41,409	55,161	58,764	73,539	50,410
TOTAL	**AUC**	**50,240**	**59,116**	**87,252**	**93,496**	**75,494**	**1,00,206**	**1,08,526.27**
	EP	**3,53,413**	**4,06,018**	**5,01,297**	**6,22,327**	**6,18,678**	**7,11,674**	**8,15,745**

AUC: Area under Culture
EP: Estimated Production

तालिका 11 कृषि उत्पादन से उत्पन्न उत्पाद भार के अनुमानों और 2019-20 और 2020-21 के लिए उपज के अनुमानित मूल्य की तुलना प्रदान करती है। लाइव वजन और उत्पाद वजन में 14.62% की वृद्धि हुई है और मूल्य प्राप्ति में लगभग 9.6% की वृद्धि हुई है।

तालिका 11 : 2019-20 और 2020-21 में वन्नामी जलकृषि उत्पादन

वर्ष	जीवित भार (मी.टन)	उत्पाद भार (मी.टन)	अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)
2019-2020	7,11,674	4,62,588	28,467.00
2020-2021	8,15,745	5,30,234	31,190.00
वृद्धि / कमी	+1,04,071	+67,646	2,723.00
अंतर %	+14.62%	+14.62%	+9.6%

7.1.1.2. टाइगर श्रिम्प

वर्ष के दौरान ब्लैक टाइगर श्रिम्प का उत्पादन 27,616 मीट्रिक टन था। पश्चिम बंगाल ने देश के कुल ब्लैक टाइगर श्रिम्प उत्पादन में लगभग 69.49% (19,190MT) का योगदान दिया, इसके बाद आंध्र प्रदेश (18.90%), केरल (4.08%), और कर्नाटक और गोवा (3.62%) का स्थान है। ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु ने शेष 3.89% का योगदान दिया। 2020-21 के दौरान कृषि और उत्पादन के लिए उपयोग किए गए क्षेत्र का राज्य-वार विवरण तालिका 12 में दिया गया है।

तालिका 12 : 2020-21 में ब्लैक टाइगर श्रिम्प का राज्यवार कृषि उत्पादन

केंद्र	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल उत्पादन (मी टन)	उत्पादकता मीट्रिक टन/हेक्टेयर/वर्ष
पश्चिम बंगाल	50,000	19,190	0.39
ओड़ीसा	551	878	1.6
आंध्र प्रदेश	2,591	5,222	2.01
तमिलनाडु	30	81	2.7
केरल	2,813.85	1,128.98	0.4
कर्नाटक और गोवा	2,175	1,000	0.46
महाराष्ट्र	0	0	0
गुजरात	35	116	3.31
कुल	**58,196**	**27,616**	**0.47**

2019-20 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान ब्लैक टाइगर श्रिम्प के उत्पादन में लगभग 22% की कमी आई है। राज्यवार उत्पादन में रुझान पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र और उत्पादन में प्रगतिशील अवनति की ओर इशारा करते हैं जैसा कि तालिका 13 में दिया गया है। उत्पादकता भी लगभग 0.47 मीट्रिक टन / हेक्टेयर / वर्ष तक गिर गई।

Table 11 provides a comparison of the estimates of the product weight generated from the culture production and the estimated value of the produce for 2019-20 and 2020-21.There is a 14.62% increase in both live weight and product weight and about 9.6 % increase in value realization.

Table 11: Vannamei aquaculture production in 2019-20 and 2020-21

Year	Live weight (MT)	Product weight (MT)	Estimated Value (` ₹ in Crore)
2019-2020	7,11,674	4,62,588	28,467.00
2020-2021	8,15,745	5,30,234	31,190.00
Increase/ Decrease	+1,04,071	+67,646	2,723.00
Difference %	+14.62%	+14.62%	+9.6%

7.1.1.2. Tiger Shrimp

The Black tiger shrimp production was 27,616 MT during the year. West Bengal contributed about 69.49% (19,190 MT) of the total Black tiger shrimp production of the country, followed by Andhra Pradesh (18.90%), Kerala (4.08%), and Karnataka & Goa (3.62%). Odisha, Gujarat and Tamil Nadu contributed the rest of 3.89%. State - wise details of area utilized for culture and production during 2020-21 is given in Table 12.

Table 12: State- wise farmed production of Black Tiger shrimp in 2020-21

Centre	Total Area (Ha)	Total Production (MT)	Productivity MT/Ha/Yr
West Bengal	50,000	19,190	0.39
Odisha	551	878	1.6
Andhra Pradesh	2,591	5,222	2.01
Tamil Nadu	30	81	2.7
Kerala	2,813.85	1,128.98	0.4
Karnataka & Goa	2,175	1,000	0.46
Maharashtra	0	0	0
Gujarat	35	116	3.31
TOTAL	**58,196**	**27,616**	**0.47**

The production of Black Tiger shrimp decreased considerably by about 22% during the current year compared to 2019-20. The trends in area utilization and state-wise production points towards a progressive decline in area and production over the years as given in Table 13. The productivity also declined to about 0.47 MT/Ha/Yr.

तालिका 13. ब्लैक टाइगर श्रिम्प का राज्यवार क्षेत्र उपयोगिता और उत्पादन

राज्य		2015-16	2916-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
प.बंगाल	क.अ.क्षे	50,593	48,474	51,084	51,455	51,422	50,000
	अ.उ.	61,998	44,966	49,319	47,842	27,585	19,190
ओडिशा	क.अ.क्षे	4,552	2,273	2,624	1,389	2,632	551
	अ.उ.	9,191	3,699	3,887	2,146	4,141	878
आंध्र प्रदेश	क.अ.क्षे	2,637	2,835	1,880	1,302	882	2,591
	अ.उ.	3,739	4,819	2,714	2,438	1,450	5,222
तमिलनाडु पांडिचेरी	क.अ.क्षे	409	150	10	58	203	30
	अ.उ.	1,103	384	28	112	554	81
केरल	क.अ.क्षे	8,306	3,929	3,144	3,258	2,823	2,814
	अ.उ.	3,490	2,297	1,522	1,675	1,370	1,129
कर्नाटक और गोवा	क.अ.क्षे	1,948	735	302	6,90	590	2,175
	अ.उ.	682	635	59	94	34	1,000
महाराष्ट्र	क.अ.क्षे	3	6	0	0	0	0
	अ.उ.	6	11	0	0	0	0
गुजरात	क.अ.क्षे	398	437	55	207	101	35
	अ.उ.	1,243	1,346	162	595	303	116
कुल	**क.अ.क्षे**	**68,846**	**58,851**	**59,099**	**58,359**	**58,653**	**58,196**
	अ.उ.	**81,452**	**58,163**	**57,691**	**54,902**	**35,437**	**27,616**

क.अ.क्षे कल्चर अधीन क्षेत्र
अ.उ. अनुमानित उत्पादन

तालिका 14 में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए टाइगर श्रिम्प उत्पादन, उत्पादन से उत्पन्न अनुमानित उत्पाद भार और उत्पादन के अनुमानित मूल्य की तुलना दी गई है। लाइव वजन और उत्पाद भार में प्रतिशत अवनति लगभग 22% थी और मूल्य प्राप्ति में अवनति लगभग 22.12% थी।

तालिका 14. 2019-20 और 2020-21 में ब्लैक टाइगर श्रिम्प उत्पादन की तुलना

वर्ष	जीवित भार (मी.टन)	उत्पाद भार (मी.टन)	अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)
2019-20	35,437	21,262	1,772.00
2020-21	27,616	16,569.6	1,380.80
वृद्धि / कमी	(-) 7,821	(-) 4,692.4	(-) 392.00
अंतर %	(-) 22%	(-) 22%	(-) 22.12%

7.1.1.3. स्कैम्पी

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान कुल स्कैम्पी उत्पादन 8,303 मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष 9,540 मीट्रिक टन की तुलना में 13% की कमी दर्ज करता है। तालिका 15 सभी समुद्री राज्यों के लिए स्कैम्पी का उत्पादन विवरण प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल मोनोकल्चर फार्मों मे स्कैम्पी का प्रमुख उत्पादक बना हुआ है।

Table 13. State-wise area utilization and production of Black Tiger shrimp

State		2015-16	2916-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
W. Bengal	AUC	50,593	48,474	51,084	51,455	51,422	50,000
	EP	61,998	44,966	49,319	47,842	27,585	19,190
Orissa	AUC	4,552	2,273	2,624	1,389	2,632	551
	EP	9,191	3,699	3,887	2,146	4,141	878
Andhra Pradesh	AUC	2,637	2,835	1,880	1,302	882	2,591
	EP	3,739	4,819	2,714	2,438	1,450	5,222
Tamil Nadu Pondicherry	AUC	409	150	10	58	203	30
	EP	1,103	384	28	112	554	81
Kerala	AUC	8,306	3,929	3,144	3,258	2,823	2,814
	EP	3,490	2,297	1,522	1,675	1,370	1,129
Karnataka & Goa	AUC	1,948	735	302	6,90	590	2,175
	EP	682	635	59	94	34	1,000
Maharashtra	AUC	3	6	0	0	0	0
	EP	6	11	0	0	0	0
Gujarat	AUC	398	437	55	207	101	35
	EP	1,243	1,346	162	595	303	116
TOTAL	**AUC**	**68,846**	**58,851**	**59,099**	**58,359**	**58,653**	**58,196**
	EP	**81,452**	**58,163**	**57,691**	**54,902**	**35,437**	**27,616**

AUC: Area Under Culture
EP: Estimated Production

Table 14 gives a comparison of the tiger shrimp production, estimated product weight generated from the production and the estimated value of the production for the years 2019-20 and 2020-21. The percentage decline in live weight and product weight was about 22% and the decline in value realization was about 22.12%.

Table 14: Comparison of Black Tiger shrimp production in 2019 -20 and 2020-21

Year	Live weight (MT)	Product weight (MT)	Estimated Value (₹ Crore)
2019-20	35,437	21,262	1,772.00
2020-21	27,616	16,569.6	1,380.80
Increase / Decrease	(-) 7,821	(-) 4,692.4	(-)392.00
Difference %	(-)22%	(-)22%	(-)22.12 %

7.1.1.3. Scampi

The total Scampi production during the year under report is 8,303 MT, registering a decrease of 13% compared to 9,540 MT in the previous year.Table15 provides the production details of scampi for all maritime states. West Bengal remains the major producer of Scampi from monoculture farms.

तालिका 15. 2020-21 में स्कैम्पी का राज्यवार उत्पादन विवरण

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (मी.टन)
1	पश्चिम बंगाल	3,372.50
2	ओड़ीसा	1,074.20
3	आंध्र प्रदेश	334.60
4	तमिलनाडु	41.40
5	केरल	0.22
6	कर्नाटक और गोवा	0. 00
7	महाराष्ट्र	1,497.87
8	गुजरात	1,982. 00
	कुल	**8,303. 00**

वर्ष 20-21 के दौरान श्रिम्प और स्कैंपी के राज्य, प्रजाति और क्षेत्रवार उत्पादन की संकलित स्थिति नीचे तालिका 16 में दी गई है।

तालिका 16. वर्ष 2021 के दौरान श्रिम्प और स्कैंपी के राज्य, प्रजाति और क्षेत्रवार उत्पादन

क्रम सं	राज्य		पी. मोनोडोन	एल. वन्नामी	स्कैंपी
1	प. बंगाल	क.अ.क्षे	50,000	6,059	7,745
		अ.उ.	19,190	35,392	3,372.5
2	ओड़ीशा	क.अ.क्षे	551	10,649	1,675
		अ.उ.	878	43,677.4	1,074.2
3	आंध्र प्रदेश	क.अ.क्षे	2,591	71,921	426.5
		अ.उ.	5,222	6,34,672	334.6
4	तमिल नाडु	क.अ.क्षे	30	8,600	75.5
	पॉण्डिचेरी	अ.उ.	81	44,735	41.4
5	केरल	क.अ.क्षे	2,813.85	157.39	2
		अ.उ.	1,128.98	420.85	0.22
6	कर्नाटक	क.अ.क्षे	2,175	970.39	0
		अ.उ.	1,000	2,185.84	0
7	गोवा	क.अ.क्षे	0	0	0
		अ.उ.	0	0	0
8	महाराष्ट्र	क.अ.क्षे	0	1,183.49	1,79,650
		अ.उ.	0	4,252.1	1,497.87
9	गुजरात	क.अ.क्षे	35	8,986	0
		अ.उ.	116	50,410	1,982
	कुल	**क.अ.क्षे**	**58,196**	**1,08,526.27**	**9,924**
		अ.उ.	**27,616**	**8,15,745**	**8,303**

क.अ.क्षे कल्चर अधीन क्षेत्र
अ.उ. अनुमानित उत्पादन

तालिका 17 वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान स्कैम्पी के उत्पादन और अनुमानित मूल्य से जीवित वजन और अनुमानित उत्पाद वजन की तुलना प्रदान करती है। लाइव और उत्पाद भार और मूल्य प्राप्ति में कमी आई है।

Table 15: State-wise production details of Scampi in 2020-21

Sl. No	State	Production (MT)
1	West Bengal	3,372.50
2	Odisha	1,074.20
3	Andhra Pradesh	334.60
4	Tamil Nadu	41.40
5	Kerala	0.22
6	Karnataka & Goa	0. 00
7	Maharashtra	1,497.87
8	Gujarat	1,982. 00
	TOTAL	**8,303. 00**

The compiled status of State, species and area wise production of shrimp and scampi during 20-21 is given below in Table 16.

Table 16: State, species and area wise production of shrimp and scampi during 2020-21

Sl. No.	State		P. monodon	L. vannamei	Scampi
1	W. Bengal	AUC	50,000	6,059	7,745
		EP	19,190	35,392	3372.5
2	Orissa	AUC	551	10,649	1,675
		EP	878	43,677.4	1074.2
3	Andhra Pradesh	AUC	2,591	71,921	426.5
		EP	5,222	6,34,672	334.6
4	Tamil Nadu & Pondicherry	AUC	30	8,600	75.5
		EP	81	44,735	41.4
5	Kerala	AUC	2813.85	157.39	2
		EP	1128.98	420.85	0.22
6	Karnataka	AUC	2,175	970.39	0
		EP	1,000	2185.84	0
7	Goa	AUC	0	0	0
		EP	0	0	0
8	Maharashtra	AUC	0	1183.49	1,79,650
		EP	0	4252.1	1497.87
9	Gujarat	AUC	35	8,986	0
		EP	116	50,410	1,982
	TOTAL	**AUC**	**58,196**	**108526.27**	**9,924**
		EP	**27,616**	**8,15,745**	**8,303**

AUC - Area Under Culture in Ha | EP – Estimated Production in MT

Table 17 provides a comparison of live weight and estimated product weight from the production and estimated value of Scampi during 2019-20 and 2020-21. There is a decrease in live and product weights, and in value realization.

तालिका 17: 2019-20 और 2020-21 में कल्चर्ड स्कैम्पी उत्पादन की तुलना

वर्ष	जीवित भार (मी.टन)	उत्पाद भार (मी.टन)	अनुमानित मूल्य (₹करोड़ में)
2019-20	9,540	4,770	381.00
2020-21	8,303	4,151.5	332.12
वृद्धि / कमी	(-) 1,237	(-) 618.5	(-) 48.88
% में अंतर	(-) 13 %	(-) 13 %	(-) 12.83 %

7.1.2 निर्यात के लिए कल्चर्ड श्रिम्प और स्कैम्पी का योगदान

रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान, कुल निर्यातोन्मुख जलकृषि श्रिम्प और स्कैंपी उत्पादन और वहां से उत्पन्न अनुमानित उत्पाद भार में लगभग 12.51% की वृद्धि दर्शाई गई, जबकि उत्पाद के अनुमानित मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की वृद्धि दर्शाई गई (तालिका 18)।

तालिका 18: 2019-20 और 2020-21 में कुल श्रिम्प और स्कैम्पी जलकृषि उत्पादन की तुलना

वर्ष	जीवित भार (मी.टन)	उत्पाद भार (मी.टन)	अनुमानित मूल्य (₹ करोड़ में)
2019-20	7,57,234	4,92,202	30,289.00
2020-21	851982	553788.3	32,575.00
वृद्धि / कमी	(+) 94,748	(+) 61,586.3	(+) 2,286.00
% में अंतर	(+) 12.51%	(+) 12.51%	(+) 7.5%

चित्र 3 पिछले 7 वर्षों के दौरान देश से श्रिम्प निर्यात की मात्रा के संदर्भ में कल्चर्ड श्रिम्प के योगदान में रुझान प्रदान करता है। आंकड़े दर्शाते हैं कि श्रिम्प के निर्यात में जलकृषि के योगदान में समग्र रूप से और साथ ही प्रतिशत हिस्सेदारी दोनों में वृद्धि हुई है।

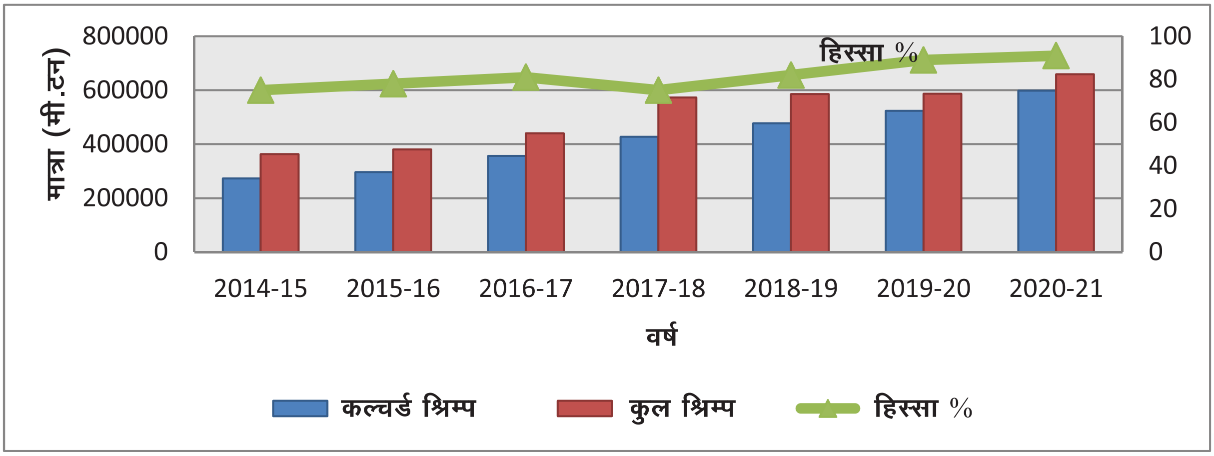

चित्र 8 श्रिम्प निर्यात में जलकृषि के योगदान में प्रगति

7.1.3. मत्स्य और शंख की अन्य निर्यात योग्य किस्मों का उत्पादन।

ग्मैंग्रोव केकड़ा, सी बास, तिलापिया (गिफ्ट) और पंगासियस को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से कल्चरर्ड अन्य प्रजातियों के रूप में सूचित किया जाता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों ने विविध प्रजातियों के कुल 1,96,816.455 मीट्रिक टन उत्पादन की सूचना दी है, जिसमें 4,519.05 मीट्रिक टन मैंग्रोव केकड़ा, 3,625.775 मीट्रिक टन समुद्री बास, 6,473.33 मीट्रिक टन तिलापिया

Table 17: Comparison of cultured Scampi production in 2019-20 and 2020-21

Year	Live Weight (MT)	Product Weight (MT)	Estimated Value (₹ Crore)
2019-20	9,540	4,770	381.00
2020-21	8,303	4,151.5	332.12
Increase/Decrease	(-) 1,237	(-) 618.5	(-) 48.88
Difference in %	(-) 13%	(-) 13%	(-) 12.83 %

7.1.2 Contribution of Cultured Shrimp and Scampi for export

During the year under report, the total export oriented aquaculture shrimp & scampi production and the estimated product weight generated there from registered an increase of about 12.51% while the estimated value of the produce registered an increase of 7.5% compared to the previous year (Table 18).

Table 18: Comparison of total Shrimp & Scampi aquaculture production in 2019- 20 and 2020-21

Year	Live Weight (MT)	Product Weight (MT)	Estimated Value (₹ Crore)
2019-20	7,57,234	4,92,202	30,289.00
2020-21	851982	553788.3	32,575.00
Increase/Decrease	(+) 94,748	(+) 61,586.3	(+) 2,286.00
Difference in %	(+) 12.51%	(+) 12.51%	(+) 7.5%

Fig.8 provides the trends in the contribution of cultured shrimps, in terms of quantity to shrimp exports from country during the last 7 years. The figures illustrates that there is an increase in contribution of aquaculture to shrimp export both in absolute terms as well as in percentage share.

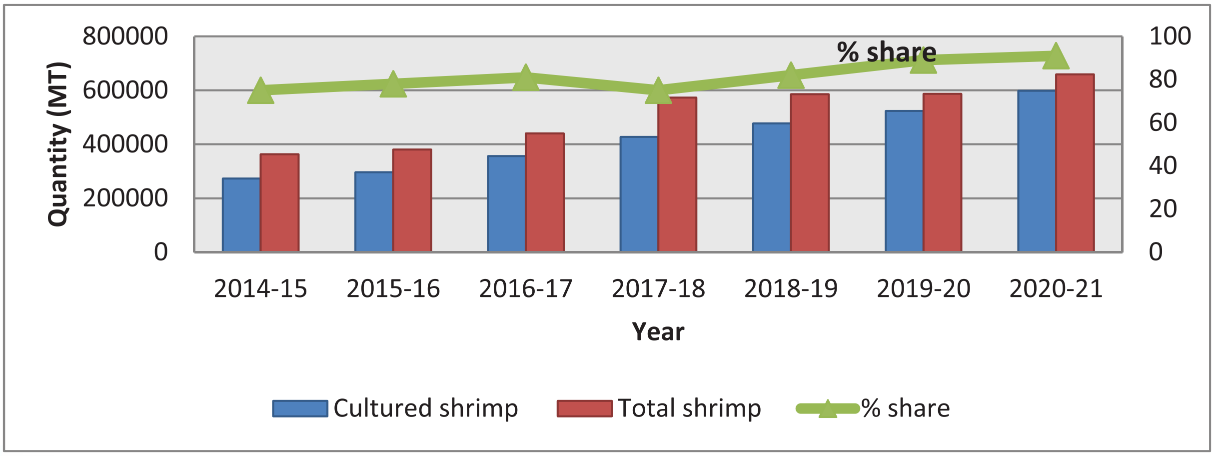

Fig. 8 Progress in contribution of aquaculture to shrimp exports

7.1.3. Production of Other exportable varieties of fish and shellfish.

Mangrove Crab, Sea bass, Tilapia (GIFT) and Pangassius are reported by the field offices as the other species commercially cultured in their respective regions. During the year under report, field offices have reported a total production of 1,96,816.455 MT of diversified species, which included 4,519.05 MT of Mangrove Crab, 3,625.775 MT of Sea bass, 6,473.33 MT of Tilapia, and 1,82,198.30 MT of Pangasius.

और 1,82,198.30 मीट्रिक टन पैंगेसियस शामिल हैं। निर्यात के लिए मत्स्य और शंख की विविध प्रजातियां अभी भी विकासशील चरणों में हैं। कॉरपोरेट निकायों की भागीदारी से बड़े पैमाने पर विकास संभव हो सकता है जो हैचरी, खेतों और प्रसंस्करण संयंत्रों सहित मत्स्य और शंख की निर्यात योग्य किस्मों की एकीकृत इकाइयों की स्थापना में निवेश कर सकते हैं। विविध निर्यातोन्मुख प्रजातियों के उत्पादन का विवरण नीचे तालिका 19 में दिया गया है।

तालिका 19: 2020-21 के दौरान अन्य निर्यात योग्य प्रजातियों का राज्यवार कृषि उत्पादन

राज्य	केकड़ा		सी बास		तिलापिया		पंगासियस	
	क्षेत्र (हेक्टेयर)	मात्रा (मी.टन)	क्षेत्र (हेक्टेयर)	मात्रा (मी.टन)	क्षेत्र (हेक्टेयर)	मात्रा (मी.टन)	क्षेत्र (हेक्टेयर)	मात्रा (मी.टन)
पश्चिम बंगाल	1,230	1,830	14,035	1,280	6,032	1,471	1,230	885
ओडिशा	1,049	576	262	154	258	160	131	54
आंध्र प्रदेश	1,567.7	1,709	887.5	1,864	0	25	15,219	1,80,192
तमिलनाडु	39.5	22.25	61	111.45	121.4	218	22	138
केरल	120.9	8	2	21.95	227.5	230.08	159.6	150.55
कर्नाटक और गोवा	16	8	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	0	365.8	0	194.375	61.8	4,369.25	85	777.6
गुजरात	0	0	0	0	0	0	1	1.1
कुल	**4,023.1**	**4,519.05**	**15,247.5**	**3,625.77**	**6,700.7**	**6,473.33**	**16,847.6**	**1,82,198.3**

7.2 संवर्धनात्मक कार्यकलाप

जलकृषि अनुभाग ने निर्यात बढ़ाने हेतु अतिरिक्त कच्चे माल का उत्पादन करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एमपीईडीए की वित्तीय सहायता और संवर्धनात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन जारी रखा। संवर्धनात्मक कार्यकलापों में प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, सेमिनार और कृषक सम्मेलन शामिल हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन और संवर्धनात्मक कार्यकलापों में प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए फील्ड केन्द्रों द्वारा योजना,अनुमोदन और सख्त निगरानी, आवश्यकताओं का अनुपालन, विभिन्न राज्य सरकारों एवं अन्य केन्द्र सरकार के अन्य संस्थानों, वित्तीय एवं बीमा एजेन्सियाँ,राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और जलकृषि क्षेत्र के पणधारी के साथ निरंतर संपर्क शामिल हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष ने निर्यात के लिए बढ़े हुए जलकृषि उत्पादन के रूप में अच्छे परिणाम प्राप्त किए। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण देश से कुल निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों ने विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए 2567 क्षेत्र का दौरा किया है।

अनुलग्नक-1 वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय प्रभागों द्वारा किए गए संवर्धनात्मक कार्यकलापों और योजनाओं के कार्यान्वयन की उपलब्धियों के विवरण देता है।

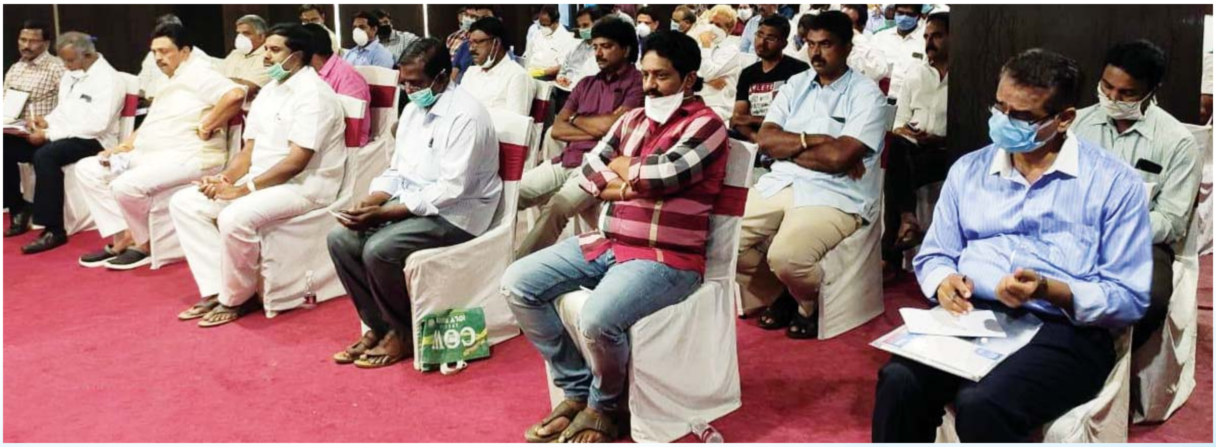

भीमावरम में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उप क्षेत्रीय प्रभाग भीमावरम द्वारा आयोजित कच्चे माल के मूल्य संबन्धित मुद्दों को निपटाने के लिए किसान और निर्यातक बैठक

The production of diversified species of fish and shellfish for export is still in the developing stages. Large scale development can be possible with the involvement of corporate bodies who can invest in setting up integrated units of exportable varieties of fish and shellfish including hatcheries, farms and processing plants. Details of production of diversified export oriented species are given in the table 19 below.

Table 19: State-wise culture production of other exportable species during 2020-21

State	Crab		Sea bass		Tilapia		Pangasius	
	Area (Ha)	Qty (MT)	Area (Ha)	Qty (MT)	Area (Ha)	Qty (MT)	Area (Ha)	Qty (MT)
West Bengal	1,230	1,830	14,035	1,280	6,032	1,471	1,230	885
Orissa	1,049	576	262	154	258	160	131	54
Andhra Pradesh	1,567.7	1,709	887.5	1,864	0	25	15,219	1,80,192
Tamil Nadu	39.5	22.25	61	111.45	121.4	218	22	138
Kerala	120.9	8	2	21.95	227.5	230.08	159.6	150.55
Karnataka & Goa	16	8	0	0	0	0	0	0
Maharashtra	0	365.8	0	194.375	61.8	4,369.25	85	777.6
Gujarat	0	0	0	0	0	0	1	1.1
TOTAL	**4,023.1**	**4,519.05**	**15,247.5**	**3,625.77**	**6,700.7**	**6,473.33**	**16,847.6**	**1,82,198.3**

7.2 Promotional Activities

Aquaculture Section continued to implement financial assistance and promotional schemes of MPEDA, through its field offices, as a part of the objective to generate additional raw material for augmenting export. The promotional activities include trainings, awareness programs, seminars and farmers meet. The implementation of the schemes and promotional activities involved planning, approval and close monitoring of the field centres for effective and time bound implementation, complying with the requirements, continuous liasoning with various State Governments, other Central Government establishments, Financial and Insurance agencies, national and international organizations and stakeholders of aquaculture sector. The year under report yielded good outcome in the form of increased aquaculture production for exports. However, the overall export from country is adversely affected due to Covid -19 pandemic. During the year under report, field officers have undertaken 2567 field visits for various promotional activities.

Annexure 1 depicts the details of achievement of implementation of promotional activities and schemes by the Regional and Sub Regional Divisions during the year 2020-21.

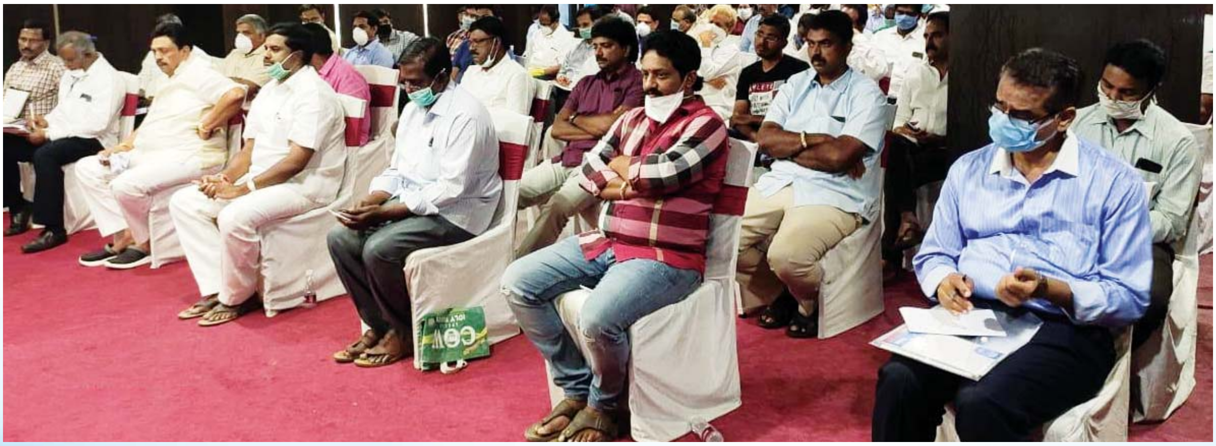

Farmers & Exporters meet to address the price issues of raw materials conducted by SRD Bhimavaram along with State government officials at Bhimavaram

वन्नेचिन्थलपुडी, अमलापुरम मंडल पूर्वी गोदावरी जिले में एंटीबायोटिक्स, बीएमपी और विविधीकरण पर किसान बैठक।

धर्मापुरम अग्रहारम, अकीवीडु मंडल, पश्चिम गोदावरी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को एमपीईडीए द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय प्रभाग वलसाड द्वारा 18-02-2021 से 22-01-2021 तक खंभाट-गुजरात में पर्यावरण अनुकूल और चिरस्थाई श्रिम्प कृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्घाटन भाषण श्री. मारुति डी यालीगर, उप निदेशक।

7.3 पी एच टी प्रणाली के तहत जीआईएस मैंपिंग के साथ जलकृषि फार्मों और हैचरियों का नामांकन

एमपीईडीए के पास निर्यातोन्मुख प्रजातियों का पता लगाने की क्षमता रिकॉर्ड करने के लिए जलकृषि फ़ार्मों और हैचरियों के नामांकन के लिए एक स्वैच्छिक योजना है। प्रत्येक फार्म को एक विशिष्ट प्रणाली जनित कृषि पहचान संख्या के साथ टैग किया जाता है। फार्मों को दस्तावेजों के सत्यापन और खेतों के क्षेत्र सत्यापन के बाद नामांकित किया जाता है, जिसमें अत्यधिक सटीक तरीके से जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) डिवाइस का उपयोग करके खेत के भौगोलिक निर्देशांक रिकार्ड करने की प्रक्रिया और मुख्यालय स्तर पर आगे का सत्यापन शामिल है। नामांकित खेतों को प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं की उपस्थिति की जांच के लिए प्री हार्वेस्ट टेस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 2,494 नए खेतों को नामांकित किया गया है और 4970 खेतों को स्तर 2 सत्यापन के लिए अनुमोदित किया गया था। कुल 74,599 खेतों को अब तक एमपीईडीए के साथ नामांकित किया गया है, जिसमें 1,80,726.07 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र (जल प्रसारित क्षेत्र) है और इसमें से 50,144 खेतों को स्तर 2 सत्यापन के बाद अनुमोदित किया गया है।

भारत में कुल 420 हैचरी में से, एमपीईडीए ने आवश्यक उन्नयन पर 26,956.5 मिलियन वार्षिक उत्पादन क्षमता के 373 श्रिम्प/ स्कैम्पी हैचरी को नामांकित किया है। यह भी एक स्वैच्छिक योजना है जैसा कि जलकृषि फार्मों के मामले में होता है। सभी एक्वा फार्म और हैचरी को एमपीईडीए के डेटाबेस में लाने के प्रयास जारी हैं। 2020-21 के दौरान 1,164 मिलियन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली 16 हैचरियां एमपीईडीए के साथ पंजीकृत थीं।

Farmers meet on Antibiotics, BMP's and Diversification at Vanne chinthalapudi, Amalapuram Mandal East Godavari District.

SC/ST farmers of Dharmapuram Agraharam, Akiveedu Mandal, West Godavari being trained by MPEDA

Training program on Ecofriendly and sustainable shrimp farming by RD Valsad-held from 18-22nd January 2021at Khambhat, Gujarat - Inaugural address by Shri. Maruti D Yaligar, Deputy Director

7.3 Enrolment of Aquaculture farms and hatcheries with GIS Mapping under PHT System

MPEDA has a voluntary scheme for enrolment of aquaculture farms and hatcheries to record traceability of export oriented species. Each farm is tagged with a unique system generated farm identification number. The farms are enrolled after verification of documents and field verification of farms including the process of recording geographical coordinates of the farm using a highly accurate handheld GPS (Global Positioning System) device and a further verification at the head office level and generation of kml files. The enrolled farms are linked with Pre Harvest Test Certification System to screen the presence of banned antibiotics. A total of 2,494 new farms have been enrolled during the financial year and 4970 farms were approved for level 2 verification. Total 74,599 number of farms have so far been enrolled with MPEDA, with a farming area (Water Spread Area) of 1,80,726.07 Ha and out of this 50,144 farms have been approved after level 2 verification.

Out of the total 420 hatcheries in India, MPEDA has enrolled 373 shrimp / Scampi hatcheries of annual production capacity 26,956.5 Million upon necessary up gradations. This is also a voluntary scheme as in the case of aquaculture farms. Efforts to bring all aqua farms and hatcheries in the database of MPEDA are continued. There were 16 hatcheries with annual production capacity of 1,164 Million enrolled with MPEDA during 2020-21.

तालिका 20: 31.03.2021 तक जलकृषि फार्म और हैचरी के नामांकन की स्थिति

क्र.	राज्य	फार्म नामांकन		हैचरि नामांकन (संख्या / उत्पादन क्षमता मिलियन में)	
सं.		संख्या	डब्ल्यू एस ए (है.)	कुल	उत्पादन क्षमता
1	अंदमान और निकोबार	-	-	2	330
2	आंध्र प्रदेश	47,779	68,865.939	240	19,323
3	दमन और दीव	12	38.4	-	-
4	गोवा	36	77.62	1	25
5	गुजरात	1,166	4,176.87	7	735
6	कर्नाटक	450	512.588	4	125
7	केरल	2,428	8,108.98	25	585
8	महाराष्ट्र	399	1,337.331	-	-
9	उड़ीसा	7,763	6,261.93	24	1,055
10	पुदुचेरी	28	38.88	-	-
11	तमिलनाडु	2,549	4,934.52	70	4,778.50
12	पश्चिम बंगाल	11,989	86,373.02	-	-
	कुल	**74,599**	**1,80,726.07**	**373**	**26,956.50**

पिछले वर्ष 41,583 नामांकन कार्ड छपे और कृषकों के बीच वितरित किए गए। एक्वाकल्चर फार्म के लिए अन्य 6,081 कार्ड और श्रिम्प हैचरी के लिए 30 कार्डों के मुद्रण के लिए आदेश जारी किया गया है। नामांकन कार्डों के मुद्रण के लिए वैधता वाले, स्तर 2 के स्वीकृत फार्मों पर विचार किया जाता है।

पट्टे पर दिए गए फ़ार्मों और स्वयं के फार्मों के नामांकन कार्ड क्रमशः चांदी और सुनहरे रंग के होते हैं और वर्ष 2020-21 के दौरान मुद्रणाधीन कार्डों का विवरण नीचे दिया गया है

तालिका 21. 2020-21 के दौरान मुद्रित और वितरित किए गए नामांकन कार्डों की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	मार्च में नामांकन कार्ड मुद्रित करने के लिए दिए				कुल योग
		फार्म			हैचरियाँ	
		गोल्ड	सिल्वर	कुल	गोल्ड	
1	आंध्र प्रदेश	4,139	604	4,743	97	4,840
2	गुजरात	61	153	214	3	217
3	कर्नाटक	13	20	33	2	35
4	केरल	47	17	64	2	66
5	महाराष्ट्र	101	42	143	-	143
6	ओडिशा	697	10	707	18	725
7	तमिल नाडू	164	17	181	27	208
8	पश्चिम बंगाल	1,350	731	2,081	-	-
	कुल	**6,572**	**1,594**	**8,166**	**149**	**8,315**

सत्यापित जीपीएस डेटा से उत्पन्न डेटाबेस में अन्य कृषि विशेषताओं के साथ खेतों/तालाबों की ज्यामितीय सीमाओं को दर्शाने वाली किमीएल फाइलें/डिजिटल स्केच संबंधित फील्ड कार्यालयों, एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाओं और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं फसल पूर्व परीक्षण प्रमाण पत्र (पीएचटी) जारी करते समय नमूना संग्रह की निगरानी के लिए भेजे गए थे।

Table 20: Status of enrollment of aqua farms and hatcheries as on 31.03.2021

Sl.	State	Farm Enrolment		Hatchery Enrolment (Nos. / Production Capacity in Million)	
No.		Nos.	WSA (Ha.)	Total	Production Capacity
1	Andaman& Nicobar	-	-	2	330
2	Andhra Pradesh	47,779	68,865.939	240	19,323
3	Daman & Diu	12	38.4	-	-
4	Goa	36	77.62	1	25
5	Gujarat	1,166	4,176.87	7	735
6	Karnataka	450	512.588	4	125
7	Kerala	2,428	8,108.98	25	585
8	Maharashtra	399	1,337.331	-	-
9	Odisha	7,763	6,261.93	24	1,055
10	Puducherry	28	38.88	-	-
11	Tamil Nadu	2,549	4,934.52	70	4,778.50
12	West Bengal	11,989	86,373.02	-	-
	Total	**74,599**	**1,80,726.07**	**373**	**26,956.50**

There were 41,583 enrolment cards printed and distributed among the farmers in the previous years. Order has been issued for printing of another 6,081 cards for aquaculture farms and 30 cards for shrimp hatcheries. The Level 2 approved farms with validity are considered for printing of enrolment cards.

The Enrolment Cards of leased farms and own farms are characterized by Silver and Golden color respectively and the details of cards printed and distributed during 2020-21 are given below:

Table 21: Status of enrollment cards printed and distributed during 2020-21

Sl. No.	State	Undergoing enrolment card printing in March				Grand Total
		Farms			Hatcheries	
		GOLD	SILVER	Total	GOLD	
1	Andhra Pradesh	4,139	604	4,743	97	4,840
2	Gujarat	61	153	214	3	217
3	Karnataka	13	20	33	2	35
4	Kerala	47	17	64	2	66
5	Maharashtra	101	42	143	-	143
6	Odisha	697	10	707	18	725
7	Tamil Nadu	164	17	181	27	208
8	West Bengal	1,350	731	2,081	-	-
	TOTAL	**6,572**	**1,594**	**8,166**	**149**	**8,315**

The kml files/digital sketches showing the geometric boundaries of farms/ponds along with other farm characteristics in the database generated from the verified GPS data and viewable in Google earth application were sent to respective field offices, ELISA screening laboratories and Quality control laboratories to monitor sample collection while issuing Pre- Harvest Test Certificates (PHT).

स्थान बेमेल आदि के कारण पीएचटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फार्मों से एकत्र किए गए नमूनों के संबंध में एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाओं द्वारा संदर्भित विभिन्न प्रश्नों का विश्लेषण किया गया और संबंधित प्रयोगशालाओं को समय-समय पर सलाह दी गई।

7.3.1 हैचरी का नामांकन और त्रैमासिक निगरानी

समुद्री राज्यों में श्रिम्प हैचरी का नामांकन प्रगति पर था। 2020-21 के दौरान, वार्षिक उत्पादन क्षमता 1164 मिलियन (आंध्र प्रदेश-8; तमिलनाडु-3; ओडिशा-1; गुजरात-1 और केरल-3) की 16 हैचरी का एमपीईडीए द्वारा नामांकन किया गया था। नामांकन के लिए इन-हाउस डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं और अपशिष्ट उपचार इकाइयों और जैव सुरक्षा उपायों की स्थापना करने वाली हैचरी पर विचार किया जा रहा था।

गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के भाग के रुप में, क्षेत्रीय केंद्र त्रैमासिक निगरानी कार्यक्रम के तहत हैचरियों का निरीक्षण तथा रोगकारक रोगजनकों की उपस्थिति एवं औषधीय रुप से सक्रिय तत्वों तथा प्रतिबंधित प्रतिजैविकियों के अवशिष्ट की गुणवत्ता जांच के लिए त्रैमासिक आधार पर बीज नमूने एकत्रित कर रहे हैं। अधिकारियों ने पंजीकृत हैचरी की त्रैमासिक निगरानी कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान 352 हैचरियों का मुआयना किया।

7.4 एन आर सी पी नमूने

जलकृषि उत्पादों में पशुचिकित्सा दवाओं और पर्यावरण संदूषकों के अवशिष्टों की उपस्थिति के मॉनिटरिंग, फार्म से उपभोक्ता तक सुरक्षित उत्पाद की गैरंटी हेतु उत्पादन के विविध चरणों में जलकृषि उत्पादों के संपूर्ण मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अवशिष्ट नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) का गठन किया गया। निर्यात उद्देश्य के लिए उत्पादन करने वाले जलकृषि फार्मों, हैचरियों और चारा मिलों से क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय केन्द्रों ने विश्लेषण हेतु नमूने एकत्र किए। निर्धारित सीमा से अधिक संदूषकों का पता लगाने की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई की प्रणाली स्थापित करने हेतु श्रिम्प, स्कैंपी, मीठा जल मत्स्य फार्मों तथा हैचरियों की मॉनिटरिंग की गई। तदुनसार वर्ष 2020-21 के दौरान क्षे प्र / उ क्षे प्र ने विश्लेषण के लिए 7,490 एनआरसीपी नमूने एकत्रित किए, इनमें 53 नमूने (0.70%) गैर-स्वीकृत पाए गए, गैर-अनुपालन इकाइयों के मामले में, संदूषण के स्रोत का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय जांच सहित आरडी/एसआरडी द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई, जिसके बाद का संग्रह किया गया। आगे के विश्लेषण के लिए एक ही फार्म और हैचरी से नमूने दोहराएं।

कृषि मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी (एमपीआरएनएल)" के तहत कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण के लिए विभिन्न बाजारों से 334 नमूने भी एकत्र किए गए थे।

7.5. एक्वाकल्चर के विविधीकरण पर प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

तिलापिया (गिफ्ट), कीचड़ केकड़ा, कोबिया, पोम्पानो आदि जैसे फिन तथा शेल फिशों के निर्यात योग्य विभिन्न प्रकार के कल्चर उत्पाद के लिए नई जलकृषि प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए जलकृषि में नए विविधीकरण शुरु किया गया है। इन कार्यक्रमों के लिए बीज राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर (आरजीसीए) और मल्टी स्पीशीज एक्वाकल्चर कॉम्प्लेक्स (एमएसी) वल्लारपाडम, कोच्चि से खरीदे गए थे। वर्ष के दौरान विविध प्रजातियों जैसे मड कैब, तिलापिया (गिफ्ट) और सीबास पर ग्यारह प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

जारी रहे 11 प्रदर्शनों में से 4 परियोजना सामग्री (केरल में सीबास नर्सरी पालन परियोजना, भीमावरम और केरल में गिफ्ट कल्चर परियोजना और विजयवाड़ा में कीचड़ केकड़ा (मड कैब)कल्चर परियोजना) सफलतापूर्वक पूरी की गईं। बिक्री से होने वाली आय का 20% हिस्सा अनुबंध के अनुसार एमपीईडीए खाते में जमा कर दिया गया है। अन्य डेमो कार्यक्रम प्रगति पर हैं।

Various queries referred by ELISA Screening Laboratories regarding samples collected from farms for the issue of PHT certificate due to location mismatch etc. were analyzed and the concerned laboratories were advised periodically.

7.3.1 Enrollment and quarterly monitoring of hatcheries

Enrollment of shrimp hatcheries in maritime states was in progress. During 2020-21, 16 hatcheries of annual production capacity 1164 million (Andhra Pradesh – 8; Tamil Nadu – 3; Odisha–1; Gujarat -1 and Kerala-3) were enrolled by MPEDA. Hatcheries that have established in-house diagnostic laboratories and effluent treatment units and bio-security measures were being considered for enrollment.

As part of the quality control measures, field centers have been inspecting the hatcheries under quarterly monitoring programme and collecting seed samples on quarterly basis for quality checks for the presence of disease causing pathogens and residue of banned antibiotics and pharmacologically active substances. The officials of the field offices had 352 visits to hatcheries for monitoring during the year under the programme for quarterly monitoring of registered hatcheries.

7.4 N R C P Samples

National Residue Control Plan (NRCP) is formulated for monitoring the presence of residues of veterinary drugs and environmental contaminants in aquaculture products, to ensure an overall monitoring of the aquaculture products at different stages of production to guarantee safe products from farm to fork. The Regional and Sub Regional divisions covered aquaculture farms, hatcheries and feed mills, which are involved in production for export purpose, and collected samples for analyses. Monitoring was carried out in shrimps, scampi, freshwater fish farms and hatcheries to establish a system of corrective action in the case of detection of contaminants, higher than the prescribed limits. Accordingly, the RD/SRDs collected 7,490 NRCP samples for analysis during the year 2020-21. Out of which 53 samples (0.70%) were found to be non-compliant, in case of non-compliant units, follow up actions were initiated by the RD/SRDs including field investigations to trace out the source of contamination, followed by collection of repeat samples from the same farm and hatcheries for further analysis.

334 samples were also collected from different markets for the analysis of pesticide residues under the project “Monitoring of Pesticide Residue at National Level” (MPRNL) funded by Ministry of Agriculture.

7.5. Transfer of Technology through Demonstration Programmes on Diversification of Aquaculture

Diversification in aquaculture by popularizing new aquaculture technologies for culture production of exportable variety of fin and shell fishes, viz; Tilapia (GIFT), Mud crab and Sea bass was carried out. The technology developed by RGCA is adopted in various demonstration programmes conducted by the RD/SRDs. The seeds for these programmes were procured from Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA) & Multi species Aquaculture Complex (MAC) Vallarpadam, Kochi. Eleven demonstration programmes were undertaken during the year on diversified species such as Mud Crab, Tilapia (GIFT) and Sea bass.

Out of the 11 ongoing demos, 4 projects (Sea bass Nursery rearing project in Kerala, GIFT Culture Projects in Bhimavaram & Kerala, and Mud crab culture project in Vijayawada) were completed successfully. 20 % share of the income from the sales has been credited to MPEDA account as per agreement. The other demo programmes are under progress.

7.6. वित्तीय सहायता योजनाओं का कार्यान्वयन

एमपीईडीए द्वारा कृषकों /उद्यमियों को कृषि आधारिक संरचना के विकास (एमटीसी), हैचरी और फार्म के प्रमाणन और नाक्सा के तहत पंजीकृत जलकृषि कृषक सोसाइटियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

7.6.1. प्राथमिक उत्पादन का प्रमाणन (एमटीसी): 53 सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 143.77 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई थी और एक अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थी को ₹ 3.31लाख की सहायता जारी की गई।

7.6.2. सोसाइटी के लिए नाक्सा सहायता के माध्यम से क्लस्टर कृषि विकास

भागीदारी दृष्टिकोण, क्षमता निर्माण, प्राथमिक उत्पादकों के सशक्तिकरण, बेहतर सेवा प्रावधान की सुविधा, पणधारकों के बीच बातचीत आदि के माध्यम से उत्पादन, उत्पादकता और रिटर्न में सुधार के लिए एक्वा फार्म में बेहतर प्रबंधन प्रथाओं (बीएमपी) का पालन करने के लिए एक्वा सोसायटी की स्थापना की गई है। स्टार्टअप अनुदान के रूप में 17 पंजीकृत सोसायटियों को ₹ 8.5 लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई और कृषि अवसंरचना (जैव सुरक्षा और उपकरण) की स्थापना के लिए 11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषक समितियों को ₹ 112.6 लाख की सहायता वितरित की गई; और सामान्य श्रेणी के किसानों की 10 एक्वा जलकृषि कृषक कल्याण समितियों को ₹ 69.17 लाख की सहायता भी दी गई। इसके अलावा, नाक्सा ने रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान भारत के विभिन्न तटीय राज्यों में 51 सोसायटियों का समूह बनाया और कृषि उत्पादों के आसान विपणन के लिए ई-सन्ता प्लेटफॉर्म की शुरुआत की।

7.7. जलकृषि विकास कार्यकलापों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निधि का उपयोग।

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान ₹ 9.98 करोड़ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजना निधि के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस निधि का उपयोग जलकृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए और क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाकर और विविध प्रजातियों पर प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करके क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। योजनाओं को विभिन्न समुद्री राज्यों में एमपीईडीए के क्षेत्रीय कार्यालयों और आरजीसीए, नाक्सा और नेटफिश जैसी एमपीईडीए की समितियों के माध्यम से लागू किया गया था। इस योजना के तहत कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाएं इस प्रकार हैंऊ

1. ₹ 75 लाख की सहायता से एल. वन्नामी श्रिम्प पालन के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए गुंटूर जिले के एक गांव निर्मला नगर को गोद लिया।
2. ₹ 15 लाख की सहायता से कोलकाता में फिश माव प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना।
3. ₹ 1 करोड़ की सहायता से देश भर में अपनी कल्चर प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए विविध प्रजातियों पर 11 प्रदर्शन आयोजित किए।
4. नाक्सा ने ₹ 90.30 लाख की राशि से 3 एक्वा वन केंद्र स्थापित किए।
5. नाक्सा द्वारा 18 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सोसायटियों को ₹ 185.6 लाख की सहायता प्रदान की गई है।
6. ₹ 221.25 लाख की राशि से 2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सोसायटी के लिए क्रॉस ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है।
7. इस योजना के तहत केरल में ₹ 10 लाख की कुल सहायता से दो गिफ्ट नर्सरी की स्थापना की।
8. नेटफिश ने मत्स्यन उपकरणों की आपूर्ति की है और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के मछुआरा समुदाय के आजीविका मानकों में सुधार के लिए मत्स्य सुखाने वाली सौर इकाइयों की स्थापना की है।
   आरजीसीए ने विविध जलकृषि कार्यकलापों पर कृषकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।
9. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए पीएचटी शुल्क की प्रतिपूर्ति:** - एमपीईडीए ने प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के लिए फसल की जांच करके फार्म नामांकन कार्यक्रम और पीएचटी प्रमाणीकरण शुरू किया है। यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात के लिए उत्पादित श्रिम्प के कच्चे माल के लिए पीएचटी प्रमाणन एक अनिवार्य आवश्यकता है। वर्तमान में पीएचटी प्रमाणन के लिए एमपीईडीए

7.6. Implementation of financial assistance schemes

MPEDA extended financial support to the farmers/entrepreneurs for farm infrastructure development (MTC), Certification of hatcheries and farms and to the registered aqua farmer's societies under NaCSA.

7.6.1. Certification of primary production (MTC)

Financial assistance of ₹ 143.77 lakh was extended to 53 numbers of general category beneficiaries and an assistance of ₹ 3.31 lakh was extended to two numbers of SC category beneficiaries.

7.6.2. Cluster farming development through NaCSA-Assistance to Societies

Aqua Societies are established to follow Better Management Practices (BMPs) in Aqua farms to improve production, productivity and returns through participatory approach, capacity building, empowerment of primary producers, facilitating improved service provision, interaction among stakeholders etc. Financial assistance in the form of startup grant is extended to 17 numbers of registered societies to the tune of ₹ 8.5 lakh and assistance of ₹ 112.6 lakh was disbursed to 11 number of SC/ST category farmers' societies for establishing farm infrastructure (Biosecurity and equipment); and also assistance of ₹ 69.17 lakh was extended to 10 number of aqua farmers welfare societies of general category farmers'. Besides, NaCSA had clustered 51 societies in different coastal states of India during the year reported and initiated E-SANTA platform for the easy marketing of farm produce.

7.7. SC/ST fund utilization for Aquaculture Development activities.

During the year under report, an amount of ₹ 9.98 Cr has been received as SC/ST scheme fund. This fund has been effectively utilized for development of infrastructure facilities in the aquaculture sector and to promote the sector by making capacity building programmes and by organizing demonstration programmes on diversified species. The schemes were implemented through the Field Offices of MPEDA in various maritime states and through the Societies of MPEDA like RGCA, NaCSA and NETFISH. The major projects implemented under this scheme are as follows

1. Adoption of a village Nirmala Nagar in Guntur District for developing infrastructure facilities for L. vannamei shrimp farming with the assistance of ₹ 75 lakh.
2. Establishment of a fish maw processing plant in Kolkata with ₹ 15 lakh assistance
3. Organized 11 demonstrations on diversified species for popularizing its culture technology throughout the country with an assistance of ₹ 1 crore.
4. NaCSA established 3 Aqua One Centres for an amount of 90.30 lakh
5. Assistance at a tune of 185.6 lakh has been provided to 18 SC/ST societies by NaCSA.
6. Cross over bridges has been constructed for 2 SC/ST Societies with an amount of ₹ 221.25 lakh.
7. Established two GIFT Nurseries in Kerala under this scheme with a total assistance of ₹ 10 lakh.
8. NETFISH has supplied fishing equipments and established solar fish drying units to improve the lively hood standards of fishermen community belongs to SC/ST .

   RGCA organized hands on training programmes for farmers on diversified aquaculture activities.
9. **Reimbursement of PHT fee for SC/ST Farmers: -** MPEDA has introduced the farm enrolment program and the PHT certification by screening the crop for banned antibiotics. The PHT Certification is a mandatory requirement for farmed shrimp raw material produced for export

एलिसा लैब द्वारा सभी जलकृषि कृषकों से ₹ 3000 से अधिक लागू जीएसटी और उपकर का शुल्क लिया जाता है। किसान समुदाय के छोटे पैमाने पर और कमजोर वर्ग को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए मूल पीएचटी परीक्षण शुल्क (जीएसटी और उपकर को छोड़कर) के 75% की प्रतिपूर्ति की योजना एमपीईडीए की 139वीं प्राधिकरण बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार 28 जनवरी 2021 से लागू की गई है। यह सुविधा उन सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए लागू है जिनके पास एक हेक्टेयर और उससे अधिक का कृषि क्षेत्र है।

7.8. एमपीईडीए के अधिकारियों द्वारा भाग लिए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम

1. श्री आर्चीमन लहरी, उप निदेशक, क्षे.प्र.कोलकाता ने 28 जुलाई 2020 को एमओएफपीआई द्वारा आयोजित कोलकाता हवाई अड्डे पर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनपुट के संबंध में निर्यातकों के साथ वीसी बैठक में भाग लिया।
2. डॉ के गोपाल आनंद, सहायक निदेशक, उ.क्षे.प्र. भीमावरम ने 4 सितंबर 2020 को भीमावरम में सॉफ्ट शेल केकड़ा कार्यशाला में भाग लिया।
3. डॉ. के. गोपाल आनंद, सहायक निदेशक, उ.क्षे.प्र. भीमावरम ने 13 अक्तूबर 2020 को आयोजित सिंगापुर को लाइव झींगा निर्यात पर वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
4. श्री. विश्वकुमार, सहायक निदेशक ने 13 अक्तूबर 2020 को असमाबी-एमईएस कॉलेज, कोडुंगलूर द्वारा आयोजित बायोफ्लोक पर वेबिनार में भाग लिया।
5. श्री. विश्वकुमार, सहायक निदेशक ने 6 दिसंबर-2020 को सुभिक्षा केरलम सुरक्षापद्धति और सेंट अल्बर्ट्स कॉलेज, एनाकुलम के एक्वाकल्चर प्रमोशन विंग द्वारा आयोजित खाद्य सुरक्षा और रोजगार के लिए बायोफ्लोक प्रौद्योगिकी पर वेबिनार में भाग लिया।
6. डॉ. के. गणेश ने 16 नवंबर-2020 को एनआईटी, कराईकल द्वारा आयोजित जलकृषि के लिए जल गुणवत्ता प्रबंधन पर राष्ट्रीय स्तर की वर्चुअल वर्कशॉप में भाग लिया।
7. डॉ. के. गणेश, सहायक निदेशक ने मत्स्यन दिवस-21 नवंबर 2020 पर 'पोषण सुरक्षा और मात्स्यिकी' पर वर्चुअल पैनल चर्चा में भाग लिया, जो कि एसोसिएशन ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट्स, केरल द्वारा आयोजित किया गया था।
8. श्री. विश्वकुमार, सहायक निदेशक ने 5 मार्च, 2021 को एनआईएफएएम, एर्नाकुलम द्वारा आयोजित व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर वेबिनार में भाग लिया।
9. श्री. बीजीमोन पी, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने 5 मार्च, 2021 को एनआईएफएएम, एर्नाकुलम द्वारा आयोजित व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर वेबिनार में भाग लिया।
10. श्री. आर्चिमन लहरी, उप निदेशक ने 9 फरवरी-2021 को बंगाल फिशर मैन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कृषक सम्मेलन में भाग लिया।
11. श्री अरिवुकारसु के. सहायक निदेशक ने 9 और 10 मार्च-2021 को नेल्लोर में एक्वाकल्चर इंटरनेशनल मैग़जीन द्वारा आयोजित एक्वाकल्चर एक्सपो-2021 में भाग लिया।

7.9. भारत के पहले एक्वा कृषक कॉल सेंटर का उद्घाटन।

भारत के पहले एक्वा कृषक कॉल सेंटर का उद्घाटन श्री के.एस. श्रीनिवास, आईएएस, माननीय अध्यक्ष, एमपीईडीए क्षेत्रीय केंद्र विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 15 दिसंबर 2020 को श्री. कन्नाबाबू, मत्स्य पालन आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार, श्री यू.जोगी आनंद वर्मा, एमपीईडीए के प्राधिकरण सदस्य, श्री वी. बालसुब्रमण्यन, महासचिव, प्रॉन किसान फेडरेशन ऑफ इंडिया और डॉ कार्तिकेयन, एमपीईडीए के निदेशक की उपस्थिति में हुआ।

to EU countries. Presently a fee of ₹ 3000 plus applicable GST & Cess is charged to all Aqua farmers by MPEDA ELISA Labs for PHT Certification. In order to support and encourage small scale and weaker section of the farming community, a scheme for reimbursement of 75% of the basic PHT testing fee (excluding GST & Cess) for SC/ST beneficiaries have been implemented from 28th January 2021 as per the recommendation 139th Authority meeting of MPEDA. This facility is applicable for all SC/ST farmers who have an extent of farming area I ha and above.

7.8. National Programmes attended by Officials of MPEDA

1. Shri. Archiman Lahari, Deputy Director, RD Kolkata attended VC meeting with exporters regarding the inputs for cold chain infrastructure at Kolkata Airport organised by MoFPI on 28th July 2020.
2. Dr. K. Gopal Anand, Assistant Director, SRD Bhimavaram attended soft shell crab workshop at Bhimavram on 4th September 2020.
3. Dr. K. Gopal Anand, Assistant Director, SRD Bhimavaram attended virtual meeting on live shrimp exports to Singapore organised on 13th October 2020
4. Shri. Viswakumar, Assistant Director attended webinar on Biofloc organised by Asmabi-MES College, Kodungaloor on 13th October 2020.
5. Shri. Viswakumar, Assistant Director attended webinar on Biofloc technology for food safety and Employment organised by Aquaculture promotion wing of Subhiksha Keralam Suraksha Padhathi & St. Alberts college, Enakulam on 6th December 2020.
6. Dr. K. Ganesh attended National level virtual Work shop on Water quality management for Aquaculture organised by NIT, Karaikal on 16th November 2020.
7. Dr. K. Ganesh, Assistant Director attended the virtual panel discussion on 'Nutrition security and fisheries' on fisheries day- 21st November 2020, organised by Association of Fisheries Graduates, Kerala.
8. Shri. Viswakumar, Assistant Director participated in the webinar on trainers training program for vocational higher secondary school teachers & instructors organised by NIFAM, Ernakulam on 5th March, 2021.
9. Shri. Bijimon.P, Junior Technical officer attended webinar on trainers training program for vocational higher secondary school teachers & instructors organised by NIFAM, Ernakulam on 5th March, 2021.
10. Shri. Archiman Lahiri, Deputy Director participated in the farmers meet at Bengal fisher men Orientation program on 9th February 2021.
11. Shri. Arivukarasu K. Assistant Director attended Aquaculture Expo-2021 organised by Aquaculture international Magazine at Nellore on 9th & 10th March 2021.

7.9. Inauguration of India's first Aqua farmers' Call Centre.

India's first Aqua farmers' Call Centre was inaugurated by Shri K.S. Srinivas, IAS, Chairman, MPEDA at Regional Centre Vijayawada, Andhra Pradesh on 15th December 2020 in presence of Shri. Kanna Babu, Commissioner of Fisheries, Govt. of Andhra Pradesh, Shri. U. Jogi Anand Varma, Authority member of MPEDA, Shri. V. Balasubramaniyan, General Secretary, Prawn Farmers Federation of India and Dr. Karthikeyan, Director of MPEDA.

आंध्र प्रदेश भारत का जलकृषि हब होने के कारण 75,000 हेक्टेयर से अधिक के जल फैलाव क्षेत्र के साथ 52,000 से अधिक श्रिम्प फार्म हैं। निर्यात योग्य समुद्री उत्पाद का 68% से अधिक आंध्र प्रदेश से था। अनुभवी तकनीकी विशेषज्ञों वाला यह एक्वाकल्चर कॉल सेंटर निश्चित रूप से इस क्षेत्र के कृषकों की तकनीकी कठिनाइयों का समय पर निपटान करेगा। एक्वा कृषकों के मन में बहुत सारी शंकाएं होंगी और कॉल सेंटर के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है। यह एमपीईडीए के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए समर्थन के अलावा जलकृषि क्षेत्र में गुणवत्ता और बीएमपी भी सुनिश्चित कर सकता है। सभी किसानों से अनुरोध है कि विजयवाड़ा में स्थापित 24 घंटे x 7 दिनों के लिए आईवीआरएस सुविधा के साथ टोल फ्री नंबर 1800-425- 4648 का उपयोग करें। कॉल सेंटर वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृषकों के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि यह विजयवाड़ा में स्थापित है जो अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में तकनीकी मुद्दों का समाधान करेगा। अन्य भाषाओं में कॉल को राज्यों के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में री डायरेक्ट किया जा सकता है। वर्तमान में यह 24 पोर्ट के साथ एक पी आर आई कनेक्शन है जो 24 फोन को जोड़ता है री डायरेक्ट। कॉल को एक साथ 3 व्यक्ति उठा सकते हैं और आवश्यकता के आधार पर एक साथ उत्तर देने के लिए इसे 24 एक्सटेंशन तक विस्तारित करने का प्रावधान है।

(एमपीईडीए एक्वा फार्मर्स कॉलसेंटर)

श्री के एस श्रीनिवास, अध्यक्ष, भा प्र से, एमपीईडीए ने आंध्रप्रदेश के क्षेत्रीय प्रभाग, विजयवाड़ा में भारत के पहले एक्वाफार्मर्स कॉल सेंटर का उद्घाटन किया।

Andhra Pradesh being the aquaculture hub of India has more than 52,000 numbers of shrimp farms with Water Spread Area of above 75,000 Ha. More than 68 % of the exportable marine product was from Andhra Pradesh. This aquaculture call centre with experienced technical experts will surely address the technical difficulties of the farmers in this sector by timely addressing the issues. Aqua farmers will have so many doubts and can be cleared through call centre. It can also ensure quality and BMPs in aquaculture sector in addition to the supports extended by MPEDA's field offices. All the farmers are requested to make use of the Toll Free Number 1800-425- 4648 with IVRS facility for 24 hrs X 7 days established at Vijayawada. The Call Centre is presently more useful to the Farmers of Andhra Pradesh, as it is set up in Vijayawada which will address the technical issues in English, Telugu and Hindi. The calls in other languages can be redirected to the concerned field offices of the States. Presently it is a PRI CONNECTION with 24 ports to connect 24 phones. The calls can be simultaneously attended by 3 persons and there is provision to expand it to 24 extensions to answer simultaneously based on requirement.

(MPEDA AQUA FARMERS CALLCENTRE)
Shri K S Srinivas IAS, Chairman MPEDA has inaugurated India's first Aquafarmers' Call Centre in Andhra Pradesh at its Regional Division, Vijayawada.

24 घंटे x 7 दिन टोल फ्री नंबर 1800-425-4648 पर एक्वा कृषक मार्गदर्शन के लिए कॉल कर सकते हैं

7.10 गुंटूर जिले में निर्मला नगर का दौरा

डीएपीएससी योजना के एक भाग के रूप में, अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेपल्ले के निर्मला नगर के पोथुमेरका गांव का दौरा किया और गांव की कृषि प्रथा के बारे में किसानों के साथ चर्चा की। किसानों ने बताया कि निर्मला नगर के सभी 110 एक्वा कृषक अनुसूचित जनजाति श्रेणी के हैं। कृषक गांव और खेतों में बिजली नहीं होने के कारण वे जलकृषि नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि श्रिम्प पालन के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पानी महत्वपूर्ण है। कृषक उपरी पानी की सतह में 10,000-20,000 टाइगर के बीज का भंडारण करके और लगभग 35 किलोग्राम प्रति फसल प्राप्त करके खेतों का रखरखाव कर रहे थे, सिर्फ जमीन को सुरक्षित रखने के लिए ताकि यह मैंग्रोव विकास के साथ वनाच्छादित नहीं हो। कुछ ने क्षेत्र में केकड़े को मोटा करने प्रयोग किए हैं और पानी पंप करने, पानी की समस्या और वातन प्रदान करने के लिए बिजली कनेक्शन की कमी के कारण सभी प्रयास व्यर्थ हो गए।

निर्मला नगर कृषि क्षेत्रों में अध्यक्ष का दौरा।

अध्यक्ष ने अनुसूचित जनजाति के किसान श्री पी. राजशेखर के तालाब में निर्मला नगर, पोथुमेराका गांव, रेपल्ले मंडल, गुंटूर जिले में केकड़ा प्रदर्शन परियोजना का भी दौरा किया, जिसे ₹ 3.5 लाख प्रदर्शन की लागत के लिए एमपीईडीए द्वारा वित्त पोषित किया गया था। प्रदर्शन 6 नवंबर-2020 को शुरू हुआ और केकड़ों का वजन 560 ग्राम था। डॉ. एस. कंडन, परियोजना निदेशक, आरजीसीए ने केकड़ों के स्वास्थ्य और वृद्धि का आकलन किया।

अध्यक्ष निर्मला नगर, पोथुमेराका गांव, रेपल्ले मंडल, गुंटूर जिले में केकड़ा प्रदर्शन परियोजना का अवलोकन करते हुए

अध्यक्ष ने निर्मला नगर में एक्वा किसानों के एक छोटे सम्मेलन को संबोधित किया। अध्यक्ष, एमपीईडीए ने किसानों को सूचित किया कि एमपीईडीए निर्मला नगर के सभी किसानों को बिजली, जैव सुरक्षा और जल परीक्षण उपकरण प्रदान करके इस क्षेत्र को जलकृषि में सबसे आगे लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि एमपीईडीए

AQUA FARMERS CAN CALL FOR GUIDANCE -24 HOURS X 7 DAYS AT THE TOLL-FREE NUMBER 1800-425-4648

7.10 VISIT TO NIRMALA NAGAR IN GUNTUR DISTRICT

As a part of DAPSC scheme, Chairman has visited the hamlet of Nirmala Nagar in Pothumeraka Village, Repalle, Guntur District of Andhra Pradesh and discussed with farmers about the culture practiced in the village. The farmers informed that all the 110 aqua farmers in Nirmala Nagar are belonging to Scheduled Tribe category. They are unable to do aquaculture as there is no electric power in the farming village and farms as quality water in sufficient quantity is important for shrimp farming. The farmers were maintaining the farms by stocking 10,000-20,000 tiger seed in shallow water and getting around 35 kg per crop, just for keeping the land safe so that it will not be forested with mangrove growth. Some have experimented for crab fattening in the area and all efforts became futile due to lack of electric connection for pumping water, water problems and providing aeration etc.

Chairman MPEDA visiting Nirmala Nagar farming areas

The Chairman also visited the Crab Demonstration Project at the pond of a Scheduled Tribe farmer Shri P. Rajasekhar at Nirmala Nagar, Pothumeraka village, Repalle Mandal, Guntur District, which was funded by MPEDA for ₹ 3.5 lakh towards the cost of demonstration. The demonstration started on 6th November 2020 and the crabs weighed 560 gms. Dr. S. Kandan, Project Director, RGCA assessed the health and growth of the crabs.

Chairman MPEDA visiting the Crab Demonstration Project at Nirmala Nagar, Pothumeraka village, Repalle Mandal, Guntur District

Chairman addressed a small gathering of aqua farmers at Nirmala Nagar. Chairman, MPEDA informed the farmers that MPEDA is making all efforts to bring this area to the aquaculture forefront by providing electric power, bio security and water testing devices to all the farmers in Nirmala Nagar. He told that MPEDA is

सहायता प्रदान करने के लिए निर्मला नगर को अपनाने का प्रयास कर रहा है और इस संबंध में जिला कलेक्टर, गुंटूर के साथ गांव को अपनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय योगदान के संबंध में चर्चा की जाएगी ताकि जलकृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

7.11 जलकृषि प्रमाणन के विकास के लिए एमपीईडीए पहल

प्रशीतित श्रिम्प भारत से सबसे बड़ा निर्यातित समुद्री खाद्य है। एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के कारण खेतों से प्राप्त समुद्री खाद्य की परेषण को अस्वीकार करने की घटना भारतीय निर्यातकों के लिए चिंता का विषय है।

राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम (एनआरसीपी) और एमपीईडीए द्वारा कार्यान्वित प्री हार्वेस्ट टेस्ट (पीएचटी) पहलों के अलावा, कृषि उत्पादों में खाद्य सुरक्षा के इस मुद्दे को निपटाने के लिए, एक्वाकल्चर में प्रमाणन योजना का विकास शफरी नाम से किया गया है। (शफरी संस्कृत शब्द का अर्थ है मानव उपभोग के लिए उपयुक्त मत्स्य उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता) एक और मील का पत्थर पहल है।

वैश्विक उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए अच्छी एक्वाकल्चर प्रथाओं (जीएपी) को अपनाने और अच्छी गुणवत्ता वाले एंटीबायोटिक मुक्त श्रिम्प उत्पादों का उत्पादन करने के लिए हैचरी/कृषकों के लिए एक्वाकल्चर के प्रमाणीकरण को बाजार आधारित उपकरण के रूप में प्रस्तावित किया गया था। यह योजना एक्वाकल्चर प्रमाणन पर खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के तकनीकी दिशानिर्देशों पर आधारित है।

प्रमाणन की प्रक्रिया एक वेब पोर्टल (https://aquacert.mpeda.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है ताकि मानवीय त्रुटियों को कम किया जा सके और योजना कार्यान्वयन में उच्च विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

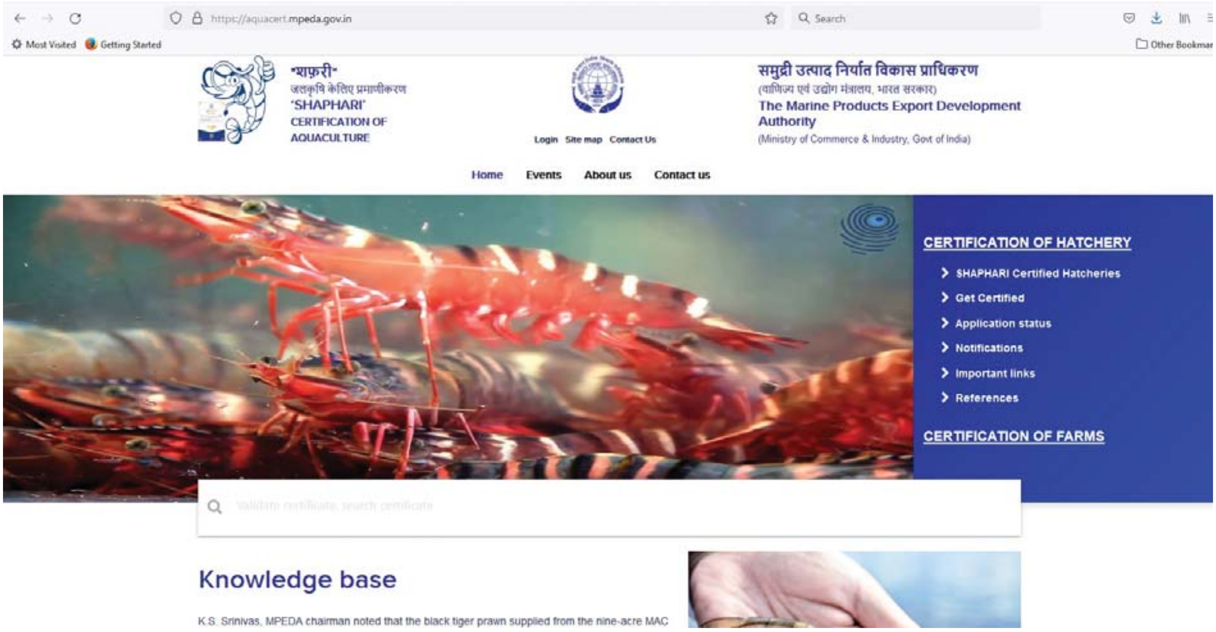

शफरी वेबपोर्टल का होम पेज

'शफरी'-एंटीबायोटिक मुक्त बीजों के उत्पादन के लिए हैचरी का प्रमाणन

अच्छी जलकृषि पद्धतियों के तहत श्रिम्प के बीज के उत्पादन में लगी हैचरी और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट से गुजरने के इच्छुक और श्रिम्प बीज की गुणवत्ता के लिए निगरानी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए सहमत हैं, शफरी प्रमाणन के लिए पात्र हैं। एमपीईडीए की यह योजना किसानों को दूसरों से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज उत्पादकों की पहचान करने में मदद करेगी।

trying to adopt Nirmala Nagar for extending assistance and discussion in this regard will be held with the District Collector, Guntur regarding financial contribution by the State Government for adopting the village so as to enhance of aquaculture production and productivity.

7.11 MPEDA initiative for development of Aquaculture Certification

Frozen shrimp is the largest exported seafood item from India. Incidence of rejection of seafood consignments sourced from farms due to the presence of antibiotic residue is a matter of concern for Indian exporters.

In order to address this food safety issue in farmed produce, apart from National Residue Control Programme (NRCP) and Pre Harvest Test (PHT) initiatives implemented by MPEDA, development of Certification scheme in Aquaculture named as 'SHAPHARI' (*Sanskrit word meaning superior quality of fishery product suitable for human consumption*) is another milestone initiative.

The certification of aquaculture was proposed as a market based tool for hatchery/farmers in order to adopt Good Aquaculture Practices (GAP) and produce good quality antibiotic free shrimp products addressing food safety concerns of global consumers. This scheme is based on Food & Agriculture Organization (FAO)'s technical guidelines on aquaculture certification.

The process of certification is implemented through a web portal (https://aquacert.mpeda.gov.in) to minimize human errors and to ensure higher credibility and transparency in the scheme implementation.

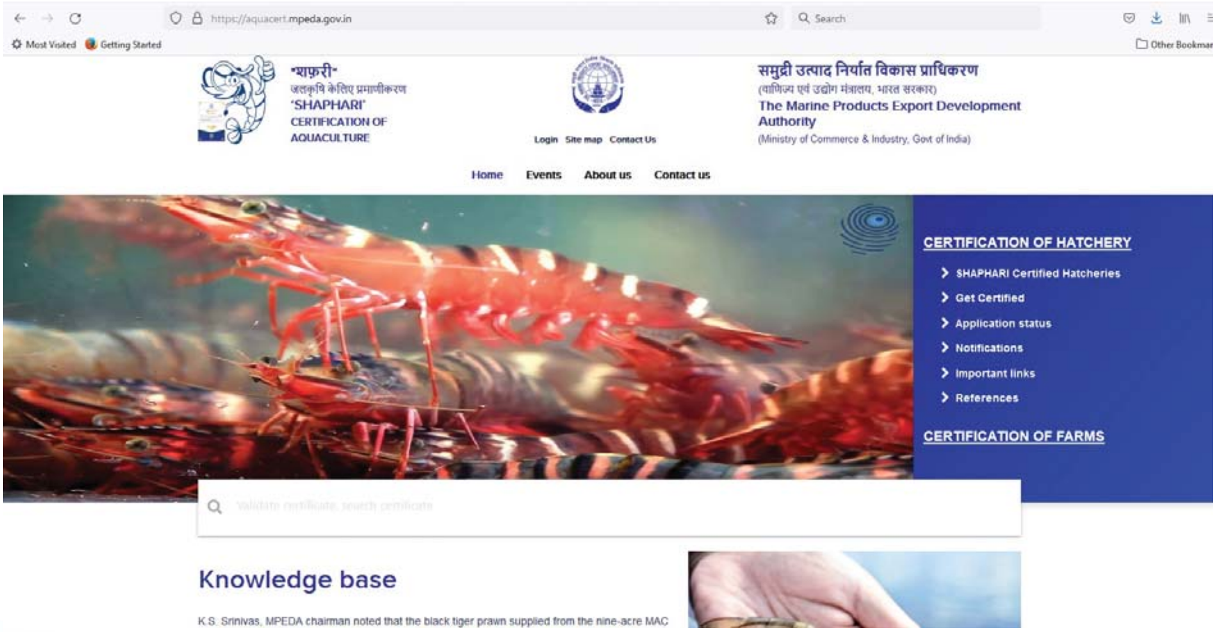

Home page of SHAPHARI webportal

'SHAPHARI'-Certification of Hatcheries for the production of antibiotic free seeds

Hatcheries engaged in the production of shrimp seeds under good aquaculture practices and willing to undergo audits by the designated auditors and agree to be part of the surveillance program for shrimp seed quality are eligible for SHAPHARI Certification. This scheme of MPEDA will help farmers to identify the best quality seed producers from others.

फ्लो चार्ट

प्रतिजैविक मुक्त बीज उत्पादन के लिए हैचरी का शाफरी-प्रमाणन

HATCHERY
APPLY IN THE WEB PORTAL
https://aquacert.mpeda.gov.in

↓

FIELD OFFICE (FO)
Verification of hatchery application

CERTIFICATION CELL (CC)

→ **PRELIMINARY AUDIT (PA)** Single member audit — Hatchery Audit

→ **COMMITTEE AUDIT (CA)** Three member audit — Hatchery Audit | QC Report | Patho Report

→ **PRE SURVEILLANCE AUDIT (PSA)** Single member audit

PSA 1	Hatchery Audit	QC Report	Patho Report
PSA 2	Hatchery Audit	QC Report	Patho Report
PSA 3	Hatchery Audit	QC Report	Patho Report
PSA 4	Hatchery Audit	QC Report	Patho Report

→ NEGATIVE FOR RESIDUES OF ANTIBIOTICS AND CONFORM TO THE STANDARDS OF SHAPHARI-CERTIFICATION OF HATCHERIES FOR ANTIBIOTIC FREE PRODUCTION

Valid for 2 years from the date of issue

Score>80%	Score 60-80%	Score 50-60%
SA 1	SA 1	SA 1
	SA 2	SA 2
		SA 3

MANDATORY POST CERTIFICATION SURVEILLANCE TO RETAIN THE CERTIFICATION

FLOW CHART
SHAPHARI-CERTIFICATION OF HATCHERIES FOR ANTIBIOTIC FREE SEED PRODUCTION

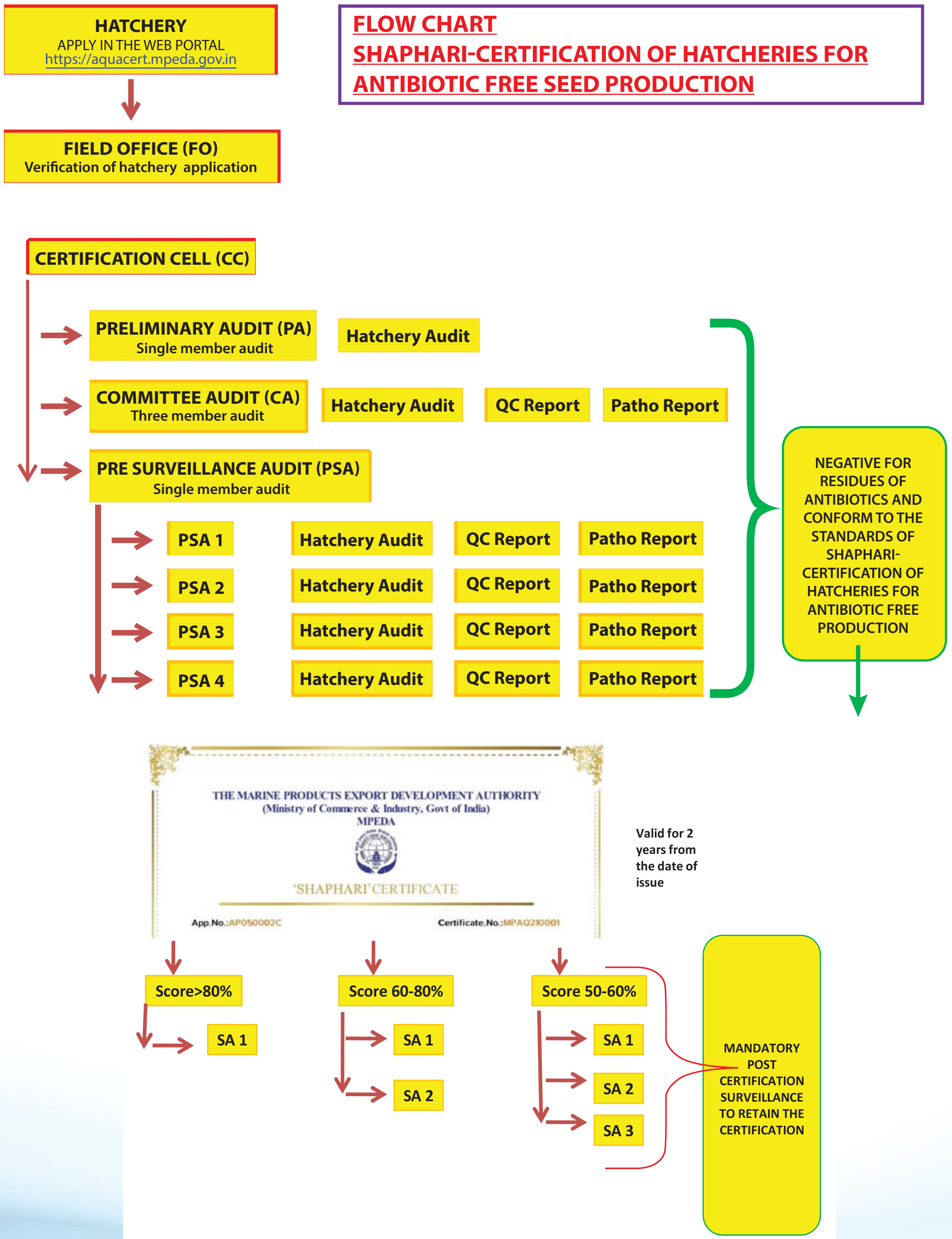

प्रमाणन से पहले तीन स्तर की लेखापरीक्षा होगी अर्थात प्रारंभिक ऑडिट, कमेटी ऑडिट और प्री-सर्टिफिकेशन सर्विलांस ऑडिट। प्रारंभिक लेखापरीक्षा में, नामित लेखा परीक्षक हैचरी का दौरा करेंगे और प्रमाणन के लिए हैचरी की तैयारी का आकलन करेंगे। द्वितीय स्तर की लेखापरीक्षा तीन सदस्यीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा संचालित एक समिति लेखापरीक्षा है। लेखापरीक्षा समिति ने हैचरी का दौरा किया, अभिलेखों का सत्यापन किया और दिशानिर्देशों के अनुसार हैचरी इनपुट और लाइव पोस्ट लार्वा के नमूने लिए और एंटीबायोटिक अवशेषों का पता लगाने के लिए नामित एमपीईडीए गुनि प्रयोगशालाओं और ओआईई सूचीबद्ध रोगजनकों का पता लगाने के लिए आरजीसीए-एक्वाकल्चर पैथोलॉजी लैब को प्रस्तुत किया। समिति के ऑडिट में अर्हता प्राप्त करने पर, हैचरी को 4 पूर्वप्रमाणन निगरानी ऑडिट से गुजरना होगा, जिसमें एंटीबायोटिक अवशेषों और रोगजनकों के परीक्षण के लिए लाइव पोस्ट लार्वा नमूने एकत्र किए जाते हैं। प्रारंभिक ऑडिट, कमेटी ऑडिट और चार सर्विलांस ऑडिट में अर्हता प्राप्त करने वाली हैचरी को एंटीबायोटिक मुक्त बीजों के उत्पादन के लिए शफरी प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाता है। शफरी मानक के निरंतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित हैचरी को प्रमाणन के बाद निगरानी ऑडिट के अधीन किया जाएगा।

इकाइयों के प्रमाणीकरण की पूरी प्रक्रिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में की जाएगी और आवेदक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपने आवेदन/प्रमाणन की प्रगति और स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। प्रमाणित इकाइयों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होगा। प्रमाणित हैचरी की सूची और प्रमाणन के लिए नामांकित हैचरी की सूची एमपीईडीए वेबसाइट में प्रदर्शित की गई है। प्रमाणपत्र दो साल की अवधि के लिए वैध है। वैधता की समाप्ति से तीन महीने पहले, हैचरी को प्रमाणन के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

एमपीईडीए ने 13 हैचरी को शामिल करके हैचरी के प्रमाणन के लिए पायलट पैमाने पर संचालन शुरू किया है। सीआईएफटी, सीआईबीए, एमपीईडीए, मत्स्य विश्वविद्यालयों और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से नामित लेखा परीक्षकों को ऑनलाइन प्रारूप में प्रमाणन और निगरानी लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया था।

श्रिम्प हैचरी घटक के संबंध में पायलट प्रमाणन योजना 13 श्रिम्प हैचरी की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ 50% लागत साझाकरण आधार पर शुरू की गई थी। प्रारंभिक ऑडिट, कमेटी ऑडिट और 4 प्री सर्टिफिकेशन सर्विलांस ऑडिट को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले हैचरी ऑपरेटरों को एक शफरी प्रमाणपत्र के साथ जारी किया जाएगा जो 2 साल की अवधि के लिए वैध है। शफरी प्रमाणन में भाग लेने वाली तेरह हैचरी में से तीन हैचरी को 2020-21 के दौरान शफरी प्रमाणित किया गया है।

एसवीआर हैचरी, पूर्वी गोदावरी जिला, एपी, अनिवार्य ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एंटीबायोटिक मुक्त बीज के उत्पादन के लिए शफरी प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली हैचरी है। इसके बाद बीएमआर मरीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वैजाग और श्रीनिधि बायोटेक्नोलॉजीज, वैजाग का स्थान है। यह हैचरियाँ शफरी के मानकों का अनुपालन कर रही हैं और 8-10 महीनों की अवधि में एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए हैचरी इनपुट और हैचरी बीजों पर किए गए परीक्षणों की श्रृंखला को सफलतापूर्वक पार कर चुकी हैं। लेखापरीक्षा के दौरान सभी ओआईई सूचीबद्ध रोगजनकों के लिए हैचरी के बीजों का भी परीक्षण नकारात्मक पाया गया।

क्र. सं.	एंटीबायोटिक मुक्त बीजों के उत्पादन के लिए "शफरी" प्रमाणित हैचरी
1	**मैसर्स एसवीआर हैचरी,** वेमावरम गांव, अडारीपेटा पोस्ट, थोंडांगी मंडल, पूर्वी गोदावरी जिला - 533 401, आंध्र प्रदेश
2	**मैसर्स श्रीनिधि बायोटेक्नोलॉजीज,** पालमनपेटा, एदताम गांव, पयाकारोपेटा मंडल, विशाखापट्टनम जिला - 533 401, आंध्र प्रदेश
3	**मैसर्स. बीएमआर समुद्री उत्पाद (पी) लिमिटेड,** 348/12, थिम्मापुरम, भीमुनिपट्टनम मंडल, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश

एमपीईडीए की हैचरी योजना का "**शफरी**" प्रमाणन किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उत्पादक की आसानी से पहचान करने में मदद करेगा। प्रमाणित हैचरी किसानों के बीच उनके बीजों की अधिक मांग से लाभान्वित होते हैं।

There will be three levels of audit prior to certification viz. Preliminary Audit, Committee Audit and Pre-Certification Surveillance Audit. In the preliminary audit, the designated auditors will visit the hatchery and assess the readiness of the hatchery for the Certification. The Second level audit is a Committee Audit conducted by a three member Audit Committee. The Audit Committee visits the hatchery, verify the records and take samples of hatchery inputs and live post larvae in accordance with the guidelines and submitted to designated MPEDA QC laboratories for detection of antibiotic residues and to RGCA-Aquaculture Pathology Lab for the detection of OIE listed pathogens. Upon qualifying the committee audit, the hatchery will undergo 4 numbers of pre-certification surveillance audit wherein live Post larvae samples are collected for testing antibiotics residue and pathogens. Hatchery that qualified the preliminary audit, committee audit and four numbers of surveillance audits are awarded with SHAPHARI Certificate for the production of antibiotic free seeds. Certified hatcheries will be subjected to post certification surveillance audit to ensure continued compliance of the SHAPHARI standard.

The entire process of certification of units will be done in an online platform and the applicants will be able to track the progress and status of their application/certification in the online platform. The details of the certified units will be available in the public domain. The list of certified hatcheries and the list of hatcheries enrolled for certification are displayed in MPEDA website. The Certificate is valid for a period of two years. Three months before the expiry of the validity, the hatchery will need to apply for renewal of certification.

MPEDA has initiated the pilot scale operation of the certification of hatcheries by including 13 hatcheries. Auditors nominated from CIFT, CIBA, MPEDA, Fisheries universities and independent auditors were provided with necessary guidance to conduct certification and surveillance audit in the online format.

The Pilot Certification Scheme with regard to Shrimp Hatchery component was launched with the voluntary participation of 13 shrimp hatcheries on 50% cost sharing basis. The hatchery operators who successfully qualified Preliminary Audit, Committee Audit and 4 numbers of Pre Certification Surveillance Audits shall be issued with a SHAPHARI Certificate which is valid for a period of 2 years. Out of thirteen hatcheries participating in the SHAPHARI Certification, three hatcheries have been SHAPHARI certified during 2020-21. SVR Hatcheries, East Godavari District, AP, is the first hatchery in the country to get SHAPHARI certification for the production of antibiotic free seed after successfully completing the mandatory audits. This is followed by BMR Marine Products Pvt Ltd, Vizag and Srinidhi Biotechnologies, Vizag. These hatcheries are complying to the standards of SHAPHARI and successfully passed series of tests conducted on hatchery inputs and hatchery seeds for antibiotic residues over a period of 8-10 months. Seeds from the hatchery were also tested negative for all the OIE listed pathogens during the audits.

Sl. No.	"SHAPHARI" CERTIFIED HATCHERIES For the production of antibiotic free seeds
1	**M/s. SVR Hatcheries,** Vemavaram Village, Addaripeta Post, Thondangi Mandal, East Godavari District- 533 401, Andhra Pradesh
2	**M/s. Srinidhi Biotechnologies**, Palmanpeta, Edatam Village, Payakaraopeta Mandal, Visakhapatnam District – 533 401, Andhra Pradesh
3	**M/s. BMR Marine Products (P) Ltd** 348/12, Thimmapuram, Bheemunipatnam Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh

"SHAPHARI" Certification of Hatchery scheme of MPEDA shall help farmers to easily identify the good quality seed producer. Certified hatcheries are benefitted by higher demand for their seeds among the

'शफरी' एंटीबायोटिक मुक्त श्रिम्प के उत्पादन के लिए फार्मों का प्रमाणन

मानकों और प्रक्रियाओं से युक्त फार्मों के प्रमाणन के लिए एक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एमपीईडीए, सीआईबीए, सीआईएफटी, कृषक संघ, हैचरी एसोसिएशन, निर्यातक संघ और अन्य पणधारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के साथ एक समिति का गठन किया गया था। गठन समिति में हुई चर्चा के आधार पर दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक उप-समिति का भी गठन किया गया था। समिति का विवरण नीचे दिया गया है।

	दिशानिर्देश तैयार करने वाली समिति (जून 2020 से वीसी द्वारा 5 बैठकें)		उप समिति (3 बैठकें)
1	डॉ. एम. कार्तिकेयन, निदेशक, एमपीईडीए.	1	डॉ. ए. अंसार अली, उप निदेशक, एमपीईडीए
2	श्री ए. एंटनी जेवियर, निदेशक (तकनीकी), सीएए.	2	श्री सूर्य राव, किसान प्रतिनिधि, आंध्र प्रदेश
3	श्री बालासुब्रमण्यम वी., महा सचिव, पीएफएफआई	3	श्री मैथ्यू सेबास्टियन, एमडी, इंडोसर्ट, कोच्चि
4	श्री डी. रामराज, अध्यक्ष, आयशा.	4	श्री सजी चाको, कृषक प्रतिनिधि, गुजरात
5	श्री जी पवन कुमार, एसईएआई प्रतिनिधि	5	श्री वी. विनोद, उप. निदेशक (क्यूसी)
6	डॉ. पी.के. पाटिल, प्रधान वैज्ञानिक, सीआईबीए।.	6	श्री एम. विश्वकुमार, सहायक निदेशक, एमपीईडीए
7	डॉ. सत्येन कुमार पांडा, प्रधान वैज्ञानिक, सीआईएफटी।	7	डॉ. पी. जयगोपाल, सहायक निदेशक, एमपीईडीए
8	डॉ. राम मोहन एम.के., संयुक्त निदेशक (क्यूसी)		
9	श्री अनिलकुमार पी., संयुक्त निदेशक (एम), एमपीईडीए।		
10	डॉ. ए. अंसार अली, उप निदेशक (ए), एमपीईडीए।		

उपरोक्त समितियों ने श्रृंखलाबद्ध चर्चाओं और विचार-विमर्श के बाद, शफरी के लिए मानकों और प्रक्रियाओं के साथ एक दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया - एंटीबायोटिक मुक्त श्रिम्प के उत्पादन के लिए खेतों का प्रमाणन। समिति ने एक बुनियादी शफरी प्रमाणन देने की सिफारिश की, जिसके बाद शफरी प्लस+नामक उन्नत प्रमाणन दिया गया। पायलट पैमाने के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार है। उपरोक्त दिशानिर्देश की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार प्रस्तुत की गई हैं।

शफरी - एंटीबायोटिक मुक्त श्रिम्प के उत्पादन हेतु खेतों का प्रमाणन विशुद्ध रूप से एक स्वैच्छिक योजना है। जिन फार्मों में बुनियादी आधारभूत संरचना सुविधाएं हैं और जो स्वस्थ और एंटीबायोटिक अवशेष मुक्त श्रिम्प उत्पादन के स्पष्ट इरादे से अपने खेतों को संचालित करने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रमाणित होने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म https://aquacert.mpeda.gov.into के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। एमपीईडीए-फार्म नामांकन संख्या दर्ज करने पर, कृषक के सभी विवरण नामांकन डेटाबेस से स्वतः भरे जाएंगे। यदि खेत अभी तक एमपीईडीए के तहत नामांकित नहीं है, तो शफरी वेबपोर्टल प्रक्रिया को पूरा करने और फार्म प्रमाणन के लिए आवेदन करने के लिए कृषक को फार्म नामांकन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करेगा।

यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और इकाई पात्रता शर्तों को पूरा करती है, तो फार्म को लेखापरीक्षा के दो स्तरों से गुजरना होगा अर्थात प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अर्हता प्राप्त हेतु गैप ऑडिट और प्रमाणन ऑडिट।

गैप ऑडिट का उद्देश्य शफरी प्रमाणन के मानकों के साथ-साथ फार्म में अंतराल का आकलन करना और कृषकों को प्रमाणन ऑडिट की तैयारी में मदद करना है। कृषक द्वारा जमा किया गया ऑनलाइन आवेदन सबसे पहले फील्ड कार्यालय में पहुंचता है। फील्ड कार्यालय फार्म की पिछली जानकारी और फार्म नामांकन विवरण के आधार

farmers.

'SHAPHARI'- Certification of Farms For the production of antibiotic free shrimp

To prepare a guideline for Certification of Farms consisting of standards and procedures, a committee was constituted with members representing MPEDA, CIBA, CIFT, Farmer's association, Hatchery association, Exporter's association and other stakeholders. A sub-committee was also constituted for drafting the guideline based on the discussions held in the formulating committee. Details of the committee's are placed below.

	Guideline formulating Committee (5 sittings by VC since June 2020)		Sub committee (3 sittings)
1	Dr. M. Karthikeyan, Director, MPEDA.	1	Dr. A. Ansar Ali, Dy. Director, MPEDA
2	Shri. A. Antony Xavier, Director (Tech), CAA.	2	Shri. Surya Rao, Farmer's Rep, Andhra Pradesh
3	Shri. Balasubramaniam V, Gen. Secretary, PFFI	3	Shri. Mathew Sebastian, MD, INDOCERT, Kochi.
4	Shri. D. Ramraj, President, AISHA.	4	Shri. Saji Chacko, Farmer's Rep., Gujarat.
5	Shri. G. Pawan Kumar, SEAI representative.	5	Shri. V. Vinod, Dy. Director (QC)
6	Dr. P. K. Patil, Principal Scientist, CIBA.	6	Shri. M. Viswakumar, Asst. Director, MPEDA.
7	Dr. Satyen Kumar Panda, Principal Scientist, CIFT.	7	Dr. P. Jayagopal, Asst. Director, MPEDA.
8	Dr. M. K. Ram Mohan, Joint Director (QC)		
9	Shri. Anilkumar P, Joint Director (M), MPEDA.		
10	Dr. A. Ansar Ali, Deputy Director (A), MPEDA.		

The above committees, after series of discussions and deliberation, finalized a guideline with standards and procedures for SHAPHARI – Certification of farms for the production of antibiotic free shrimp. The committee recommended giving a basic SHAPHARI certification followed by advanced certification called SHAPHARI Plus+. The guideline is ready for pilot scale implementation. Highlight of the above guideline is furnished as follows.

SHAPHARI - Certification of farms for the production of antibiotic free shrimp production is purely a voluntary scheme. Farms having basic infrastructure facilities and willing to operate their farms with a clear intention of producing healthy and antibiotic residue free shrimp should apply through the online platform https://aquacert.mpeda.gov.in to get certified. Upon entry of the MPEDA-Farm enrollment number, all the details of the farmer shall be auto populated from the enrollment database. If the farm is not yet enrolled under MPEDA, the SHAPHARI web portal will redirect the farmer to the farm enrollment website to complete the process and apply for the Farm Certification.

If the application is complete in all respects and the unit meets the eligibility conditions, the farm will have to pass through two levels of audit viz. Gap audit and Certification audit to qualify for the issue of certificate.

Gap audit is meant to assess the gaps in the farm vis-à-vis the standards for Shaphari Certification and

पर प्रारंभिक मूल्यांकन करता है और प्रमाणन के लिए इसकी उपयुक्तता की पुष्टि करता है और प्रमाणन सेल को आवेदन अग्रेषित करता है। प्रमाणन सेल (सीसी) आवेदन को स्वीकार करता है और गैप ऑडिट करने के लिए पैनल में शामिल ऑडिटर को नामित करता है। ऑडिटर फार्म का दौरा करता है और प्रक्रिया के अनुसार गैप ऑडिट करता है और वेबपोर्टल में विवरण दर्ज करता है। शफरी मानकों के गैर-अनुरूपता (एनसी), यदि कोई हो, तो कृषक को ऑनलाइन / एसएमएस से सूचित किया जाएगा और कृषक को 365 दिनों के भीतर एनसी को बंद करना होगा।

गैप ऑडिट एनसी के साथ वाले फार्म को एक्वाकल्वर उन्नयन कार्यक्रम के तहत रखा जाएगा, जिसमें गैप ऑडिट के दौरान दर्ज की गई एनसी को क्लियर करने के लिए कृषक को सहायता के सभी संभावित रास्ते दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के भीतर एनसी को बंद करने में विफलता के कारण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि सब कुछ मानकों के अनुसार है, तो सीसी प्रमाणन ऑडिट के लिए फार्म की सिफारिश करता है। एनसी को मंजूरी देने के लिए कृषक एमपीईडीए के फील्ड ऑफिस की सहायता ले सकते हैं।

प्रमाणन सेल कम से कम दो सदस्यों के कोरम के साथ तीन सदस्यों वाली लेखा परीक्षकों की एक समिति को लेखा परीक्षा सौंपता है। इसके अलावा, ऑडिटर ऑडिट करते हैं जिसमें कृषक द्वारा रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं ताकि यह पुष्टि हो सके कि फार्म शफरी प्रमाणन के मानकों का पालन करता है और सीएए दिशानिर्देशों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले श्रिम्प के उत्पादन के लिए प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं / औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों के अवशेषों से मुक्त है। प्रमाणन ऑडिट के दौरान दर्ज किए गए एनसी के खेतों को प्रमाणन ऑडिट की तारीख से 365 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए एक्वाकल्वर उन्नति कार्यक्रम (एआई पी) में रखा जाएगा, जिसके दौरान प्रमाणीकरण ऑडिट के दौरान दर्ज किए गए एनसी को क्लियर करने के लिए किसान को सहायता के लिए सभी संभव रास्ते दिए जाएंगे। निर्धारित अवधि के भीतर एनसी को बंद करने में विफलता के कारण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

प्रमाणीकरण ऑडिट सफलतापूर्वक पास करने वाले फार्म एंटीबायोटिक का उपयोग किए बिना श्रिम्प के उत्पादन के लिए शफरी प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अर्हता प्राप्त करेंगे। प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से दो (2) वर्ष की अवधि के लिए जारी किया गया प्रमाणपत्र वैध है।

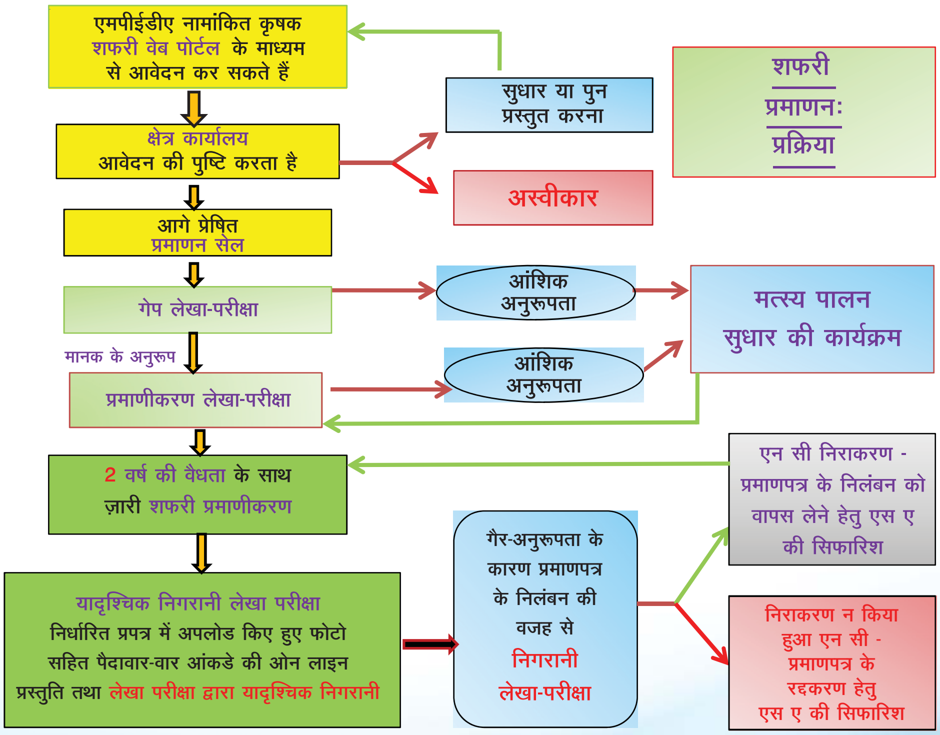

help the farmer to prepare for the Certification audit. The online application submitted by the farmer first reaches the field office. Field office conduct a preliminary evaluation based on the past information and farm enrollment details of the farm and confirms its suitability for Certification and forward the application to Certification Cell. Certification cell (CC) accepts the application and nominate an empanelled auditor to conduct the Gap audit. The Auditor visits the farm and carries out the Gap audit as per the procedure and record the details in the web portal. Non conformity (NC) to the SHAPHARI standards, if any will be intimated to the farmer online/SMS and the farmer has to close the NC's within 365 days.

The farm with Gap Audit NC's will be placed under Aquaculture Improvement Programme wherein all possible avenues for assistance will be extended to the farmer to clear NC's recorded during the Gap audit. Failure to close the NC's within the stipulated period will lead to the rejection of the application. If everything is as per the standards, CC recommends the farm for Certification audit. The farmers may avail the assistance of the field office of MPEDA for clearing the NCs.

The Certification cell assigns the Audit to a committee of auditors consisting of three members with a minimum quorum of two members. Further, auditors conduct the audit wherein the original documents may be presented by the farmer for verification of the records to confirm whether the farm follows the standards for Shaphari Certification and as per CAA guidelines for the production of good quality shrimp free from residues of banned antibiotics/pharmacologically active substances. Farms with NC's recorded during Certification audit will be placed in Aquaculture Improvement Programme (AIP) for a maximum period of 365 days from date of Certification audit during which all possible avenues for assistance will be extended to the farmer to clear NC's recorded during the certification audit. Failure to close the NC's within the stipulated period will lead to the rejection of the application.

Farms that successfully pass Certification audit will qualify for issue of SHAPHARI certificate for production of shrimp without using antibiotics. The Certificate issued is valid for a period of two (2) years from the date of issuing the Certificate.

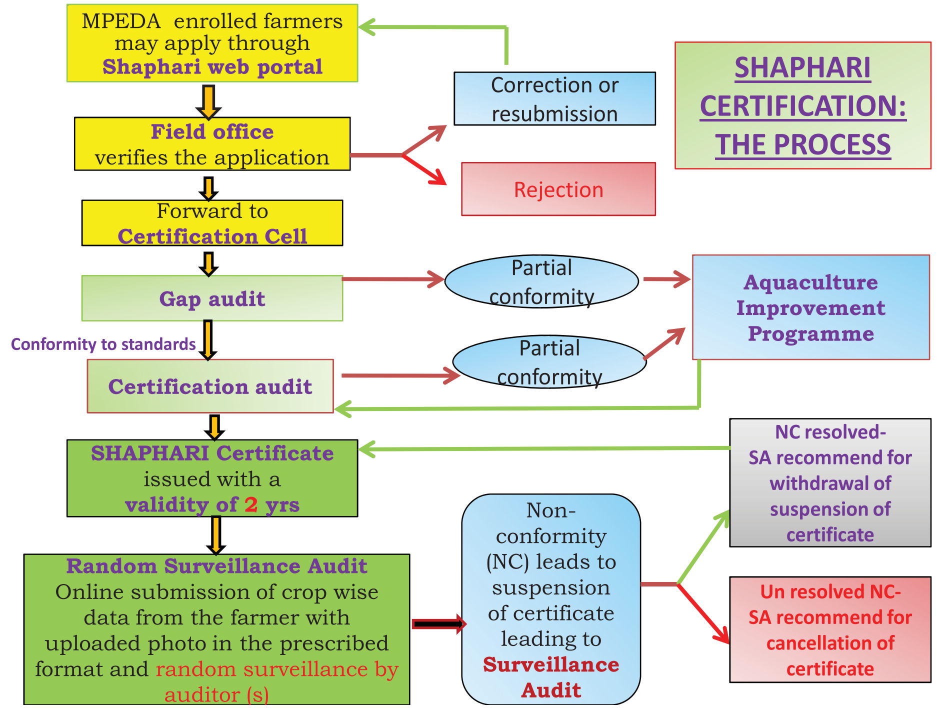

फार्म के प्रमाणन के बाद, कृषक पैदावार विवरण (6 महीने में एक बार) को एक निर्धारित प्रारूप में शफरी वेबपोर्टल में प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, जो प्रमाणन की वैधता को बनाए रखने के लिए एक पूर्वापेक्षा है। उपरोक्त की गैरअनुरूपता निगरानी ऑडिट को ट्रिगर करेगी जो प्रमाणन को फिर से स्थापित करने या रद्द करने की सिफारिश करेगी।

शफरी प्लस + एक ऐड-ऑन सर्टिफिकेशन है। यह प्रमाणपत्र निर्यात के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाले कृषि उत्पाद में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक अवशेषों जैसे नाइट्रोफ्यूरोन मेटाबोलाइट्स और क्लोरैम्फेनिकॉल की अनुपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए है। उत्पादन के तहत कम से कम 50% तालाबों के साथ लगातार दो पैदावारों के लिए बिना प्री हार्वेस्ट टेस्ट (पीएचटी) सकारात्मक परिणाम वाले शफरी प्रमाणित फार्म शफरी प्लस + प्रमाणीकरण के लिए योग्य होंगे। फार्म के शफरी प्लस + प्रमाणन को बनाए रखने के लिए निरंतर पीएचटी परीक्षण अनिवार्य है।

कृषक शफरी वेबपोर्टल में शफरी प्रमाणन के संबंध में अपनी शिकायत पोस्ट कर सकते हैं। प्रमाणन सेल (सीसी) शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करेगा। गंभीर मुद्दे जिनका सीसी समाधान नहीं कर सकता है उन्हें शिकायत निवारण निकाय के समक्ष विचार और समाधान के लिए रखा जाएगा।

'शफरी' प्रमाणित जलकृषि उत्पाद निर्यातकों को अस्वीकार किए जाने के डर के बिना कड़े खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत बाजारों में अपनी परेषण की आपूर्ति करने में मदद करेंगे।

Post Certification of the farm, the farmer is responsible to furnish the crop details (once in 6 months) in the SHAPHARI web portal in a prescribed format which is a pre-requisite to retain the validity of the Certification. Non-Conformity to the above will trigger surveillance audit which will recommend either re-instating or canceling the certification.

SHAPHARI Plus+ is an add-on certification. This certificate is to ensure the absence of banned antibiotic residues like Nitrofuran metabolites and Chloramphenicol in the farmed product used as raw material for export. SHAPHARI certified farms with NO Pre Harvest Test (PHT) positive results for two consecutive crops with atleast 50% of the ponds under production shall be qualified for SHAPHARI Plus+ certification. Continued PHT testing is mandatory to maintain the SHAPHARI Plus+ Certification of the farm.

Farmers may post their grievance with regard to SHAPHARI Certification in the SHAPHARI web portal. Certification cell (CC) will resolve the grievance within 30 days of posting the grievance. Serious issues that CC cannot resolve will be placed before the Grievance redressal body for consideration and resolution.

'SHAPHARI' certified aquaculture products will help exporters to supply their consignments to markets under stringent food safety regulations without the fear of getting rejected.

अनुलग्नक 1

संवर्धनात्मक कार्यकलाप 2020-21 के लक्ष्य और उपलब्धियॉं																	
संवर्धनात्मक कार्यकलाप	क्षेप्र वलसाड		क्षे प्र मुंबइ (पनवेल)		क्षेप्र मेंगलोर		क्षेप्र कोच्चि		उक्षेप्र नागापट्टिनम		क्षेप्र विजयवाड़ा		क्षेप्र भूबनेश्वर		क्षेप्र कोलकोता		कुल	
	लक्ष	प्राप्ति	लक्ष	प्राप्ति	लक्ष	प्राप्ति	लक्ष	प्राप्ति	लक्ष	प्राप्ति	लक्ष	प्राप्ति	लक्ष	प्राप्ति	लक्ष	प्राप्ति	लक्ष	प्राप्ति
प्राथमिक उत्पादन के प्रमाणन के लिए सहायता (2019-20 से अंतिम आवेदनों को अग्रेषित करना)																		
सामान्य लाभार्थियों के लिए प्राथमिक उत्पादन(एमटीसी) (नंबर/लाख में)) के प्रमाणीकरण के लिए सहायता (पूंजीगत लागत का 50)	-	1/ 2.22	-	6/11.60	-	15/34.97	-	13/21.91	-	2/9.08	-	12/45.17	-	4/18.82	-	0	-	53/143.77
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए प्राथमिक उत्पादन (एमटीसी) (संख्या/लाख में)) के प्रमाणीकरण के लिए सहायता (पूंजीगत लागत का 75)	-	0	-	0	-	0	-	1/1.24	-	0	-	1/ 2.07	-	0	-	0	-	2/3.31
विस्तारित कार्यक्रम																		
सामान्य प्रशिक्षण (संख्या/व्यक्ति)	2/30	2/195	2/30	2/34	2/30	2/30	3/45	3/46	2/30	2/47	6/90	6/105	3/45	3/50	2/30	3/81	22/330	23/588
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण (संख्या/व्यक्ति)	1/15	2/56	1/15	1/15	1/15	3/45	1/15	1/13	1/15	2/46	2/30	2/30	1/15	1/15	3/45	3/47	11/165	15/267
कृषक बैठक/संगोष्ठी/ कार्यशाला (सं.)	1	1/60	1	1/30	1	1/31	1	1/40	1	1/112	2	8/457	1	1/60	1	1/51	9	15/841

Annexure-1

PROMOTIONAL ACTIVITIES – TARGET & ACHIEVEMENT FOR 2020-21																	
Promotional activity	SRD Valsad		RD Mumbai (Panvel)		RD Manglore		RD Kochi		SRD Nagapattinam		RD Vijayawada		RD Bhubaneswar		RD Kolkata		Total	
	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.	Tar.	Ach.
Assistance for Certification of Primary production (carry forward final applications from 2019-20)																		
(a) Assistance for certification of Primary production-(MTC) (No/Rs in Lakh)) for general beneficiaries (50%of capital cost)	-	1/ 2.22	-	6/11.60	-	15/34.97	-	13/21.91	-	2/9.08	-	12/45.17	-	4/18.82	-	0	-	53/143.77
(b) Assistance for certification of Primary production (MTC)(No /Rs in Lakh)) for SC/ST beneficiaries(75% of capital cost)	-	0	-	0	-	0	-	1/1.24	-	0	-	1/ 2.07	-	0	-	0	-	2/3.31
Extension Programs																		
General Trainings (No/Pers)	2/30	2/195	2/30	2/34	2/30	2/30	3/45	3/46	2/30	2/47	6/90	6/105	3/45	3/50	2/30	3/81	22/330	23/588
SC/ST Trainings (No / Pers)	1/15	2/56	1/15	1/15	1/15	3/45	1/15	1/13	1/15	2/46	2/30	2/30	1/15	1/15	3/45	3/47	11/165	15/267
Farmers Meets/ Seminar/Workshop (No)	1	1/60	1	1/30	1	1/31	1	1/40	1	1/112	2	8/457	1	1/60	1	1/51	9	15/841

विविधीकरण पर जागरूकता अभियान (संख्या) आईओएपी / बीएमपी / सीबास / केकड़ा आदि	1	1/19	1	1/10	1	6/102	2	4/270	1	7/142	4	17/383	1	1/32	1	ग्त्थ	12	37/958
एंटीबायोटिक/एमएम गंध के खिलाफ एंट िबायोटिक अभियान (सं)	3	3/25	3	3/37	2	6/85	3	5/99	3	15/316	10	287/2764	3	4/69	3	4/103	30	327/3498
एनआरसीपी (सं.) (कैलेंडर वर्ष लक्ष्य)	245	294	54	33	32	24	76	53	373	271	2095	3407	231	318	497	530	3603	4930
एमपीआरएनएल (सं.)	50	55	35	54	30	40	60	25	15	40	20	60	45	15	45	45	300	334
एंटीबायोटिक्स के विश्लेषण के लिए श्रिम्प हैचरी के नमूनों की त्रैमासिक निगरानी	5	6	0	0	8	4	30	31	60	0	50	255	13	43	13	0	179	339
डब्लूएएवी के विश्लेषण के लिए श्रिम्प हैचरी की त्रैमासिक निगरानी	-		-	0	-	0	-	2	-	0	-	7	-	4	-	0	-	13
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए विविध प्रजातियों का प्रदर्शन		2		2		1		2		1		2		1		1		

Awareness Campaigns on diversification (Nos.) – IOAP/ BMPs/ Seabass/ Crab etc	1	1/19	1	1/10	1	6/102	2	4/270	1	7/142	4	17/383	1	1/32	1	Nil	12	37/958
Antibiotic Campaigns against antibiotic/MM smell (No)	3	3/25	3	3/37	2	6/85	3	5/99	3	15/316	10	287/2764	3	4/69	3	4/103	30	327/3498
NRCP (no.) (calender year target)	245	294	54	33	32	24	76	53	373	271	2095	3407	231	318	497	530	3603	4930
MPRNL (no.)	50	55	35	54	30	40	60	25	15	40	20	60	45	15	45	45	300	334
Quarterly monitoring of shrimp hatchery samples for analysis of Antibiotics	5	6	0	0	8	4	30	31	60	0	50	255	13	43	13	0	179	339
Quarterly monitoring of shrimp hatcheries for analysis of WSSV	-		-	0	-	0	-	2	-	0	-	7	-	4	-	0	-	13
Demonstration of diversified species for SC/ST beneficiaries		2		2		1		2		1		2		1		1		

8.0 प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्य संवर्धन

भारत में समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग एक परिवर्तनकाल चरण में है, जिसमें पारंपरिक उत्पादों को एक निश्चित सीमा तक, खुदरा सुविधा पैक में उच्च अंत मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ बदल दिया जा रहा है। महामारी के प्रकोप ने विदेशी बाजारों में खाने / पकाने के लिए तैयार उत्पादों और शेल्फ स्थिर उत्पादों की मांग को और बढ़ा दिया है। मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात ने भारतीय समुद्री उत्पादों के लिए इकाई मूल्य प्राप्ति में और वृद्धि की है।

मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए उत्पादन लाइन की स्थापना में शामिल उच्च प्रारंभिक निवेश और व्यापक स्वीकृति के साथ उत्पाद को विदेशी बाजार में स्थापित करने में देरी को ध्यान में रखते हुए, एमपीईडीए "प्रसंस्करण अवसरंचना और मूल्य संवर्धन" शीर्ष के तहत कार्यान्वित योजनाओं के माध्यम से समुद्री खाद्य क्षेत्र की सहायता कर रहा है। सहायता योजनाओं के साथ-साथ मूल्यवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने भारतीय पणधारियों को मूल्यवर्धन में सक्रिय रूप से कार्य करने में मदद की है। इस योजना का विजन भारत को पुनः प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए एक हब के रूप में बदलना है। एमपीईडीए ने मूल्यवर्धन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ उद्योग को लैस करके और मूल्यवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके दूरदर्शिता को प्राप्त करने के लिए परिकल्पित किया है।

8.1 प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्य संवर्धन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के कार्यान्वयन की प्रगति

वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्यवर्धन के तहत समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ता /निर्यातकों को दी गई कुल वित्तीय सहायता ₹ 1955.73 लाख थी। अनुलग्नक - II वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता का राज्य-वार संवितरण देता है। योजना और वित्तीय सहायता का संक्षिप्त विवरण भी नीचे दिया गया है।

8.1.1 समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी अवसंरचना उन्नयन योजना (टीयुएसएमपी)

मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए उत्पादन/प्रसंस्करण/पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। यह भवनों, संयंत्र, मशीनरी आदि में नए निवेश की मांग करता है। एमपीईडीए नई इकाइयों की स्थापना के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए मौजूदा उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और संस्थागत वित्त के माध्यम से मूल्यवर्धन में विविधता लाने के प्रयास में योजना का संचालन कर रहा है।

'टीआईयूएसएमपी' के तहत, वर्ष 2020-21 के दौरान 2 लाभार्थियों को ₹ 177.18 लाख की सहायता प्रदान की गई।

8.1.2 समुद्री उत्पादों के योजना के लिए प्रौद्योगिकी और अवसंरचनात्मक उन्नयन (टीआईयुएसएमपी)

मूल्य वर्धित रूप में समुद्री खाद्य उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग का मुकाबला करने के लिए भारतीय समुद्री खाद्य क्षेत्र को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अधिकांश आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है। यह सबसे आधुनिक उपकरण अत्यधिक पूंजी गहन हैं। मूल्यवर्धन को अपनाने के लिए भारतीय समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं की सहायता के लिए, एमपीईडीए प्रसंस्करण मशीनरी के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता योजना संचालित कर रहा है।

'टीआईयूएसएमपी' के तहत, वर्ष 2020-21 के दौरान समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों आदि के लिए 9 लाभार्थियों को ₹ 318.75 लाख की सहायता प्रदान की गई।

8.0 PROCESSING INFRASTRUCTURE AND VALUE ADDITION

The seafood export industry in India is in a transition phase, wherein the traditional products are getting replaced to a certain extent, with high end value added products in retail convenience packs. The outbreak of the pandemic has further increased the demand for ready to eat/ ready to cook products and shelf stable products in the overseas markets. Export of value added products has further enhanced the unit value realization for Indian marine products.

Considering the high initial investment involved in setting up of the production line for value added products and the delay in getting the product established in the overseas market with wide acceptance, MPEDA has been assisting the seafood sector through the Schemes implemented under the head "Processing infrastructure and Value Addition". The Assistance schemes, as well as training programs on value addition have facilitated the Indian stake holders to actively venture into value addition. The vision of the scheme is to transform India into a hub for reprocessing and value addition. MPEDA envisages achieving the vision by equipping the industry with state of the art technology in value addition and focusing on skill development of the work force through training programs on value addition.

8.1 Progress of Implementation of financial assistance under Processing Infrastructure and Value Addition Schemes

During 2020-21, the total financial support extended to seafood processors/Exporters under 'Processing Infrastructure and Value Addition' was ₹1955.73 Lakh. Annexure – II gives the state-wise disbursement of financial assistance during the year. Brief details of the scheme and financial assistance are also provided below.

8.1.1 TECHNOLOGY UPGRADATION SCHEME FOR MARINE PRODUCTS (TUSMP)

Export of value added products requires state-of-art technology in production/ processing/ packaging, warehousing and transportation. It calls for new investment in buildings, plant, machinery etc. MPEDA has been operating the scheme in an effort to provide financial assistance to exporters for setting up new units, to expand the existing production capacity for value added products and for diversifying into value addition through institutional finance.

Under the head 'TUSMP', an assistance of ₹ 177.18 Lakh was disbursed to 2 beneficiaries during 2020-21.

8.1.2 TECHNOLOGY AND INFRASTRUCTURAL UPGRADATION FOR SCHEME FOR MARINE PRODUCTS (TIUSMP)

The Indian seafood sector needs to be equipped with the state of art technology and most modern equipment in order to cope up with the increasing global demand for seafood products in value added form. This most modern equipment are highly capital intensive. In order to assist the Indian seafood processors to adopt value addition, MPEDA has been operating financial assistance scheme for the acquisition of processing machinery.

Under the head 'TIUSMP', an assistance of ₹ 318.75 Lakh was disbursed to 9 beneficiaries belonging to seafood processors, exporters etc, during 2020-21.

क. मूल्यवर्धन के लिए अवसंरचनात्मक विकास के लिए टीआईयूएसएमपी - सहायता

2020-21 के दौरान, मूल्यवर्धन के लिए नई इकाई स्थापित करने, मूल्य वर्धित उत्पादों की मौजूदा उत्पादन क्षमता के विस्तार और आवश्यक मशीनरी और उपकरण स्थापित करके मूल्यवर्धन में विविधता लाने के लिए योजना के तहत 2 प्रसंस्करण इकाइयों को ₹ 271.35 लाख की सहायता वितरित की गई थी।

ख. प्रक्रिया स्वचालन और पैकेजिंग के लिए टीआईयूएसएमपी-सहायता

प्रक्रिया स्वचालन और पैकेजिंग के लिए मशीनरी और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए इस योजना के तहत 3 लाभार्थियों को ₹ 25.04 लाख की वित्तीय सहायता जारी की गई, जो उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित करने में सक्षम होगी और जिसके बदले में बेहतर पैकेजिंग को अपनाने के लिए दक्षता में वृद्धि होगी।

ग. पूर्वप्रसंस्करण केंद्र के लिए टीआईयूएसएमपी सहायता

2020-21 के दौरान, पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र में सामग्री की उचित हैंडलिंग के माध्यम से मत्स्य गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस योजना के तहत 4 लाभार्थियों को ₹ 22.36 लाख की वित्तीय सहायता जारी की गई थी। पूर्व-प्रसंस्करण क्षेत्र में सुधार, पूर्व-प्रसंस्करण में यांत्रिक, वैज्ञानिक और स्वास्थ्यकर तरीकों को अपनाकर मत्स्य और मत्स्य उत्पादों से जुड़े संभावित खतरों को कम करने में मदद मिलेगी।

8.1.3 शीत शृंखला विकास (सीसीडी)

समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और पोषक मूल्य को बनाए रखने के लिए शीत शृंखला के विकास और अनुरक्षण के लिए पैदावार से लेकर उपभोग तक, विभिन्न स्तरों पर अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकता होती है। एमपीईडीए द्वारा शीत शृंखला के सफल अनुरक्षण के लिए रोधीकृत मत्स्य डिब्बों और रेफ्रीजरीकृत ट्रकों के अर्जन और बडे शीत भंडारों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

शीत शृंखला विकास - बड़े कोल्ड स्टोरेज के लिए सहायता के तहत, 500-3000 मीट्रिक टन की क्षमता के भीतर आने वाले आधुनिक बड़े शीत भंडार की स्थापना के लिए 14 लाभार्थियों को ₹ 608.93 लाख की सहायता वितरित की गई। 2020-21 के दौरान, एमपीईडीए सहायता से -20 डिग्री सेल्सियस के तैयार समुद्री खाद्य उत्पादों के भंडारण हेतु 22847 मीट्रिक टन की अतिरिक्त शीत भंडारण क्षमता का सृजन किया गया।

8.1.4 विशिष्ट मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास

विशिष्ट मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास का उद्देश्य वैश्विक सीफ़ूड ग्राहकों के लिए खुदरा सुविधा वाले उत्पाद जैसे कि सुरमी एनालॉग्स, फ्रीज़ सूखे उत्पाद, सीफ़ूड डंपलिंग, डिमसम, ब्रेडेड और बैटरेड उत्पाद, खाने के लिए तैयार अन्य आदि खुदरा सुविधाजनक उत्पाद बनाने केलिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण/उत्पादन सुविधा की स्थापना हेतु सहायता देते हुए देश के कुल समुद्री खाद्य निर्यात में खाने के लिए हाई एंड /अभिनव / रेडी टु ईट मूल्य वर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाना है। इस योजना के तहत, आवेदक प्रति प्रतिष्ठान अधिकतम 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 6 लाभार्थियों को ₹ 850.87 लाख की वित्तीय सहायता जारी की गई।

8.2 वित्तीय सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति - कैप्चर मत्स्य पालन योजना

कैप्चर मात्स्यिकी के तहत, एमपीईडीए आयातक देश के विनियमों के अनुपालन और कैप्चर मात्स्यिकी निर्यात के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है। **अनुलग्नक-1** वर्ष के दौरान

a. TIUSMP-Assistance for Infrastructural Development for Value Addition

During 2020-21, an assistance of ₹ 271.35 Lakh was disbursed to 2 processing units under the scheme for setting up new unit for value addition, expansion of the existing production capacity of value added products and for diversifying into value addition by installing required machinery and equipment.

b. TIUSMP-Assistance for Process Automation and Packaging

Financial assistance of ₹ 25.04 Lakh was released to 3 beneficiaries under this scheme for acquisition of machinery & equipment for process automation and packaging which has enabled automating the production process and in turn increasing efficiency for adopting better packaging.

C. TIUSMP-Assistance for Pre-Processing Centre

During 2020-21, financial assistance of ₹ 22.36 Lakh was released to 4 beneficiaries under this scheme for maintaining the quality of fish by way of proper handling of the material at the pre-processing centre. Improvements in the pre- processing area, by adopting mechanical, scientific and hygienic methods in pre- processing will help to reduce the potential hazards associated with Fish & Fishery Products.

8.1.3 COLD CHAIN DEVELOPMENT (CCD)

Development and maintenance of cold chain to upkeep the quality and nutritive value of seafood products requires infrastructural facilities at various levels, right from harvest to consumption. Financial assistance is extended by MPEDA for the acquisition of insulated fish boxes and refrigerated trucks, and the establishment of large cold storages, for the successful maintenance of cold chain.

Under the head ‘Cold Chain Development – Assistance for Large Cold Storages, an assistance of ₹ 608.93 Lakh was disbursed to 14 beneficiaries for establishment of modern large cold storages falling within the capacity of 500-3000 MT. During 2020-21, cold storage capacity of 22847 MT having facility to store finished seafood products at –20 °C was additionally created with the MPEDA assistance.

8.1.4 Technology Development for Specific Value Added Products

Technology development for Specific Value Added Products aims at increasing the share of high end/ innovative/ ready to eat value added products in the total sea food exports from the country by providing assistance to the establishments for acquiring state of the art processing / manufacturing facility to make retail convenience products such as Surimi analogues, Freeze dried products, seafood dumpling, dimsum, breaded and battered products, other ready to eat items etc. for global seafood customers. Under this scheme, the applicant can avail the maximum financial assistance of ₹ 5 Crore per establishment. Financial assistance of ₹ 850.87 Lakh was released to 6 beneficiaries under this scheme during the FY 2020-21.

8.2 Progress of Implementation of Financial Assistance Schemes-Capture Fisheries

Under Capture Fisheries, MPEDA has been implementing the following schemes for compliance to the importing country's regulation and to improve the market access for capture fisheries export. Annexure – III

वित्तीय सहायता का राज्यवार संवितरण देता है। योजना और वित्तीय सहायता का संक्षिप्त विवरण भी नीचे दिया गया है।

8.2.1 कैच सर्टिफिकेशन विनियमों के अनुपालन के लिए सैटेलाइट आधारित वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम (वीएमएस) की स्थापना के लिए सहायता

मत्स्यन गतिविधियों की सफल निगरानी, नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) के लिए सैटेलाइट आधारित वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम (वीएमएस) एक लागत प्रभावी उपकरण है। सैटेलाइट आधारित वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम (वीएमएस) एक मत्स्य प्रबंधन एजेंसी को विनियमित मत्स्यन जहाजों के स्थान और कार्यकलापों के बारे में सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करता है। इस योजना में मत्स्यन जहाजों में उपग्रह आधारित पोत निगरानी प्रणाली को समाहित करने में शामिल व्यय की 50% प्रतिपूर्ति की परिकल्पना की गई है और अधिकतम सहायता केवल 0.5 लाख है। इस शीर्ष में 510 लाभार्थियों को ₹ 254.92 लाख की सहायता राशि वितरित की गई।

क.इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 10 लाभार्थियों को ₹ 4.92 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत और जारी की गई थी।

ख.वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एमपीईडीए ने मत्स्यन विभाग, तमिलनाडु के साथ संयुक्त रूप से वीएमएस योजना को लागू करने और तमिलनाडु में मत्स्यन जहाजों के लिए 500 सैटेलाइट फोन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया था, जिसमें एमपीईडीए से 50% इमदाद (सब्सिडी) सहायता, तमिलनाडु से 25% इमदाद (सब्सिडी) सहायता और मछुआरों को उनकी सुरक्षा और ट्रेसबिलिटी के लिए दोतरफा संचार उपकरण सैटेलाइट फोन (इनमारसैट आईसैटफोन 2) प्रदान करने में लाभार्थी से 25%। वित्तीय वर्ष 2020-21 में तमिलनाडु क्षेत्र के मछुआरों को 500 सैटेलाइट फोन की आपूर्ति के लिए तमिलनाडु सरकार के समर्थन में ₹ 250 लाख की सहायता अनुदान जारी किया गया था।

8.2.2 मत्स्यन और चेन ऑफ कस्टडी के प्रमाणीकरण के लिए सहायता

इस योजना में भारतीय मात्स्यिकी के प्रमाणीकरण, मत्स्य पालन और प्रमाणित उत्पादों के लिए लेखा परीक्षा शुल्क सहित चेन ऑफ कस्टडी प्रमाणन, मत्स्य शासी निकाय और प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण लेखा परीक्षक पूल विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण, जो निर्यात बाजार में प्रकृतिकृत मत्स्यन के लिए बाजार पहुंच उपकरण के रूप में कार्य करता है, के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु है। इस योजना में व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 5.0 लाख रुपये/मत्स्यन और चेन ऑफ कस्टडी यूनिट ₹ 5 लाख रुपये प्रति प्रमाणन की प्रतिपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

इस योजना के तहत वर्ष 2020-2021 के दौरान चेन ऑफ कस्टडी के तहत 66 प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता के रूप में ₹ 106.43 लाख रुपये की राशि वितरित की गई।

8.3 प्रशिक्षण कार्यक्रम - (2020-21)

8.3.1 मूल्य संवर्धन पर वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम

समुद्री खाद्य विशेष रूप से श्रिम्प, सेफलोपोड्स और मत्स्य मूल्यवर्धन में विशेषज्ञता बनाने के लिए, एमपीईडीए हर साल समुद्री खाद्य मूल्यवर्धन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कर रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों के बीच विशेषज्ञता पैदा करना, मूल्यवर्धित निर्यात में वृद्धि करना और कार्यबल के कौशल के साथ-साथ मूल्यवर्धन पर वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी और नवाचार के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

gives the state-wise disbursement of financial assistance during the year. Brief details of the scheme and financial assistance are also provided below.

8.2.1 Assistance for installation of Satellite based Vessel Monitoring System (VMS) for compliance with Catch certification regulations

Satellite based Vessel Monitoring System (VMS) is a cost-effective tool for the successful monitoring, Control and Surveillance (MCS) of fisheries activities. Satellite based Vessel Monitoring System (VMS) provides a fishery management agency with accurate and timely information about the location and activity of regulated fishing vessels. The Scheme envisages for 50% of reimbursement of the expenditure involved in incorporating the Satellite based Vessel Monitoring system in fishing vessels and the maximum assistance is only of 0.5 Lakh. Under this head, an assistance of ₹ 254.92 Lakh was disbursed to 510 beneficiaries.

a. Under this scheme, financial assistance of ₹ 4.92 Lakh was sanctioned and released to 10 beneficiaries during the FY 2020-21.

b. During the FY 2019-20, MPEDA along with Department of Fisheries, Tamil Nadu had jointly decided to implement the VMS scheme and supply 500 Satellite phones for the Fishing Vessels in Tamil Nadu with 50% subsidy assistance from MPEDA, 25% subsidy assistance from TN State Government and 25% from the beneficiary in providing two way communication equipment Satellite Phone (Inmarsat Isatphone-2) to fishers for their safety and traceability. A Grant-in-aid of ₹ 250 lakh was released in favour of Tamil Nadu Government for supplying 500 satellite phones to fishermen of TN region in the FY 2020-21.

8.2.2 Assistance for certification of fishery & Chain of Custody

The Scheme envisages for reimbursing the fee for certification of an Indian fishery, related Chain of custody certification, including audit fee for the fishery and the certified products, to fishery governing bodies and processors, capacity building for developing certification auditor pool, which serves as market access tool for wild catch in the export market. The Scheme envisages for reimbursing 50% of the expenditure maximum of ₹ 5.0 Lakh/ Fishery and Chain of Custody unit ₹ 5. Lakh per Certification.

Under this scheme, an amount of ₹ 106.43 lakh was disbursed as assistance to 66 processing units under Chain of Custody during 2020-2021.

8.3 Training programme- 2020-21

8.3.1 Virtual Training Programme on Value Addition

In order to create expertise in value addition of seafood particularly shrimps, cephalopods and fish, MPEDA has been providing hands on training programs on seafood value addition every year. The objective is to create expertise among Indian Seafood exporters to increase the export of Value Added Products and create awareness on technology and innovation used by countries like Vietnam and Thailand on value addition along with up skilling of workforce.

कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना उचित नहीं था, जिसने एमपीईडीए को मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन पर वर्चुअल प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए प्रेरित किया है। वर्चुअल प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण किया जा रहा है, जो पूरा होने पर वेबिनार की एक श्रृंखला के माध्यम से भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग के कार्यबल को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन उपकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा।

8.3.2 'वर्तमान मात्स्यिकी प्रसंस्करण संयंत्रों में ऊर्जा क्षमता और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी' पर वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम

एमपीईडीए और डनफोस्स इंडस्ट्रीज़ प्रा लिमिटेड ने वर्तमान मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता / उत्पादकता में सुधार के लिए भारत में मत्स्य पणधारियों के लिए क्षमता निर्माण / कौशल निर्माण पहल का पता लगाने के लिए हाथ मिलाया है। एमपीईडीए अधिकारियों, समुद्री खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों के लिए 'वर्तमान मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्रों में ऊर्जा क्षमता और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी' पर मूल्य संवर्धन सत्र के साथ वर्चुअल प्रशिक्षण विचाराधीन है।

8.3.3 कार्यशाला और अध्ययन

समुद्री खाद्य उत्पादों के मूल्यवर्धन और इससे संबंधित पहलुओं पर अध्ययन

जैसा कि एमपीईडीए की 133वीं प्राधिकरण बैठक में निर्णय लिया गया था, सीआईएफटी द्वारा "मूल्य वर्धित उत्पादों और क्षमता निर्माण आवश्यकताओं के निर्यात के लिए समुद्री खाद्य निर्यात इकाइयों की जरूरतों का आकलन" पर एक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य हैं;

- भारत में मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों में मूल्यवर्धन की वर्तमान स्थिति का निर्धारण।
- मूल्यवर्धित मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना और संभावित उपाय का पता लगाना।
- मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सहायता, वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण आदि के रूप में सरकार से अपेक्षित संभावित हस्तक्षेप/समर्थन की पहचान करना।
- प्रशिक्षण और मशीनरी की जरूरतों की पहचान और क्षमता निर्माण
- मूल्यवर्धन के लिए इकाई में विभिन्न श्रेणी के कर्मियों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करना

Due to the COVID-19 pandemic situation it was not advisable to conduct physical training programs, which has prompted MPEDA to develop Virtual Training modules on production of Value Added Products. The virtual training modules are under production, which upon completion will be used as an online tool for training and up skilling the workforce of Indian seafood industry through a series of webinars.

8.3.2 Virtual Training Programme on 'Technology for improving energy efficiency and productivity in existing Fish Processing plants'

MPEDA and Danfoss Industries Pvt Ltd have joined hands to explore capacity building/skill building initiative for Fishery stakeholders in India, for improving efficiency / productivity of existing Fish processing units. Virtual training along with value addition session for MPEDA officers, Sea Food Processors and Exporters on 'Technology for improving energy efficiency and productivity in existing Fish Processing plants' is under consideration.

8.3.3 Workshop and Study

Study on Value addition of Seafood products and its related aspects

As decided in the 133rd Authority meeting of MPEDA, a study on "Assessing Seafood Exporting Unit' needs for exporting Value Added Products and capacity building requirements" has been conducted by CIFT.

The objectives of the study are;

- To assess the current status of Value Addition in fish processing units in India
- To identify the difficulties in processing and exporting value added fish products and to explore possible remedy
- To identify the possible interventions/support required from Government in form of policy support, financial assistance, capacity building etc to encourage production and export of value added marine products
- Identification of training and machinery needs and capacity building
- To identify the skill development requirements of different category of personnel in the unit for value addition

अनुलग्नक - II

प्रसंस्करण आधारिक संरचना और मूल्य संवर्धन

2020-21

(लाख में ₹)

योजना	केरला		कर्नाटक		गोवा		महाराष्ट्र		गुजरात		पश्चिम बंगाल		ओड़ीशा		आंध्रा प्रदेश		तमिल नाडु		कुल	
	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.
समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (टीयूएसएमपी)	0	0	1	77.18	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	177.18
सीसीडीबड़े शीत भंडार के लिए सहायता	1	32.22	0	0	0	0	1	11.64	7	183.73	2	143.58	1	120	2	117.76	0	0	14	608.93
विशिष्ट मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास	1	57.53	0	0	0	0	0	0	0	0	2	262.37	0	0	1	176.18	2	354.79	6	850.87
प्रक्रिया स्वचालन और पैकेजिंग के लिए टीआई यूएसएमपी सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15.74	0	0	1	9.3	0	0	0	0	3	25.04
पूर्व संस्करण केंद्र के लिए टीआईयूएसएमपी सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.69	1	5.91	2	12.76	0	0	0	0	4	22.36
टीआईयूएसएमपी मूल्यवर्धन के लिए आधारिक संरचना विकास के लिए सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	132.85	1	138.5	0	0	0	0	2	271.35
कुल	**2**	**89.75**	**1**	**77.18**	**0**	**0**	**2**	**111.64**	**10**	**203.16**	**6**	**544.71**	**5**	**280.56**	**3**	**293.94**	**2**	**354.79**	**31**	**1955.73**

ध्यान दें प्रसंस्करण संयंत्र के स्थान के आधार पर राज्यवार अलग किया गया

अनुलग्नक - III

कैप्चर फिशरीस

2020-21

(लाख में ₹)

योजना	केरला		कर्नाटक		गोवा		महाराष्ट्र		गुजरात		पश्चिम बंगाल		ओड़ीशा		आंध्रा प्रदेश		तमिल नाडु		कुल	
	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.	प्रत्यक्ष	वित्त.
सैटलाईट आधारित वेसल निगरानी प्रणाली (वीएमएस) की स्थापना की सहायता के लिए	0	0	0	0	0	0	2	0.98	4	1.97	4	1.97	0	0	0	0	500	250	510	254.92
मत्स्यन और हिरासत की श्रृंखला (सीओसी) के प्रमाणन के लिए सहायता	0	0	4	4.05	1	0.54	5	1.65	3	1.56	0	0	11	13.4	22	40.11	20	45.12	66	106.43
कुल	**0**	**0**	**4**	**4.05**	**1**	**0.54**	**7**	**2.63**	**7**	**3.53**	**4**	**1.97**	**11**	**13.4**	**22**	**40.11**	**520**	**295.12**	**576**	**361.35**

Annexure II

Processing Infrastructure And Value Addition 2020-21 (₹ In Lakh)																				
Scheme	Kerala		Karnataka		Goa		Maharashtra		Gujarat		West Bengal		Odisha		Andhra Pradesh		Tamil Nadu		Total	
	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
Technology Upgradation Scheme for Marine Products (TUSMP)	0	0	1	77.18	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	177.18
CCD -Assistance for Large Cold Storages	1	32.22	0	0	0	0	1	11.64	7	183.73	2	143.58	1	120	2	117.76	0	0	14	608.93
Technology Development for Specific Value Added Products	1	57.53	0	0	0	0	0	0	0	0	2	262.37	0	0	1	176.18	2	354.79	6	850.87
TIUSMP-Assistance for Process Automation and Packaging	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15.74	0	0	1	9.3	0	0	0	0	3	25.04
TIUSMP-Assistance for Pre-Processing Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.69	1	5.91	2	12.76	0	0	0	0	4	22.36
TIUSMP-Assistance for Infrastructural Development for Value Addition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	132.85	1	138.5	0	0	0	0	2	271.35
Total	2	89.75	1	77.18	0	0	2	111.64	10	203.16	6	544.71	5	280.56	3	293.94	2	354.79	31	1955.73

NB: State–wise segregated on the basis of location of the processing plant

Annexure III

Capture Fisheries 2020-21 (₹ In Lakh)																				
Scheme	Kerala		Karnataka		Goa		Maharashtra		Gujarat		West Bengal		Odisha		Andhra Pradesh		Tamil Nadu		Total	
	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
Assistance For Installation of Satellite Based Vessel Monitoring System (VMS)	0	0	0	0	0	0	2	0.98	4	1.97	4	1.97	0	0	0	0	500	250	510	254.92
Assistance For Certification of Fishery & Chain of Custody (CoC)	0	0	4	4.05	1	0.54	5	1.65	3	1.56	0	0	11	13.4	22	40.11	20	45.12	66	106.43
Total	0	0	4	4.05	1	0.54	7	2.63	7	3.53	4	1.97	11	13.4	22	40.11	520	295.12	576	361.35

9.0 गुणवत्ता नियंत्रण

विभिन्न खाद्य जनित बीमारियों/एलर्जी और संदूषकों को देखते हुए समुद्री खाद्य में गुणवत्ता आश्वासन की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। देश से निर्यात होने वाले समुद्री खाद्य की गुणवत्ता में सुधार की पहल एमपीईडीए के विभिन्न अधिदेशों में से एक है। एमपीईडीए का गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग देश से निर्यात के लिए सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य स्वस्थ मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिए समुद्री खाद्य उद्योग को मजबूत करने की दिशा में उन्मुख है।

वर्ष 2020-21 के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण अनुभाग द्वारा किए गए कार्यों/पहलों की एक रूपरेखा नीचे दी गई हैः

9.1. मिनी प्रयोगशाला की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता योजना

अंतर-प्रसंस्करण गुणवत्ता नियंत्रण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एमपीईडीए प्रति यूनिट अधिकतम ₹ 5 लाख की दर पर लागत का 50% देकर प्रसंस्करण संयंत्रों को अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाॲ स्थापित करने के लिए सहायता करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान उपघटक के तहत 4 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 15.08 लाख रुपये वितरित किए गए।

9.2. आयातक देशों द्वारा अधिसूचित गुणवत्ता मुद्दे (चेतावनी /अस्वीकृति)

वर्ष 2020-21 में यूरोपीय संघ द्वारा 17 रैपिड अलर्ट अधिसूचनाएं, यूएसएफडीए द्वारा 82 आयात अस्वीकृति, चीन से 4 मामले और जापानी मानकों के 8 उल्लंघनों को अधिसूचित किया गया था। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों ने जांच की और संबंधित मामलों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रसंस्करणकर्ताओं को सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया गया था।

9.3. ईयू स्वीकृत प्रतिष्ठान

भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अनुमोदित समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों की सूची का आवधिक अद्यतनीकरण अनुभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में, भारत में 393 समुद्री खाद्य प्रसंस्करण प्रतिष्ठान और 62 स्वतंत्र शीत भंडार यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित हैं। यूरोपीय संघ ने 2018 से अनुमोदित इकाइयों की सूची में नई इकाइयों को जोड़ना बंद कर दिया था। व्यापार से संबंधित द्विपक्षीय बैठकों के दौरान भारतीय पक्ष द्वारा निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, यूरोपीय संघ ने भारत से मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए अनुमोदित इकाइयों की सूची में नई प्रसंस्करण इकाइयों को जोड़ना शुरू किया। यूरोपीय संघ वर्तमान में केवल प्रकृतिकृत पकड़ी गई सामग्री के निर्यात के लिए नई इकाइयों को मंजूरी दे रहा है।

9.4. जापान में ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए 100% निरीक्षण में कमी

मार्च 2020 में जापानी प्रतिनिधिमंडल की टिप्पणियों से संतुष्ट होने के साथ 2013 से जापान में ब्लैक टाइगर श्रिम्प्स (पीनियस मोनोडोन) की किसी भी एंटीबायोटिक अस्वीकृति की अनुपस्थिति के साथ, भारत से ब्लैक टाइगर श्रिम्प्स के लिए जापानी बंदरगाहों पर 100% निरीक्षण शुरू में 30% तक कम कर दिया गया था, जिसे बाद में दिसंबर 2020 तक न्यूनतम यादृच्छिक नियमित निरीक्षण में लाया गया था।

9.5. समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए कोविड-19 दिशानिर्देश

एमपीईडीए द्वारा 'समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए कोविड-19 दिशानिर्देश' पर एक पुस्तिका निकाली गई। पुस्तिका की प्रतियां पणधारियों के बीच वितरित की गईं। एमपीईडीए, नेटफिश और नाक्सा के अधिकारियों और कर्मचारियों को पुस्तिका पर परिचित करने के लिए सितंबर 2020 में एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इसके बाद इन प्रशिक्षित अधिकारियों ने पणधारियों को उनके परिसरों में क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण दिया। एमपीईडीए

9.0 QUALITY CONTROL

The need for quality assurance in seafood is important in view of the various food borne illness / allergens & contaminants. Initiatives to improve the quality of seafood exported from the country are one among the various mandates of MPEDA. Quality Control Section of MPEDA is oriented towards strengthening the seafood industry to produce safe and internationally acceptable wholesome fish & fishery products for export from the country.

An outline of the works / initiatives undertaken by the Quality Control Section during 2020-21 are given below:

9.1. Financial assistance scheme for setting up of mini laboratory

For the effective implementation of in-process quality control, MPEDA assists the processing units to set up their own quality control laboratories by reimbursing 50% of the cost subject to a maximum of ₹ 5.00 lakh per unit. During 2020-21, ₹ 15.08 lakh was disbursed under the sub-component as financial assistance to 4 seafood processing units.

9.2. Quality issues notified by importing countries (Alert/rejection)

17 Rapid Alert Notifications by EU, 82 import refusals by US FDA, 4 cases were reported from China and 8 violations of Japanese standards were notified in 2020-21. The concerned field offices have investigated and furnished their report in the respective cases. Corrective actions were suggested to the processor to prevent recurrence in future.

9.3. EU Approved establishments

Periodic updating of the list of seafood processing establishments from India approved for export to EU is carried out by the section. Currently, there are 393 seafood processing establishments and 62 independent cold storages in India approved by the EU. The EU had stopped adding new units to the list of approved units since 2018. As a result of sustained follow up by the Indian side during bilateral meetings related to trade, the EU started adding new processing units to the list of approved units for exporting fish & fishery products from India. The EU is currently approving the new units for export of sea caught material only.

9.4. Reduction from 100% inspection for Black tiger shrimps in Japan

Satisfied with the observations of the Japanese delegation in March 2020 coupled with the absence of any antibiotic rejection of Black tiger shrimps (*Peaneus monodon*) in Japan since 2013, the 100% inspection at the Japanese ports for Black Tiger Shrimps from India was initially reduced to 30%, which was later brought down to minimum random routine inspections by December 2020.

9.5. Covid-19 guidelines for the seafood sector

A booklet on 'Covid-19 guidelines for the seafood sector' was brought out by MPEDA. Copies of the booklet were distributed among the stakeholders. An online training programme was also organized in September 2020 to familiarize the officers & staff of MPEDA, NETFISH and NaCSA on the booklet. These trained officers then conducted the field level training of the stakeholders at their premises. The field offices

के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी अधिकांश समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निरीक्षण किया है ताकि वे कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन कर सकें।

9.6 एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

मत्स्य और मत्स्य उत्पादों में अनधिकृत पदार्थों और पर्यावरण प्रदूषण के अवशेषों पर नियंत्रण की जाँच के लिए, एमपीईडीए ने पणधारियों को उन्नत और अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोच्चि, नेल्लोर, भीमावरम, भुवनेश्वर और पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। इसके अलावा, यह निर्यात आपूर्ति के लिए उत्पादित श्रिम्प पैदावारों की गुणवत्ता और ट्रेसीबीलीटी क्षमता सुनिश्चित करने में कृषक समुदाय का समर्थन करने के लिए तटीय राज्यों में एलिसा प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला भी संचालित करता है। एमपीईडीए की गुनि और एलिसा प्रयोगशालाओं की उपलब्धियां / कार्यकलाप इस प्रकार हैं।

9.6.1. राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी)

राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात करने के लिए देशों द्वारा लागू की जाने वाली एक वैधानिक आवश्यकता है। जलकृषि उत्पादों के लिए, यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ परिषद के निर्देश 96/23/ईसी के तहत एनआरसीपी एक पूर्व आवश्यकता है।भारत से निर्यात किए जाने वाले समुद्री उत्पादों (मत्स्य और मत्स्य उत्पादों) की गुणवत्ता पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, एमपीईडीए एनआरसीपी लागू कर रहा है। एमओसीएंडआई ने अधिसूचना एसओ सं 1034 (ई) दिनांक 09-09-2003 के तहत सक्षम प्राधिकारी, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की ओर से अवशेष निगरानी कार्य करने के लिए एमपीईडीए को प्रत्यायोजित किया। एनआरसीपी की अवधारणा, योजना और कार्यान्वयन एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं कोच्चि, नेल्लोर, भीमावरम और भुवनेश्वर द्वारा किया जाता है।

रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, इन प्रयोगशालाओं द्वारा एनआरसीपी 2020 के तहत कुल 7,490 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

9.6.2. संग्रहण पूर्व परीक्षण

निर्यात के लिए एंटीबायोटिक अवशेष मुक्त एक्वाकल्चर श्रिम्प उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, एमपीईडीए देश में 12 एलिसा स्क्रीनिंग लैब संचालित करता है, ये प्रयोगशालाएं संग्रहण से पहले एकत्र किए गए फार्म श्रिम्प नमूनों का परीक्षण करती हैं और स्क्रीनिंग के आधार पर पूर्व-हार्वेस्ट टेस्ट सर्टिफिकेट (पीएचटीसी) जारी किए जाते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 10,408 पूर्वहार्वेस्ट प्रमाणपत्र जारी किए गए। एलिसा प्रयोगशालाओं के कामकाज और नमूने और विश्लेषण की सटीकता को सत्यापित करने के लिए जाँच दौरे और निगरानी भी की जाती है।

विश्लेषण किए गए नमूनों का राज्य-वार सारांश (पीएचटीसी जारी)

क्र. सं.	राज्य	अप्रैल 2020 मार्च 2021
1	आंध्र प्रदेश	6213
2	पश्चिम बंगाल	975
3	तमिल नाडु	872
4	ओड़ीशा	1390
5	गुजरात	927
6	केरला	31
	कुल	**10,408**

of MPEDA have also inspected most of the seafood processing units for their adherence to the Covid -19 guidelines.

9.6 MPEDA QUALITY CONTROL LABS

In order to monitor the control over the residues of unauthorized substances and environmental contaminants in fish & fishery products, MPEDA has established Quality Control Laboratories at Kochi, Nellore, Bhimavaram, Bhubaneswar & Porbandar to provide advanced and state-of-the-art testing facilities to the stakeholders. In addition, it also operates a string of ELISA laboratories in coastal states to support the farming community to ensure the quality and traceability of the shrimp crops they have produced for export supply. The achievements / activities of the QC & ELISA labs of MPEDA are as follows:

9.6.1. National Residue Control Plan (NRCP)

The National Residue Control Plan (NRCP) is a statutory requirement to be implemented by the countries for exporting to EU countries. For aquaculture products, NRCP is a pre requirement under EU Council Directive 96/23/EC for export of marine products to the European Union. In order to ensure proper control on the quality of Marine products (fish & fishery products) exported from India, the MPEDA is implementing NRCP. MoC&I vide notification SO No.1034(E) dated 09.09.2003 delegated MPEDA to carry out the residue monitoring activity on behalf of the Competent Authority, the Export Inspection Council of India (EIC). The conceptualizing, planning and implementation of NRCP is undertaken by the MPEDA Quality Control Laboratories at Kochi, Nellore, Bhimavaram and Bhubaneswar.

During the reporting year, a total of 7,490 samples were analyzed by these labs under NRCP 2020.

9.6.2. Pre-Harvest Testing

To ensure antibiotic residue free aquaculture shrimp production for export, MPEDA operates 12 ELISA screening labs in the country, these labs test the farmed shrimp samples collected prior to harvest and Pre-Harvest Test Certificates (PHTC) are issued based on the screening. A total of 10,408 Pre-Harvest Certificates were issued during the year 2020-21. Monitoring visits and surveillance are also carried out to verify the functioning of ELISA Labs and accuracy of sampling and analysis.

STATE-WISE SUMMARY OF SAMPLES ANALYSED (PHTC ISSUED)

Sl. No.	State	April 2020- March 2021
1	Andhra Pradesh	6213
2	West Bengal	975
3	Tamil Nadu	872
4	Odisha	1390
5	Gujarat	927
6	Kerala	31
	TOTAL	**10,408**

9.6.3. पीएचटी वी 2.0 पोर्टल का शुभारंभ

पीएचटी वी 2.0 पोर्टल 26 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया, जहां ऑनलाइन पीएचटी के लिए अनुरोध करने और ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने हेतु कृषक के लिए एक अलग लॉगिन पेज दिया गया है। पोर्टल कृषक को उसकी पंजीकृत ईमेल आईडी में पीएचटी प्रमाणपत्र की एक प्रति भी लौटाता है, जिससे शुरू से अंत तक डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

9.6.4. राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी (एमपीआरएनएल)

कोच्चि में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला कृषि विभाग (एमओए) द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय स्तर (एमपीआरएनएल) पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के लिए एक परियोजना भी चला रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत के समुद्री राज्यों से अंतर्देशीय मत्स्य और क्रस्टेशियंस के कुल 316 नमूनों का विश्लेषण किया गया और परिणाम एमपीआरएनएल परियोजना समन्वयक को सूचित किया गया।

9.6.5. पोरबंदर में नई गुनि प्रयोगशाला की स्थापना

जैसे कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से भारी धातुओं (आर्सेनिक, कैडमियम, मर्क्युरी और लेड) की मौजूदगी के कारण समुद्री खाद्य की परेषण की अस्वीकृति अधिक है, इसलिए वहां के निर्यातक समुदाय ने एमपीईडीए से इस क्षेत्र में एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, भारी धातुओं और एंटीबायोटिक अवशेषों के परीक्षण के लिए पोरबंदर, गुजरात में एमपीईडीए द्वारा उन्नत परीक्षण उपकरणों के साथ एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। प्रयोगशाला का उद्घाटन 15 अगस्त 2020 को किया गया था। एनएबीएल द्वारा प्रयोगशाला का एकीकृत मूल्यांकन पूरा हो गया है और क्रमशः एनएबीएल और ईआईसी से प्रत्यायन और अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।

पोरबंदर में एमपीईडीए की नई गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला

9.6.3. Launch of PHT v2.0 portal

PHT v2.0 portal has been launched on 26th January 2021, where a separate login page for farmer is given to raise request for PHT in online and to make payment through online. The portal also returns a copy of the PHT certificate to the farmer in his registered email id, thereby providing end-to-end digital services.

9.6.4. Monitoring of Pesticide Residues at National Level (MPRNL)

The Quality Control lab at Kochi is also undertaking a project for Monitoring of Pesticide Residues at National Level (MPRNL) funded by Department of Agriculture (MoA). During the reporting year, a total of 316 samples of inland fishes and crustaceans from the maritime states of India were analyzed and the results were communicated to the MPRNL project coordinator.

9.6.5. Setting up of New QC lab at Porbandar

As rejection of seafood consignments due to the presence of Heavy metals (Arsenic, Cadmium, Mercury & Lead) from the Saurashtra region of Gujarat is high, the exporter community there has requested MPEDA to set up a Quality Control lab in the region. Accordingly, a Quality Control laboratory with advanced testing equipments was set up by MPEDA in Porbandar, Gujarat for testing of Heavy Metals and Antibiotic residues. The lab was inaugurated on 15th August 2020. Integrated assessment of the lab by NABL is completed and waiting for accreditation and approval from NABL and EIC respectively.

New MPEDA Quality Control Lab at Porbandar

9.6.6. भुवनेश्वर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का पुन शुभारंभ

भुवनेश्वर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला अपनी स्थापना के समय से ही किराए के भवन में कार्यरत थी। बाद में लैब को राप्तानी भवन, भुवनेश्वर में नए परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। 15 अगस्त 2020 को पुनर्निर्मित प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। सीफूड व्यापार की सेवा के लिए लैब को एनएबीएल प्रत्यायन मिला है।

भुवनेश्वर में पुनर्निर्मित एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला

9.6.7. एलिसा प्रयोगशालाओं की स्थापना

- एलिसा विश्लेषक की स्थापना के साथ, गुनि प्रयोगशाला कोच्चि ने मई 2020 से केरल में कृषकों को पीएचटी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नमूनों का विश्लेषण शुरू किया।
- बापटला (आंध्र प्रदेश), हरोआ और कोंटाई (पश्चिम बंगाल) में तीन एलिसा प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना / उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से ₹ 91.94 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई।

9.6.8. एमपीईडीए प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन /अनुमोदन स्थिति

एमपीईडीए की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा एनएबीएल और ईआईसी से प्राप्त अपने प्रथम प्रत्यायन और अनुमोदन को बिना किसी रुकावट के बनाए रखना जारी है। नेल्लोर और ओंगोल में एमपीईडीए एलिसा प्रयोगशालाओं ने एनएबीएल मान्यता प्राप्त की।

प्रयोगशालाओं की मान्यता और अनुमोदन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रयोगशाला	तक प्रमाणपत्र की वैधता (एनएबीएल और ईआईसी)
1	एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, कोच्चि	30.10.2021
2	एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, भीमावरम	24.10.2021
3	एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, नेल्लोर	23.05.2022
4	एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, भुवनेश्वर	07.02.2023
5	एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, पोरबंदर	स्वीकृति की प्रतीक्षा है
6	एमपीईडीए एलिसा स्क्रीनिंग लैब, ओंगोल	12.02.2023

9.6.6. Re-launch of Quality Control Lab at Bhubaneswar

Quality Control lab in Bhubaneswar was working in rented building since its establishment. Later the lab has been shifted to new premises in Raptani Bhavan, Bhubaneswar. The renovated lab was inaugurated on 15th August 2020. Lab has got accreditation from NABL to serve the seafood trade.

Renovated MPEDA Quality Control Lab at Bhubaneswar

9.6.7. Setting up of ELISA labs

- With the installation of ELISA analyzer, the QC lab Kochi started analyzing samples for issuing PHT Certificates to the farmers in Kerala from May 2020 onwards.
- Sanction of ₹ 91.94 lakh was received from Ministry of Food Processing Industries under the scheme- setting up / upgradation of Food Testing Laboratory, for setting up of three ELISA labs in Bapatla (Andhra Pradesh), Haroa and Contai (West Bengal).

9.6.8. Accreditation / Approval Status of MPEDA labs

Quality Control labs of MPEDA are continued to maintain their accreditation and approval from NABL and EIC without any break from their first accreditation & approval onwards. MPEDA ELISA labs in Nellore and Ongole attained NABL accreditation.

The details of accreditation and approval status of labs are detailed below:

Sl. No.	Lab	Certificate Validity upto (NABL and EIC)
1	MPEDA Quality Control Lab, Kochi	30.10.2021
2	MPEDA Quality Control Lab, Bhimavaram	24.10.2021
3	MPEDA Quality Control Lab, Nellore	23.05.2022
4	MPEDA Quality Control Lab, Bhubaneswar	07.02.2023
5	MPEDA Quality Control Lab, Porbandar	Approval awaited
6	MPEDA ELISA Screening Lab, Ongole	12.02.2023

कार्य के दायरे को बढ़ाने केलिए प्रयोगशाला कोच्चि और भीमावरम का एकीकृत मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और अनुमोदन की प्रतीक्षा में है। कोच्चि प्रयोगशाला ने माइक्रोबायोलॉजिकल मापदंडों को भी मंजूरी के दायरे में शामिल किया है। प्रयोगशाला पोरबंदर का पहला एकीकृत मूल्यांकन पूरा हो चुका है और अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे है।

9.6.9. प्रणाली विकास और नए मापदंडों का सत्यापन

यूरोपीय संघ की सिफारिश के अनुसार, एमोक्सिसिलिन पैरामीटर के लिए प्रणाली विकसित की गई है और ईसी/657/2002 आयोग के निर्णय के अनुसार मान्य है। मूल्यांकन समाप्त हो गया है और एनएबीएल और ईआईसी से अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।

9.6.10. दक्षता परीक्षा (पीटी) और अंतर प्रयोगशाला तुलना (आईएलसी) कार्यक्रम

दक्षता परीक्षण कार्यक्रम मान्यता प्राप्त पीटी प्रदाताओं द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं और विश्लेषण में विश्वसनीय परिणाम देने के लिए प्रयोगशालाओं की योग्यता की जांच और स्थापित करने के लिए अलग-अलग प्रयोगशालाओं द्वारा अंतर प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, प्रयोगशालाओं ने निम्नलिखित मानकों में सफलतापूर्वक भाग लिया हैः

क्र. सं.	पी टी कार्यक्रम	क्र. सं.	आईएलसी कार्यक्रम
1	क्लोराफेनिकोल	1	क्लोराफेनिकोल
2	एनएफ मेटाबोलाइटस	2	निरोइमिडाज़ोल्स
3	रंजक	3	अंथेल्मिटिक्स
4	क्विनोलोन्स	4	एफ़्लेटोक्सिन
5	बेटा लैक्टम्स		
6	टेट्रासाइक्लिन्स		
7	*वाइब्रिओ पैराहेमोलिटिकस*		
8	सालमोनेल्ला		

9.6.11. आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षा आईएसओ / आईईसी 17025 के अनुसार प्रबंधन आवश्यकताओं की जांच करने के लिए उपलब्ध उपकरण हैं और प्रयोगशाला द्वारा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। लेखापरीक्षा कैलेंडर के अनुसार एमपीईडीए गुनि प्रयोगशालाओं और एलिसा प्रयोगशालाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षकों को अन्य गुनि प्रयोगशालाओं से लिया जाता है। क्यूसी प्रयोगशालाओं के सभी कर्मचारी और अधिकारी आईएसओ/आईईसी 17025 के तहत प्रशिक्षित हैं और आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए सक्षम हैं।

9.6.12. राजस्व सृजनः

- एमपीईडीए ने अपने पूर्व हार्वेस्ट परीक्षण (पीएचटी) शुल्क को 01.08.2020 से ₹ 3000 + 18% जीएसटी बढ़ाया है। वर्ष 2020-21 में एमपीईडीए एलिसा प्रयोगशालाओं ने पूर्व हार्वेस्ट परीक्षण से ₹ 2.49 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।
- 2020-21 के दौरान, एमपीईडीए गुनि प्रयोगशाला और माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला ने वाणिज्यिक नमूनों के परीक्षण के माध्यम से ₹ 26.59 लाख जुटाए हैं, जिसमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, हैचरी, खेतों, फ़ीड मिलों, जलकृषि इनपुट आपूर्तिकर्ताओं आदि से "शफरी" प्रमाणन योजना के तहत नमूने भी शामिल हैं।
- एन.आर.सी.पी. के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक सहायता के लिए भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद से ₹ 2.00 करोड़ का अंशदान प्राप्त हुआ।
- खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना/उन्नयन के लिए योजनान्तर्गत एमपीईडीए मुख्यालय स्थित माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला को ₹ 19.68 लाख की सहायता प्राप्त हुई है।

Integrated assessment of lab Kochi and Bhimavaram has been completed for enhancement of scope and waiting for approval. Kochi lab has included microbiological parameters also under the scope for approval. The first integrated assessment of lab Porbandar has been completed and waiting for approval.

9.6.9. Method Development and Validation of new parameters

As per the recommendation of EU, method has been developed for the parameter Amoxicillin and validated as per the EC/657/2002 commission decision. Assessment is over and waiting for approval from NABL and EIC.

9.6.10. Proficiency Test (PT) and Inter Laboratory Comparison (ILC) Programmes

Proficiency Test Programmes are international programmes organized by accredited PT providers and Inter Laboratory Comparison programmes are organized by the individual labs for checking and establishing the competency of laboratories to produce reliable results in analysis. During the reporting year, the labs have participated successfully in the following parameters:

Sl. No.	PT Programmes	Sl. No.	ILC Programmes
1	Chloramphenicol	1	Chloramphenicol
2	NF Metabolites	2	Niroimidazoles
3	Dyes	3	Anthelmintics
4	Quinolones	4	Aflatoxin
5	Beta lactams		
6	Tetracyclines		
7	*Vibrio parahaemolyticus*		
8	Salmonella		

9.6.11. Internal Audits

Internal Audits are tools available as per ISO / IEC 17025 to check management requirements and technical requirements are met by the laboratory. The Internal Audit of MPEDA QC labs & ELISA labs was conducted as per the audit calendar. The auditors are drawn from other QC laboratories. All staff and officials of QC labs are trained under ISO / IEC 17025 and are competent to conduct the internal audits.

9.6.12. Revenue Generation:

- MPEDA has enhanced its Pre Harvest testing (PHT) fee to ₹ 3000 + 18% GST w.e.f. 01.08.2020. MPEDA ELISA labs have generated ₹ 2.49 Crore revenue from Pre Harvest Testing in 2020-21.
- During 2020-21, MPEDA QC labs and Microbiology lab has raised ₹ 26.59 lakh by way of testing commercial samples, which also include samples under "SHAPHARI" certification scheme, from seafood processing units, hatcheries, farms, feed mills, aquaculture input suppliers etc.
- A contribution of Rs 2.00 Crore was received from Export Inspection Council of India towards annual assistance for implementation of NRCP.
- Microbiology lab at MPEDA HO has received an assistance of ₹ 19.68 lakh under the scheme for setting up / upgradation of Food Testing Laboratory.

9.6.13. गुनि अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण बैठक / संगोष्ठी / कार्यशाला / प्रशिक्षण में भागीदारी

क्र.सं.	अधिकारियों का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि (दिन)
1	श्री डी. वेणुगोपाल, सहायक निदेशक, प्रयोगशाला नेल्लोर श्रीमती अनीसा टीए, तकनीकी अधिकारी, प्रयोगशाला कोच्चि	आईएसओ 17034:2016 संदर्भ सामग्री उत्पादकों पर जागरूकता कार्यक्रम	1
2	श्री किशोर वानिया कुमार, सहायक निदेशक, प्रयोगशाला पोरबंदर डॉ. बीजी के बी, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, प्रयोगशाला कोच्चि	आईएसओ 17025:2017 एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	4
3	डॉ. बीजी के बी, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, प्रयोगशाला कोच्चि	रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर कार्यशाला	4
4	डॉ. ई.सी. अभिलाष, सहायक निदेशक, प्रयोगशाला कोच्चि	एकीकृत मूल्यांकन, आयात करने वाले देश और देशीय नियामक आवश्यकताएं (ऑनलाइन)	2
5	श्रीमती बीबी वी सी, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, प्रयोगशाला कोच्चि	एचपीएलसी कॉलम अनुरक्षण पर प्रशिक्षण (ऑनलाइन)	1
6	श्री राहुल आर, लैब सहायक, प्रयोगशाला कोच्चि	आईएसओ/आईईसी 17025:2017 (ऑनलाइन) के अनुसार अनिश्चितता मापन और निर्णय नियम	2
7	श्रीमती सुमा ए., सहायक निदेशक, प्रयोगशाला कोच्चि	1 परीक्षण के परिणामों की वैधता सुनिश्चित करना 2 प्रयोगशाला के हाउस-कीपिंग के 5एस 3 आईएसओ 17025:2017 खंड 7.2.1.5 के अनुसार प्रणाली सत्यापन।	2 1 1
8	श्रीमती अनीसा टी.ए., तकनीकी अधिकारी, प्रयोगशाला कोच्चि श्री अरुणाश्री बी, तकनीकी अधिकारी, प्रयोगशाला पोरबंदर	एनएबीएल एसेसर ट्रेनिंग कोर्स लेवल-1 (ऑनलाइन)	3
9	श्री रूपक, तकनीकी अधिकारी, गुनि प्रयोगशाला, भीमावरम	1 एकीकृत मूल्यांकन : आयात करने वाले देश और देशीय विनियम आवश्यकताएं 2 मान्य विधि का सत्यापन और संदर्भ समाधान की एकरूपता और स्थिरता, 3 आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के खंड 7.7 के अनुसार परीक्षा परिणामों की वैधता सुनिश्चित करना।	1 1 1
10	श्रीमती डी. वनिता, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, प्रयोगशाला भीमावरम	मापन अनिश्चितता भौतिक और रासायनिक माप	2

9.6.14. महत्वपूर्ण बैठकें/वेबिनार

क. अध्यक्ष, एमपीईडीए ने 10 अगस्त 2020 और 22 दिसंबर 2020 को सामान्य प्रशासन और सीमा शुल्क, चीन (जीएसीसी) के साथ डीओसी द्वारा आयोजित वीसी बैठकों में भाग लिया, और सीफूड आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय समुद्री खाद्य क्षेत्र द्वारा अपनाई गई रणनीतियों को प्रस्तुत किया। जीएसीसी से यह भी अनुरोध किया गया था कि श्रिम्प कार्गो में डब्ल्यूएसएसवी / आईएचएचएनवी की उपस्थिति के लिए जैव सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण 12 इकाइयों के निलंबन को हटाने के अलावा, व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया जाए।

ख. श्री वी. विनोद, उप निदेशक (गुनि) ने 24 अगस्त 2020 को आयोजित फार्मों के प्रमाणन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उप समिति की दूसरी बैठक में भाग लिया।

9.6.13. Participation in important meeting / seminar / workshop / Training by QC officials

Sl. No.	Name of Official (s)	Training Programme	Duration (days)
1	Shri D Venugopal, Assistant Director, Lab Nellore Smt. Aneesa T A, Technical Officer, Lab Kochi	ISO 17034:2016-Awareness programme on Reference Material Producers	1
2	Shri Kishor Vaniya Kumar, Assistant Director, Lab Porbandar Dr. Biji K B, Jr. Technical Officer, Lab Kochi	ISO 17025:2017 & Internal Audit	4
3	Dr. Biji K B, Jr. Technical Officer, Lab Kochi	Workshop on Antimicrobial Resistance	4
4	Dr. E. C. Abhilash, Assistant Director, Lab Kochi	Integrated Assessment, Importing countries and Domestic regulatory requirements (Online)	2
5	Smt. Bibi V C, Jr. Technical Officer, Lab Kochi	Training on HPLC Column Maintenance (Online)	1
6	Shri Rahul R, Lab Assistant, Lab Kochi	Uncertainty Measurement & Decision rule as per ISO/IEC 17025:2017 (Online)	2
7	Smt. Suma A, Assistant Director, Lab Kochi	1. Ensuring Validity of Test results. 2. 5S of house-keeping of Laboratory. 3. Method Verification as per ISO 17025:2017 clause 7.2.1.5.	2 1 1
8	Smt. Aneesa T A, Technical Officer, Lab Kochi Shri Arunasri B, Technical Officer, Lab Porbandar	NABL Assessor Training course Level-1(Online)	3
9	Shri Roopak, Technical Officer, QC Lab Bhimavaram	1 Integrated Assessments: Importing countries and domestic regulations requirements. 2 Verification of Validated Method and Homogeneity & Stability of Reference Solution. 3. Ensuring validity of test results as per Clause 7.7 of ISO/IEC 17025:2017.	1 1 1
10	Smt. D Vanitha, Jr. Technical Officer, Lab Bhimavaram	Measurement Uncertainty Physical & Chemical measurements	2

9.6.14. Important meetings/Webinars

a. Chairman, MPEDA attended the VC meetings organized by DOC with the General Administration and Customs, China (GACC) on 10th August 2020 and 22nd December 2020, and presented the strategies adopted by Indian seafood sector in preventing the Spread of COVid-19 virus through seafood supply chain. GACC was also requested to consider the requests placed by India in enhancing the trade, besides lifting the suspension of 12 units due to violations in bio security regulations for the presence of WSSV / IHHNV in shrimp cargo.

b. Shri. V. Vinod, Deputy Director (QC) attended the 2nd meeting of the Sub Committee for drafting guideline for Certification of Farms held on 24th August 2020.

ग. डॉ. बिजी के.बी., ने "विश्व मत्स्य बाजारः अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग बनाम महामारी" पर वेबिनार में भाग लिया जिसे 22 सितंबर 2020 को फेडरल एजेंसी फॉर फिशरीज, ऑल रशियन एसोसिएशन ऑफ फिशरी एंटरप्राइजेज, एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपोर्टर्स द्वारा आयोजित किया गया।

घ. निदेशक, उप निदेशक (एक्वा) और उप निदेशक (गुनि) ने 16 नवंबर, 2020 को आयोजित 'एशिया और प्रशांत में जलीय प्राणियों में जिम्मेदार और विवेकपूर्ण रोगाणुरोधी उपयोग (एएमयू)' पर एक ओआईई वेबिनार में भाग लिया।

ड. संयुक्त निदेशक (गुनि) ने भारत में श्रिम्प में व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस (डब्ल्यूएसएसवी) और संक्रामक हाइपोडर्मल और हेमटोपोइएटिक नेक्रोसिस वायरस (आईएचएचएनवी) की घटना की स्थिति का अध्ययन करने के लिए मत्स्यन विभाग द्वारा गठित तकनीकी समिति की बैठकों में भाग लिया।

9.6.15.अन्यः

- एमपीईडीए गुनि प्रयोगशालाओं ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में श्रृंखला को तोड़ने के उपाय के रूप में 2020-21 के दौरान प्रयोगशाला कर्मचारियों और संबंधित कार्यालयों को डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त फॉर्मूलेशन के अनुसार हैंड सैनिटाइज़र का उत्पादन और आपूर्ति की।
- एमपीईडीए क्यूसी और एलिसा प्रयोगशालाओं ने सार्वजनिक डोमेन में पणधारियों के लाभ के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले परीक्षण सेवाओं के शुल्क को प्रकाशित किया है।

10.0 एमपीईडीए के तहत सोसायटी

10.1 राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए)

राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए) विविध जलकृषि को बढ़ावा देने के लिए एमपीईडीए की एक अनुसंधान एवं विकास शाखा है। पिछले दो दशकों से आरजीसीए द्वारा विविध जलकृषि और श्रिम्प जलकृषि के संबद्ध क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं, जिससे सीधे जरूरतमंद किसानों और उद्यमियों को लाभ हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरजीसीए द्वारा की गई उपलब्धियां नीचे सारणीबद्ध हैं।

क. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान आरजीसीए से बीज और अन्य उत्पाद की बिक्री

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बीज/अन्य उत्पाद	वित्तीय वर्ष 2020-21	
			लाभार्थियों की संख्या	बीज आपूर्ति की संख्या
1	सीबास हैचरी, थोडुवई, टीएन	सीबास बीज संख्या	392	32,10,142
2	मड कैब हैचरी थोडुवई, टीएन	कैबिनस्टार संख्या	36	4,38,735
3	एक्वाकल्चर डेमो फार्म कराईकल (यूटी)	कैबलेट्स संख्या	8	16,254
		सीबास फिंगरलिंग्स संख्या	5	560
4	गिफ्ट तिलापिया हैचरी विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	गिफ्ट बीज संख्या	68	1,06,73,654
		गिफ्ट ब्रूडफ्राई संख्या	8	12,480
5	एल वन्नामी के लिए ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्र वैजाग, आंध्र प्रदेश	बीएमसी द्वारा एल. वन्नामी का पालन ब्रूडस्टॉक्स संख्या	29	18,910
6	मरीन फिनफिश हैचरी पॉंझियूर, केरल	पोम्पोनों संख्या	1	1,500

c. Dr. Biji K B, attended webinar on "World Fish Market: International Co-operation Division Vs. Pandemic" on 22nd September 2020, organized by Federal Agency for Fisheries, All Russian Association of Fishery Enterprises, Entrepreneurs and Exporters.

d. Director, Deputy Director (Aqua) & Deputy Director (QC) attended a OIE Webinar on 'Responsible and Prudent Antimicrobial Use (AMU) in Aquatic Animals in Asia and the Pacific' held on 16th November, 2020.

e. Joint Director (QC) attended the meetings of the Technical Committee constituted by Dept. Of Fisheries to study the 'Situation of occurrence of White spot syndrome virus (WSSV) and Infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus (IHHNV) in shrimp in India'.

9.6.15. Other:

- MPEDA QC labs have produced and supplied hand sanitizers as per WHO recognized formulation to the lab staff and associated offices during 2020-21 as a measure to 'Break the chain' in the country's fight against Covid-19 pandemic.
- MPEDA QC and ELISA labs have published the fee for testing services in the public domain for the benefit of stakeholders ensuring transparency.

10.0 SOCIETIES UNDER MPEDA

10.1 RAJIV GANDHI CENTRE FOR AQUACULTURE (RGCA)

Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA) is a Research & Development arm of the MPEDA for promoting diversified aquaculture. For the past two decades several achievements have been made by RGCA in diversified aquaculture and allied sector of shrimp aquaculture which directly benefitted the needy farmers & entrepreneurs. The achievements made by RGCA during FY-2020-21are tabulated below.

A. Sale of seed and other produce from RGCA during Financial Year 2020 –2021

Sl. No	Name of the Project	Seed/other produce	FY 2020-21	
			No. of Beneficiaries	No. of seed supplied
1	Seabass Hatchery Thoduvai, TN	Seabass seeds [nos.]	392	32,10,142
2	Mud crab Hatchery Thoduvai, TN	Crabinstar [nos.]	36	4,38,735
3	Aquaculture Demo Farm Karaikal (UT)	Crablets [nos.]	8	16,254
		Seabass Fingerlings [nos.]	5	560
4	GIFT Tilapia Hatchery Vijayawada, Andhra Pradesh	GIFT seeds [nos.]	68	1,06,73,654
		GIFT Brood-fry [nos.]	8	1,2480
5	Broodstock Multiplication Centre for L. vannamei Vizag, Andhra Pradesh	BMC reared L. vannamei Broodstocks [nos.]	29	18,910
6	Marine Finfish Hatchery Pozhiyoor, Kerala	Pompano seeds [nos.]	1	1,500

7	एल वन्नामी, चेन्नई, टीएन. के लिए जलीय संगरोध सुविधाएं	एक्यूएफ क्वारंटाइन (एल वन्नामी) ब्रूडस्टॉक्स संख्या		390	2,59,873
8	आर्टेमिया डेमो फार्म तरुवाइकुलम और उप्पूर, टीएन	आर्टेमिया	बायोमास (किग्र)	22	490.3
			सीस्ट (टिन्स)	15	370
9	बहुप्रजाति एक्वाकल्चर कॉम्प्लेक्स (मैक) वल्लारपाडमम, केरल	गिफ्ट बीज संख्या		1,787	39,85,510
		सीबास फिंगरलिंग्स संख्या		247	3,53,421
		पोम्पोनों फिंगरलिंग्स संख्या		5	2,415
		पी. मोनोडोन संख्या		22	14,76,200
		एट्रोप्लससीड संख्या		60	10,290

ख. वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान एमपीईडीए-आरजीसीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम

क्र.संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम नाम	प्रशिक्षणों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1.	एशियाई सीबास एक्वाकल्चर के लिए उत्तम पशुपालन प्रथाएं	09	360
2.	मैंग्रोव मड कैब एक्वाकल्चर	07	241
3.	प्रजनन, बीज उत्पादन और विकासआनुवंशिक रूप से उन्नत खेती की गई तिलापिया (जीआईएफटी)	04	139
4.	समुद्री फिन मत्स्यों का पिंजरा कल्चर	03	57
5.	लाइव फीड कल्चर मरीन हैचरी ऑपरेशन	01	31
6.	आर्टेमिया एक्वाकल्चर	01	38
7.	एक्वाकल्चर पैथोलॉजी	05	109
8.	जलकृषि आनुवंशिकी	05	117
	कुल	35	1092
	वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 मार्च 2021 के दौरान जागरूकता कार्यक्रम		
1	विविध जलकृषि पर कृषक सम्मेलन	04	319
2	जागरूकता कार्यक्रम	01	25
	कृषक सम्मेलन और जागरूकता कार्यक्रम की कुल संख्या	05	344

ग. वित्तीय वर्ष 2020 2021 के दौरान आरजीसीए की एनएबीएल मान्यता प्राप्त पैथोलॉजी प्रयोगशाला में रोग़जनक़ का पता लगाने के लिए एक्वाकल्चर नमूनों का विश्लेषण किया गया।

विश्लेषण किए गए नमूनों का नाम	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
पीसीआर परीक्षण	10,513	485
जल विश्लेषण और सूक्ष्म जीव विज्ञान	2,476	
हिस्टोपैथोलोजी	6,610	
बीज परीक्षण	670	

7	Aquatic Quarantine Facilities for L. vannamei, Chennai, TN	AQF quarantined (*L. vannamei*) Broodstocks [nos.]		390	2,59,873
8	Artemia Demo Farm Tharuvaikulam & Uppoor, TN	Artemia	Biomass (Kg)	22	490.3
			Cyst (tins)	15	370
10	Multispecies Aquaculture Complex (MAC) Vallarpadam, Kerala	GIFT Seeds [nos.]		1787	39,85,510
		Seabass Fingerlings [nos.]		247	3,53,421
		Pompano Fingerlings [nos.]		5	2415
		P. monodon [nos.]		22	14,76,200
		Etroplusseed [nos.]		60	10,290

B. Training & Awareness Programmes organized by MPEDA-RGCA during the Financial Year 2020 - 2021

Sl. No.	Name of the Training Programme	No. of Trainings	No. of Beneficiaries
1.	Best Husbandry Practices for Asian Seabass Aquaculture	09	360
2.	Mangrove Mud Crab Aquaculture	07	241
3.	Breeding, Seed Production and Grow – out farming of Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT)	04	139
4.	Cage Culture of Marine Fin Fishes	03	57
5.	Live feed Culture of Marine Hatchery Operation	01	31
6.	Artemia Aquaculture	01	38
7.	Aquaculture Pathology	05	109
8.	Aquaculture Genetics	05	117
	Total	**35**	**1092**
Awareness Programmes during the Financial Year April 2020 - March 2021			
1	Farmer’s Meet on Diversified Aquaculture	04	319
2	Awareness Programmes	01	25
Total Nos. Farmer’s Meet & Awareness Programmes		05	344

C. Aquaculture samples analysed for pathogen detection at RGCA’s NABL Accredited Pathology Laboratory during FY 2020 - 2021

Name of the samples analysed	No. of samples tested	No. of. Beneficiaries
PCR testing	10,513	485
Water Analysis & Microbiology	2,476	
Histopathology	6,610	
Seed testing	670	

घ) वित्त वर्ष 2020 2021 के दौरान आरजीसीए की एनएबीएल मान्यता प्राप्त आनुवंशिकी प्रयोगशाला में आनुवंशिक जांच के लिए जलकृषि नमूनों का विश्लेषण किया गया।

विश्लेषण किए गए नमूनों का नाम	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
प्राप्त नमूने	484	138
डीएनए निष्कर्षण	878	
पीसीआर परीक्षण	4380	
अनुक्रमण	496	

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आरजीसीए द्वारा प्रमुख उपलब्धियां:

i) आरजीसीए की तीन मिलियन क्षमता वाली सीबास हैचरी ने कृषकों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, मत्स्य पालन विभागों, आईसीएआर संगठनों, बहुप्रजाति एक्वाकल्चर कॉम्प्लेक्स (मैक), वल्लारपाडम, को 3.21 मिलियन से अधिक सीबास बीज (फ्राई और फिंगरलिंग) की आपूर्ति की। एमपीईडीए और आरजीसीए प्रदर्शन कार्यक्रम; आठ राज्यों के 636 कृषक और उद्यमी लाभान्वित हुए।

ii) टाइगर श्रिम्प प्रोजेक्ट के डोमेस्टिकेशन ने सुविधा में 10वीं पीढ़ी के टाइगर श्रिम्प पीढ़ी का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है और वर्तमान में कोडियाघाट, दक्षिण अंडमान में परियोजना के एनबीसी में लगभग 50 विशिष्ट रोग़जनक्र मुक्त (एसपीएफ़) पीढ़ी हैं। इस परियोजना ने प्राथमिक संगरोध इकाई के एक निजी कृषकों को लार्वा के बाद 70, 000 उच्च स्वास्थ्य वाले टाइगर श्रिम्प भी बेचे।

iii) विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में आरजीसीए की तिलपिया परियोजना ने पूरे भारत में आईसीएआर संस्थानों, अनुसंधान और शैक्षिक, लाइसेंस प्राप्त कृषकों सहित 76 लाभार्थियों को 10.7 मिलियन से अधिक सभी नर बीज बेचा है।

iv) आर्टेमिया परियोजना ने 370 टन आर्टेमिया सिस्ट का उत्पादन और आपूर्ति की है और 490 किलोग्राम शीतित आर्टेमिया बायोमास को 37 श्रिम्प हैचरी, आलंकारिक मत्स्य प्रजनन इकाइयों और अनुसंधान संगठनों को आपूर्ति की।

v) आरजीसीए के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण प्रभाग ने भारत के विभिन्न राज्यों के 1092 प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हुए 35 व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

vi) आरजीसीए की एनएबीएल मान्यता प्राप्त सेंट्रल एक्वाकल्चर पैथोलॉजी लैबोरेटरी (सीएपीएल) ने रोग़जनक्रों का पता लगाने, सूक्ष्म जीव विज्ञान, पानी की गुणवत्ता परीक्षण, हिस्टोपैथोलॉजी और बीज स्वास्थ्य विश्लेषण के लिए पीसीआर सहित 20,269 परीक्षण किए, जिससे 598 कृषकों और उद्यमियों को लाभ हुआ। जनवरी 2021 के दौरान, प्रयोगशाला ने मड कैब रियो वायरस (एमसीआरवी) की पहचान वाइल्ड कैच मड कैब, स्काइला सेराटा से की।

vii) सीएपीएल ने जर्नल ऑफ इनवर्टेब्रेट पैथोलॉजी (एल्सेवियर 179:2021) में "भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित श्रिम्प फार्मों में रोग की आपात की निगरानी और विब्रियो पैराहामोलिटिकस के खिलाफ प्रोबायोटिक्स की इन विट्रो जीवाणुरोधी प्रभावकारिता" नामक एक शोध पत्र प्रकाशित किया। लेखक हैं बी बाबू, जी सत्यराज, अनूप मंडल, एस कंडन, एन बीजू, एस पलानीसामी, एस यू, आर जी निशा और एन एम प्रभु।

viii) आरजीसीए के सेंट्रल एक्वाकल्चर जेनेटिक्स लेबोरेटरी (सीएजीएल) से अंतर्राष्ट्रीय जर्नल बायोकेमिकल जेनेटिक्स (स्प्रिंगर) में "मल्टीपल मॉलिक्यूलर मार्करों का उपयोग करके सभी चार-मैंग्रोव मड कैब एसपीपी (जीनस। स्काइला) की आनुवंशिक पहचान" नामक एक शोध पत्र को स्वीकार किया गया है। लेखक मंडल ए., अंजलि के.एम., रुबन एल., आनंदजोति ई., अरासु एस.वी., दिनकरन जी.के., क्विनिटियो ई.टी. और कंडन एस.

ix) एनसीबीआई जेनबैंक में 19 आंशिक जीन अनुक्रम प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें 03 पंपस एसपीपी (अभिवृद्धि नंबर एमटी 627167 से एमटी 627169), 11 लेट कैल्केरिफ़र (अभिवृद्धि नंबर एमड्ब्लू 506035 से एमड्ब्लू 506045) और सीएजीएल, आरजीसीए द्वारा 5 ग्रुपर एसपी (अभिवृद्धि नंबर एमड्ब्लू 506030 से एमड्ब्लू 506034) शामिल हैं।

x) 11 मार्च 2021 को आरजीसीए-मुख्यालय परिसर में आगामी सेंट्रल एक्वाकल्चर डिजीज डायग्नोस्टिक एंड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज (सीएडीडीएफटीएल) की आधारशिला रखी गई। जो एमओएफपीआई और एमपीईडीए-आरजीसीए द्वारा वित्त पोषित है।

D Aquaculture samples analysed for genetic investigations at RGCA's NABL Accredited Genetics Laboratory during FY 2020 - 2021

Name of the samples analysed	No. of samples tested	No. of Beneficiaries
Samples collected	484	138
DNA extraction	878	
PCR testing	4,380	
Sequencing	496	

Major achievements by RGCA during FY 2020-21:

i) The three million capacity Seabass Hatchery of RGCA has been supplied more than 3.21 million Seabass seeds (fry & fingerlings) to the farmers, Universities, Research Institutes, Fisheries Departments, ICAR organizations, Multi-species Aquaculture Complex (MAC), Vallarpadam, MPEDA and RGCA Demonstration programmes; 636 farmers and entrepreneurs from eight states were benefited.

ii) The Domestication of Tiger shrimp Project has successfully produced 10th generation tiger shrimp families at the facility and presently holding nearly 50 Specific Pathogen Free (SPF) families at the NBC of the project at Kodiyaghat, South Andamans. The project also sold 70, 000 numbers of High health tiger shrimp post larvae to a private farmer from Primary Quarantine Unit.

iii) The Tilapia Project of RGCA at Vijayawada, Andhra Pradesh has sold more than 10.7 million of all male seed sales to 76 beneficiaries comprising ICAR institutes, Research and Educational, Licensed farmers all over India.

iv) The Artemia project has produced and supplied 370 tons of Artemia cysts and 490 kg of frozen Artemia Biomass were supplied to 37 shrimp hatcheries, ornamental fish breeding units and research organizations.

v) The Technology Transfer and training division of RGCA organized 35 hands-on training programmes benefitting 1092 participants from various states of India.

vi) The NABL accredited Central Aquaculture Pathology Laboratory (CAPL) of RGCA performed 20,269 tests including PCR for pathogen detection, microbiology, water quality testing, histopathology and seed health analysis benefitting 598 farmers and entrepreneurs. During January 2021, the laboratory identified Mud Crab Reo Virus (MCRV) from the wild catch mud crab, Scylla serrata.

vii) The CAPL has published a research paper entitled "Surveillance of disease incidence in shrimp farms located in the east coastal region of India and in vitro antibacterial efficacy of probiotics against Vibrio parahaemolyticus" in the Journal of Invertebrate Pathology (Elsevier 179: 2021). The authors are: B. Babu, G. Sathiyaraj, Anup Mandal, S. Kandan, N. Biju, S. Palanisamy, S. You, R. G. Nisha and N. M. Prabhu.

viii) A research paper entitled "Genetic identification of all four-mangrove mud crab spp (Genus. Scylla) using multiple molecular markers" has been accepted in the International journal Biochemical Genetics (Springer) from the Central Aquaculture Genetics Laboratory (CAGL) of RGCA. Authors: Mandal A., Anjali K.M., Ruban L., Anandajothi E., Arasu S.V., Dinakaran G.K., Quinitio E.T. and Kandan S.

ix) 19 partial gene sequences have been published in NCBI GenBank including 03 Pampus spp (Accession Number: MT627167 to MT627169), 11 Lates calcarifer (Accession Number: MW506035 to MW506045) and 5 Grouper sp (Accession Number: MW506030 to MW506034) by CAGL, RGCA.

x) The foundation stone was laid for the upcoming Central Aquaculture Disease Diagnostic & Food Testing Laboratories (CADDFTL) at RGCA-HQ premises on 11th March 2021, which is funded by

xi) आरजीसीए के एल. वन्नामी ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्र से, लगभग 18910 एसपीएफ़ एल. वन्नामी ब्रूडस्टॉक का उत्पादन किया गया और 29 परेषणों में सीएए अनुमोदित हैचरी को आपूर्ति की गई।

xii) आरजीसीए की जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ) एल. वन्नामी के लिए दुनिया भर में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित सात ब्रूडस्टॉक केंद्रों से 189 सीएए अनुमोदित हैचरी द्वारा आयातित 2,76,346 ब्रूडरों का संगरोध किया गया। इस अवधि के दौरान 389 बैचों में ब्रूडर का आयात किया गया।

xiii) इस सुविधा ने देश के दो ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्रों से 1,92,000 पीपीएल का आयात भी दर्ज किया, एक आरजीसीए-बीएमसी से और दूसरा निजी बीएमसी से। आयातित चार लार्वा बैचों में से, निजी बीएमसी द्वारा आयातित बैच को डीएनए वायरल (पार्वोवायरस) की उपस्थिति के लिए एक्यूएफ पीसीआर प्रयोगशाला द्वारा गैर एसपीएफ़ पाया गया।

xiv) एक्यूएफ ने सीएए द्वारा अनुमोदित एसपीएफ पी. मोनोडोन हैचरी द्वारा आयातित एसपीएफ पी. मोनोडोन ब्रूडर्स के संगरोध संचालन की शुरुआत देखी। आयातित और संगरोध किए गए ब्रूडरों की कुल संख्या 2605 थी।

xv) एमपीईडीए-आरजीसीए के बहु-प्रजाति एक्वाकल्चर कॉम्प्लेक्स (एमएसी) ने 4.12 मिलियन गिफ्ट बीज, 1.22 मिलियन उच्च स्वास्थ्य ब्लैक टाइगर श्रिम्प बीज, एशियाई समुद्री बास के 0.31 मिलियन फिंगरलिंग, पर्ल-स्पॉट के 0.015 मिलियन बीज और 3.02 मीट्रिक टन जीवित मत्स्य बेचे हैं। मैक के लिए निर्धारित कुल वित्तीय लक्ष्य ₹ 3.56 करोड़ था और उपलब्धि ₹ 3.63 करोड़ थी।

आरजीसीए में विभिन्न परियोजनाओं में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

क) 25 फरवरी, 2021 को मैक, वल्लारपाडम में जलीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन

श्री एस. सुहास, भाप्रसे, जिला कलेक्टर, एर्नाकुलम ने मैक, वल्लारपाडम, कोच्चि में एमपीईडीए-आरजीसीए द्वारा स्थापित नई जलीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला (एएडीडीएल) का उद्घाटन किया। प्रयोगशाला आणविक निदान के साथ-साथ सूक्ष्म जीव विज्ञान और जल रसायन विश्लेषण के लिए आरटी-पीसीआर सहित सभी आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। यह संवर्धित श्रिम्प /मत्स्य के रोगों के निदान के लिए एक विशिष्ट प्रयोगशाला है।

श्री. एस. सुहास, आईएएस, जिला कलेक्टर, एर्नाकुलम, मैक, वल्लारपाडम में एएडीडीएल का उद्घाटन करते हुए

MOFPI & MPEDA-RGCA.

xi) From L. vannamei Broodstock Multiplication Centre of RGCA, about 18,910 nos of SPF L. vannamei broodstock were produced and supplied to CAA approved hatcheries in 29 consignments.

xii) The Aquatic Quarantine Facility (AQF) of RGCAfor L. vannameiquarantined 2,76,346 brooders, imported by 189 CAA approved hatcheries, from seven broodstock centres located at various regions across the globe. The brooders were imported in 389 batches, during this period.

xiii) The facility also registered an import of 1,92,000 PPL from the two Broodstock Multiplication Centres of the country, one from RGCA –BMC and the other from the private BMC. Among the four larval batches imported, the batch imported by the private BMC was found to be non-SPF by the AQF PCR laboratory for the presence of the DNA viral (parvovirus).

xiv) The AQF witnessed the commencement of quarantine operation of SPF P. monodon brooders imported by CAA approved SPF P. monodon hatcheries. The total quantity of brooders imported and quarantined were 2605 nos.

xv) The Multispecies Aquaculture Complex (MAC) of MPEDA-RGCA has sold 4.12 million GIFT seeds, 1.22 million high health Black tiger shrimp seeds, 0.31million fingerlings of Asian seabass, 0.015 million seeds of Pearl-spot and 3.02MT live fish. The total financial target set for MAC was ₹ 3.56 Crore and the achievement was ₹ 3.63 Crore

IMPORTANT EVENTS HELD IN VARIOUS PROJECTS AT RGCA

A) Inauguration of Aquatic Animal Disease Diagnostic Laboratory at MAC, Vallarpadam on 25th February, 2021

Shri S. Suhas IAS, Dist. Collector, Ernakulam inaugurated the new Aquatic Animal Disease Diagnostic Laboratory (AADDL) set up by MPEDA –RGCA at MAC, Vallarpadam, Kochi. The Laboratory is equipped with all modern equipments including RT-PCR for molecular diagnosis as well as microbiology and water chemistry analysis. It is an exclusive laboratory for diagnosing diseases of cultured shrimp / fish.

Shri. S. Suhas, IAS, Dist. Collector, Ernakulam inaugurating the AADDL at MAC, Vallarpadam

उद्‌घाटन समारोह में गणमान्य व्यक्ति डॉ. टी. जी. मनोजकुमार, परियोजना प्रबंधक, मैक; डॉ. एस. कंडन, परियोजना निदेशक, आरजीसीए; श्री. के एस श्रीनिवास, आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए और अध्यक्ष, आरजीसीए; श्री. एस सुहास, आईएएस, जिला कलेक्टर, एर्नाकुलम; श्री. के एस प्रदीप, आईएफएस, सचिव, एमपीईडीए; डॉ. एम. कार्तिकेयन, निदेशक, एमपीईडीए; श्री. बी. श्रीकुमार, पूर्व सचिव, एमपीईडीए

वर्तमान में एमपीईडीए-आरजीसीए तमिलनाडु के सिरकाली में आरजीसीए मुख्यालय में एक विशेष रोग निदान प्रयोगशाला संचालित कर रहा है। यह देश में पहली एनएबीएल मान्यता प्राप्त एक्वाकल्चर पैथोलॉजी प्रयोगशाला है। कोचीन में इस नई प्रयोगशाला की स्थापना के माध्यम से एमपीईडीए का उद्देश्य पश्चिमी तट जलकृषि कृषकों के लिए तेजी से और विश्वसनीय रोग निदान सेवा प्रदान करना है।

श्री. के एस श्रीनिवास, आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए और अध्यक्ष, आरजीसीए और श्री एस सुहास, आईएएस, जिला कलेक्टर, एर्नाकुलम मैक में एडीडीएल प्रयोगशाला की विभिन्न सुविधाओं का मुआयना करते हुए

Dignitaries at the inaugural function: Dr. T. G. Manojkumar, Project Manager, MAC; Dr. S. Kandan, Project Director, RGCA; Shri. K. S. Srinivas, IAS, Chairman, MPEDA & President, RGCA; Shri. S. Suhas, IAS, Dist. Collector, Ernakulam; Shri. K. S. Pradeep, IFS, Secretary, MPEDA; Dr. M. Karthikeyan, Director, MPEDA; Shri. B. Sreekumar, Former Secretary, MPEDA'

At present MPEDA-RGCA is operating an exclusive disease diagnostic laboratory at RGCA headquarters in Sirkali, Tamil Nadu. This is the first NABL accredited Aquaculture Pathology Laboratory in the country. Through establishing this new laboratory in Cochin MPEDA aims to extend fast and reliable disease diagnosis service to the west coast aquaculture farmers.

Shri. K. S. Srinivas, IAS, Chairman, MPEDA & President, RGCA and Shri. S. Suhas, IAS, Dist. Collector, Ernakulam visiting various facilities in the AADDL lab at MAC

मैक सुविधा में जलीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला मामूली दर पर रोग निदान सेवा का प्रदान करेगी। ड्ब्लुएसडी, एएचपीएनडी, एनएचपी, आईएमएनवी, आईएचएचएनवी, टीएसवी, वायएचवी, एमआरएनवी, ईयूएस से संक्रमण, आरएसबीआई-इरिडोवायरस, वीएनएन और अन्य प्रमुख बीमारियों जैसे ईएचपी से संक्रमण सहित सभी ओआईई सूचीबद्ध बीमारियों सहित श्रिम्प/मत्स्य के लगभग 16 वायरल रोगों की उपस्थिति और टीआईएलवी (तिलपिया लेक वायरस) आदि और अन्य बैक्टीरिया, फंगल संक्रमण से संक्रमण का न्यूनतम समय में ट्रेस स्तर तक पता लगाया जा सकता है।

ख. आरजीसीए द्वारा पालन किए गए एल. वन्नामी ब्रूडस्टॉक बिक्री के लिए प्रचार

- ओशियानिक इंस्टीट्यूट से 20 अगस्त, 2020 को प्राप्त पहले बैच के पीपीएल को पाला गया है और 25,000 ब्रूडस्टॉक 10 जनवरी, 2021 से बिक्री के लिए तैयार हैं।
- आरजीसीए के अध्यक्ष ने 17-01-2021 तक 1:1 जोड़ी ब्रूडस्टॉक की अर्ली बर्ड ऑफर के साथ विशाखापत्तनम, काकीनाडा, नेल्लोर और महाबलीपुरम में पुनः लॉन्चिंग अभियान का नेतृत्व किया (1 जोड़ी खरीदें और 1 जोड़ी मुफ्त पाएं) जिसे हैचरी संचालकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।
- 15.01.2021 के अनुसार, अर्ली बर्ड विकल्प (3400 + 3400) का लाभ उठाने वाले हितधारकों द्वारा 3400 जोड़े ब्रूडस्टॉक बुक किए गए। ब्रूडस्टॉक की जोड़ी की कीमत ₹ 6000/- है।

आरजीसीए ने ओशियानिक इंस्टीट्यूट ऑफ हवाई से पैरेंट पोस्ट लार्वा (पीपीएल) प्राप्त किया

The Aquatic Animal Disease Diagnostic Laboratory in the MAC facility will extend the disease diagnostic service at a nominal rate. Presence of around 16 viral diseases of shrimp/fish including all OIE listed diseases like WSD, AHPND, NHP, infection with IMNV, IHHNV, TSV, YHV, MrNV, EUS, infection with RSBI- Iridovirus, VNN and other major diseases such as EHP and infection with TiLV (Tilapia Lake Virus) etc. and other bacterial, fungal infections can be detected upto trace level in minimum time.

B. Campaigning for RGCA reared L. vannamei broodstock sale

- The first batch PPLs received on 20th August, 2020 from Oceanic Institute has been reared and 25,000 nos of broodstock are ready for sale from 10th January, 2021 onwards.
- The President of RGCA headed the re-launching campaign in Vishakhapatnam, Kakinada, Nellore and Mahabalipuram with early bird offer of 1:1 pair of broodstock till 17.01.2021 (Buy 1 pair and get 1 pair free) which attracted overwhelming response from the hatchery operators.
- As on 15.01.2021, 3400 pairs broodstock booked by the stakeholders availing early bird option (3400 + 3400). The cost of the pair of broodstock is ₹ 6000/-

RGCA acquires Parent Post Larvae (PPL) from Oceanic Institute of Hawaii

श्री. के.एस. श्रीनिवास, आईएएस, अध्यक्ष एमपीईडीए / अध्यक्ष आरजीसीए द्वारा 29/12/2020 को विशाखापत्तनम में एलवी बीएमसी में पाले गए एल वन्नामी के ब्रूडस्टॉक का पुनर्लोंच

उद्घाटन भाषण श्री. के.एस. श्रीनिवास, आईएएस अध्यक्ष एमपीईडीए/ अध्यक्ष आरजीसीए

08 जनवरी 2021 में नेल्लोर में हैचरी पणधारियों का एक दृश्य

30 दिसंबर 2020 को काकीनाडा में पणधारियों की बैठक

श्री. के.एस. श्रीनिवास, आईएएस, अध्यक्ष एमपीईडीए/अध्यक्ष आरजीसीए द्वारा महाबलीपुरम में एलवीबीएमसी में पाले गए एल वन्नामी के ब्रूडस्टॉक को फिर से पुनर्लोंच किया

श्री. के.एस. श्रीनिवास, आईएएस अध्यक्ष एमपीईडीए/अध्यक्ष आरजीसीए ने 09 जनवरी 2021 को महाबलीपुरम में एलवीबीएमसी में पाले गए एल वन्नामी के ब्रूडस्टॉक का पुनर्लोंच

Shri. K.S. Srinivas, IAS Chairman MPEDA/President RGCA relaunched the broodstock of L vannamei reared at LvBMC at Visakhapatnam on 29.12.2020

Inaugural address by Shri. K.S. Srinivas, IAS Chairman MPEDA/President RGCA

A view of Hatchery stake holders at Nellore on 08th January 2021

Stake holders meet at Kakinada on 30th December 2020

Shri. K.S. Srinivas, IAS Chairman MPEDA/President RGCA relaunched the broodstock of L vannamei reared at LvBMC at Mahabalipuram

Shri. K.S. Srinivas, IAS Chairman MPEDA/President RGCA relaunched the broodstock of L vannamei reared at LvBMC at Mahabalipuram on 9th January 2021

हैचरी पणधारियों का एक दृश्य

श्री. के.एस. श्रीनिवास, आईएएस, अध्यक्ष एमपीईडीए/अध्यक्ष आरजीसीए इस अवसर पर संयुक्त निदेशक मत्स्य पालन, तमिलनाडु को सम्मानित करते हुए

ग) आरजीसीए-एचओ, सिरकाजी में 11 मार्च 2021 को केंद्रीय जलकृषि रोग निदान और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास समारोह

आरजीसीए मुख्यालय सिरकाली में दिनांक 11/03/2021 को केन्द्रीय जलकृषि रोग निदान एवं खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए, एमओएफपीआई, भारत सरकार ने उपकरणों और मशीनरियों के लिए ₹ 8.31 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान दिया है। यह काम सीपीडब्ल्यूडी, कराईकल डिवीजन को सौंपा गया है। श्री के.एस. श्रीनिवास आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए और अध्यक्ष, आरजीसीए ने डॉ. एम. कार्तिकेयन, निदेशक, श्री के.एस. प्रदीप आईएफएस, सचिव, एमपीईडीए, डॉ. एस. कंडन, परियोजना निदेशक, आरजीसीए, श्री संजय गोस्वामी, परियोजना निदेशक, सीपीडब्ल्यूडी (कराइकल डिवीजन), अन्य सीपीडब्ल्यूडी अधिकारी, एनएसीएसए, मत्स्य विभाग के अधिकारी और उद्यमी भी समारोह में शामिल हुए।।

माननीय अध्यक्ष एमपीईडीए और अध्यक्ष आरजीसीए श्री के.एस. श्रीनिवास आईएएस, डॉ. एम. कार्तिकेयन, निदेशक, एमपीईडीए, श्री. के.एस. प्रदीप, आईएफएस, सचिव, एमपीईडीए, डॉ. एस. कंडन, परियोजना निदेशक, आरजीसीए, श्री. वी.वी. सुरेश कुमार,उप निदेशक (पी) एमपीईडीए और आरजीसीएसीपीडब्ल्यूडी टीम 11 मार्च 2021 को आरजीसीए-मुख्यालय, सिरकाज़ी में केंद्रीय जलकृषि रोग निदान और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के शिलान्यास समारोह के दौरान।

A view of Hatchery stake holders

Shri. K.S. Srinivas, IAS Chairman MPEDA/President RGCA honoring Joint Director of Fisheries, Tamil Nadu at the occasion

C. Foundation stone laying ceremony of Central Aquaculture Disease Diagnostic & Food Testing Laboratory on 11th March 2021 at RGCA-HO, Sirkazhi

Foundation stone Laying Ceremony of Central Aquaculture Disease Diagnostic and Food Testing Laboratories has been organized on 11.03.2021 at RGCA Head Quarters, Sirkali. For Food Testing Laboratory, MoFPI, GoI has given grant-in-aid of ₹ 8.31 crores for equipment & machineries. The work has been assigned to CPWD, Karaikal Division. Shri K.S. Srinivas IAS, Chairman, MPEDA & President, RGCA laid the Foundation Stone for Food Testing Laboratory in the presence of Dr. M. Karthikeyan, Director, Shri K.S. Pradeep IFS, Secretary, MPEDA, Dr. S. Kandan, Project Director, RGCA, Shri Sanjay Goswami, Project Director, CPWD (Karaikal Division), other CPWD officials, NaCSA, Fisheries Dept. officials and Entrepreneurs were also participated in the function.

Chairman MPEDA & President RGCA Shri. K.S. Srinivas IAS, Dr. M. Karthikeyan, Director, MPEDA, Shri. K.S. Pradeep, IFS, Secretary, MPEDA, Dr. S. Kandan, Project Director, RGCA, Shri. V.V. Suresh Kumar DD (P), MPEDA & RGCA-CPWD team during foundation stone laying ceremony of Central Aquaculture Disease Diagnostic & Food Testing Laboratory on 11th March 2021 at RGCA-HO, Sirkazhi.

घ) आरजीसीए परियोजनाओं में वीआईपी यात्रा 2020-2021

- माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 21.01.2021, चेन्नई में एक्यूएफ का दौरा किया। अध्यक्ष, एमपीईडीए, डॉ. जे. बालाजी आईएएस, संयुक्त सचिव, डीओएफ और अन्य मंत्री भी साथ थे।
- अध्यक्ष एमपीईडीए और अध्यक्ष आरजीसीए श्री के.एस. श्रीनिवास आईएएस ने 11 मार्च 2021 को आरजीसीएमुख्यालय, सिरकाज़ी में कृषक सम्मेलन का उद्घाटन किया। डॉ. एम. कार्तिकेयन, निदेशक, एमपीईडीए, श्री के.एस. प्रदीप आईएफएस, सचिव, एमपीईडीए भी समारोह के दौरान उपस्थित थे।

अध्यक्ष एमपीईडीए और अध्यक्ष आरजीसीए श्री.के.एस. श्रीनिवास, भाप्रसे और सीपीडब्ल्यूडी टीम ने 10 मार्च 2021 को प्रस्तावित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थल का दौरा किया और आरजीसीए - मुख्यालय, सिरकाज़ी में साइट मानचित्र और लेआउट की समीक्षा की।

अध्यक्ष एमपीईडीए और अध्यक्ष आरजीसीए श्री.के.एस. श्रीनिवास, आईएएस और सीपीडब्ल्यूडी टीम ने 10 मार्च 2021 को प्रस्तावित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थल का दौरा किया और आरजीसीए मुख्यालय, सिरकाज़ी में साइट मानचित्र और लेआउट की समीक्षा की।

माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह एक्यूएफ, चेन्नई की अपनी यात्रा के दौरान अध्यक्ष एमपीईडीए और अध्यक्ष आरजीसीए श्री के.एस. श्रीनिवास आईएएस, श्री राजीव रंजन, आईएएस, सचिव, मत्स्य विभाग, डॉ वी कृपा, सचिव, सीएए और डॉ एस कंडन, परियोजना निदेशक, आरजीसीए।

डॉ. एस. कंडन, परियोजना निदेशक, आरजीसीए माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह को एक्यूएफ, चेन्नई की उनकी यात्रा के दौरान आरजीसीए के कार्यकलापों को समझाते हुए।

D. VIP visit at RGCA projects 2020-2021

- Hon'ble Union Minister of Fisheries Shri Giriraj Singh visited AQF on 21.01.2021, Chennai. Chairman, MPEDA, Dr. J. Balaji IAS, Joint Secretary, DoF and others accompanied the Minister.
- Chairman MPEDA & President RGCA Shri K.S. Srinivas IAS inaugurated Farmers meet at RGCA-HQ, Sirkazhi on 11th March 2021. Dr. M. Karthikeyan, Director, MPEDA, Shri K.S. Pradeep IFS, Secretary, MPEDA were also present during the function.

Chairman MPEDA & President RGCA Shri. K. S. Srinivas, IAS and CPWD team visited to proposed Food Testing Laboratory site and reviewed the site map & layout at RGCA - HO, Sirkazhi on 10th March 2021.

Chairman MPEDA & President RGCA Shri. K. S. Srinivas IAS and CPWD team visited to proposed Food Testing Laboratory site and reviewed the site map & layout at RGCA - HO, Sirkazhi on 10th March 2021

Hon'ble Central Minister of Fisheries Shri Giriraj Singh during his visit to AQF, Chennai with Chairman MPEDA & President RGCA Shri. K.S. Srinivas IAS, Shri. Rajiv Ranjan, IAS, Secretary, Dept. of Fisheries, Dr. V. Kripa, Member of Secretary, CAA and Dr. S. Kandan, Project Director, RGCA.

Dr. S. Kandan, Project Director, RGCA explaining the activities of RGCA to the Hon'ble Central Minister of Fisheries Shri Giriraj Singh during his visit to AQF, Chennai.

माननीय अध्यक्ष एमपीईडीए और अध्यक्ष आरजीसीए, मुख्यालय, सिरकाज़ी में किसानों की बैठक का उद्घाटन करते हुए। डॉ एम कार्तिकेयन, निदेशक, एमपीईडीए, श्री. के.एस. प्रदीप, आईएफएस, सचिव, एमपीईडीए भी उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित थे।

डॉ एम कार्तिकेयन, निदेशक, एमपीईडीए एवं डॉ एस कंडन, परियोजना निदेशक, आरजीसीए ने विजयवाड़ा,आंध्र प्रदेश में तिलपिया परियोजना का दौरा किया।

अध्यक्ष एमपीईडीए और अध्यक्ष आरजीसीए श्री. के एस श्रीनिवास आईएएस और सीपीडब्ल्यूडी टीम ने 10 मार्च 2021 को आरजीसीए मुख्यालय, सिरकाज़ी में साइट मैप एवं लेआउट का अवलोकन करने और प्रस्तावित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थल का दौरा किया।

डॉ. वी. कृपा, सदस्य सचिव, सीएए चेन्नई ने 13 मार्च 2021 को गिफ्ट तिलपिया परियोजना, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश का दौरा किया।

सुश्री वेदिता रेड्डी आईएएस, सचिव मत्स्य पालन, ए एंड एन प्रशासन ने ए एंड एन प्रशासन के निदेशक डॉ उत्पल कुमार सूर के साथ दिनांक 13/12/2020 को डीटीएसपी सुविधा का दौरा किया।

Chairman MPEDA & President RGCA Shri. K.S. Srinivas IAS inaugurating Farmers meet at RGCA-HQ, Sirkazhi on 11th March 2021 at RGCA-HO, Sirkazhi. Dr. M. Karthikeyan, Director, MPEDA; Shri. K.S. Pradeep, IFS, Secretary, MPEDA were also present during the inaugural function.

Dr. M. Karthikeyan, Director, MPEDA & Dr. S. Kandan, Project Director RGCA visited Tilapia Project at Vijayawada, Andhra Pradesh on 02nd January 2021.

Chairman MPEDA & President RGCA Shri. K. S. Srinivas IAS and CPWD team visited to proposed Food Testing Laboratory site and observing the site map & layout at RGCA - HO, Sirkazhi on 10th March 2021

Dr. V. Kripa, Member of Secretary, CAA – Chennai visited GIFT Tilapia Project, Vijayawada, Andhra Pradesh on 13th March 2021

Ms. Veditha Reddy IAS, Secretary Fisheries, A & N Administration visited DTSP Facility along with Dr. Utpal Kumar Sur, Director of Fisheries, A & N Administration on 13.12.2020

10.2 मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और चिरस्थाई मत्स्यन के लिए नेटवर्क (नेटफिश)

नेटफिश ने समुद्री कैप्चर मात्स्यिकी क्षेत्र में विस्तार सेवाओं में 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों के दौरान मछुआरों और मत्स्य पणधारियों के बीच भारत के सभी समुद्री राज्यों में जमीनी स्तर पर व्यापक विस्तार गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनका मूल उद्देश्य उद्योग की चिरस्थाईता केलिए देश से निर्यात किए जा रहे समुद्री खाद्य की गुणवत्ता में सुधार करना और मत्स्य संसाधनों का संरक्षण करना है। पिछले कुछ वर्षों में नेटफिश द्वारा समुद्र से पकड़ी गई मदों की हार्वेस्ट के बाद की हैंडलिंग में सुधार और मछुआरों द्वारा संरक्षण उपायों को अपनाने के संबंध में उल्लेखनीय सुधार किए गए।

वाइपिन कालमुक्क में मत्स्यन यान आधारित कार्यक्रम केरल के मत्स्यन बन्दरगाह हेतु चिल किलिंग/
प्री कूलिंग रीति का प्रदर्शन करते हुए

वित्तीय वर्ष में, कोविड-19 महामारी की परिस्थिति के कारण मछुआरों के लिए क्षेत्र स्तरीय विस्तार प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल अक्तूबर 2020 के दौरान शुरू किए जा सकते हैं। वर्ष के दौरान लगभग 17447 मछुआरों/मत्स्यन पणधारियों को लाभान्वित करने वाली कुल 829 विस्तार गतिविधियों का आयोजन किया गया जैसा कि तालिका 22 और उसके बाद के खंडों में दिया गया है।

10.2 THE NETWORK FOR FISH QUALITY MANAGEMENT & SUSTAINABLE FISHING (NETFISH)

NETFISH has completed 14 years in extension services in the marine capture fisheries sector. Wide extension activities at grass root level were conducted in all maritime states of India among the fishers and fishery stakeholders during these years with the basic objectives to improve the quality of seafood being exported from the country and to conserve the fishery resources for the sustainability of the industry. Remarkable improvements were brought about by NETFISH over the years with respect to improvement in post harvest handling of sea caught items and adoption of conservation measures by the fishers.

Fishing Vessel based programme at Vypin-Kalamukku demonstrating chill killing/pre-cooling method to fishing harbour in Kerala

In the financial year, field level extension training programmes for fishers could be initiated only during October 2020 because of the COVID-19 pandemic situation. A total of 829 nos. of extension activities benefitting around17447 fishers/fishery stakeholders were conducted during the year as given in Table 22 and in the subsequent sections.

तालिका 22. वर्ष 2020-21 के दौरान नेटफिश द्वारा विस्तार कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम का प्रकार	पश्चिम बंगाल	ओड़ीशा	आंध्र प्रदेश उत्तर	आंध्र प्रदेश दक्षिण	तमिलनाडु उत्तर	तमिलनाडु दक्षिण	केरल दक्षिण	केरल उत्तर	कर्नाटक और गोवा	महाराष्ट्र	गुजरात	कुल
I	नेटफिश वित्त पोषित												
1	मत्स्यन पोत आधारित कार्यक्रम	33	34	32	22	30	30	30	31	31	30	34	337
2	बंदरगाह आधारित कार्यक्रम	10	10	11	9	10	1	10	10	11	10	10	102
3	पूर्वप्रसंस्करण केंद्र आधारित कार्यक्रम	10	10	8	9	10	3	10	10	10	9	10	99
4	प्रसंस्करण केंद्र कार्यक्रम	13	10	5	0	1	10	6	6	1	7	6	65
5	सूखी मत्स्य विकास कार्यक्रम	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
6	विशेष कार्यक्रम	7	3	5	0	2	8	7	11	11	1	9	64
	कुल	**81**	**72**	**66**	**45**	**58**	**57**	**68**	**73**	**69**	**62**	**74**	**725**
II	बाहरी वित्त पोषित												
1	अनुसूचित जाति के मछुआरों के लिए सीआईएफटी प्रायोजित कार्यक्रम	20								26			46
2	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा ओडिशा में मछुआरों के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम		48										48
3	समुद्री सुरक्षा, नौवहन और केएमएफआरए पर सीएफनेट संयुक्त प्रशिक्षण							3	3				6
4	एमपीईडीए द्वारा वित्त पोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम	1						1		1			3
5	एफपीओ गठननाबार्ड द्वारा वित्त पोषित						1						1
	कुल	**21**	**48**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**3**	**27**	**0**	**0**	**104**
	कुल योग	**102**	**120**	**66**	**45**	**58**	**58**	**72**	**76**	**96**	**62**	**74**	**829**
	कुल लाभार्थी	**2194**	**2549**	**1483**	**899**	**1745**	**1227**	**1764**	**1265**	**2115**	**983**	**1223**	**17447**

Table 22: Extension Activities

S.N.	Type of Programme	West Bengal	Odisha	Andhra Pradesh North	Andhra Pradesh South	Tamilnadu North	Tamilnadu South	Kerala South	Kerala North	Karnataka & Goa	Maharashtra	Gujarat	Total
I	NETFISH Funded												
1	Fishing Vessel based Programmes	33	34	32	22	30	30	30	31	31	30	34	337
2	Harbour based Programmes	10	10	11	9	10	1	10	10	11	10	10	102
3	Pre-processing centre based programmes	10	10	8	9	10	3	10	10	10	9	10	99
4	Processing Centre programme	13	10	5	0	1	10	6	6	1	7	6	65
5	Dry fish Development programmes	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	58
6	Special Programmes	7	3	5	0	2	8	7	11	11	1	9	64
	TOTAL	**81**	**72**	**66**	**45**	**58**	**57**	**68**	**73**	**69**	**62**	**74**	**725**
II	EXTERNAL Funded												
1	CIFT sponsored programmes for SC Fishers	20								26			46
2	Paradeep Port Trust funded programmes for fishers in Odisha		48										48
3	CIFNET Joint Training on Sea Safety, Navigation and KMFRA							3	3				6
4	MPEDA funded SC/ST welfare programmes	1						1		1			3
5	FPO Formation-NABARD funded						1						1
	TOTAL	**21**	**48**	**0**	**0**	**0**	**1**	**4**	**3**	**27**	**0**	**0**	**104**
	GRAND TOTAL	**102**	**120**	**66**	**45**	**58**	**58**	**72**	**76**	**96**	**62**	**74**	**829**
	Total Beneficiaries	**2194**	**2549**	**1483**	**899**	**1745**	**1227**	**1764**	**1265**	**2115**	**983**	**1223**	**17447**

10.2.1 मत्स्यन यान आधारित कार्यक्रमः

कार्यकलापः प्रत्येक क्लस्टर में 10 मत्स्य यानों को शामिल करके 11 बंदरगाहों (वेरावल, हरनाई, गंगोली, वायपिन-कलामुक्कू, तोप्पुमपडी, तेंगापट्टिनम, कुडलोर, निज़ामपट्टनम, विशाखापत्तनम, पारादीप और देशप्राण) में मत्स्यन यानों के कुल 11 समूहों का गठन करके और इन मत्स्यन यानों के चालक दल, स्किपर (कप्तान) और नाव मालिकों के लिए कुल मिलाकर 337 विस्तार जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित किए गए। उन्हें हार्वेस्ट के बाद के नुकसान को कम करने के लिए जहाज पर अच्छी हैंडलिंग और संरक्षण तकनीक सिखाई गई और साथ ही स्क्वायर मेश कॉड एंड अपनाने, टेड का उपयोग, समुद्री स्तनधारियों और कछुओं की सुरक्षा आदि जैसे संरक्षण उपायों का भी प्रचार किया गया।

उपलब्धियांः समूहों में मत्स्यन यानों ने चिल किलिंग /प्री-कूलिंग पद्धति का अभ्यास करना शुरू कर दिया है और अच्छी गुणवत्ता और सामग्री की प्रतीति के कारण प्रति किलोग्राम ₹ 15/- से ₹ 30/- अतिरिक्त कमा रहे हैं। अच्छे मत्स्य और बर्फ से निपटने की प्रथाओं और संरक्षण तकनीकों को अपनाने से इन जहाजों में हार्वेस्ट के बाद के नुकसान को लगभग 10-15% तक कम किया जा सकता है। मत्स्यन दल अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता और उचित हाथ धोने की प्रक्रियाओं का भी पालन कर रहे हैं। इनमें से कुछ जहाजों ने जुवेनिल (किशोर) मत्स्यों की सुरक्षा के लिए अपने ट्रॉल नेट में स्क्वेयर मेष कॉड सिरों का उपयोग किया है। साथ ही, मछुआरों ने मत्स्यन के दौरान दुर्घटनावश पकड़े गए समुद्री कछुओं जैसे संरक्षित जानवरों को छोड़ना शुरू कर दिया है।

10.2.2 बंदरगाह आधारित कार्यक्रमः

कार्यकलापः मत्स्य लैंडिंग स्थलों पर हार्वेस्ट के बाद के नुकसान को कम करने के लिए 11 चयनित बंदरगाहों (वेरावल, हरनाई, गंगोली, चेट्टुवा, तोप्पुमपडी, तूतीकोरिन, कुडलोर, वोडारेवु / निजामपट्टनम, विशाखापत्तनम, पारादीप और फ्रेजरगंज) में 102 बंदरगाह आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। बंदरगाह के कामगारों, नीलामकर्ताओं, नाव मालिकों आदि को बंदरगाह पर मत्स्य और बर्फ हैंडलिंग के लिए स्वच्छ तरीके सिखाए गए और बेहतर स्वच्छता के लिए प्लास्टिक केट्स, बक्से, फावड़ियों आदि के उपयोग को अपनाने का अनुरोध किया गया। बंदरगाह को साफ रखने के लिए काम के बाद बंदरगाह की सफाई और स्वच्छता के लिए उचित कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

उपलब्धियांः इन चयनित मत्स्यन बंदरगाहों में स्वच्छ संचालन प्रथाओं में सुधार हुआ है। मछुआरों ने मछलियों को छँटाई/नीलामी/परिवहन के लिए रखने हेतु प्लास्टिक क्रेट्स /बक्से/शीट्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है जिससे फर्श के संपर्क से बचा जा सके। नीलामी के लिए कैच लोड करने से पहले क्रेट्स को ठीक से साफ किया जा रहा है और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कैच में उचित आइसिंग की जाती है जब तक कि इसे बंदरगाह से नहीं ले जाया जाता है। मत्स्यों को धूल से बचाने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ढके हुए वाहनों में नीलामी बाजारों में स्थानांतरित किया जाता है। क्रश की हुई बर्फ को वाहन से नाव पर या वाहन से टोकरे में सीधे फर्श पर डंप किए बिना स्थानांतरित कर दिया जाता है।

10.2.3 पूर्व-प्रसंस्करण केंद्र आधारित कार्यक्रम

स्वस्थ्य मत्स्य हैंडलिंग और स्वच्छता प्रथाओं को प्रदान करने हेतु 99 असंगठित पीपीसी के कर्मचारियों और मालिकों के लिए 99 पूर्व-प्रसंस्करण सेंटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीपीसी मालिकों से काम की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक बुनियादी आधारिक संरचना सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। नेटफिश ने प्रशिक्षुओं को स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रशिक्षण किट जैसे एप्रन, दस्ताने, हेड गियर, माउथ मास्क वितरित किए। चूंकि पीलिंग सेंटर में कोई उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, कुछ पीलिंग शेड के मालिक वित्तीय सहायता मिलने पर निर्यात के लिए पूर्व-प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहमत हुए। पीलिंग कर्मचारी मत्स्य /श्रिम्प को हैंडल करने से पहले साबुन से हाथ धोने और कार्यस्थल पर कोविड-19 नियमों का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं।

10.2.1 Fishing vessel based programmes:

Activities: A total of 11 clusters of fishing vessels were formed at 11 harbours (Veraval, Harnai, Gangolli, Vypin-Kalamukku, Thoppumpady, Thengapattinam, Cuddalore, Nizampatnam, Visakhapatnam, Paradeep & Deshapran) by including 10 fishing vessels in each cluster and altogether 337 nos. of extension awareness trainings were conducted for the crews, skippers and boat owners of these fishing vessels. They were taught good handling and preservation techniques onboard to reduce post harvest loss and also preached conservation measures such as adoption of Square mesh cod ends, use of TED, protection of marine mammals and turtles etc.

Achievements: The fishing vessels in the clusters have started practicing chill killing/pre-cooling method and are earning ₹ 15/- to ₹ 30/- extra per Kg due to the good quality and appearance of the materials. By adopting good fish and ice handling practices and preservation techniques onboard the post harvest loss could be reduced by about 10-15 % in these vessels. The fishing crews are following good personal hygiene and proper hand washing procedures as well. Some of these vessels have adopted using square mesh cod ends in their trawl nets for the protection of juvenile fishes. Also, the fishers have started releasing protected animals like sea turtles caught accidently during fishing.

10.2.2 Harbour based programmes:

Activities: To reduce post harvest loss at fish landing sites 102 nos. of Harbour based programmes were conducted at 11 selected harbours (Veraval, Harnai, Gangolli, Chettuva, Thoppumpady, Tuticorin, Cuddalore, Vodarevu/Nizampatnam, Visakhapatnam, Paradeep & Freserganj). The harbour workers, auctioneers, boat owners, etc. were taught hygienic methods for handling of fish and ice at the harbor and were urged to adopt the usage of plastic crates, boxes, shovels etc. for better hygiene. Proper schedules for cleaning and sanitation of harbour after work were introduced to them to keep the harbor clean.

Achievements: Hygienic handling practices have improved at these selected fishing harbours. Fishers have started using plastic crates/boxes/sheets for keeping fish for sorting/auction/transportation thereby avoiding contact with floor. The crates are being properly cleaned before loading the catch for auction and proper icing is done in the catch for maintaining the quality until it is transported from the harbor. The fishes are transferred to auction markets in covered vehicles to protect against dust and retain the quality. Crushed ice is shifted from vehicle to the boat or from vehicle to crates directly without dumping on floor.

10.2.3 Pre-processing Centre based programme

To impart hygienic fish handling and sanitation practices 99 nos. of Pre-processing centre training programmes were conducted for the workers and owners of 99 unorganized PPCs. The PPC owners were urged to provide basic infrastructure facilities needed for improving the work condition. NETFISH distributed training kits such as apron, gloves, head gear, mouth mask to the trainees as an encouragement to adopt hygienic practices. As there are no proper facilities available in the peeling centre, some of the peeling shed owner agreed to set up modern facilities for pre-processing activities meant for export if they get financial support. The peeling workers have agreed to wash their hand with soap before handling fish/shrimp and also to follow COVID-19 regulations in the work place.

आंध्र प्रदेश में पूर्व प्रसंस्करण केंद्र आधारित कार्यक्रम

10.2.4. प्रसंस्करण केंद्र प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस वर्ष नेटफिश ने मामूली प्रशिक्षण शुल्क जमा कर जरूरत के आधार पर समुद्री खाद्य प्रसंस्करण फैक्टरियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया है। कुल मिलाकर, 65 समुद्री खाद्य फैक्टरियों में प्रति प्रशिक्षण ₹ 10000/- शुल्क पर 65 एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए और इस प्रकार नेटफिश बाहरी आय के रूप में ₹ 6,50,000/- रुपये सृजित कर सका। पर्यवेक्षकों, प्रौद्योगिकीविदों, प्रसंस्करण कर्मचारियों, संयंत्र प्रबंधकों, उत्पादन प्रबंधकों को स्वच्छता और आरोग्य संबंधी प्रथाओं, स्वास्थ्यकर हैंडलिंग, एचएसीसीपी, जीएमपी और एसएसओपी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और आदतों, समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए कोविड-19 दिशानिर्देशों पर जागरूकता और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। निर्यातकों ने नेटफिश के प्रशिक्षण मॉड्यूल और कार्यकर्ताओं द्वारा काम पर उच्च स्तर की स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं को बनाए रखने और शौचालयों और चेंज रूम के उचित रूप से उपयोग करने की अच्छी सराहना की है।

तमिलनाडु में आयोजित समुद्री खाद्य कारखाना प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्यावहारिक सत्र

Pre-processing Centre based programme in Andhra Pradesh

10.2.4. Processing Centre Training programmes

This year NETFISH has initiated conducting training programmes in Seafood Processing factories on need basis by collecting a nominal training fee. In all, 65 nos. of one day trainings were conducted at 65 Seafood factories by charging ₹ 10000/- per training and thereby NETFISH could generate ₹ 6,50,000 as external income. The Supervisors, Technologist, Processing Workers, Plant manager, Production manager were given awareness and hands-on-training on Sanitation & hygienic practices, Hygienic handling, HACCP, GMP & SSOPs, Personal hygiene & habits, COVID-19 guidelines for Seafood sector etc. The exporters have well appreciated the training modules of NETFISH and the workers are maintaining high degree of hygiene and sanitation practices at work and following proper usage of toilets and change rooms.

Practical session during the Seafood factory training programme held in Tamilnadu

10.2.5 सूखे मत्स्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

उत्पादित सूखे मत्स्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ड्राईफिश श्रमिकों/फिशर समूहों के बीच बेहतर संचालन और सुखाने के तरीकों से परिचित कराने के लिए लगभग 58 सूखे मत्स्य प्रशिक्षण आयोजित किए गए। मछुआरों को विशेष रूप से महिला मछुआरे को सूखे मत्स्य की स्वास्थ्य अभ्यास, सोलर ड्रायर के उपयोग और एफएफपीओ आदि के निर्माण के बारे में जागरूकता दी गई और साथ ही एप्रन, दस्ताने, हेड गियर और माउथ मास्क जैसे प्रशिक्षण किट भी वितरित किए गए। सूखे मत्स्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उन्हें बेहतर कीमत मिल रही है। निर्यातकों ने इसकी बेहतर गुणवत्ता के कारण पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में स्थित सूखे मत्स्य यार्ड से सूखे मत्स्य की स्रोत शुरू कर दी है। जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा सूखे मत्स्य में हानिकारक रसायनों के उपयोग को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है।

10.2.6 सूखे मत्स्य सर्वे के लिए अजीमप्रेमजी फाउंडेशन के साथ सहयोग

नेटफिश ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) किया और "सूखे मत्स्य की आपूर्ति और मांग ड्राइवर्स" नामक एक शोध परियोजना के लिए डेटा संग्रह और सुविधा के लिए समर्थन प्रदान किया: जो कि अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (एपीयू) के "ड्राइड फिश मैटर्स (सूखे मत्स्य मायने रखते है)" नामक एक बड़ी परियोजना के हिस्से के रूप में कर्नाटक में एक अध्ययन" है। चार चरणों में सूखे मत्स्य डेटा संग्रह की सुविधा के लिए नेटफिश को कुल ₹ 1.8 लाख प्रस्तावित की जाती है। कर्नाटक राज्य में हार्बर डेटा कलेक्टरों की सहायता से इस वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वेक्षण के दो चरण पूरे किए गए हैं।

10.2.7 अनुसूचित जाति के मछुआरों के लिए सीआईएफटी द्वारा वित्त पोषित क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आईसीएआर-सीआईएफटी एससीएसपी कार्यक्रम के तहत, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 44 कार्यक्रमों में मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और संरक्षण ऑनबोर्ड और हार्बर, मत्स्य सुखाने की स्वच्छ विधि, मत्स्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन और समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन पर जागरूकता प्रशिक्षण शामिल थे।। अनुसूचित जाति की महिला मछुआरा सोसाइटी, थोट्टम, उडुप्पी जिले के मछुआरों को सहायता सामग्री जैसे इंसुलेटेड फिश/आइस बॉक्स (53 यूनिट), लाइफ बॉय (27 यूनिट), मोनोफिलामेंट गिल नेट (10 यूनिट-115 किग्रा) और एक मत्स्य खाद्य कियोस्क वितरित किया गया, जिससे 90 से अधिक अनुसूचित जाति मछुआरे लाभान्वित हुए। पश्चिम बंगाल में, परियोजना के तहत सोलर ड्रायर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है जो अनुसूचित जाति के मछुआरों के लिए उनके द्वारा उत्पादित सूखे मत्स्य की गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर कीमत अर्जित करने में लाभकारी होगा।

उप निदेशक, एमपीईडीए अनुसूचित जाति मछुआरा महिलाओं को मछली खाद्य कियोस्क सौंपते हुए।

10.2.5 Dryfish Development Training programmes

About 58 nos. of dryfish trainings were conducted to familiarize better handling and drying methods among the dryfish workers/fisher groups for improving the quality of dryfish produced. The fishers especially the fisherwomen were given awareness on hygiene practice of dryfish, uses of solar dryer and formation of FFPO etc. and also distributed training kits such as aprons, gloves, head gears and mouth masks. The quality of dryfish has been improved and are getting better price. The exporters have started sourcing the dryfish from the dryfish yards located at coastal districts of West Bengal due to its better quality. Uses of harmful chemicals in dryfish could also be reduced to a great extent by the awareness programmes.

10.2.6 Association with Azim Premji Foundation for Dryfish survey

NETFISH entered into an MOU with Azim Premji Foundation and rendered support for data collection and facilitation for a research project titled as "Supply and Demand Drivers of Dried Fish: A Study in Karnataka" as part of a larger project titled "Dried Fish Matters" of the Azim Premji University (APU). A total of ₹ 1.8 lakhs is offered to NETFISH for facilitating the dryfish data collection in four phases. Two phases of surveys have been completed during this financial year with the assistance of Harbour Data Collectors in Karnataka state.

10.2.7 CIFT funded capacity building programmes for SC fishers

Under the ICAR-CIFT SCSP programme, a total of 44 programmes consisted of Awareness trainings on Fish Quality Management and Conservation onboard and harbours, Hygienic method of fish drying, Value addition of fishery products and Sea safety & navigation were conducted during this financial year in West Bengal and Karnataka. Fisher aid materials such as Insulated Fish/Ice boxes (53 Units), Life Buoys (27 Units), Monofilament Gill nets (10 Units-115 Kg) and a fish food kiosk were distributed to the fishers of SC fisherwomen Society, Thottam, Uduppi District benefitting more than 90 SC fishers. In West Bengal, establishment of a solar dryer is progressing under the project which will be beneficial for the SC fishers in enhancing the quality of dryfish produced by them and to earn better price.

Deputy Director, MPEDA handing over the fish food kiosk to SC fisherwomen

10.2.8 पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के सीएसआर फंड से क्षमता निर्माण कार्यक्रम

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त सीएसआर फंड का उपयोग करके ओडिशा के तटीय राज्यों में मछुआरों के लाभ के लिए कुल 48 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समुद्री मत्स्यन क्षेत्र में स्वास्थ्य मत्स्य हैंडलिंग और संरक्षण, उत्तरदायी मत्स्यन और चिरस्थायी प्रबंधन, सूखे मत्स्य के विकास, मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में मछुआरों के ज्ञान को समृद्ध करना और मछुआरों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए उनके कौशल को बढ़ाना था।

पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बलरामगडी में ऑनबोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषण।

10.2.9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समृद्धि कार्यक्रम

एमपीईडीए से प्राप्त ₹ 65.10 लाख का उपयोग करते हुए वाइकोम में मत्स्यफेड के साथ नेटफिश द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुआरों के समृद्धि के लिए दो परियोजनाओं को लागू किया है। परियोजनाओं का उद्देश्य वैकोम क्षेत्र, केरल में 100 मछुआरा परिवारों को मत्स्यन के क्राफ्ट, गियर और इंजन से सज्जित करके और सौर ड्रायर प्रदान करके अच्छे गुणवत्ता वाले सूखे मत्स्य उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना था। इसके अलावा, नेट फिश ने कार्यक्रम के तहत कर्नाटक के उडुपी जिले में अनुसूचित जाति के मछुआरों को लाभार्थियों से 30 योगदान एकत्र करके 300 क्रेट्स और स्क्वेयर मेश कॉड एंड के साथ 4 एचडीपीई ट्रॉल नेट की आपूर्ति की है। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मछुआरों को मत्स्यन के जहाजों में चिल्ड किलिंग / चिल्ड वाशिंग प्रथाओं को अपनाने में मदद करने, ताकि हार्वेस्ट के बाद के नुकसान को कम किया जा सके और अधिक आय उत्पन्न की जा सके, 62 इंसुलेटेड फिश बॉक्स (70 लीटर क्षमता) का भी वितरण किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समृद्धि कार्यक्रम के तहत कुल लगभग ₹ 70 लाख का उपयोग किया गया था।

उप निदेशक एमपीईडीए ने अनुसूचित जाति मछुआरा सोसाइटी, तोट्टम के सचिव को 300 प्लास्टिक के केट सौंपे।

10.2.8 Capacity Building programmes with CSR fund from Paradeep Port Trust

A total of 48 nos. of capacity building programmes were organized for the benefit of fishers in the coastal states of Odisha, by utilizing the CSR fund received from Paradeep Port Trust. The programmes were aimed to enrich the knowledge of fishers on hygienic fish handling and preservation, responsible fishing and sustainable management in the marine fisheries sector, development of dry fish, fish processing technology and to develop the skill of fishers to secure their livelihood.

Paradeep Port Trust funded onboard training programme at Balaramgadi

10.2.9. SC/ST welfare programmes

For the welfare of SC/ST fishers two projects have been implemented by NETFISH along with Matsyafed in Vaikom utilizing 65.10 lakhs received from MPEDA. The projects were aimed at enhancing the livelihood of 100 fishermen families in Vaikom region, Kerala by equipping them with fishing crafts, gears and engines and to enhance the production of good quality dry fish products by providing with solar dryers. In addition, NETFISH has supplied 300 nos. of crates and 4 nos. of HDPE Trawl nets with square mesh cod ends to the SC fishers in Udupi district, Karnataka under the programme, by collecting 30% contribution from the beneficiaries. To help the SC/ST fishers in West Bengal in adopting chill killing / chill washing practices in fishing vessels so as to reduce post harvest loss and generate more income, 62 nos. of Insulated Fish Boxes (70 litres capacity) were also distributed. A total of about 70 lakhs were utilized under the SC/ST welfare programme.

Deputy Director MPEDA handed over 300 plastic crates to the Secretary of SC fisherwomen society, Thottam

10.2.10 समुद्री स्तनपायी और समुद्री कछुआ बाई-कैच सर्वेक्षण

दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के दौरान, नेटफिश ने एमपीईडीए-सीएमएफआरआई संयुक्त कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समुद्री राज्यों में 138 बंदरगाहों में समुद्री स्तनपायी और और समुद्री कछुआ उप - पकड़ डेटा संग्रह सर्वेक्षण किया है। एचडीसी द्वारा अपने संबंधित बंदरगाहों के साथसाथ आसपास के बंदरगाहों पर कुल 6408 मछुआरों के साक्षात्कार किए गए और आगे के विश्लेषण के लिए डेटा शीट सीएमएफआरआई को प्रस्तुत की गई। नेटफिश लगातार जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ हार्बर डेटा एकत्र करते समय कछुओं और समुद्री स्तनपायियों के संरक्षण के बारे में नाव के कप्तानों और मछुआरों को जागरूकता देता है।

10.2.11 विझिंजम में समुद्री कछुआ संरक्षण कार्यक्रम

समुद्री कछुओं के संरक्षण के संबंध में विझिंजम में मछुआरों के साथ चर्चा।

केरल में विझिंजम और आसपास के तटीय क्षेत्रों में कछुआ संरक्षण पहल के हिस्से के रूप में एक जन जागरूकता कार्यक्रम और बैठकें आयोजित की गईं। विझिंजम बंदरगाह, पुतियतुरा, पुल्लुविला तटीय क्षेत्रों और मंगलाथुकोनम बाजार में मछली बेचने वाली महिलाओं, नीलामीकर्ताओं और मछुआरों से मुलाकात की गई और स्थानीय नेताओं और चर्च के अधिकारियों से भी संपर्क किया। समुद्री कछुओं पर नेटफिश के पत्रक उनके बीच वितरित किए गए और उन्हें कछुआ संरक्षण के महत्व से अवगत कराया गया। चर्च के अधिकारियों ने अपने सार्वजनिक संबोधन प्रणाली और संयुक्त जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता संदेशों को संप्रेषित करने के प्रयास में नेटफिश का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है।

10.2.12 सिफनेट के साथ संयुक्त कार्यक्रम

समुद्री सुरक्षा और मछलियों की हाइजीनिक हैंडलिंग पर सिफनेट के साथ संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम।

नेटफिश ने केरल में मछुआरों के लिए 6 जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सिफनेट, कोच्चि के साथ सहयोग किया है। समुद्री सुरक्षा और नौवहन, समुद्री मत्स्य पालन विनियमन अधिनियम और मत्स्यन के जहाजों और बंदरगाहों में मत्स्य की स्वच्छ हैंडलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल प्रमुख विषय थे।

10.2.13 मछुआरों के लिए फेस मास्क का वितरण

कोविड परिस्थिति के दौरान एक नैतिक समर्थन के रूप में, केरल के प्रमुख बंदरगाहों में मछुआरों और कार्मिकों को फेस मास्क वितरित करने हेतु अपना सीएसआर फंड प्रदान करने के लिए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अधिकारियों से लगातार चर्चा के फलस्वरूप, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 15000 फेस मास्क खरीदने के लिए ₹ 3.75 लाख

10.2.10 Marine Mammal & Sea Turtle By-catch surveys

During December 2020 to February 2021, NETFISH has conducted Marine Mammal and Sea Turtle by-catch data collection surveys in 138 harbours across the maritime states as part of MPEDA-CMFRI joint programme. Altogether 6408 fishermen interviews were carried out by the HDCs at their respective harbours as well as in nearby harbours and the data sheets were submitted to CMFRI for further analysis. NETFISH constantly gives awareness to the boat Skippers and fishermen about the conservation of turtles and marine mammals during the awareness and training programmes as well as while collecting Harbour data.

10.2.11 Marine Turtle Conservation programme at Vizhinjam

Discussion with fishers at Vizhinjam regarding conservation of marine turtles

A mass awareness programme and meetings were conducted as part of the Turtle conservation initiatives at Vizhinjam and nearby coastal regions in Kerala. The fish vending ladies, auctioneers and fishermen at Vizhinjam harbor, Puthiyathura, Pulluvila coastal areas and Mangalathukonam market were met and also contacted local leaders and church officials. NETFISH leaflets on Marine turtles were distributed among them and they were made aware of the importance of turtle conservation. The church officials have agreed to support NETFISH in the endeavour by communicating the awareness messages through their public address system and by joint awareness programmes.

10.2.12 Joint programmes with CIFNET

Joint awareness programme with CIFNET on Sea safety & Hygienic handling of fishes

NETFISH has associated with CIFNET, Kochi in organizing 6 nos. of awareness training programmes for fishers in Kerala. Sea safety & Navigation, Marine Fishing Regulation Acts and Hygienic handling of fish in fishing vessels and harbours were the major topics covered in the training programmes.

10.2.13 Distribution of face masks for fishers

On continuous discussion with officials of Cochin Shipyard Ltd. for providing their CSR fund to distribute face mask to fishermen and workers at major harbours in Kerala, as a moral support during the COVID situation, Cochin Shipyard Ltd. had sanctioned ₹ 3.75 lakhs for purchasing 15000 nos. of face masks. The face masks

मंजूर किए थे। हथकरघा कपड़ों से सिले हुए फेस मास्क हाथ के बुनकरों से प्राप्त किए गए और तोप्पुम्पडी (10000) और चेल्लानम (5000) मत्स्य बंदरगाहों में मछुआरों और बंदरगाह के कार्मिकों को वितरित किए गए।

10.2.14 स्वच्छता पखवाड़ा 2020 का समारोह-

मछुआरों, छात्रों और आम जनता को शामिल करते हुए 11 बंदरगाह / तटीय सफाई कार्यक्रमों का आयोजन करके दिनांक 1 से 15 नवंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2020 मनाया गया। नेटफिश ने यह अवसर मत्स्य लैंडिंग स्थलों पर स्वच्छता के महत्व और प्लास्टिक प्रदूषण से समुद्र के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में मछुआरा समुदाय और आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने केलिए उठाया।

स्वच्छता पखवाड़ा 2020 का पालन करने के लिए महाराष्ट्र में आयोजित लैंडिंग सेंटर सफाई कार्यक्रम के प्रतिभागी

10.2.15 स्क्वायर मेष कॉड एंड का कार्यान्वयन

किशोर मछलियों की सुरक्षा के प्रयास के रूप में, नेटफिश ने टुफ्रोप्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से वायपिन फिशिंग हार्बर में क्लस्टर नौकाओं को दस स्क्वेअर मेष कॉड एंड मुफ्त में वितरित की है। पारादीप फिशिंग हार्बर में 50% लाभार्थी अंशदान के साथ 2 क्लस्टर नाव मालिकों को 5 स्क्वायर मेश कॉड एंड वितरित किए गए।

नेटफिश के हस्तक्षेप के कारण, हरनाई फिशिंग हार्बर में नाव मालिकों द्वारा 300 स्क्वेअर मेष कॉड एंडस खरीदे गए और मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए ट्रॉल फिशिंग में उपयोग किए जा रहे हैं।

10.2.16 वेसल लॉग शीट का कार्यान्वयन

नेटफिश के प्रयास से मेंगरोल और नागपट्टिनम मत्स्यन बन्दरगाह में वेसल लॉग शीट प्रणाली लागू की गई थी। मेंगरोल में 2000 वेसल लॉग शीट को मुद्रित और महावीर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंगरोल के सहयोग से नावों को वितरित किया गया था और बंदरगाह पर एचडीसी सीधे तौर पर नाव मालिकों से लॉग शीट एकत्र किया जा रहा है। नागपट्टिनम में मत्स्य विभाग के सहयोग से वेसल लॉग शीट को कार्यान्वित किया गया।

stitched with handloom clothes were obtained from the hand weavers and distributed to the fishermen and harbour workers at Thoppumpady (10000 nos.) and Chellanam (5000 nos.) fishing harbours.

10.2.14 Celebration of Swacchta Pakhwada 2020

Swatchhta Pakhwada 2020 was observed during 1st to 15th November 2020 by organizing 11 nos. of harbour/costal clean-up programmes involving fishers, students and general public. NETFISH took the opportunity to generate awareness among fishermen community and the general public about importance of hygiene at fish landing sites and the need to conserve ocean from plastic pollution.

Participants of the landing centre clean-up programme organized in Maharashtra to observe Swacchta Pakhwada 2020

10.2.15 Implementation of Square mesh cod ends

As an effort to protect juvenile fishes NETFISH has distributed ten numbers of square mesh cod ends to the cluster boats in Vypin fishing harbour free of cost with the support of Tufropes Pvt. Ltd. In Paradeep fishing harbour 5 nos. of square mesh cod ends were distributed to the 2 nos. of cluster boat owners with 50% beneficiary contribution.

Due to NETFISH's intervention, 300 nos. of square mesh cod ends were purchased by the boat owners in the Harnai fishing harbour and are being used in the trawl fishing for the conservation of fish resources.

10.2.16 Implementation of Vessel Log sheets

Vessel log sheet system was implemented in Mangrol and Nagapattinam Fishing harbours by the effort of NETFISH. In Mangrol 2000 vessel log sheets were printed and distributed to boats with the support of Mahavir Cooperative Society, Mangrol and the HDC at the harbor is collecting the log sheet directly from boat owners. In Nagapattinam, Vessel log sheet was implemented with the support of Fisheries Department.

10.2.17 एफपीओ का गठन

'साउथ कोस्ट फिशर प्रोड्यूसर कंपनी प्रा. लीमिटेड' नामक एक एफपीओ का गठन तूतीकोरिन में नेटफिश के मार्गदर्शन में किया गया था। एफपीओ को गठन के लिए नाबार्ड से ₹ 8.90 लाख का वित्त पोषण प्राप्त हुआ है और नाबार्ड ने एफपीओ के लिए गैर सरकारी संगठन, सामाजिक पुनर्निर्माण केंद्र और मछुआरों के समूह की पहचान में नेटफिश की भूमिका को स्वीकार किया है।

10.2.18 विस्तार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग

कोविड की स्थिति के कारण जब जागरूकता कक्षाएं आयोजित करने के लिए मछुआरों का जनसमूह प्रतिबंधित था, नेटफिश ने जटिलता को दूर करने के लिए 98 मत्स्यन बंदरगाहों में 129 व्हाट्सएप समूह बनाए और विभिन्न सूचनाओं, जागरूकता संदेशों, नेटफिश लीफलेट्स, वीडियो आदि को दैनिक आधार पर लगभग 8100 पणधारियों तक पहुंचने के लिए प्रसारित किया है।

10.2.19 हार्बर डेटा संग्रह

एमपीईडीए की कैच प्रमाणन योजना को सुगम बनाने के लिए अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 101 बंदरगाहों से दैनिक आधार पर मछली पकड़ने और नाव आगमन के आंकड़े एकत्र किए गए। इस अवधि के दौरान कुल 6,91,054.26 टन मछली पकड़ और 3,55,938 नावों का आगमन दर्ज किया गया।

10.2.20 समुद्री खाद्य क्षेत्र में कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल पर अभियान

नेटफिश ने पणधारियों कों, विशेष रूप से मछुआरों, बंदरगाह श्रमिकों, मत्स्यन कर्मचारियों, नाव मालिकों, नीलामकर्ताओं आदि को कोविड-19 दिशा-निर्देशों पर शिक्षित किया है, जो मत्स्यन बंदरगाहों और मत्स्यन जहाजों में प्रोटोकॉल का पालन करने पर विशेष जोर देते हैं। बंदरगाहों पर बनाए गए संबंधित व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से स्थानीय भाषा में दिशा-निर्देशों का प्रसार किया गया और मत्स्य अधिकारियों और हितधारकों के साथ चर्चा की गई। सुरक्षा मानदंडों और कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए पालन की जाने वाली आवश्यक सावधानियों के प्रति मछुआरों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए बंदरगाह/जहाज के अंदर छोटे समूहों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

मैंगलोर में मछुआरों ने बंदरगाह में कोविड-19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने की शपथ ली।

10.2.17 Formation of FPO

One FPO named 'South Coast Fisher Producer Company Pvt. Ltd.' was formed under the guidance of NETFISH in Tuticorin. The FPO has received a funding of ₹ 8.90 lakhs from NABARD for formation and the NABARD has acknowledged the role of NETFISH in the Identification of NGO, Centre for Social Reconstruction and the group of Fishermen for the FPO.

10.2.18 Usage of social media for extension

Due to COVID situation when the gathering of fishers for conducting awareness classes were restricted, NETFISH has formed 129 whatsapp groups in 98 fishing harbours to overcome the intricacy and disseminated various information, awareness messages, NETFISH leaflets, videos etc. on a daily basis to reach nearly 8100 stakeholders.

10.2.19 Harbour Data Collection

Fish catch and Boat arrival data were collected on a daily basis from 101 harbours during April 2020 to March 2021 to facilitate the catch certification scheme of MPEDA. A total of 6,91,054.26 tons of fish catch and 3,55,938 nos. of boat arrivals were recorded during the period.

10.2.20 Campaign on COVID-19 Safety Protocols in Seafood Sector

NETFISH has educated the stakeholders, especially the fishermen, harbour workers, fishing crews, boat owners, auctioneers etc. on COVID-19 guidelines giving special emphasis to the protocols to be followed in fishing harbours and fishing vessels. The guidelines in the local language were disseminated through the respective WhatsApp groups created at the harbours and discussions were made with fisheries officials and stakeholders. Also organized pledge taking events in small groups inside the harbour/onboard to ensure fisher's commitment to safety norms and necessary precautions that are to be followed to reduce the spread of Corona virus.

Fishers in Mangalore taking oath to ensure COVID-19 protocol in harbour

10.3 राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा)

10.3.1प्रस्तावना

जलकृषि मुख्य रूप से भारत में तटीय गांवों को आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भारत से चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और अन्य देशों में श्रिम्प के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। श्रिम्प की खेती मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों द्वारा प्रति व्यक्ति 2 हेक्टेयर से कम के साथ की जाती है। टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल खेती के तरीकों तक कृषकों की पहुंच में सुधार और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के लिए, संबंधित एजेंसियों से प्रभावी विस्तार कार्य आवश्यक और पूर्वापेक्षित है। हालांकि कई केंद्रीय और राज्य एजेंसियां शामिल हैं और अपने विस्तार नेटवर्क के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान कर रही हैं, लेकिन इन किसानों की संख्या और दूरदराज के स्थानों के कारण इन कृषकों के एक बड़े हिस्से तक पहुंचना संभव नहीं है। इसे सुलझाने के लिए, एमपीईडीए ने निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा) नामक एक विस्तार शाखा शुरू की थी

नाक्सा के मुख्य उद्देश्य हैं:

- छोटे और सीमांत किसानों को समूहों में संगठित करना।
- भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से जलकृषि चिरस्थाईता में सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन को बढावा देना।
- छोटे पैमाने के जलकृषि कृषकों को सशक्त बनाना और उनकी क्षमता का निर्माण करना।
- छोटे पैमाने के जलकृषि कृषकों को बेहतर सेवा प्रावधान की सुविधा प्रदान करना
- अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषकों को बाज़ारों से जोड़ना।
- जलकृषि उत्पादकता और मुनाफे में सुधार के लिए बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देकर पणधारियों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करना।

10.3.2 शासी परिषद और कर्मचारी विवरण

नाक्सा का प्रबंधन शासी परिषद द्वारा किया जाता था, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष, एमपीईडीए और अध्यक्ष, नाक्सा ने की थी। वर्ष 2020-21 के दौरान नाक्सा गतिविधियों की समीक्षा और योजना बनाने के लिए एक (01) वार्षिक आम बैठक, दो (02) शासी परिषद की बैठकें और एक (01) विशेष शासी बैठक आयोजित की गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान नाक्सा की उपलब्धियां

2020-2021 के लिए नाक्सा कार्य योजना को वीसी के माध्यम से 04-02-2021 को अध्यक्ष के मिनी सम्मेलन हॉल, एमपीईडीए मुख्यालय, कोच्चि में 27 वीं शासी परिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया था। इस अवधि के दौरान नाक्सा की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- नई सोसाइटियों का आयोजन और पंजीकरण
- सीओपी ऑडिट सोसाइटियों का अद्यतन
- सोसायटी सीओपी ऑडिट का अद्यतन।
- सीएए प्राप्त करने पर समाज के कृषकों को सहायता
- भौतिक सत्यापन द्वारा पीएचटी पंजीकरण कार्यक्रम
- रोग निगरानी अध्ययन के लिए नमूना संग्रह
- एंटीबायोटिक/बीएमपी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।
- पैदावार अद्यतन

10.3 NATIONAL CENTRE FOR SUSTAINABLE AQUACULTURE (NaCSA)

10.3.1 Introduction

Aquaculture mainly plays a key role in providing livelihood to coastal villages in India. It is also earning foreign exchange through export of shrimp from India to China, US, EU, Japan and other countries. Shrimp farming is mainly carried out by small and marginal farmers with less than 2 Ha per individual. To improve access of farmers to sustainable and eco-friendly farming methods and its contribution to national economy, effective extension work is essential and prerequisite from the concerned agencies. Although several Central and State agencies are involved and extending technical assistance through their extension network, it has not been possible to reach a major chunk of these farmers due to their sheer numbers and remote locations. To address this, MPEDA had started an extension arm called National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA) with the following main objectives:

The main objectives of NaCSA are to:

- Organize small and marginal farmers into clusters.
- Promote scientific management to improve aquaculture sustainability through participatory approach.
- Empower and build capacity of small-scale aquaculture farmers.
- Facilitate improved service provision to small scale aquaculture farmers.
- Connect farmers to markets to receive better prices for good quality products.
- Facilitate interaction among stakeholders by promoting better management practices to improve aquaculture productivity and profits.

10.3.2 Governing Council & Staff details

NaCSA was managed by Governing Council presided by Chairman, MPEDA & President, NaCSA. One (01) Annual General Meeting, two (02) Governing Council meetings and one (01) Special Governing meeting was conducted during 2020-2021 to review and plan the NaCSA activities.

Achievements of NaCSA during 2020-2021

NaCSA work plan for 2020-2021 was approved in 27th Governing Council meeting at Chairman's mini conference hall, MPEDA HO, Kochi on 04.02.2021 through VC. The major achievements of NaCSA during this period are as follows:

- Organizing and Registration of New societies
- Update of Societies COP audits.
- Assistance to society farmers on obtaining CAA
- PHT Registration programme by physical verification
- Sample collection for disease surveillance studies
- Conducted Antibiotic /BMP Awareness Programs.
- Crop Update

10.3.2.1 संगठित और पंजीकृत संस्थाएं

नाक्सा ने भारत के विभिन्न तटीय राज्यों में वर्ष 2020-2021 के लिए 51 समितियों का समूह बनाया था।

तालिका 23: समुद्री राज्यों में संगठित और पंजीकृत नई संस्थाएं

क्र. सं.	राज्य	पहचाने गए समूहों की संख्या	कृषकों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर)	तालाबों की संख्या	सोसायटी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत सोसायटी
1	आंध्र प्रदेश	34	448	358.7	342	12
2	तमिल नाडु	02	27	71	122	00
3	ओड़ीशा	01	25	18	32	01
4	गुजरात	06	60	165	145	00
5	पश्चिम बंगाल	06	86	68.5	190	03
6	महाराष्ट्र	02	36	26	42	00
	कुल	**51**	**682**	**707.2**	**873**	**16**

10.3.2.2 एंटीबायोटिक/बीएमपी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

नाक्सा ने बेहतर प्रबंधन प्रथाओं (बीएमपी), फसल योजना आयोजन और श्रिम्प फ़ार्मिंग में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग पर कृषकों में जागरूकता पैदा करने पर ग्राम और मंडल / ब्लॉक / तालुक स्तरों पर कुल 1179 (1076+103) बैठकें आयोजित की हैं। इन बैठकों से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और गुजरात राज्यों के लगभग 13020 कृषक लाभान्वित हुए। विवरण तालिका 24 में प्रस्तुत किए गए है।

तालिका 24: आयोजित सोसायटी बैठकें और एंटीबायोटिक बैठकें

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	आयोजित की गई सामान्य बैठक	उपस्थित किसानों की संख्या	आयोजित बैठक	उपस्थित किसानों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	524	5726	53	932
2	ओड़ीशा	124	898	13	212
3	तमिल नाडु	229	2211	15	265
4	पश्चिम बंगाल	112	1363	14	235
5	कर्नाटक	22	165	2	25
6	केरला	34	376	3	34
7	गुजरात	8	81	3	48
8	महाराष्ट्र	22	437	0	0
9	गोवा	1	12	0	0
	कुल	**1076**	**11269**	**103**	**1751**

10.3.2.3 नाक्सा सोसायटियों को दी गई वित्तीय सहायता

i. इस वर्ष 2020-2021 के दौरान स्टार्टअप अनुदान प्राप्त समितियों का विवरण:

इस वर्ष के दौरान 17 सोसायटियों को @ ₹ 50,000 प्रति सोसायटी की दर से स्टार्ट-अप अनुदान के रूप में ₹ 8,50,000/- की राशि प्राप्त हुई। विवरण तालिका 25 में प्रस्तुत किया गया है।

10.3.2.1 Societies Organized & Registered

NaCSA had clustered 51 societies for the year 2020-2021 in different coastal states of India.

Table 23: New Societies Organized and Registered in Maritime States

Sl. No	State	No of Clusters identified	Number of farmers	Area (Ha)	No of ponds	Societies registered with Registrar of Societies
1	Andhra Pradesh	34	448	358.7	342	12
2	Tamil Nadu	02	27	71	122	00
3	Odisha	01	25	18	32	01
4	Gujarat	06	60	165	145	00
5	West Bengal	06	86	68.5	190	03
6	Maharashtra	02	36	26	42	00
	TOTAL	**51**	**682**	**707.2**	**873**	**16**

10.3.2.2 Conducted Antibiotic/BMP Awareness Programs

NaCSA has conducted total of 1179 (1076+103) meetings at Village and Mandal/Block/Taluk levels on adoption of Better Management Practices (BMPs), Crop planning and on creating awareness to farmers on Abuse of banned antibiotics in Shrimp farming. Around 13020 farmers from states of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, West Bengal, Kerala and Gujarat were benefitted by these meetings. The details were furnished in Table 24.

Table 24: Society Meetings & Antibiotic Meetings Conducted

Sl No	Name of Area	General Meetings Conducted	No of Farmers Attended	Meetings Conducted	No. Farmers attended
1	Andhra Pradesh	524	5726	53	932
2	Odisha	124	898	13	212
3	Tamil Nadu	229	2211	15	265
4	West Bengal	112	1363	14	235
5	Karnataka	22	165	2	25
6	Kerala	34	376	3	34
7	Gujarat	8	81	3	48
8	Maharashtra	22	437	0	0
9	Goa	1	12	0	0
	TOTAL	**1076**	**11269**	**103**	**1751**

10.3.2.3 Financial Assistance given to NaCSA Societies

i. Details of Societies received start-up grant during this year 2020-2021:

During this year 17 societies received an amount of ₹ 8,50,000 as Start-up grants @ ₹ 50,000/society. The details are furnished in Table 25

तालिका 25. स्टार्ट-अप अनुदान प्राप्त समितियों का विवरण

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	राज्य	रकम (₹)	महिना
1	मेसर्स श्री दुर्गा एएफडब्लूएस	पश्चिम बंगाल	50,000	मई 2020
2	मेसर्स श्री नेताजी एएफडब्लूएस	पश्चिम बंगाल	50,000	मई 2020
3	मेसर्स श्री शिवा साई एएफडब्लूएस	आंध्र प्रदेश	50,000	मई 2020
4	मेसर्स विश्वेश्वरा एएफडब्लूएस	आंध्र प्रदेश	50,000	मई 2020
5	मेसर्स श्री गणेश एएफडब्लूएस	आंध्र प्रदेश	50,000	मई 2020
6	मेसर्स किशोर एएफडब्लूएस	आंध्र प्रदेश	50,000	मई 2020
7	मेसर्स उत्तर पंचारी नारायण एएफडब्लूएस	पश्चिम बंगाल	50,000	मई 2020
8	मेसर्स पीजेआर एएफडब्लूएस	आंध्र प्रदेश	50,000	मई 2020
9	मेसर्स धंदालीबार देशपारण एएफडब्लूएस	पश्चिम बंगाल	50,000	जुलाई 2020
10	मेसर्स श्री बाबू जगजीवन राम एएफडब्लूएस	आंध्र प्रदेश	50,000	जुलाई 2020
11	मेसर्स श्री सीता राम एएफडब्लूएस	आंध्र प्रदेश	50,000	जुलाई 2020
12	मेसर्स दी नली एएफडब्लूएस	आंध्र प्रदेश	50,000	जुलाई 2020
13	मेसर्स श्री कनक दुर्गा एएफडब्लूएस	आंध्र प्रदेश	50,000	जनवरी 2021
14	मेसर्स स्वप्नतरु एएफडब्लूएस	पश्चिम बंगाल	50,000	जनवरी 2021
15	मेसर्स अंदुलपोटा एएफडब्लूएस	पश्चिम बंगाल	50,000	जनवरी 2021
16	मेसर्स गंगरा-सौदखलीचार एएफडब्लूएस	पश्चिम बंगाल	50,000	फरवरी 2021
17	मेसर्स पटना अलीचाक एएफडब्लूएस	पश्चिम बंगाल	50,000	फरवरी 2021

ii. सोसायटियों के लिए एमपीईडीए योजना के तहत वित्तीय सहायता

वर्ष 2020-2021 के दौरान, 10 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सोसायटियों को ₹ 1,12,62,161/- की राशि स्वीकृत की गई थी और विवरण तालिका 26 में दिया गया है।

तालिका 26: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सोसायटियों के लिए वितरित इमदाद (सब्सिडी) राशि

क्र.सं.	सोसाइटी का नाम	प्रस्तावित घटक	जारी की गई राशि
1	मेसर्स. बीएस मूर्ति एएफडब्लूएस	एरेटर, जेनसेट	15,250
	@75% इमदाद (सब्सिडी) राशि		
2	मेसर्स. नवोदय एएफडब्लूएस	एरेटर, जेनसेट, बायोसिक्यूरिटी	18,78,525
3	मेसर्स. बी.आर. आंबेडकर एएफडब्लूएस	एरेटर, जेनसेट	20,69,250
	75% इमदाद (सब्सिडी) में से @50% राशि		
4	मेसर्स. जय भीम एएफडब्लूएस	बायोसिक्यूरिटी, एरेटर्र्स, स्लज पंप मोटर	10,30,219
5	मेसर्स. वल्लभ नारायण एएफडब्लूएस	एरेटर्र्स	4,37,062
6	मेसर्स. श्री भगवान एएफडब्लूएस (50 एससी)	बायोसिक्यूरिटी, जेनसेट, एरेटर्र्स	6,07,398
7	मेसर्स. कोल्लुरिक एएफडब्लूएस	बायोसिक्यूरिटी, एरेटर्र्स	7,51,892
8	मेसर्स. नेताजी एएफडब्लूएस	बायोसिक्यूरिटी, एरेटर्र्स	10,97,565
9	मेसर्स. आंबेडकर एएफडब्लूएस, पी. कोथापालेम	बायोसिक्यूरिटी, एरेटर्र्स	11,25,000
10	मेसर्स. आंबेडकर एएफडब्लूएस, पेडापलेम	बायोसिक्यूरिटी, एरेटर्र्स	11,25,000
11	मेसर्स. मंडाव एएफडब्लूएस	बायोसिक्यूरिटी, एरेटर्र्स	11,25,000
	कुल		**1,12,62,161**

सामान्य समितियों के संबंध में ₹ 69,17,598/- राशि इन 10 सोसायटियों को 50% सब्सिडी की दर से जारी की गयी थी। विवरण तालिका 27 में दिया गया है।

Table 25: Details of Societies received Start-up grants

Sl. No	Name of the society	State	Amt (₹)	Month
1	M/s Sree Durga AFWS	West Bengal	50,000	May 2020
2	M/s Sree Netaji AFWS	West Bengal	50,000	May 2020
3	M/s Sri Shiva Sai AFWS	Andhra Pradesh	50,000	May 2020
4	M/s Visweswara AFWS	Andhra Pradesh	50,000	May 2020
5	M/s Sri Ganesh AFWS	Andhra Pradesh	50,000	May 2020
6	M/s Kishore AFWS	Andhra Pradesh	50,000	May 2020
7	M/s Uttar Panchiari Narayan AFWS	West Bengal	50,000	May 2020
8	M/s PJR AFWS	Andhra Pradesh	50,000	May 2020
9	M/s DhandalibarDeshaparan AFWS	West Bengal	50,000	July 2020
10	M/s Sri Babu Jagajivan Ram AFWS	Andhra Pradesh	50,000	July 2020
11	M/s Sri Sita Rama AFWS	Andhra Pradesh	50,000	July 2020
12	M/s The Nali AFWS	Andhra Pradesh	50,000	July 2020
13	M/s Sri Kanaka Durga AFWS	Andhra Pradesh	50,000	January 2021
14	M/s Swapnataru AFWS	West Bengal	50,000	January 2021
15	M/s Andulpota AFWS	West Bengal	50,000	January 2021
16	M/s Gangra-Saudkhalichar AFWS	West Bengal	50,000	February 2021
17	M/s Patna Alichak AFWS	West Bengal	50,000	February 2021

ii. Financial Assistance under MPEDA scheme for Societies

During the year 2020-2021, an amount of ₹ 1,12,62,161/- was sanctioned to the 10 SC/ST Societies and the details are given in Table 26.

Table 26: Subsidy Amount dispersed to SC/ST Societies

S. No.	Society Name	Components Proposed	Amount Released (₹)
1	M/s. BS Murthy AFWS	Aerators, Genset	15,250
	Amount @75% Subsidy		
2	M/s. Navodaya AFWS	Aerators, Genset, Biosecurity	18,78,525
3	M/s. B.R. Ambedkar AFWS	Aerators, Genset	20,69,250
	Amount @50% out of 75% Subsidy		
4	M/s. Jai Bheem AFWS	Biosecurity, Aerators, Sludge pump motor	10,30,219
5	M/s. Vallabha Narayana AFWS	Aerators	4,37,062
6	M/s. Sri Bhagvan AFWS (50% SC)	Biosecurity, Genset, Aerators	6,07,398
7	M/s. Kolluri AFWS	Biosecurity, Aerators	7,51,892
8	M/s. Netajl AFWS	Biosecurity, Aerators	10,97,565
9	M/s. Ambedkar AFWS, P. Kothhapalem	Biosecurity, Aerators	11,25,000
10	M/s. Ambedkar AFWS, Pedapalem	Biosecurity, Aerators	11,25,000
11	M/s. Mandava AFWS	Biosecurity, Aerators	11,25,000
	TOTAL		**1,12,62,161**

In regards to General Societies an amount of ₹ 69, 17,598/- was released to these 10 Societies @ 50% Subsidy. The details are given in Table 27.

तालिका 27: सामान्य सोसायटियों के लिए वितरित इमदाद (सब्सिडी) राशि

सामान्य सोसायटियां

क्र. सं.	सोसायटी का नाम और विवरण	राज्य	खरीदे गए घटक	स्वीकृत राशि
1	मेसर्स थेथागुडी उप्पनारू एक्वा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी	तमिल नाडु	एरेटरर्स बायोसिक्यूरिटी बायोसिक्यूरिटी	3,71,550
2	मेसर्स. वेल्लंकन्नी एक्वा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी	तमिल नाडु	एरेटरर्स	12,00,000
3	मेसर्स, करिकाला चोलन एक्वा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी	तमिल नाडु	एरेटरर्स जेनरेटर सुविधा	6,24,000
4	मेसर्स. उदय किरण एक्वा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी	आंध्र प्रदेश	बायोसिक्यूरिटी एरेटरर्स	7,34,208
5	मेसर्स. श्री रामंजनेय एक्वा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी	आंध्र प्रदेश	ट्रैक्टर	3,35,000
6	मेसर्स, राजा राजाचोलन एक्वा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी	तमिल नाडु	एरेटरर्स स्लज पंप मोटर जेनरेटर	10,10,550
7	मेसर्स. परवूई एक्वा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी	तमिल नाडु	एरेटरर्स	11,40,000
8	मेसर्स. वेल्लापलेम एक्वा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी	तमिल नाडु	जेनरेटर सुविधा एरेटरर्स	8,75,549.86
9	मेसर्स. महाराजापुरम कीलापति एक्वा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी	तमिल नाडु	बायोसिक्यूरिटी एरेटरर्स	2,51,500
10	मेसर्स. सीतानगरम श्री वेंकटेश्वर एक्वा फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी	आंध्र प्रदेश	एरेटरर्स	3,75,240
	कुल			**69,17,598**

10.3.2.4 एक्वा वन केंद्रों (एओसी) की स्थापना

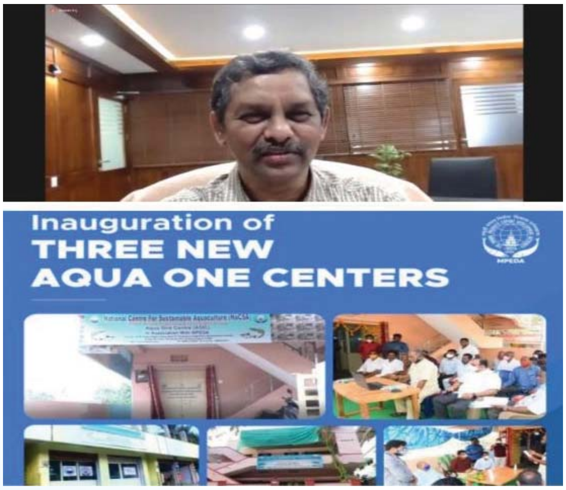

अध्यक्ष एमपीईडीए एवं अध्यक्ष नाक्सा की उपस्थिति में अज/अजजा सोसाइटियों केलिए तीन अक्वा वन सेंटर का उद्घाटन

आईसीटी समर्थित एक्वा वन सेंटर (एओसी) के पहले चरण की अनुगामिता में, नाक्सा -एमपीईडीए ने एमपीईडीए की सहायता से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति श्रेणी के तहत श्रीकाकुलम जिले के श्रीकाकुलम, पूर्वी गोदावरी जिले के थल्लारेवु और मलिकीपुरम में तीन और एओसी स्थापित किए। इन तीनों एओसी का उद्घाटन 29.03.2021 को श्री के.एस. श्रीनिवास भाप्रसे, अध्यक्ष, एमपीईडीए और अध्यक्ष, नाक्सा की उपस्थिती में श्री जे निवास भाप्रसे, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, श्रीकाकुलम जिला, श्री मुरलीधर रेड्डी भाप्रसे, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश द्वारा वर्चुअल मोड में किया गया था। इस अवसर पर डॉ. एम. कार्तिकेयन, निदेशक, एमपीईडीए और श्री के.एस. प्रदीप आईएफएस, सचिव, एमपीईडीए और नाक्सा जीसी सदस्य उपस्थित थे।

Table 27: Subsidy Amount dispersed to General Societies

General Societies

S. No.	Society Name and Details	State	Purchased Components	Amount Sanctioned (₹)
1	M/s. ThethagudiUppanaru Aqua Farmers Welfare Society	Tamil Nadu	Aerators Biosecurity Biosecurity	3,71,550
2	M/s. Vellankanni Aqua Farmers Welfare Society	Tamil Nadu	Aerators	12,00,000
3	M/s. KarikalaCholan Aqua Farmers Welfare Society	Tamil Nadu	Aerators Generator Facility	6,24,000
4	M/s. Uday Kiran Aqua Farmers Welfare Society	Andhra Pradesh	Biosecurity Aerators	7,34,208
5	M/s. Sri Ramanjaneya Aqua Farmers Welfare Society	Andhra Pradesh	Tractor	3,35,000
6	M/s. Raja RajaCholan Aqua Farmers Welfare Society	Tamil Nadu	Aerators Sludge Pump Motor Generator	10,10,550
7	M/s. Paravai Aqua Farmers Welfare Society	Tamil Nadu	Aerators	11,40,000
8	M/s. Vellapalem Aqua Farmers Welfare Society	Tamil Nadu	Generator Facility Aerators	8,75,549.86
9	M/s. MaharajapuramKeelapathi Aqua Farmers Welfare Society	Tamil Nadu	Biosecurity Aerators	2,51,500
10	M/s. Sitanagaram Sri Venkateswara Aqua Farmers Welfare Society	Andhra Pradesh	Aerators	3,75,240
	TOTAL			**69,17,598**

10.3.2.4 Setting Up of Aqua one Centers (AOCs)

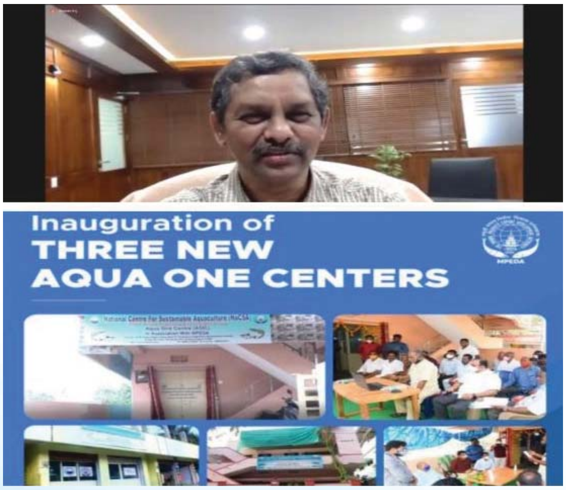

Inauguration of the three Aqua one Centre for SC/ST Societies in the presence of Chairman MPEDA & President, NaCSA

In continuation of first phase ICT enabled Aqua one Centre (AOC), NaCSA-MPEDA established three more AOCs at Srikakulam of Srikakulam district, Thallarevu & Malikipuram of East Godavari District under SC/ST category with assistance from MPEDA. These three AOCs were inaugurated on 29.03.2021in a virtual mode by Shri J. Nivas IAS, District Collector and District Magistrate, Srikakulam District, Shri Muralidhar Reddy IAS, District Collector and District Magistrate, East Godavari District, Andhra Pradesh in the presence of Shri K. S. Srinivas IAS, Chairman, MPEDA & President, NaCSA. Dr. M. Karthikeyan, Director, MPEDA and Shri K. S. Pradeep IFS, Secretary, MPEDA, and NaCSA GC Members were present on the occasion.

वर्ष 2020-2021 के लिए परीक्षण किए गए एओसी नमूनों का विवरण

2020-21 के दौरान, 8737 जल के नमूने, 5378 माइक्रोबायोलॉजिकल नमूने, 572 मिट्टी के नमूने,100 मिट्टी पीएच नमूने, 250 पीएच नमूने, 47 मिट्टी जैविक कार्बन नमूने, 01 क्लोराइड नमूना, 47 सीओडी नमूने, 173 लवणता नमूने, 466 आयरन / फॉस्फेट नमूने, 10 सोडियम नमूने, 220 क्षारीयता नमूने, 47 बीओडी नमूने, 148 हार्डनेस (शुष्कता) नमूने, 47 अघुलनशील (सस्पेंडेड) मिट्टी के नमूने, नाइट्राइट और नाइट्रेट 381 नमूने, 63 डीओ नमूने, अमोनिया 276 नमूने, 4 पोटेशियम नमूने, 21 फॉस्फेट नमूने, 14 केल्शियम नमूने, 4 मैग्नीशियम नमूने, 423 डब्ल्यूएसएसवी नमूने, 307 ईएचपी नमूने, 16 मिट्टी ईएचपी नमूने, चयनित नमूने 215, बीज नमूने 57 और 1609 पंजीकरण एओसी द्वारा किए गए थे। इन परीक्षणों के माध्यम से ₹ 24,39,796/- की राशि एकत्र की गई।

Details of AOC Samples tested for the year 2020-2021

During 2020-21, 8737 water samples, 5378 microbiological samples, 572 soil samples, 100 Soil pH samples, 250 pH samples, 47 Soil organic carbon samples, 01 Chloride sample, 47 COD Samples, 173 Salinity Samples, 466 Iron/phosphate Samples, 10 Sodium Samples, 220 Alkalinity Samples, 47 BOD Samples, 148 Hardness Samples, 47 Suspended Soil Samples, Nitrite and Nitrate 381 Samples, 63 DO Samples, Ammonia 276 Samples, 4 Potassium Samples, 21 Phosphate Samples, 14 Calcium Samples, 4 Magnesium Samples, 423 WSSV Samples, 307 EHP Samples, 16 Soil EHP Samples, selected samples 215, seed samples 57 and 1609 registrations were done by AOCs. An amount of ₹ 24,39,796 /- was collected through these tests.

तालिका 28: नाक्सा एओएस में परीक्षण किए गए नमूनों का विवरण

सं	एओसी कार्य स्टेशन	जल विश्लेषण	सूक्ष्मजीवविज्ञानी विश्लेषण	मृदा विश्लेषण	आयरन / फॉस्फेट परीक्षण	पी एच	डी ओ	पी पी टी	क्षारीयता	श0_2	अमोनिया परीक्षण	शुष्कता	झैंन			सोडियम	पोटेशियम	केल्शियम	पीसीआर			टी एस एस	सी ओ डी	बी ओ डी	सी एल	पी एच ओ	चयनित नमूने	बीज नमूने	कृषक पंजीकरण	एकत्रित राशि
													पी एच	जैविक	कार्बन				डब्लू एस एस वी	ई एच पी	मिट्टीड्रावी									
1	नवदुरु	1359	482	17	0	50	49	0	3	0	4	0	3	0	3	4	4	1	81	51	12	47	47	47	0	0	73	57	208	397349
2	इच्छापुरम	1076	893	22	11	10	0	5	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	66	85	0	0	0	0	1	0	132	0	181	399091
3	सीतानगरम	1982	952	18	56	6	0	6	9	30	34	1	0	0	0	6	0	0	163	132	0	0	0	0	0	0	9	0	159	593747
4	चांदबली	1070	571	58	0	36	0	44	40	64	11	37	0	0	0	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	183	211700
5	एरासामा	712	519	157	112	57	1	54	79	34	73	64	67	17	0	0	0	9	13	12	0	0	0	0	0	21	0	0	156	167615
6	कोणार्क	817	819	156	280	48	13	58	74	50	139	45	30	30	0	0	0	0	11	15	4	0	0	0	0	0	1	0	186	210049
7	काकद्वीप	690	362	29	1	0	0	0	0	72	3	0	0	0	0	0	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	139	148895
8	नंदीग्राम	572	468	95	0	9	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	180	156778
9	नचिंदा	415	287	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	5	0	0	0	0	0	0	0	0	158	136747
10	कुन्दपुरा	44	25	6	6	34	0	6	13	0	9	1	0	0	2	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	17825
	कुल	**8737**	**5378**	**572**	**466**	**250**	**63**	**173**	**220**	**381**	**276**	**148**	**100**	**47**	**5**	**10**	**4**	**14**	**423**	**307**	**16**	**47**	**47**	**47**	**1**	**21**	**215**	**57**	**1609**	**2439796**

10.3.2.5 फसल अद्यतन

नाक्सा सोसायटी के कृषक मुख्य रूप से ग्रीष्म कालीन पैदावार और शीत कालीन पैदावार कर रहे थे। वर्ष 2020-21 के दौरान ग्रीष्मकालीन पैदावार 401 सोसाइटियों को विभिन्न राज्यों में 4045.07 हेक्टेयर में 992.45 मिलियन एल वन्नामी बीज के साथ स्टॉक किया गया था। और ग्रीष्मकालीन पैदावार में कुल 14,324.50 मीट्रिक टन श्रिम्प सामग्री हार्वेस्ट की गयी और अनुमानित बिक्री मूल्य ₹ 472 करोड़ है। और इस पैदावार में प्रभावित बीज मुख्य रूप से डब्ल्यूएसएसवी, आरएमएस, विब्रियोस आदि जैसे रोगों से 40 मिलियन (4.3) बीज थे। शीत कालीन पैदावार के दौरान 173 सोसायटियों में 1729.4 हेक्टेयर में 546.472 मिलियन एल वन्नामी बीज स्टॉक किया गया था और लगभग 7227.5 मीट्रिक टन श्रिम्प हार्वेस्ट की गई, जिसका मूल्य लगभग ₹ 236.20 करोड़ थी। 22 मिलियन (1.33) बीज डब्ल्यूएसएसवी, इएचपी आदि जैसे रोग से प्रभावित थे। कुछ सोसाइटी के कृषक पश्चिम बंगाल में ब्लैक टाइगर श्रिम्प कल्चर कर रहे थे और पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म कालीन पैदावार के दौरान 28.44 हेक्टेयर में 3.27 मिलियन बीजों का स्टॉक किया। और इन दोनों सोसायटियों ने 55.51 मीट्रिक टन टाइगर श्रिम्प सामग्री का उत्पादन किया और इस श्रिम्प सामग्री का मूल्य 1.67 करोड़ रुपये था।

Table 28: Details of Samples tested in NaCSA AOCs

No	AOC Work Station	Water Analysis	Microbiological Analysis	Soil Analysis	Iron /Phosphate Test	pH	DO	PPT	Alkalinity	NO_2^-	Ammonia test	Hardness	Soil			Na	K	Ca	PCR			TSS	COD	BOD	cl	Pho	Selected Samples	Seed Samples	Farmers Registrations	Amount Collected (₹)
													pH	ORGANIC	CARBON				WSSV	EHP	Soil E HP									
1	Navduru	1359	482	17	0	50	49	0	3	0	4	0	3	0	3	4	4	1	81	51	12	47	47	47	0	0	73	57	208	397349
2	Icchapuram	1076	893	22	11	10	0	5	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0	66	85	0	0	0	0	1	0	132	0	181	399091
3	Seethanagaram	1982	952	18	56	6	0	6	9	30	34	1	0	0	0	6	0	0	163	132	0	0	0	0	0	0	9	0	159	593747
4	Chandbali	1070	571	58	0	36	0	44	40	64	11	37	0	0	0	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	183	211700
5	Erasama	712	519	157	112	57	1	54	79	34	73	64	67	17	0	0	0	9	13	12	0	0	0	0	0	21	0	0	156	167615
6	Konark	817	819	156	280	48	13	58	74	50	139	45	30	30	0	0	0	0	11	15	4	0	0	0	0	0	1	0	186	210049
7	Kakdwip	690	362	29	1	0	0	0	0	72	3	0	0	0	0	0	0	0	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	139	148895
8	Nandigram	572	468	95	0	9	0	0	0	124	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	180	156778
9	Nachinda	415	287	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	5	0	0	0	0	0	0	0	0	158	136747
10	Kundapura	44	25	6	6	34	0	6	13	0	9	1	0	0	2	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	17825
	Total	**8737**	**5378**	**572**	**466**	**250**	**63**	**173**	**220**	**381**	**276**	**148**	**100**	**47**	**5**	**10**	**4**	**14**	**423**	**307**	**16**	**47**	**47**	**47**	**1**	**21**	**215**	**57**	**1609**	**2439796**

10.3.2.5 Crop Update

NaCSA Society farmers were mainly doing summer crop and winter crop. During 2020-21 Summer Crop 401 societies were stocked with 992.45 million L. vannamei seed in 4045.07ha in various states. And total 14,324.50 MT shrimp material was harvested in summer crop and the estimated sales value is ₹ 472 Crore. And seed affected in this crop was 40 million (4.3%) seed mainly by diseases such as WSSV, RMS, Vibrios etc. During the winter crop 173 societies were stocked with 546.472 million L. vannamei seed in 1729.4 ha and around 7227.5 MT of shrimp was harvested, valued around ₹ 236.20 Crore. 22 million (1.33%) seed affected by disease like WSSV, EHP etc. Some society farmers were doing Black Tiger shrimp culture in West Bengal and stocked 3.27 million seeds in 28.44 Ha during the summer crop in West Bengal. And these two societies harvested 55.51 MT Tiger Shrimp material and the value of this shrimp material was ₹ 1.67 Crore.

तालिका 29: वर्ष 2020-2021 में एल वन्नामी का ग्रीष्मकालीन फसल उत्पादन विवरण

फसल उत्पादन का विवरण 2020-2021 वर्ष 2020 के दौरान एल वन्नामी का ग्रीष्मकालीन फसल उत्पादन विवरण

क्र. सं.	राज्य	जिला	सोसाइटियों की संख्या	कृषकों की संख्या	डब्ल्यूएसए (हैक्टर)	स्टॉक किए कुल तालाब	डी ओ सी	स्टॉक किए बीज (मिलियन)	एबीडब्ल्यू (ग्राम)	रोग प्रकोप तालाब	रोग प्रकोप बीज	रोग प्रकोप क्षेत्र	मीट्रिक टन में उत्पादन	आईएनआर में उत्पादन मूल्य
1	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	55	665	489.0	888	90	91.1	17	44	4	24	1467.6	511448778
2		कृष्णा	58	693	606.4	772	110	109.7	20	39	4	30	1688.3	550301700
3		प्रकाशम	12	144	153.5	212	103	50.8	18	11	2	8	619.7	219740350
		पश्चिम गोदावरी	59	703	525.6	801	105	114.9	17	40	5	26	1560.3	484653598
5		नेल्लोर	7	84	57.7	84	105	12.4	17	4	0	3	162.8	50663800
6		श्रीकाकुलम	7	82	58.4	107	95	26.4	16.5	5	1	3	343.7	101317000
7		पूर्व गोदावरी	151	1817	1406.2	2595	93	405.8	16.7	130	16	70	5586.3	1853004349
8		कुल	349	4188	3297	5459		811.4		273	32	165	11429	3771129575
9	ओड़ीशा	पुरी	8	96	49.0	274	100	17.1	21	14	1	2	327.3	106493520
10		भद्रक	2	20	32.1	50	120	10.2	26	3	0	2	222.1	73299600
11		केंद्रपाड़ा	1	12	9.3	16	120	3.3	27	1	0	0	73.7	24334200
12		बालासोर	1	14	10.6	23	120	3.7	26	1	0	1	86.4	31107600
		कुल	12	142	101.0	363		34.4		18	1	5	709.5	235234920
13	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना	1	14	0.72	16	115	0.38	25	1	0	0	5.35	1621500
14		उत्तर 24 परगना	1	17	234.6	35	120	11.7	27	2	0	12	327.3	153830060
15		पूरबा मेदिनीपुर	12	146	52.2	218	93	21.3	22	11	1	3	346.5	105800975
		कुल	15	177	287.5	269		33.4		13	1	14	679.2	261252535
16	कर्नाटक	उड़पी	3	35	37.94	42	96	10.4	18	2	0	2	137.8	23549300
17		उत्तराखंड	1	11	11.9	11	80	2.4	16	1	0	1	22.1	6254600
		कुल	4	46	49.84	53		12.8		3	1	2	159.9	29803900
18	तमिल नाडु	तिरुवरुरू	4	47	42.5	100	80	14.1	15	5	1	2	106.34	26630000
19		नागपट्टिनम	12	143	199.93	269	110	70.59	21	13	3	10	1001.34	318284260
20		कुड्डालोर	2	29	35	54	110	12.68	21	3	1	2	204.94	64791100
		कुल	18	219	277.43	423		97.37		21	4	14	1312.62	409705360
21	केरल	त्रिशूर	3	33	28.24	36	83	2.83	15	2	0	1	33.15	10824000
22	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	1	1	4	8	120	0.1	20	0	0	0	1.1	330000
23	**कुल योग**		**401**	**4806**	**4045.07**	**6611**		**992.446**		**331**	**40**	**202**	**14324.5**	**4718280290**

Table 29: 2020-2021 Summer Crop Production Details *L. vannamei*

Details of Crop Production -2020-2021

S No	State	District	No. of Societies	No of The Farmer	WSA (Ha)	Total Ponds Stocked	DOC	Stocked seed (Million)	ABW (Gms)	Disease Outbreak Pond	Disease Outbreak Seed	Disease Outbreak Area	Production in MT	Production Value In INR (₹)
1	Andhra Pradesh	Guntur	55	665	489.0	888	90	91.1	17	44	4	24	1467.6	511448778
2		Krishna	58	693	606.4	772	110	109.7	20	39	4	30	1688.3	550301700
3		Prakasam	12	144	153.5	212	103	50.8	18	11	2	8	619.7	219740350
		West Godavari	59	703	525.6	801	105	114.9	17	40	5	26	1560.3	484653598
5		Nellore	7	84	57.7	84	105	12.4	17	4	0	3	162.8	50663800
6		Srikakulam	7	82	58.4	107	95	26.4	16.5	5	1	3	343.7	101317000
7		East Godavari	151	1817	1406.2	2595	93	405.8	16.7	130	16	70	5586.3	1853004349
8		Total	349	4188	3297	5459		811.4		273	32	165	11429	3771129575
9	Odisha	Puri	8	96	49.0	274	100	17.1	21	14	1	2	327.3	106493520
10		Bhadrak	2	20	32.1	50	120	10.2	26	3	0	2	222.1	73299600
11		Kendrapara	1	12	9.3	16	120	3.3	27	1	0	0	73.7	24334200
12		Balasore	1	14	10.6	23	120	3.7	26	1	0	1	86.4	31107600
		Total	12	142	101.0	363		34.4		18	1	5	709.5	235234920
13	West Bengal	South 24 parganas	1	14	0.72	16	115	0.38	25	1	0	0	5.35	1621500
14		North 24 Parganas	1	17	234.6	35	120	11.7	27	2	0	12	327.3	153830060
15		Purba Medinipur	12	146	52.2	218	93	21.3	22	11	1	3	346.5	105800975
		Total	15	177	287.5	269		33.4		13	1	14	679.2	261252535
16	Karnataka	Udupi	3	35	37.94	42	96	10.4	18	2	0	2	137.8	23549300
17		Uttara Kannada	1	11	11.9	11	80	2.4	16	1	0	1	22.1	6254600
		Total	4	46	49.84	53		12.8		3	1	2	159.9	29803900
18	Tamil Nadu	Tiruvarur	4	47	42.5	100	80	14.1	15	5	1	2	106.34	26630000
19		Nagapattinam	12	143	199.93	269	110	70.59	21	13	3	10	1001.34	318284260
20		Cuddalore	2	29	35	54	110	12.68	21	3	1	2	204.94	64791100
		Total	18	219	277.43	423		97.37		21	4	14	1312.62	409705360
21	Kerala	Thrissur	3	33	28.24	36	83	2.83	15	2	0	1	33.15	10824000
22	Maharashtra	Kolhapur	1	1	4	8	120	0.1	20	0	0	0	1.1	330000
23	**Grand Total**		**401**	**4806**	**4045.07**	**6611**		**992.446**		**331**	**40**	**202**	**14324.5**	**4718280290**

तालिका 30: वर्ष 2020 ग्रीष्मकालीन के दौरान पी. मोनोडॉन फसल उत्पादन विवरण

क्र. सं.	राज्य	जिला		कृषकों की संख्या	डब्लू एसए (हैक्टर)	तालाबों की संख्या	डीओसी	बीज (मिलियन में)	एबीडब्लू (ग्राम)	रोग प्रकोप तालाब	रोग प्रकोप बीज	रोग प्रकोप क्षेत्र	मीट्रिक टन में उत्पादन	आईएनआर में उत्पादन मूल्य
1	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना	2	25	28.44	32	110	3.27	25	2	0.2	0.4	55.51	16653000

तालिका 31: एल.वन्नामेई, 2020 शीतकालीन फसल के दौरान उत्पादन विवरण

क्र.सं	राज्य	जिला		कृषकों की संख्या	डब्लूएसए (हैक्टर)	तालाबों की संख्या	डीओसी	बीज (मिलियन में)	एबीडब्लू (ग्राम)	रोग प्रकोप तालाब	रोग प्रकोप बीज	रोग प्रकोप क्षेत्र	मीट्रिक टन में उत्पादन	आईएनआर में उत्पादन मूल्य
1	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	7	85	66.4	107	110	14	24	4	0.6	2.7	254.8	119811500
2		कृष्णा	21	255	197.3	353	105	41.3	20	14	1.7	7.9	627.6	219227990
3		प्रकाशम	23	272	293.7	489	90	129.7	15	20	5.2	11.8	1490.2	463111830
4		पश्चिम गोदावरी	23	275	172.1	343	95	42.5	18	14	1.7	6.9	586.1	188449750
5		नेल्लोर	42	502	320.1	738	100	115.9	16	30	4.6	12.8	1351.3	402903570
6		श्रीकाकुलम	4	46	40.1	56	110	12.8	20	2	0.5	1.6	195.9	66606500
7		पूर्व गोदावरी	15	180	146.2	225	95	33	16	9	1.3	5.8	403.2	99486700
8		**कुल**	**135**	**1615**	**1236.1**	**2311**	**100**	**389.2**	**18.42**	**92**	**15.6**	**49.4**	**4909.3**	**1559597840**
	ओड़ीशा	पुरी	7	87	35.6	124	115	13.6	23	5	0.5	1.4	239	82792000
10		गंजम	1	6	12.6	7	130	4.3	28	0	0.2	0.5	90.7	69980097.5
11		भद्रक	2	20	32.1	50	120	12.8	24	2	0.5	1.3	232	77720000
12		**कुल**	**9**	**113**	**80.3**	**181**	**121**	**30.7**	**25**	**7**	**1.2**	**3.2**	**561.7**	**230492097.5**
13		पूरबा मेदिनीपुर	11	133	75.3	362	100	45	17	14	1.8	3.0	562.6	174711550
14		**कुल**	**11**	**133**	**75.3**	**362**	**100**	**45**	**17**	**14**	**1.8**	**3.0**	**562.6**	**174711550**
15	कर्नाटक	उड़पी	0	2	3.1	4	130	0.1	28	0	0.0	0.1	2.3	770500
16		उत्तराखंड	2	23	36.0	28	120	8.8	21	1	0.4	1.4	140.5	35570200
17		**कुल**	**2**	**25**	**39.1**	**32**	**125**	**8.9**	**24.5**	**1**	**0.4**	**1.6**	**142.8**	**36340700**
18	तमिलनाडु	नागपट्टिनम	15	177	287.9	538	110	72.1	19	22	2.9	11.5	1038.04	356018900
		कुल	**15**	**177**	**287.9**	**538**	**110**	**72.1**	**19**	**22**	**2.9**	**11.5**	**1038.04**	**356018900**
20	केरल	त्रिशूर	1	14	10.4	23	120	0.6	25	1	0.0	0.4	13.27	4983700
		कुल योग	**173**	**2077**	**1729.4**	**3447**	**112**	**546.472**	**21.5**	**138**	**22**	**69**	**7227.5**	**2362144788**

Table 30: P. monodon Production details during 2020 Summer Crop

S. No	State	District		No of Farmer	WSA (Ha)	No of Ponds	DOC	Seed in Million	ABW (Grams)	Disease Outbreak Pond	Disease Outbreak Seed	Disease Outbreak Area	Production Mt	Value in INR
1	West Bengal	North 24 Parganas	2	25	28.44	32	110	3.27	25	2	0.2	0.4	55.51	16653000

Table 31: L.vannamei, Production details during 2020 Winter Crop

Sl.No.	State	District	No of Societies	No of The Farmer	WSA (Ha)	Ponds	DOC	Harvested Seed (Million)	ABW (Gms)	Disease Outbreak Pond	Disease Outbreak Seed	Disease Outbreak Area	Production (Mt)	Production Value in INR
1	Andhra Pradesh	Guntur	7	85	66.4	107	110	14	24	4	0.6	2.7	254.8	119811500
2		Krishna	21	255	197.3	353	105	41.3	20	14	1.7	7.9	627.6	219227990
3		Prakasam	23	272	293.7	489	90	129.7	15	20	5.2	11.8	1490.2	463111830
4		West Godavari	23	275	172.1	343	95	42.5	18	14	1.7	6.9	586.1	188449750
5		Nellore	42	502	320.1	738	100	115.9	16	30	4.6	12.8	1351.3	402903570
6		Srikakulam	4	46	40.1	56	110	12.8	20	2	0.5	1.6	195.9	66606500
7		East Godavari	15	180	146.2	225	95	33	16	9	1.3	5.8	403.2	99486700
8		**Total**	**135**	**1615**	**1236.1**	**2311**	**100**	**389.2**	**18.42**	**92**	**15.6**	**49.4**	**4909.3**	**1559597840**
	Odisha	Puri	7	87	35.6	124	115	13.6	23	5	0.5	1.4	239	82792000
10		Ganjam	1	6	12.6	7	130	4.3	28	0	0.2	0.5	90.7	69980097.5
11		Bhadrak	2	20	32.1	50	120	12.8	24	2	0.5	1.3	232	77720000
12		**Total**	**9**	**113**	**80.3**	**181**	**121**	**30.7**	**25**	**7**	**1.2**	**3.2**	**561.7**	**230492097.5**
13		Purba Medinipur	11	133	75.3	362	100	45	17	14	1.8	3.0	562.6	174711550
14		**Total**	**11**	**133**	**75.3**	**362**	**100**	**45**	**17**	**14**	**1.8**	**3.0**	**562.6**	**174711550**
15	Karnataka	Udupi	0	2	3.1	4	130	0.1	28	0	0.0	0.1	2.3	770500
16		Uttara Kannada	2	23	36.0	28	120	8.8	21	1	0.4	1.4	140.5	35570200
17		**Total**	**2**	**25**	**39.1**	**32**	**125**	**8.9**	**24.5**	**1**	**0.4**	**1.6**	**142.8**	**36340700**
18	Tamil Nadu	Nagapattinam	15	177	287.9	538	110	72.1	19	22	2.9	11.5	1038.04	356018900
		Total	**15**	**177**	**287.9**	**538**	**110**	**72.1**	**19**	**22**	**2.9**	**11.5**	**1038.04**	**356018900**
20	Kerala	Thrissur	1	14	10.4	23	120	0.6	25	1	0.0	0.4	13.27	4983700
		Grand Total	**173**	**2077**	**1729.4**	**3447**	**112**	**546.472**	**21.5**	**138**	**22**	**69**	**7227.5**	**2362144788**

11.0 राजभाषा कार्यकलाप

वर्ष 2020-21 के दौरान भी राजभाषा अनुभाग ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को प्राधिकरण में जारी रखा। प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अनुमोदन के साथ राजभाषा अनुभाग ने वार्षिक कार्यक्रम के साथ-साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों और आदेशों के अनुरूप विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यक्रम तैयार किए और कार्यान्वित किए। राजभाषा के रूप में ये कार्यक्रम केवल मुख्यालय तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि क्षेत्रीय प्रभागों को भी इसमें शामिल किया गया था। वीसी के माध्यम से मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों के सभी अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशालाएं और हिंदी सेमिनार आयोजित किए गए ताकि उन्हें हिंदी में अपने कार्यालयीन कार्य में आसानी से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। इस दौरान वीसी के माध्यम से 08 क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण भी किया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान सभी अधिकारियों को उनके जन्मदिन पर इलेक्ट्रॉनिक जन्मदिन की शुभकामनाएं कार्ड हिंदी में जारी किए गए। एमपीईडीए मासिक समाचार पत्र "एमपीईडीए न्यूज लेटर" संघ की राजभाषा को लोकप्रिय बनाने के विशेष प्रयास के रूप में हिंदी में प्रकाशित किया जा रहा है। एमपीईडीए-मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी दिवस मनाया गया और कर्मचारियों के लिए कई हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए कोविड-19 दिशानिर्देश का हिंदी संस्करण प्रकाशित किया गया।

समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए कोविड-19 एनिमेशन वीडियो का हिंदी संस्करण तैयार किया गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान एमपीईडीए ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संस्थापित राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार तृतीय प्राप्त किया।

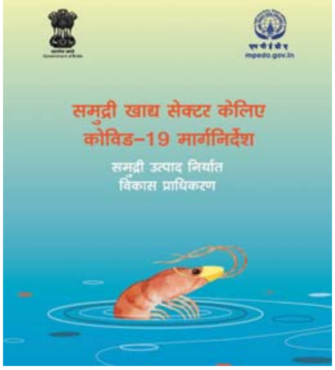

समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए कोविड-19 दिशानिर्देश का हिंदी संस्करण

श्री के. एस. श्रीनिवास, अध्यक्ष, एमपीईडीए द्वारा डॉ. एम. कार्तिकेयन, निदेशक की उपस्थिति में समुद्री खाद्य क्षेत्र के लिए हिंदी में कोविड-19 दिशानिर्देश का विमोचन

श्री के.एस. प्रदीप आईएफएस, सचिव, एमपीईडीए ने श्री अजय कुमार मिश्रा और श्री निशिथ प्रमाणिक, माननीय गृह राज्य मंत्री से वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित "राजभाषा कीर्ति" पुरस्कार प्राप्त किया।

11.0 OFFICIAL LANGUAGE ACTIVITIES

Official Language section continued the effective implementation of the Official Language policy of the Government of India in the Authority during the year 2020-21. With the approval of the Official Language Implementation Committee of the Authority, the OL section formulated and carried out various promotional programmes in line with the Annual Programme as well as other instructions and orders issued by the Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs from time to time with regard to use of Hindi as Official Language. These programmes were not confined to Head Office only, but covered Regional Divisions also. Hindi Workshops and Hindi Seminars were conducted for all the officials at HO and Field Offices through VC to make them efficient to attend their Official work in Hindi effortlessly. OL inspection of 08 field Offices were also carried out through VC during this period.

Electronic Birthday wishes cards in Hindi were issued to all the Officials on their birthdays during the year 2020-21. MPEDA monthly newsletter "MPEDA NEWS LETTER" is being published in HINDI as a special effort to popularize official language of the Union. Hindi Fortnight was celebrated in MPEDA-Head Office and Hindi Day in its Field Offices and many Hindi competitions were conducted for the employees.

Brought out Hindi Version of the COVID – 19 Guidelines for Seafood sector

Brought out Hindi Version of the COVID – 19 Animation video for Seafood sector

MPEDA Bagged National Level "Rajbhasha Keerti Award- 3rd " instituted by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi for the best implementation of Official Language during the year 2019-20.

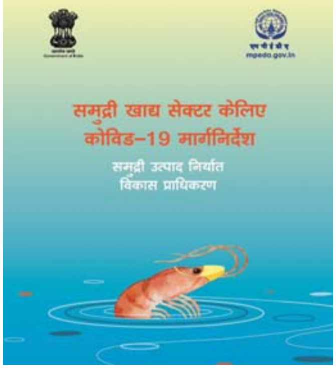

Hindi Version of the COVID–19 Guidelines for Seafood sector

Release of COVID-19 guideline in Hindi for seafood sector by Shri K S Srinivas IAS, Chairman, MPEDA in the presence of Dr. M. Karthikeyan

Shri K. S. Pradeep IFS, Secretary, MPEDA received the prestigious "Rajbhasha Kirti" award for the year 2019-20 from Shri Ajay Kumar Mishra and Shri Nishith Pramanik, Honorable Minister of State for Home Affairs

12.0 अन्य कार्यकलाप

12.1 प्रशासन

कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, गृह मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों / आदेशों को सख्ती से लागू किया। भारत सरकार, राज्य सरकारें, आदि। एमपीईडीए कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, सभी इकाई कार्यालयों को आवश्यक कोविड-19 सुरक्षात्मक उपकरण जैसे कि सैनिटाइज़िंग मशीन, ऑक्सीमीटर, तापमान स्कैनर, आदि की खरीद के लिए आवश्यक वित्तीय अधिकार दिए गए थे। मुख्यालय में, स्वचालित सैनिटाइज़र डिस्पेंसर, पैर संचालित सैनिटाइजर डिस्पेंसर, कतार प्रबंधक स्थापित किए गए हैं, सैनिटाइजिंग मशीन का उपयोग स्वच्छता के लिए किया जा रहा है, और गुनि प्रयोगशाला, मुख्यालय के सहयोग से सभी वर्गों / कर्मचारियों को पर्याप्त हैंड सैनिटाइज़र प्रदान किया गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, वाणिज्य विभाग, आदि के निर्देशानुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिन आयोजित किए गए।

आतंकवाद विरोधी दिवस का पालन

एमपीईडीए ने 21 मई, 2020 को आवश्यक निवारक उपायों का पालन करते हुए आतंकवाद विरोधी प्रतिज्ञा लेते हुए आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया।

गणतंत्र दिवस समारोह

श्री के. एस. श्रीनिवास आईएएस, अध्यक्ष 72 वें गणतन्त्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र ध्वज फहराते हुए

श्री के.एस.श्रीनिवास, अध्यक्ष, एमपीईडीए गणतंत्र दिवस का भाषण देते हुए।

एमपीईडीए ने 26 जनवरी, 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस मनाया और श्री के.एस. श्रीनिवास, आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए द्वारा मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अधिकारियों और गैर अधिकारियों ने कोविड-19 दिशानिर्देशों एहतियात के साथ मुख्यालय के सामने एकत्र हुए और अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस भाषण दिया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ।

12.0 OTHER ACTIVITIES

12.1 Administration

To contain the spread of COVID-19 Virus, strictly implemented the guidelines/orders of Ministry of Home Affairs, Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India, State Governments, etc. To safeguard the MPEDA employees, all unit offices were given necessary financial powers to procure necessary COVID-19 protective equipment such as Sanitizing machine, Oxymeter, temperature scanner, etc. In Head office, automatic sanitizer dispenser, foot operated sanitizer dispenser, queue manager are installed, sanitizing machine are being used for sanitisation, and provided sufficient hand sanitizer to all sections/employees with the support of QC Lab, HO. During period under report, the following important days were observed, as instructed by Department of Commerce, etc.:

Observance of Anti-Terrorism Day

MPEDA Observed Anti-Terrorism Day on 21st May, 2020 by taking Anti-Terrorism pledge by following necessary preventive measures.

Republic Day Celebration

Shri K S Srinivas IAS, Chairman hoisting the National Flag during 72nd Republic Day Celebration

Shri K S Srinivas IAS, Chairman, MPEDA delivering the Republic Day Speech

MPEDA celebrated the 72nd Republic Day on 26thJan, 2021 and the National Flag was hoisted at Head Office by Shri. K.S. Srinivas, IAS, Chairman, MPEDA.Officials and non-officials gathered in front of Head Office with precautions of COVID-19 guidelines and Chairman delivered the Republic Day speech which was followed by the National Anthem.

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

एमपीईडीए ने 8 मार्च 2021 को महिलाएं नेतृत्व में : कोविड-19 दुनिया में समतुल्य भविष्य हासिल करना विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस कोविड-19 महामारी के दौरान स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, एमपीईडीए ने सफाई कर्मचारियों की सेवा को मान्यता दी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दौरान पोन्नाडा से सम्मानित किया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

श्री के.एस.श्रीनिवास, अध्यक्ष, एमपीईडीए ने सफाई कर्मियों की सेवा को पोन्नाडा से सम्मानित किया।

स्वच्छता पखवाड़ा

डीओसी के निर्देशानुसार 1 से 15 नवंबर 2020 तक विभिन्न कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस संबंध में एमपीईडीए के सभी यूनिट कार्यालयों में सफाई कार्यक्रम आयोजित किए गए और नेटफिश ने भी विभिन्न मछली पकड़ने के बंदरगाहों और लैंडिंग केंद्रों पर कोविड-19 दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए सफाई अभियान चलाया।

एमपीईडीए के सभी यूनिट कार्यालयों में सफाई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

International Women's Day

MPEDA celebrated International women's day on 8th March 2021under the theme "Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world". Considering the importance of hygiene and saniatation during this COVID-19 pandemic, MPEDA recognized the service of cleaning workers and honoured with a Ponnada during the International womens day.

International Women's Day Celebration

Shri K S Srinivas IAS, Chairman, MPEDA honouring the service of cleaning workers with a Ponnada

Swachhata Pakhwada

Swachhata Pakhwada was organized from 1st to 15th November 2020 with various programmes, as instructed by DoC. In this regard cleaning programmes were conducted in all unit offices of MPEDA and NETFISH has also conducted cleanup campaign at various fishing harbours and landing centers strictly adhering to COVID-19 guidelines.

Cleaning programmes were conducted in all unit offices of MPEDA

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती का जश्न

एमपीईडीए ने महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती (1 वर्ष का कार्यक्रम) मनाया। एमपीईडीए भवन के मुख्यालय में प्रमुख स्थानों पर महात्मा गांधीजी की जयंती का लोगो प्रदर्शित किया गया। वर्तमान जीवन में गांधीवादी विचारधाराओं का महत्व पर एक वर्चुअल वेबिनार 01.10.2020 को दोपहर 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित किया गया था। वेबिनार में एमपीईडीए के सभी यूनिट कार्यालयों, इसकी समितियों और देश भर के निर्यातकों ने भाग लिया था।

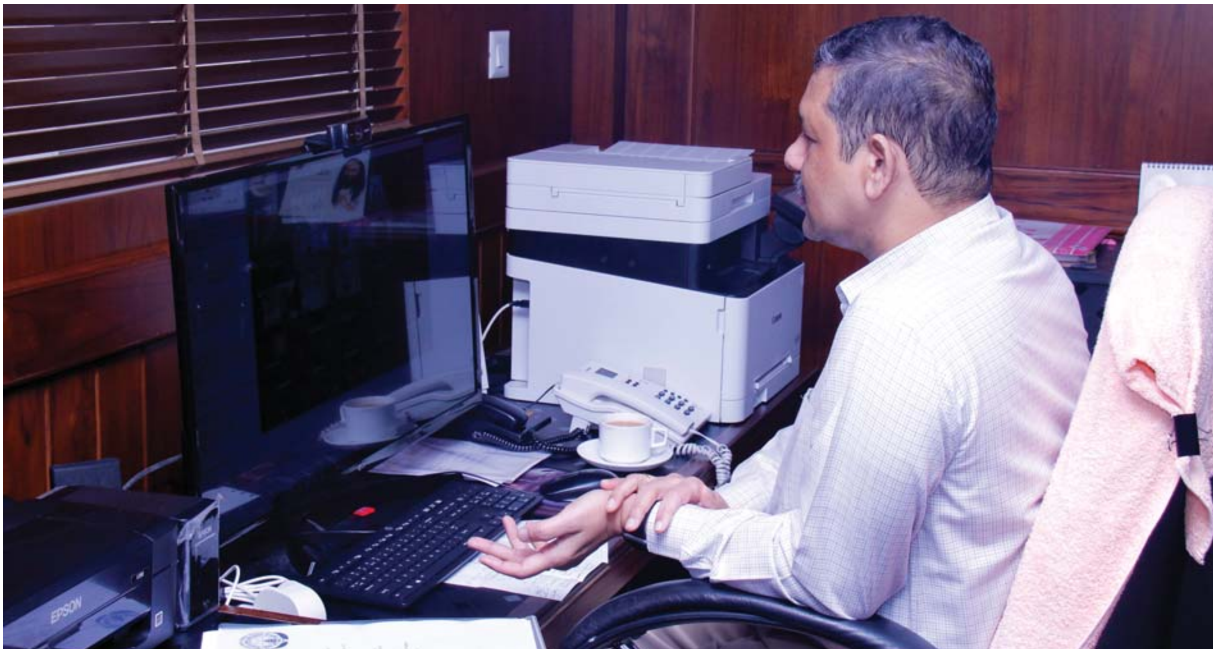

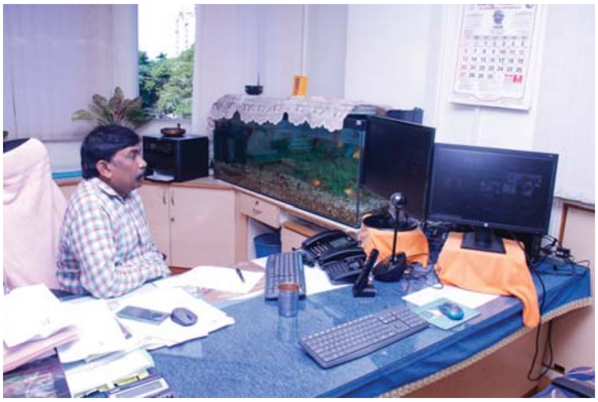

"आज के जीवन में गांधीवादी विचारधारा का महत्व" पर वर्चुअल वेबिनार।

राष्ट्रीय एकता दिवस

एमपीईडीए ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए 30 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन किया, जनिकी भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ हमारे राष्ट्र की इकाई, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए हमारे समर्पण को बढ़ावा देने और सुदृढ़ करने के लिए मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में ली गई थी।

Celebration of 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi

MPEDA celebrated the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi (1 year programme). The logo of birth anniversary of Mahatma Gandhi was displayed at prominent locations at Head Office of MPEDA building. A virtual Webinar on "Importance of Gandhian Ideologies in the present day life" was conducted on 01.10.2020 from 11.00 PM to 12.00 PM. The webinar was attended by all unit offices of MPEDA, its societies and exporters all over the country.

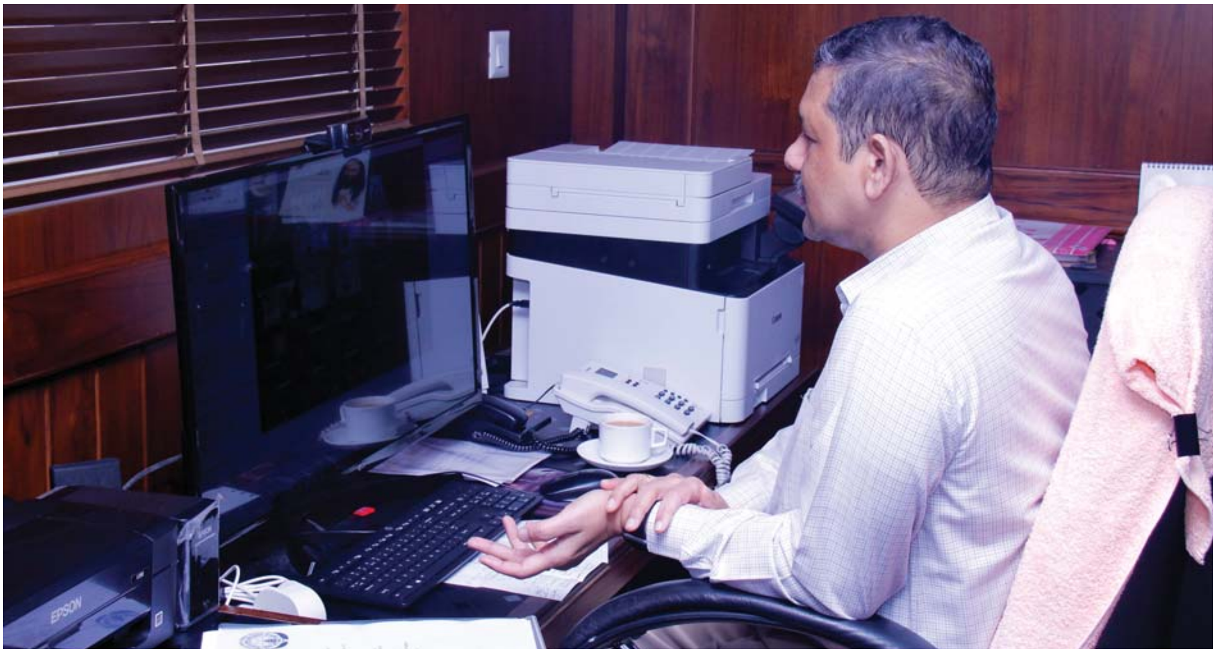

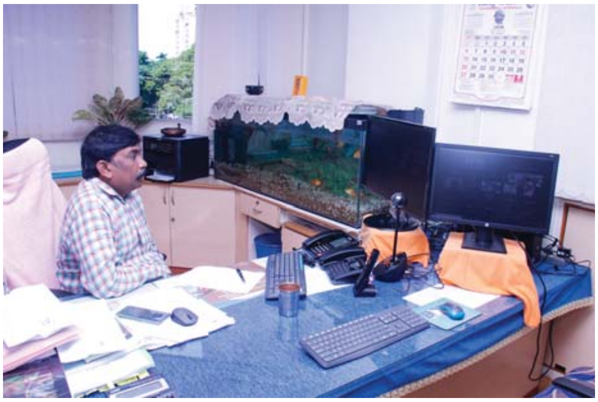

Virtual Webinar on "Importance of Gandhian Ideologies in the present day life"

Rashtriaya Ekta Diwas

MPEDA celebrated Rashtriaya Ekta Diwas (National Unity Day) on 30th October 2020 to mark the birth anniversary of Sardar Vallabhai Patel who had a major role in the political integration of India. Pledge on Rashtriya Ekta Diwas was taken at Head Office and field offices to foster and reinforce our dedication to preserve and strengthen unit, integrity and security of our nation.

सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह

एमपीईडीए ने शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के संदेश को फैलाने के लिए 19 से 25 नवंबर 2020 तक सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह और 25 नवंबर, 2020 को झंडा दिवस मनाया।

संविधान दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और संयुक्त राष्ट्र ध्वज दिवस

एमपीईडीए ने 26 नवंबर 2020 को संविधान दिवस मनाया और मुख्यालय के सभी अनुभागों और फील्ड कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने 26 नवंबर 2020 को सुबह 11.00 बजे भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ी।

एमपीईडीए ने 07 दिसंबर, 2020 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया।

हैदराबाद में उप क्षेत्रीय प्रभाग

एमपीईडीए के एक नए उप क्षेत्रीय प्रभाग का उद्घाटन श्री टी. श्रीनिवास यादव, माननीय मंत्री पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास निगम और छायांकन, तेलंगाना सरकार ने 9 अक्टूबर 2020 को अध्यक्ष, एमपीईडीए की उपस्थिति में किया।

श्री टी. श्रीनिवास यादव, माननीय पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास निगम और छायांकन मंत्री, तेलंगाना सरकार द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को श्री के.एस. श्रीनिवास, भा प्र से अध्यक्ष, एमपीईडीए की उपस्थिति में हैदराबाद में एमपीईडीए के नए उपक्षेत्रीय प्रभाग का उद्घाटन किया गया।

12.2 पुस्तकालय

पुस्तकालय सूचना और ज्ञान के अर्जन, संरक्षण, वितरण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एमपीईडीए पुस्तकालय मत्स्य उद्योग/संस्थानों को सूचना के प्रसार के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना जारी रखता है। पुस्तकालय में पुस्तकों के पुराने और नए जोड़े गए संग्रह का एमपीईडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों, विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्रों और निर्यातकों द्वारा अच्छी तरह से उपयोग किया गया था। पुस्तकालय संस्थान के वैज्ञानिक समुदाय की सूचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुस्तकालय ऑनलाइन डेटाबेस, पुस्तकों, पत्रिकाओं, मानकों, थीसिस, रिपोर्ट आदि के रूप में आधुनिक सुविधाओं

Communal Harmony campaign week

MPEDA Observed Communal Harmony campaign week from 19th to 25th November 2020 and "Flag Day" on 25th November, 2020 to spread the message of Peace, Communal Harmony and National Integration.

Constitution Day, Armed Forces Flag Day & United Nations Flag Day

MPEDA celebrated Constitution Day on 26th November 2020 and senior officials of all sections in Head office and Field offices read out the preamble of the Indian Constitution at 11.00 on 26th November 2020.

MPEDA also observed Armed Forces Flag Day on 07th December, 2020.

Sub Regional Division at Hyderabad

Inauguration of New Sub-Regional Division of MPEDA by Shri T Srinivas Yadav, Hon'ble Minister of Animal Husbandry, Fisheries, Dairy Development Corporation and Cinematography, Govt. of Telangana at Hyderabad on 9th October 2020 in the presence of Shri K S Srinivas IAS, Chairman, MPEDA

A new Sub Regional Division of MPEDA was inaugurated by Shri T. Srinivas Yadav, Hon'ble Minister of Animal Husbandry, Fisheries, Dairy Development Corporation and Cinematography, Govt. of Telangana at Hyderabad on 9th October 2020 in the presence of Chairman, MPEDA.

12.2 Library

Library is playing a vital role in acquisition, preservation, distribution and dissemination of information and knowledge. MPEDA library continues to serve as the focal point of dissemination of information to the fisheries industries/ Institutions. The treasure old and the newly added collection of books in library were well utilized by the MPEDA Officers and staffs, various university students visiting scholars and exporters. Library is playing a vital role in providing services to support the information needs of the scientific community of the Institute. The library is well equipped with modern facilities and resources in the form of online databases, books, journals,

और संसाधनों से सुसज्जित है। इस अवधि के दौरान हमने केंद्र सरकार के नियमों की हैंडबुक की 30 प्रतियां रखीं और 153 दैनिकी /पत्रिकाएं/सामयिकी प्राप्त हुई और तीन भाषाओं अर्थात मलयालम, अंग्रेजी, हिंदी के समाचार पत्र सहित सदस्यता/उपहार/प्रतिदान के रूप में प्राप्त पत्रिकाओं के 719 अंक अनुक्रमित किए।

प्रदत्त सेवाएं

1. पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं, वर्तमान पत्रिकाओं, रिपोर्टों, कार्यवाही और अन्य प्रकाशनों का ओपेक विवरण ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (वेबसाइट में होस्ट किया गया) के माध्यम से खोजा जा सकता है।
2. पुस्तकालय के सदस्यों के लिए पुस्तकों और पत्रिकाओं का कम्प्यूटरीकृत परिचालन जारी रहा।
3. पुस्तकालय सूचना सेवा-सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से ईमेल द्वारा समुद्री अनुसंधान और मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी प्रदान करता है।
4. वर्तमान जागरूकता सेवा - चयनित पत्रिकाओं के लिए दैनिक/साप्ताहिक/मासिक सार प्रणाली सेवा डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध की गयी और मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों में हमारी वेबसाइटों से इसे हासिल किया जा सकता है।
5. संदर्भ सुविधा और रिप्रोग्राफिक सेवा, ईमेल सेवा के माध्यम से जानकारी उपयोगकर्ताओं को दैनिक आधार पर प्रदान की जाती है।
6. मत्स्य उद्योग से संबंधित 788 समाचार पत्रों की कटिंग परिचालित और महत्वपूर्ण कटिंग वेबसाइट में होस्ट किए गए।
7. 2930 दैनिक/साप्ताहिक/मासिक सार के साथ सूचकांक परिचालित किया गया और यह सभी केंद्रों के लिए गुगल शीट प्रारूप में उपलब्ध है।
8. पुस्तकालय ने हमारे अधिकारियों को जारी संदर्भ सेवाओं के विवरण/पुस्तक/पत्रिकाएं उपलब्ध कराईं। इस अवधि दौरान 2880 उपयोक्ताओं ने पुस्तकालय की सुविधाओं का उपयोग किया।

12.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

एमपीईडीए मुख्यालय और अन्य सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 27.10.2020 से 02.11.2020 तक 'सतर्क भारत, समृद्ध भारत (सतर्क भारत, समृद्ध भारत)' विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया गया। कोविड-19 महामारी के कारण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सलाह का पालन करते हुए उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करके केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालयीन पोर्टल के माध्यम से 'ई-अखंडता प्रतिज्ञा' ली गई।

13.0. आभारोक्ति

समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग द्वारा रिकार्ड निर्यात को प्राप्त करने हेतु उठाए गए यथार्थ प्रयासों के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी केंद्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग एवं राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग के लिए समान रुप से कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), आईसीएआर संस्थान (सीआईएफटी/ सीएमएफआरआई/सिबा), राष्ट्रीय फसल पूर्व मात्स्यिकी प्रोद्योगिकी संस्थान, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) और केंद्रीय मात्स्यिकी नौपरिवहन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), महासागर विकास विभाग, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग आदि ने भी समुद्री उत्पादों के व्यापार के विकास एवं समुद्री उत्पादों के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों में हमारे दूतावासों ने समुद्री उत्पादों के निर्यात विपणन से संबंधित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में अपना सहयोग दिया और उन बाजारों में हमारे निर्यात को बढावा देने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राधिकरण इन सभी संगठनों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। प्राधिकरण इन सभी संगठनों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। प्राधिकरण, समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग और व्यापार द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए भी अत्यधिक ऋणी है। एमपीईडीए मुख्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की समर्पित सेवा, क्षेत्रीय प्रभागों एवं उप क्षेत्रीय प्रभागों, जलकृषि संवंर्धन केन्द्रों, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं और विदेशों एवं दिल्ली के व्यापार संवंर्धन कार्यालयों ने समग्र कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा प्राधिकरण सराहना के साथ उनके योगदानों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

standards, theses, reports etc. During the period we have added 30 copies of hand book of central government rules and 153 Journals/magazine/periodicals were received and indexed 719 issues of journals were received as subscription/gift/exchange including newspaper of three languages ie Malayalam, English, Hindi.

Services Provided

1. OPAC details of books, journals, current periodicals, reports, proceedings and other publication available in the library can be searched through the Online Public access catalogue (hosted in the website)
2. Computerised circulation of books and journals continued to the members of library
3. Library information Service-provides the latest information in the field of marine research and fisheries to all the Officers individually by email.
4. Current Awareness Service- the Daily/Weekly/Monthly Abstract manner service for selected journals and website information made available in digital format and can be accessed at HQS and Regional centres from our websites.
5. Reference facility and reprographic service, information through email service provided to the users daily basis.
6. Newspaper cuttings 788 numbers related to fisheries industry circulated and important cuttings hosted in the website
7. 2930 numbers of Daily/Weekly/Monthly Abstract with index circulated and it is available Google sheet format to the all centres
8. The Library provided Reference Services details /Book/Magazines issued to our officials. During this period 2880 users utilized the facilities of the library.

12.3 Vigilance Awareness Week

Vigilance Awareness Week 2020 was observed in MPEDA HO and all other field offices from 27.10.2020 to 02.11.2020 with the theme ‘Satark Bharat, Samriddh Bharat (Vigilant India, Prosperous India)’ by taking take the ‘e-Integrity Pledge’ through the official portal of Central Vigilance Commission by using the available electronic mode due to the Covid-19 pandemic after following the advisories issued by Govt. from time to time.

13.0. Acknowledgement

The sincere efforts taken by the seafood export industry for achieving the record exports is acknowledged. The active co-operation of all the Central Ministries, the Planning Commission and the State Governments is gratefully acknowledged. The Export Inspection Council of India (EIC), the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), the ICAR Institutes (CIFT/ CMFRI/ CIBA), the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology, the Fishery Survey of India (FSI) and the Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training (CIFNET), Department of Ocean Development, Department of Bio-Technology, etc. have also played active role in developing the trade and achieving the export of marine products. Our embassies in the important overseas markets have extended their co-operation in solving various problems relating to export marketing of seafood and also played an important role in boosting our exports to those markets. The Authority also wishes to place on record its gratitude to all these organizations. The Authority is also deeply indebted to the support and co-operation extended by the seafood export industry and trade. The dedicated services of the officers and staff of MPEDA at its Head Quarters, Regional Offices and the Sub Regional Offices, Aquaculture Promotion Centers, Quality Control Laboratories and the Trade Promotion Offices Overseas and at Delhi have contributed significantly to the overall functioning and performance and the Authority wishes to acknowledge their contribution with appreciation.

अनुबंध-1

31.03.2021 तक के प्राधिकरण के सदस्यों की सूची

श्री. के.एस.श्रीनिवास, भा.प्र.से. अध्यक्ष, एमपीईडीए एमपीईडीए भवन, पनम्पिल्ली एवन्यू, कोचीन - 682036 ईमेल : chairman@mpeda.gov.in	**श्री. के.वी.विश्वमोहनन** उपाध्यक्ष, एमपीईडीए और मुख्य कार्यकारी, के वी मरीन एक्सपोर्ट, 61, वेंकटेश स्ट्रीट, चिंताद्रिपेट चेन्नई - 600002 ईमेल : kvmarine@hotmail.com
डॉ. एम.कार्तिकेयन निदेशक, एमपीईडीए एमपीईडीए भवन, पनम्पिल्ली एवन्यू, कोचीन - 682 036 ईमेल : karthikeyan@mpeda.gov.in	**डॉ. (श्रीमती) राजश्री मल्लिक** माननीय सांसद (लोकसभा) कमरा नंबर 1114, ओडिशा निवास कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली - 110021 ईमेल : rajashreemallickjsp@gmail.com
श्री. संजय राउत माननीय सांसद सदस्य (राज्य सभा) 11, फिरोज़शा रोड, नई दिल्ली - 110001 ईमेल : s.raut@sansad.nic.in	**डॉ. भारतीबेन धीरुभाई स्याल** माननीय सांसद सदस्य (लोक सभा) बंगला नंबर 20, जनपथ रोड, डॉ भीमराव अंबेदार इंटरनेशनल सेंटर के सामने, दिल्ली - 110001 ईमेल : bdshiyal.mp@sansad.nic.in
सुश्री रूपा दत्ता आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कमरा सं. 225-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 011 ईमेल : rupa.dutta@nic.in	**डॉ. जे. बालाजी**, भा.प्र.से संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार कमरा सं 103, कृषि भवन डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110 001 ईमेल : jsfy@nic.in
श्री. अशोक कुमार संयुक्त सचिव खद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली - 110 049 ईमेल : ashok.kr61@nic.in	**श्री. स्टीफन एल.**, आई आर एस निदेशक, ईपी(एमपी) वाणिज्य मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कमरा सं. 280 ए, उद्योग भवन नई दिल्ली - 110 011 ईमेल : steephen.irs@gov.in
श्री. के. कन्ना बाबू, भा.प्र.से मत्स्य पालन आयुक्त (एफएसी) मत्स्य पालन आयुक्त का कार्यालय बंदर रोड, पोरांकी, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला। आंध्र प्रदेश - 521 137 ईमेल : comfishap@gmail.com	**डॉ. पांडुरंग कोडिराम राउत**, आई आर एस उप महा निदेशक शिपिंग महा निदेशालय बीटा बिल्डिंग, 9वां तल I-थिंक तकनो कैम्पस, कंजूर मार्ग (पश्चिम) मुंबई - 400 042 ईमेल : pandurang.raut@nic.in
श्रीमती टिंकू बिस्वाल, भा.प्र.से प्रमुख सचिव (मत्स्य पालन, परिवहन एवं देवस्वम) केरल सरकार कमरा नंबर 386, पहली मंजिल मुख्य ब्लॉक, सरकारी सचिवालय तिरुवनंतपुरम - 695 001 ईमेल : secy.tspt@kerala.gov.in	**श्री. डी. पी. देसाई**, भा.प्र.से मत्स्य पालन आयुक्त तीसरी मंजिल, ब्लॉक नंबर 10 जीवराज मेहता भवन गांधीनगर - 382 010 गुजरात ईमेल : commi-fisheries@gujarat.gov.in

Appendix – 1

List of Authority Members as on 31.03.2021

Shri. K. S. Srinivas, IAS Chairman, M P E D A MPEDA House, Panampilly Avenue Cochin – 682 036 E-mail: chairman@mpeda.gov.in	**Shri. K. V. Viswamohanan** Vice Chairman, MPEDA & Chief Executive, K V Marine Exports, 61, Venkatesa Street, Chintadripet Chennai – 600 002 E-mail: kvmarine@hotmail.com
Dr. M. Karthikeyan Director, MPEDA MPEDA House Panampilly Avenue Cochin – 682 036 E-mail: karthikeyan@mpeda.gov.in	**Dr. (Smt) Rajashreee Mallick** Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) Room No. 1114, Odisha Niwas Kautilya Marg, Chanakyapuri New Delhi-110 021 Email: rajashreemallickjsp@gmail.com
Shri. Sanjay Raut Hon'ble Member of Parliament(Rajya Sabha) 11, Ferozshah Road, New Delhi – 110 001 E-mail: s.raut@sansad.nic.in	**Dr. Bharatiben Dhirubhai Shyal** Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha) Bunglow No.20, Janpath road, Opposite Dr Bhimrao Ambedar International Center, Delhi-110 001 Email: bdshiyal.mp@sansad.nic.in
Ms. Rupa Dutta Economic Advisor Department of Commerce Ministry of Commerce & Industry Room No. 225 – A, Udyog Bhawan New Delhi – 110 011 E-mail: rupa.dutta@nic.in	**Dr. J. Balaji**, IAS Joint Secretary (Fisheries) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Government of India Room No: 103, Krishi Bhawan Dr. Rajendra Prasad Road New Delhi – 110 001 E-mail: jsfy@nic.in
Shri. Ashok Kumar Joint Secretary Ministry of Food Processing Industries Government of India Panchsheel Bhawan, August Kranti Marg New Delhi – 110 049 E-Mail: ashok.kr61@nic.in	**Shri. Steephen L.**, IRS Director, EP(MP) Department of Commerce Ministry of Commerce & Industry Room No: 280 – A, Udyog Bhawan New Delhi – 110 011 E-mail : steephen.irs@gov.in
Shri K. Kanna Babu, IAS Commissioner of Fisheries (FAC) Office of Commissioner of Fisheries Bandar Road, Poranki, Vijayawada, Krishna Dist. Andhra Pradesh - 521 137 E-Mail: comfishap@gmail.com	**Dr. Pandurang Kondiram Raut**, IRS Deputy Director General Directorate General of Shipping "BETA Building", 9th Floor I-Think Techno Campus, Kanjur Marg (East) Mumbai – 400 042 E-mail: pandurang.raut@nic.in
Smt. Tinku Biswal, IAS Principal Secretary (Fisheries, Transport & Devaswam) Government of Kerala Room No. 386, 1st Floor Main Block, Govt. Secretariat Thiruvananthapuram – 695 001 E-mail: secy.tspt@kerala.gov.in	**Shri D. P Desai**, IAS Commissioner of Fisheries 3rd Floor, Block No. 10 Jivraj Mehta Bhavan Gandhinagar – 382 010 Gujarat Email: commi-fisheries@gujarat.gov.in

कैप्टन पी. मणिवन्नन, भा.प्र.से सचिव, पशु विभाग पशुपालन और मत्स्य पालन, कर्नाटक सरकार सचिवालय कमरा नंबर 404, चौथी मंजिल, विकास सौध डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वीथि बेंगलुरु - 560 001 ईमेल : prsahf@gmail.com	**डॉ. अतुल पाटने**, भा.प्र.से मत्स्य पालन आयुक्त महाराष्ट्र सरकार मत्स्य पालन आयुक्त का कार्यालय तारापोरवाला एक्वेरियम एन.एस. रोड, चर्नी रोड मुंबई - 400 002 ईमेल : (बंद): commfishmaha@gmail.com
श्री. के. गोपाल, भा.प्र.से. सरकार के प्रधान सचिव पशुपालन, दुग्ध एवं मात्स्यिकी विभाग, सचिवालय चेन्नई - 600 009 ईमेल : ahsec@tn.gov.in	**श्री. आर. रघु प्रसाद**, आईएफएस आयुक्त व सचिव (मत्स्य पालन और एआरडी विभाग) ओडिशा सरकार, प्रथम तल रेड बिल्डिंग, ओडिशा सचिवालय सचिवालय मार्ग, भुबनेश्वर ओडिशा - 751 001 ईमेल : fardsec.od@nic.in
श्री. पुरवा गर्ग, भा.प्र.से सचिव (मात्स्यिकी एवं पर्यटन) पुतुच्चेरी सरकार मुख्य सचिवालय, गोबेर्ट एवन्यू पुतुच्चेरी - 605 001 ईमेल : secytourism.pon@nic.in	**श्री. शन्तनुसाहा**, भा.प्र.से मात्स्यिकी आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार, मात्स्यिकी विभाग, 31.जी..एन.ब्लॉक आई टी बिल्डिंग, आठवीं तल, बेनफिश टवर साल्ट लेक, सेक्टर V कोलकाता - 700 091 ईमेल : dfwb_kol@hotmail.com
श्री. आदित्य दास प्रबंध निदेशक राम्स एसार्टेड कोल्ड स्टोरेज लिमि. ए/541 एवं ए/551, नयापल्ली, बारामुंडा पी.ओ, भुबनेश्वर - 751 003, ओडीशा ईमेल : md@racsl.com	**श्री. कर्सनभाई आर. सालेट** सालेट सीफुड्स एन.एम छात्रालय बिल्डिंग, सुदामा रोड पोरबंदर - 360 575 ईमेल : saletseafoods@saletgroup.com
श्री. सारंग श्याम चंद्रकांत एट एंड पोस्ट - निवाती (मेधा), तालुका - वेंगुर्ला जिला सिंधुदुर्ग - 416 522, महाराष्ट्र ईमेल : shyamsarang89@gmail.com	**डॉ. यू. जोगी आनंद वर्मा** उपाध्यक्ष - आनंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज आनंद भवन, शिवरावपेटा रोड भीमावरम, आंध्र प्रदेश - 534 202 ईमेल : jogivarma@anandagroup.com
श्री. राजर्षी बैनर्जी निदेशक रज़बान सीफूड प्रा लिमिटेड 770, कालिकापुर, कोलकाता - 700 099 ईमेल : razban.seafood@gmail.com	**श्री. अर्जुन दीपक गद्रे** गद्रे मराइन एक्सपोर्ट प्राईवेट.लिमिटेड. प्लॉट एफपी1, एमआईडीसी मिर्जोल ब्लॉक रत्नागिरी, महाराष्ट्र - 415 639 ईमेल : arjun.gadre@gadremarine.com
डॉ. रविशंकर सी.एन. निदेशक आईसीएआर-केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान विल्लिंगडन आइलैंड मत्स्यपुरी पोस्ट कोच्ची - 682 029 ईमेल : cnrs2000@gmail.com	**डॉ. सी. सुवर्णा**, आईएफएस मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार फिश बिल्डिंग, पिलर नंबर 235 पीवीएनआर एक्सप्रेसवे, एसवीपीएनपीए पोस्ट, राजेंद्रनगर, हैदराबाद - 500 052 ईमेल : cenfdb@gmail.com
डॉ. कुलदीप कुमार लाल निदेशक, आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जनटिक रिसोर्सस कनाल रिंग रोड, दिलखुशा पी ओ लखनऊ - 22600 ईमेल : director.nbfgr@icar.gov.in	**सुश्री भाग्यश्री अशुतोष अपांदकर** सीशोर सीफुड्स वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र पिनकोड - 400 703 ईमेल : seashorefoods20@gmail.com

Capt. P. Manivannan, IAS Secretary, Department of Animal Husbandry & Fisheries, Karnataka Government Secretariat Room No. 404, 4th Floor, Vikas Soudha Dr. B.R.Ambedkar Veedhi Bengaluru 560 001 E-mail: prsahf@gmail.com	**Dr. Atul Patne**, IAS Commissioner of Fisheries Government of Maharashtra Office of Commissioner of Fisheries Taraporevala Aquarium N. S. Road, Charni Road, Mumbai – 400 002 E-mail (off): commfishmaha@gmail.com
Shri. K. Gopal, IAS Principal Secretary to Government Animal Husbandry, Dairying and Fisheries Department, Secretariat Chennai – 600 009 E-mail: ahsec@tn.gov.in	**Shri. R. Raghu Prasad**, IFS Commissioner cum Secretary (Fisheries & ARD Dept) Government of Odisha, 1st Floor, Red Building, Odisha Secretariat, Sachivalaya Marg, Bhubaneswar, Odisha – 751 001 E-mail: fardsec.od@nic.in
Smt. Purva Garg, IAS Secretary (Fisheries & Tourism) Govt of Puducherry Chief Secretariat, Goubert Avenue Puducherry-605 001 Email: secytourism.pon@nic.in	**Shri. Santanu Saha**, IAS Commissioner of Fisheries Government of West Bengal Fisheries Department, 31.G.N Block IT Building, 8th Floor, Benfish Tower Salt Lake, Sector V Kolkata 700 091 E.mail: dfwb_kol@hotmail.com
Shri. Aditya Dash Managing Director Rams Assorted Cold Storage Ltd. A/54-1 & A / 55-1, Nayapalli, PO- Baramunda, Bhubaneswar – 751 003, Odisha E-mail: md@racsl.com	**Shri. Karshan Bhai R. Salet** Salet Seafoods N. M. Chhatralaya Building, Sudama Road Porbandar – 360 575 E-mail: saletseafoods@saletgroup.com
Shri. Sarang Shyam Chandrakant At & Post – Niwati (Medha), Tal – Vengurla Dist. Sindudurg – 416 522, Maharashtra E-mail: shyamsarang89@gmail.com	**Dr. U. Jogi Anand Varma** Vice President – Ananda Group of Companies Anandha Bhavan, Sivaraopeta Road Bhimavaram, Andhra Pradesh – 534 202 E-mail: jogivarma@anandagroup.com
Shri. Rajarshi Banerjee Director Razban Seafoods Pvt. Ltd. 770, Kalikapore, Kolkata – 700 099 E-mail: razban.seafood@gmail.com	**Shri. Arjun Deepak Gadre** Gadre Marine Export Pvt. Ltd. Plot FP-1, MIDC Mirjole Block Ratnagiri, Maharashtra – 415 639 Email: arjun.gadre@gadremarine.com
Dr. Ravishankar C.N Director ICAR – Central Institute of Fisheries Technology Willingdon Island Matsyapuri Post Kochi – 682 029 E-mail: cnrs2000@gmail.com	**Dr. C. Suvarna**, IFS Chief Executive Officer National Fisheries Development Board Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India "Fish Building", Pillar No. 235 PVNR Expressway, SVPNPA Post, Rajendranagar, Hyderabad – 500 052 E-mail: cenfdb@gmail.com
Dr. Kuldeep Kumar Lal Director, ICAR- National Bureau of Fish Genetic Resources Canal Ring Road, P. O., Dilkusha Lucknow – 226 002 E-mail: director.nbfgr@icar.gov.in	**Ms. Bhagyashri Ashutosh Apandkar** Seashore Seafoods, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra Pin Code – 400 703 Email: seashorefoods20@gmail.com

अनुबंध 2

31.03.2021 तक मुख्यालय के अधिकारियों की सूची

क्रम सं.	अधिकारियों का नाम	पदनाम
1	के.एस श्रीनिवास, भा.प्र.से	अध्यक्ष
2	डॉ एम कार्तिकेयन	निदेशक
3	के एस प्रदीप, आईएफएस	सचिव
4	डॉ राम मोहन.एम.के	संयुक्त निदेशक (गु.नि./प्रयोगशाला)
5	अनिलकुमार.पी	संयुक्त निदेशक (विपणन)
6	डॉ टी आर जिबिन कुमार	उप निदेशक (ई.पी)
7	डॉ शैन कुमार.सी एस	उप निदेशक (ई.पी.)
8	डॉ अन्सार अली.ए	उप निदेशक (ई.पी.)
9	डॉ षस्सी एस	उप निदेशक (ई.पी.)(स्थानापन्न)
10	राकेश थॉमस कुरियन	उप निदेशक (ई.पी.)(स्थानापन्न)
11	जी महेश	उप निदेशक (गु.नि)
12	वी.विनोद	उप निदेशक (गु.नि.)
13	सुरेश कुमार वी वी	उप निदेशक (कार्मिक)
14	वीनु पी के	उप निदेशक (प्रशासन)
15	एल्सम्मा इत्तक्	उप निदेशक (अक्वा)
16	विनोद पी एन	उप निदेशक (अक्वा)
17	आर.शंकर पिल्लै	उप निदेशक (अक्वा)(स्थानापन्न)
18	दीपा.ई.वी	मुख्य लेखा अधिकारी
19	उषा सिंह	प्रणाली विश्लेषक
20	आर. प्रभाकरन	पुस्तकालयसूचना अधिकारी
21	श्रीजित.पी.टी.	सहायक निदेशक (ई.पी)
22	शक्तिवेल.ए	सहायक निदेशक (ई.पी)
23	भूषण सुरेश चन्द्र पाटील	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)
24	सुमा.ए	सहायक निदेशक (गु.नि)
25	डॉ ई.सी.अभिलाश	सहायक निदेशक (गु.नि)
26	उषा गोपालकृष्णन	अनुभाग अधिकारी
27	जन्नु राजु	लेखा अधिकारी
28	तुलसी नायर	हिन्दी अधिकारी
29	वीणा.के.पी	वरिष्ठ लेखाकार
30	पी.टी.कुमारस्वामी	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
31	अनीसा.टी.ए	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
32	विनीता.के.वी	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)

Appendix 2

List of Officers at HO as on 31.03.2021

Sl. No.	Name of Officials	Designation
1	K S SRINIVAS, IAS	Chairman
2	DR. M KARTHIKEYAN	Director
3	K S PRADEEP, IFS	Secretary
4	DR. RAM MOHAN M K	Joint Director (QC/LAB)
5	ANIL KUMAR P	Joint Director (Marketing)
6	DR. T R GIBIN KUMAR	Deputy Director (EP)
7	DR. SHINE KUMAR C S	Deputy Director (EP)
8	DR. ANSAR ALI A	Deputy Director (EP)
9	DR. SHASSI S	Deputy Director (EP) and (Admn I/C) (Officiating)
10	RAKESH THOMAS KURIAN	Deputy Director (EP) (Officiating)
11	G MAHESH	Deputy Director (QC)
12	V VINOD	Deputy Director (QC)
13	SURESH KUMAR V V	Deputy Director (Pers)
14	VINU P K	Deputy Director (IA)
15	ELSAMMA ITHAK	Deputy Director (Aqua)
16	VINOD P N	Deputy Director (Aqua)
17	R SANKARA PILLAY	Deputy Director (Aqua) (Officiating)
18	DEEPA E V	Chief Accounts Officer
19	USHA SINGH	System Analyst
20	R PRABAKARAN	Library Information Officer
21	SREEJITH P T	Assistant Director (EP)
22	SAKTHIVEL A	Assistant Director (EP)
23	BHUSHAN SURESH CHANDRA PATIL	Assistant Director (STAT)
24	SUMA A	Assistant Director (QC)
25	DR. E C ABHILASH	Assistant Director (QC)
26	USHA GOPALAKRISHNAN	Section Officer
27	JANNU RAJU	Accounts Officer
28	TULSI NAIR	Hindi Officer
29	VEENA K P	Senior Accountant
30	P T KUMARASWAMY	Technical Officer (QC)
31	ANEESA T A	Technical Officer (QC)
32	VINITHA K V	Technical Officer (QC)

31.03.2021 तक इकाई कार्यालयों के अधिकारियों की सूची		
क्रम सं.	अधिकारियों का नाम	पदनाम
क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची		
1	जॉनसन डिक्रूस	उप निदेशक (अक्वा)
2	विश्वकुमार.एम	सहायक निदेशक (अक्वा)
3	प्रीता प्रदीप	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
क्षेत्रीय प्रभाग, कोलकाता		
1	अर्चीमान लाहिड़ी	उप निदेशक (ई.पी)
2	दर्शनलाल ढौंडियाल	सहायक निदेशक (पंजी.)
क्षेत्रीय प्रभाग, भुवनेश्वर		
1	राजकुमार नाईक	उप निदेशक (ई.पी)
2	नीनू पीटर	सहायक निदेशक (एई)
क्षेत्रीय प्रभाग, चेन्नई		
1	ए.जयबाल	संयुक्त निदेशक (विकास/ एमएस / आरओएस) (स्थानापन्न)
उप क्षेत्रीय प्रभाग, वैजाग		
1	प्रसाद नायिक रामावत	सहायक निदेशक (ई.पी)
क्षेत्रीय प्रभाग, वेरावल		
1	श्रीमाली विनोद कुमार.एम	उप निदेशक (गु.नि)
2	मेहता मुकेश जयन्तीलाल	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
क्षेत्रीय प्रभाग, मैंगलूर		
1	प्रेमदेव के वी	उप निदेशक (ई.पी)
2	डॉ के.गणेश	सहायक निदेशक (अक्वा)
उप क्षेत्रीय प्रभाग, तूत्तीकोरिन		
1	अन्जु	सहायक निदेशक (ई.पी)
2	जी रामार	सहायक निदेशक(अक्वा)
उप क्षेत्रीय प्रभाग, भीमावरम		
1	हक्कीम.वी.आई	उप निदेशक (ई.पी)
2	डॉ गोपाल आनंद, कन्टीकाटला	सहायक निदेशक (अक्वा)
3	डॉ पॉ बियाक लुन	सहायक निदेशक (ई.पी)
उप क्षेत्रीय प्रभाग, पोरबंदर		
1	वानिया किशोर कुमार	सहायक निदेशक (गु.नि)
क्षेत्रीय प्रभाग, मुंबई		
1	रजाक अली,	उप निदेशक (अक्वा) (स्थानापन्न)
2	तांबडा एन विष्णु	सहायक निदेशक (ए.ई)

LIST OF OFFICERS AT UNIT OFFICES AS ON 31.03.2021		
Sl.No.	**Name of Officials**	**Designation**
REGIONAL DIVISION, KOCHI		
1	JOHNSON D'CRUZ	Deputy Director (Aqua)
2	VISWAKUMAR.M	Assistant Director (Aqua)
3	PREETHA PRADEEP	Technical Officer (QC)
REGIONAL DIVISION, KOLKATA		
1	ARCHIMAN LAHIRI	Deputy Director (EP)
2	DARSHAN LAL DHONDIYAL	Assistant Director (Regn)
REGIONAL DIVISION, BHUBANESWAR		
1	RAJAKUMAR S NAIK	Deputy Director (EP)
2	NEENU PETER	Assistant Director (AE)
REGIONAL DIVISION, CHENNAI		
1	A JEYABAL	Joint Director (DEV/MS/ROS) (Officiating)
SUB REGIONAL DIVISION, VIZAG		
1	PRASAD NAIK RAMAVATH	Assistant Director (EP)
REGIONAL DIVISION, VERAVAL		
1	SHRIMALI VINOD KUMAR M	Deputy Director (QC)
2	MAHETA MUKESH JAYANTILAL	Technical Officer (QC)
REGIONAL DIVISION, MANGALORE		
1	PREMDEV K V	Deputy Director (EP)
2	DR. K GANESH	Assistant Director (Aqua)
SUB REGIONAL DIVISION, TUTICORIN		
1	ANJU	Assistant Director (EP)
2	G RAMAR	Assistant Director (Aqua)
SUB REGIONAL DIVISION, BHIMAVARAM		
1	HAKKIM V I	Deputy Director (EP)
2	DR. GOPAL ANAND KANDIKATLA	Assistant Director (Aqua)
3	DR. PAU BIAK LUN	Assistant Director (EP)
SUB REGIONAL DIVISION, PORBANDAR		
1	VANIYA KISHORKUMAR V	Assistant Director (QC)
REGIONAL DIVISION, MUMBAI		
1	RAZAK ALI	Deputy Director (Aqua) (Officiating)
2	TAMBADA N VISHNU	Assistant Director (AE)

3	सुब्राय पवार	सहायक निदेशक (गु.नि)
4	मांगाल ए पाटील	सहायक निदेशक (अक्वा)
उप क्षेत्रीय प्रभाग, नागपट्टिनम		
1	सी.विल्सन	उप निदेशक (अक्वा)
2	पांड्यराजन एस.	सहायक निदेशक (अक्वा)
3	अलक्साण्डर जी.	सहायक निदेशक (अक्वा)
उप क्षेत्रीय प्रभाग, वलसाड		
1	मारुति डी यलिगर	उप निदेशक (अक्वा)
2	उपेन के पांड्या	सहायक निदेशक (अक्वा)
क्षेत्रीय प्रभाग, विजयवाडा		
1	राम आधार गुप्ता	उप निदेशक (अक्वा)
2	शिवराजन के	उप निदेशक (अक्वा)
3	अरिवुक्करसु	सहायक निदेशक (अक्वा)
उप क्षेत्रीय प्रभाग, हैदराबाद		
1	एस.अशोक कुमार	उप निदेशक (ई.पी)
गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, भीमावरम		
1	राजेश अनन्त डगरे	सहायक निदेशक (गु.नि)
2	रूपक.एस	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, नेल्लूर		
1	डी. वेणुगोपाल	सहायक निदेशक (गु.नि)
2	के अरुणा	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
3	डॉ बी गोपी कल्याण कुमार	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, भुबनेश्वर		
1	पी. ज्ञानसुधा	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
2	चि. सुरेन्द्र बाबु	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
3	डॉ राहुल देबबर्मा	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, पोरबंदर		
1	बी. अरुणाश्री	तकनीकी अधिकारी (गु.नि)
व्यापार संवर्धन कार्यालय, नई दिल्ली		
1	डॉ श्रीनाथ पी.जी	उप निदेशक (ई.पी)
व्यापार संवर्धन कार्यालय, टोकियो, जापान - रिक्त		
व्यापार संवर्धन कार्यालय, न्यूयॉर्क - रिक्त		
अंडमान में एमपीईडीए डेस्क कार्यालय - रिक्त		
उप क्षेत्रीय प्रभाग लक्षद्वीप (कवारत्ती) - रिक्त		

3	SUBRAY PAVAR	Assistant Director (QC)
4	MAANGAAL A PATIL	Assistant Director (Aqua)
SUB REGIONAL DIVISION, NAGAPATTANAM		
1	C WILSON	Deputy Director (Aqua)
2	PANDIARAJAN S	Assistant Director (Aqua)
3	ALEXANDER G	Assistant Director (Aqua)
SUB REGIONAL DIVISION, VALSAD		
1	MARUTI D YALIGAR	Deputy Director (Aqua)
2	UPEN K PANDYA	Assistant Director (Aqua)
REGIONAL DIVISION, VIJAYAWADA		
1	RAM ADHAR GUPTA	Deputy Director (Aqua)
2	SIVARAJAN K	Deputy Director (Aqua)
3	ARIVUKKARASU K	Assistant Director (Aqua)
SUB REGIONAL DIVISION HYDERABAD		
1	S ASOK KUMAR	Deputy Director (EP)
QUALITY CONTROL LAB BHIMAVARAM		
1	RAJESH ANANT DAGARE	Assistant Director (QC)
2	ROOPAK S	Technical Officer (QC)
QUALITY CONTROL LAB NELLORE		
1	D VENUGOPAL	Assistant Director (QC)
2	K ARUNA	Technical Officer (QC)
3	DR. B GOPI KALYAN KUMAR	Technical Officer (QC)
QUALITY CONTROL LAB, BHUBANESWAR		
1	P GNANA SUDHA	Technical Officer (QC)
2	CH. SURENDRA BABU	Technical Officer (QC)
3	Dr. RAHUL DEBBARMA	Technical Officer (QC)
QUALITY CONTROL LAB, PORBANDAR		
1	B ARUNASRI	Technical Officer (QC)
TRADE PROMOTION OFFICE, NEW DELHI		
1	DR. SREENATH P G	Deputy Director (EP)
TRADE PROMOTION OFFICE, TOKYO, JAPAN - Vacant		
TRADE PROMOTION OFFICE, NEWYORK - Vacant		
MPEDA DESK OFFICE AT ANDAMAN - Vacant		
SUB REGIONAL DIVISION, LAKSHADEEP (KAVARATHI) - Vacant		

समुद्री उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण
कोच्ची - 36

वित्तीय विवरण
2020-2021

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY KOCHI – 36

FINANCIAL STATEMENTS

2020-2021

वार्षिक लेखे 2020-2021

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	तुलन पत्र	222
2	आय व व्यय लेखा	224
3	तुलन पत्र की भाग स्वरूप अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 11 तक)	226-242
4	आय व व्यय लेखे के भाग स्वरूप अनुसूचियाँ (अनुसूची 12 से 25 तक)	244-254
5	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (अनुसूची 26 एवं 27)	256-264
6	लेखाओं के भाग स्वरूप और उनके साथ संलग्न टिप्पणी	266-280
7	अनुसूचियों के अनुबंध 1 से 21 तक	282-304
8	प्राप्तियाँ एवं भुगतान	306

ANNUAL ACCOUNTS 2020-2021

INDEX

Sl.No.	DESCRIPTION	PAGE NO.
1	Balance Sheet	223
2	Income And Expenditure Statement Accounts	225
3	Schedules Forming part of Balance Sheet(Schedules 1 to 11)	227-243
4	Schedules forming part of Income and Expenditure Account(Schedules 12 to 25)	245-255
5	Significant Accounting Policies(Schedule 26 & 27)	257-265
6	Notes attached to and forming part of the Accounts	267-281
7	Annexure to Schedules – 1 to 21	283-305
8	Receipts and payments	307

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि ₹ में)

समग्र पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष 2020-21	गत वर्ष 2019-20
समग्र/पूंजी निधि	1	51,52,31,643	46,63,30,124
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2		
चिह्नित/स्थाई निधियाँ	3	37,34,88,274	39,48,71,100
प्रतिभूत ऋण एवं उधार	4		
अप्रतिभूत ऋण एवं उधार	5		
आस्थगित उधार देयताएं	6		
चालू देयताएं और प्रावधान	7	2,39,98,69,107	2,37,01,66,013
कुल		3,28,85,89,024	3,23,13,67,237
परिसंपत्तियां			
स्थाई परिसंपत्तियां	8	31,03,39,773	27,00,93,534
निवेश-चिह्नित/स्थाई निधियों से	9	30,51,36,341	30,25,30,815
निवेश-अन्य	10		
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	69,28,44,032	66,30,60,601
विविध व्यय		1,98,02,68,878	1,99,56,82,287
(कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति व सेवांत लाभों के लिए प्रावधान -टिप्पणी 7 ख)			
(बट्टे खाते में न डाले गए या समायोजित मामलों में)			
कुल		3,28,85,89,024	3,23,13,67,237
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	26		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियां	27		

दीपा
मुख्य लेखा अधिकारी

सचिव

के. एस. श्रीनिवास
अध्यक्ष

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity :THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(Amount ₹)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20
CORPUS/CAPITAL FUND	1	51,52,31,643	46,63,30,124
RESERVES AND SURPLUS	2		
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	3	37,34,88,274	39,48,71,100
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4		
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5		
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6		
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	2,39,98,69,107	2,37,01,66,013
TOTAL		3,28,85,89,024	3,23,13,67,237
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	31,03,39,773	27,00,93,534
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	9	30,51,36,341	30,25,30,815
INVESTMENTS - OTHERS	10		
CURRENT ASSETS, LOAN, ADVANCES ETC.	11	69,28,44,032	66,30,60,601
MISCELLANEOUS EXPENDITURE		1,98,02,68,878	1,99,56,82,287
(Provison for employees retirement & terminal benefits -Note 7b)			
(In the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		3,28,85,89,024	3,23,13,67,237
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	26		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	27		

Chief Accounts Officer | Secretary | Chairman

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 को समाप्त वर्ष का आय व व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2020-21	गत वर्ष 2019-20
बिक्रियों/सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/सब्सिडी	13	1,00,77,06,757	1,05,02,99,786
शुल्क/अंशदान/स्टॉल किराया	14	11,57,60,834	10,58,64,618
निवेशों से आय	15	-	-
निधियों में अंतरित चिह्नित /स्थाई निधियों से किए गए निवेश पर आय)			
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	11,17,854	7,56,543
अर्जित ब्याज	17	71,29,591	81,15,151
अन्य आय	18	2,53,342	1,37,26,386
तैयार मालों के स्टॉक में हुई वृद्धि/(कमी) और प्रगति पर कार्य	19	-	-
कुल (क)		1,13,19,68,378	1,17,87,62,484
व्यय			
स्थापना व्यय	20	46,24,52,311	48,27,95,388
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	10,61,60,493	14,16,14,325
अनुदानों, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	46,08,56,987	39,26,07,113
ब्याज	23	-	-
अ.ज़ा./अ.ज़.जा. कल्याण	24	9,98,00,000	10,33,25,000
बीमांकित मूल्याकन व्यय	25	78,02,832	1,33,47,090
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के तदनुरूप वर्षांत का निवल जोड)		5,72,87,479	4,30,86,687
कुल (ख)		1,19,43,60,102	1,17,67,75,602
व्यय से अधिक आय के रूप में शेष (क-ख)		(6,23,91,724)	19,86,882
पूर्वावधि समायोजन		(10,00,000)	-
विशेष आरक्षित निधि में अंतरित (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित निधि से/को अंतरण			
अधिशेष/(घाटे) के रूप में समग्र निधि/पूंजी निधि में लाया गया शेष		(6,33,91,724)	19,86,882
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	26		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	27		

मुख्य लेखा अधिकारी — सचिव — अध्यक्ष

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity :THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI 36
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount ₹)

INCOME	Schedule	Current Year 2020-21	Previous Year 2019-20
Income from Sales/Services	12	-	-
Grants/Subsidies	13	1,00,77,06,757	1,05,02,99,786
Fees/Subscriptions/ Stall Rent	14	11,57,60,834	10,58,64,618
Income from Investments	15	-	-
(Income on Investment from earmarked/endowment funds transferred to Funds)			
Income from Royalty, Publication etc.	16	11,17,854	7,56,543
Interest Earned	17	71,29,591	81,15,151
Other Income	18	2,53,342	1,37,26,386
Increased/(decrease) in stock of Finished goods and work-in-progress	19	-	-
TOTAL (A)		1,13,19,68,378	1,17,87,62,484
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	46,24,52,311	48,27,95,388
Other Administrative Expenses etc.	21	10,61,60,493	14,16,14,325
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	46,08,56,987	39,26,07,113
Interest	23	-	-
SC/ST Welfare	24	9,98,00,000	10,33,25,000
Actuarial Valuation Expenses	25	78,02,832	1,33,47,090
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)		5,72,87,479	4,30,86,687
TOTAL (B)		1,19,43,60,102	1,17,67,75,602
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(6,23,91,724)	19,86,882
Prior Period Adjustments		(10,00,000)	-
Transfer to Special Reserve (Specify each)			
Transfer to/ from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT)CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		(6,33,91,724)	19,86,882
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	26		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	27		

Deepa
Chief Accounts Officer

Secretary

Chairman

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 1- समग्र/पूंजी निधि	चालू वर्ष (2020-21)		गत वर्ष (2019-20)	
वर्षारंभ में शेष राशि	46,63,30,124	46,63,30,124	39,13,18,029	39,13,18,029
जोडें समग्र/पूंजी निधि में अंशदान (परिसंपत्तियों की खरीद)	11,22,93,243	11,22,93,243	7,30,25,214	7,30,25,214
जोडें/घटाएं व्यय से अधिक आय	-6,33,91,724	-6,33,91,724	19,86,881	19,86,881
वर्षांत में शेष	**51,52,31,643**	**51,52,31,643**	**46,63,30,124**	**46,63,30,124**

अनुसूची 2- आरक्षित निधि व अधिशेष	चालू वर्ष (2020-21)		गत वर्ष (2019-20)	
1. **पूँजी आरक्षित निधिः**				
गत लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियां				
2. **पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधिः**				
गत लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियां				
3. **विशेष आरक्षित निधिः**				
गत लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियां				
4. **सामान्य आरक्षित निधिः**				
गत लेखे के अनुसार				
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौतियां				
कुल				

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity :THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY , KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:	Current Year (2020-21)		Previous Year (2019-20)	
Balance as at the beginning of the year	46,63,30,124	46,63,30,124	39,13,18,029	39,13,18,029
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	11,22,93,243	11,22,93,243	7,30,25,214	7,30,25,214
(Purchase of Asset)				
Add/Less: Excess of income over expenditure	-6,33,91,724	-6,33,91,724	19,86,881	19,86,881
BALANCE AS AT THE YEAR - END	**51,52,31,643**	**51,52,31,643**	**46,63,30,124**	**46,63,30,124**

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS:	Current Year (2020-21)		Previous Year (2019-20)	
1. **Capital Reserve**:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
2. **Revaluation Reserve**:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
3. **Special Reserves**:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
4. **General Reserves**:				
As per last Account				
Addition during the year				
Less: Deductions during the year				
TOTAL				

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 3 - चिह्नित/स्थायी निधि (अनुबंध-1)	चालू वर्ष (2020-21)	गत वर्ष (2019-20)
क) अन्य चिह्नित निधियों का अथशेष आईआईएसएस निधि का अथशेष	30,75,70,148 8,73,00,952	33,51,98,916
ख) निधियों में परिवर्धनः		
i. दान/अनुदान	2,36,00,000	2,29,57,665
ii. अन्य निधियों से किए गए निवेशों से आय आईआईएसएस निधियों पर निवेशों स आय	1,83,49,382 7,86,770	1,49,81,409
iii. अन्य परिवर्धन (स्वरूप को निर्दिष्ट करें)	2,45,09,324	6,24,64,717
iv. अतिरिक्त/संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	27,54,96,445	26,70,00,740
कुल (क+ख)	73,76,13,021	70,26,03,447
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय		
i. पूँजी व्यय		
- स्थाई परिसंपत्तियाँ	-	-
- अन्य	-	-
कुल (i)	-	-
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मज़दूरी और भत्ते आदि	13,45,114	9,02,679
- किराया	-	-
- प्रशासनिक व्यय	-	-
- प्रावधान/अन्य व्यय - प्रावधान/अन्य व्यय - आईआईएसएस निधि	33,96,06,283 2,31,73,351	30,68,29,668
कुल (ii)	36,41,24,748	30,77,32,347
कुल (ग) (i) + (ii)	36,41,24,748	30,77,32,347
अन्य चिह्नित निधियों का जमाशेष	30,85,73,903	39,48,71,100
आईआईएसएस निधि का जमाशेष	6,49,14,371	
वर्षांत में निवल शेष (क+ख-ग)	**37,34,88,274**	

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUND (Annexure-1)	Current Year (2020-21)	Previous Year (2019-20)
a) Opening balance of earmarked fund others - Opening balance of IISS funds	30,75,70,148 8,73,00,952	33,51,98,916
b) Additions to the Funds:		
i. Donations/grants	2,36,00,000	2,29,57,665
ii Income from Investments made on account of other funds - Income from investments on IISS Funds	1,83,49,382 7,86,770	1,49,81,409
iii. Other additions (specify nature)	2,45,09,324	6,24,64,717
iv provision for additions/doubtful debts	27,54,96,445	26,70,00,740
TOTAL (a + b)	73,76,13,021	70,26,03,447
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure		
- Fixed Assets	-	-
- Others	-	-
Total (i)	-	-
ii. Revenue Expenditure		
- Salaries, Wages and allowances etc.	13,45,114	9,02,679
- Rent	-	-
- Administrative expenses	-	-
- Provisions / Other expenses - Provisions / Other expenses - IISS Funds	33,96,06,283 2,31,73,351	30,68,29,668
Total (ii)	36,41,24,748	30,77,32,347
TOTAL (c) (i) + (ii)	36,41,24,748	30,77,32,347
Closing balance of earmarked fund others	30,85,73,903	39,48,71,100
Closing balance of IISS funds	6,49,14,371	
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a + b - c)	**37,34,88,274**	

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार	चालू वर्ष (2020-21)		गत वर्ष (2019-20)	
1. केन्द्रीय सरकार				
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)				
3. वित्तीय संस्थाएं				
क) सावधि ऋण				
ख) उपार्जित ब्याज एवं देय				
4. बैंक:				
क) सावधि ऋण				
- उपार्जित ब्याज एवं देय				
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)				
- उपार्जित ब्याज एवं देय				
5. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण				
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र				
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल				

टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशियां

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS:	Current Year (2020-21)		Previous Year (2019-20)	
1. Central Government				
2. State Government (Specify)				
3. Financial Institutions				
a) Term Loans				
b) Interest accrued and due				
4. Banks:				
a) Term Loans				
- Interest accrued and due				
b) Other loans (specify)				
- Interest accrued and due				
5. Other Institutions and Agencies				
6. Debentures and Bonds				
7. Others (Specify)				
TOTAL				

Note: Amounts due within one year

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधार:	चालू वर्ष (2020-21)	गत वर्ष (2019-20)
1. केन्द्रीय सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक:		
क) सावधि ऋण		
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
5. अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
7. मियादी जमा		
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची 6 - आस्थगित उधार देयताएं:	चालू वर्ष (2020-21)	गत वर्ष (2019-20)
क) पूँजी उपस्कर व अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियाँ		
ख) अन्य		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के भीतर देय राशि

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:	Current Year (2020-21)	Previous Year (2019-20)
1. Central Government		
2. State Government (Specify)		
3. Financial Institutions		
4. Banks:		
a) Term Loans		
b) Other loans (specify)		
5. Other Institutions and Agencies		
6. Debentures and Bonds		
7. Fixed Deposits		
8. Others (Specify)		
TOTAL		

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	Current Year (2020-21)	Previous Year (2019-20)
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other		
b) Others		
TOTAL		

Note: Amounts due within one year

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 7 - चालू देयताएँ व प्रावधान	चालू वर्ष (2020-21)		गत वर्ष (2019-20)	
क. चालू देयताएं 1. स्वीकृतियाँ		-		-
2. विविध लेनदारः				
क) माल केलिए		-		-
ख) अन्य		-		-
3. प्राप्त अग्रिम (अनुबंध-2)	91,04,486	91,04,486	1,11,61,149	1,11,61,149
4. उपार्जित ब्याज परंतु निम्न पर देय नहीं:		-		-
क) प्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
ख) अप्रतिभूत ऋण/उधार		-		-
5. सांविधिक देयताएं:				
क) अतिदेय		-		-
ख) अन्य (अनुबंध-3)	42,65,361	42,65,361	61,45,196	61,45,196
6. अन्य चालू देयताएँ (अनुबंध-4)	9,67,44,175	9,67,44,175	6,62,35,936	6,62,35,936
7. अन्य (ई पी एस)	27,54,96,445	27,54,96,445	26,70,00,740	26,70,00,740
कुल (क)	**38,56,10,467**	**38,56,10,467**	**35,05,43,022**	**35,05,43,022**
ख. प्रावधान				
1. उपदान	11,63,82,437	11,63,82,437	12,50,97,327	12,50,97,327
2. अधिवार्षिता/पेंशन	1,79,89,13,697	1,79,89,13,697	1,80,21,72,233	1,80,21,72,233
3. संचित अवकाश नकदीकरण	8,61,22,666	8,61,22,666	8,17,59,817	8,17,59,817
4. व्यापार/वारन्टियां/दावे				
कुल (ख)	**2,00,14,18,800**	**2,00,14,18,800**	**2,00,90,29,377**	**2,00,90,29,377**
ग. चालू देयताएं एवं समुद्री खाद्य प्रदर्शनी	**1,28,39,840**	**1,28,39,840**	**1,05,93,614**	**1,05,93,614**
कुल (क+ख+ग)	**2,39,98,69,107**	**2,39,98,69,107**	**2,37,01,66,013**	**2,37,01,66,013**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	Current Year (2020-21)		Previous Year (2019-20)	
A. CURRENT LIABILITIES 1. Acceptances		-		-
2. Sundry Creditors:				
a) For Goods		-		-
b) Others		-		-
3. Advances Received (Annexure-2)	91,04,486	91,04,486	1,11,61,149	1,11,61,149
4. Interest accrued but not due on:		-		-
a) Secured Loans/borrowings		-		-
b) Unsecured Loans/borrowings		-		-
5. Statutory Liabilities:				
a) Overdue		-		-
b) Others (Annexure-3)	42,65,361	42,65,361	61,45,196	61,45,196
6. Other current Liabilities (annexure-4)	9,67,44,175	9,67,44,175	6,62,35,936	6,62,35,936
7. Others (EPS)	27,54,96,445	27,54,96,445	26,70,00,740	26,70,00,740
TOTAL (A)	**38,56,10,467**	**38,56,10,467**	**35,05,43,022**	**35,05,43,022**
B. PROVISIONS				
1. Gratuity	11,63,82,437	11,63,82,437	12,50,97,327	12,50,97,327
2. Superannuation/Pension	1,79,89,13,697	1,79,89,13,697	1,80,21,72,233	1,80,21,72,233
3. Accumulated Leave Encashment	8,61,22,666	8,61,22,666	8,17,59,817	8,17,59,817
4. Trade Warranties/Claims				
TOTAL (B)	**2,00,14,18,800**	**2,00,14,18,800**	**2,00,90,29,377**	**2,00,90,29,377**
C. Current liabilities & provision Sea Food Shows	**1,28,39,840**	**1,28,39,840**	**1,05,93,614**	**1,05,93,614**
TOTAL (A + B + C)	**2,39,98,69,107**	**2,39,98,69,107**	**2,37,01,66,013**	**2,37,01,66,013**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

अनुसूची 8

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास			वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्षांत तक कुल	निवल ब्लॉक	
		वर्षारंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्षांत में मूल्य / मूल्यांकन	दर	वर्षारंभ में	वर्ष के दौरान			चालू वर्षांत में	गत वर्षांत में
1	पुस्तकें	34,74,201	-	910	34,73,291	10	21,91,149	1,27,094	707	23,17,536	11,55,755	12,83,052
2	इमारतें	4,07,33,922	1,70,23,668	-	5,77,57,590	5	2,20,93,218	13,54,498	-	2,34,47,716	3,43,09,874	1,86,40,704
3	कंप्यूटर सहायक सामग्री	4,43,96,403	15,58,420	27,76,379	4,31,78,444	60	3,92,62,366	26,12,871	26,59,776	3,92,15,461	39,62,983	51,34,037
4	कंप्यूटर एवं जुडनार (चल)	2,69,11,365	47,66,761	7,72,239	3,09,05,887	10	1,52,72,605	15,59,626	5,45,588	1,62,86,643	1,46,19,244	1,16,38,760
5	हैचरी कॉम्लेक्स वल्लारपाडम	8,88,27,868	-	-	8,88,27,868	5	1,25,41,641	38,14,312	-	1,63,55,953	7,24,71,915	7,62,86,227
6	हैचरी उपस्कर, वल्लारपाडम	68,75,075	-	-	68,75,075	25	21,37,726	11,84,014	-	33,21,740	35,53,335	47,37,349
7	प्रयोगशाला व फार्म उपस्कर	43,20,31,235	7,14,50,539	2,96,16,462	47,38,65,312	25	32,60,52,065	4,03,71,681	2,84,54,836	33,79,68,910	13,58,96,402	10,59,79,170
8	ज़मीन	25,13,238	-	-	25,13,238	0	-	-	-	-	25,13,238	25,13,238
8 क	भुबनेश्वर में लीज़होल्ड जमीन	34,78,750	-	-	34,78,750		-	2,97,758	-	2,97,758	31,80,992	34,78,750
9	कार्यालय वाहन	86,04,026	19,03,729	-	1,05,07,755	25	44,57,492	10,46,621	-	55,04,113	50,03,642	41,46,534
10	अन्य परिसंपत्तियां	98,98,748	1,67,994	1,22,310	99,44,432	25	75,74,972	5,77,144	1,10,021	80,42,095	19,02,337	23,23,776
11	संयंत्र मशीनरी व सूखा मत्स्य भंडार	10,85,246	-	-	10,85,246	10	10,30,984	-	-	10,30,984	54,262	54,262
12	कार्यालय उपस्कर	60,50,535	15,583	1,83,822	58,82,296	20	50,51,194	1,64,253	1,73,907	50,41,540	8,40,756	9,99,341
13	जुडनार (अचल)	2,99,85,032	1,54,06,549	2,43,680	4,51,47,901	20	2,39,28,799	41,77,607	1,99,343	2,79,07,063	1,72,40,838	60,56,233
	कुल चालू वर्ष	**70,48,65,644**	**11,22,93,243**	**3,37,15,802**	**78,34,43,085**		**46,15,94,211**	**5,72,87,479**	**3,21,44,178**	**48,67,37,512**	**29,67,05,573**	**24,32,71,433**
	गत वर्ष	**66,45,23,525**	**4,62,03,113**	**58,60,994**	**70,48,65,644**		**42,39,14,435**	**4,30,86,687**	**54,06,911**	**46,15,94,211**	**24,32,71,433**	**24,06,09,090**

स्थाई परिसंपत्ति का निवल ब्लॉक	₹ 29,67,05,573.00
कार्य प्रगति पर	1,36,34,200.00
स्थाई परिसंपत्ति	31,03,39,773.00

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity: MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

SCHEDULE 8 **(Amount ₹)**

GROUP	DESCRIPTION	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			On Deduction during the year	Total upto the year end	NET BLOCK	
		Cost/Valuation as at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/valuation as at the year-end	Rate	As at the beginning of the year	During the year			As at the current year- end	As at the previous year- end
1	BOOKS	34,74,201	-	910	34,73,291	10	21,91,149	1,27,094	707	23,17,536	11,55,755	12,83,052
2	BUILDINGS	4,07,33,922	1,70,23,668	-	5,77,57,590	5	2,20,93,218	13,54,498	-	2,34,47,716	3,43,09,874	1,86,40,704
3	COMPUTERS/PERIPHERALS	4,43,96,403	15,58,420	27,76,379	4,31,78,444	60	3,92,62,366	26,12,871	26,59,776	3,92,15,461	39,62,983	51,34,037
4	FURNITURE AND FIXTURES (MOVABLE)	2,69,11,365	47,66,761	7,72,239	3,09,05,887	10	1,52,72,605	15,59,626	5,45,588	1,62,86,643	1,46,19,244	1,16,38,760
5	HATCHERY COMPLEX VALARPADOM	8,88,27,868	-	-	8,88,27,868	5	1,25,41,641	38,14,312	-	1,63,55,953	7,24,71,915	7,62,86,227
6	HATCHERY EQUIPMENT VALLARPADOM	68,75,075	-	-	68,75,075	25	21,37,726	11,84,014	-	33,21,740	35,53,335	47,37,349
7	LAB AND FARM EQUIPMENTS	43,20,31,235	7,14,50,539	2,96,16,462	47,38,65,312	25	32,60,52,065	4,03,71,681	2,84,54,836	33,79,68,910	13,58,96,402	10,59,79,170
8	LAND	25,13,238	-	-	25,13,238	0	-	-	-	-	25,13,238	25,13,238
8A	LEASEHOLD LAND AT BHUBANESWAR *	34,78,750	-	-	34,78,750		-	2,97,758	-	2,97,758	31,80,992	34,78,750
9	OFFICE VEHICLE	86,04,026	19,03,729	-	1,05,07,755	25	44,57,492	10,46,621	-	55,04,113	50,03,642	41,46,534
10	OTHER ASSETS	98,98,748	1,67,994	1,22,310	99,44,432	25	75,74,972	5,77,144	1,10,021	80,42,095	19,02,337	23,23,776
11	PLANT MACHINERY & DRY FISH STORAGE	10,85,246	-	-	10,85,246	10	10,30,984	-	-	10,30,984	54,262	54,262
12	OFFICE EQUIPMENTS	60,50,535	15,583	1,83,822	58,82,296	20	50,51,194	1,64,253	1,73,907	50,41,540	8,40,756	9,99,341
13	FIXTURES (IMMOVABLE)	2,99,85,032	1,54,06,549	2,43,680	4,51,47,901	20	2,39,28,799	41,77,607	1,99,343	2,79,07,063	1,72,40,838	60,56,233
	TOTAL Current Year	**70,48,65,644**	**11,22,93,243**	**3,37,15,802**	**78,34,43,085**		**46,15,94,211**	**5,72,87,479**	**3,21,44,178**	**48,67,37,512**	**29,67,05,573**	**24,32,71,433**
	Previous year	**66,45,23,525**	**4,62,03,113**	**58,60,994**	**70,48,65,644**		**42,39,14,435**	**4,30,86,687**	**54,06,911**	**46,15,94,211**	**24,32,71,433**	**24,06,09,090**

Net Block of Fixed Asset	₹	29,67,05,573.00
Work in progress		1,36,34,200.00
Fixed Assets		31,03,39,773.00

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 9 - चिन्हित/स्थायी निधियों से निवेश	चालू वर्ष (2020-21)	गत वर्ष (2019-20)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर (अनुबंध-5)	5,54,90,700	5,54,90,700
4. ऋणपत्र और बंध पत्र		
5. सहायक कंपनियां व संयुक्त उद्यम (मिडकॉन)	2,50,00,000	2,50,00,000
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए) (अनुबंध-6)	22,46,45,641	22,20,40,115
कुल	**30,51,36,341**	**30,25,30,815**

(राशि रु . में)

अनुसूची 10 - निवेश अन्य	चालू वर्ष (2020-21)	गत वर्ष (2019-20)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र और बंध पत्र		
5. सहायक कंपनियां व संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट किया जाए)		
कुल	-	-

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	Current Year (2020-21)	Previous Year (2019-20)
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares (Annexure-5)	5,54,90,700	5,54,90,700
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures (MIDCON)	2,50,00,000	2,50,00,000
6. Others (to be specified) (Annexure-6)	22,46,45,641	22,20,40,115
TOTAL	**30,51,36,341**	**30,25,30,815**

(Amount ₹)

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS	Current Year (2020-21)	Previous Year (2019-20)
1. In Government Securities		
2. Other approved Securities		
3. Shares		
4. Debentures and Bonds		
5. Subsidiaries and Joint Ventures		
6. Others (to be specified)		
TOTAL	-	-

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष (2020-21)		गत वर्ष (2019-20)	
क. चालू परिसंपत्तियाँ:				
1. मालसूची:				
क. भंडार एवं स्पेआर (टिप्पणी 6)	1,05,23,212	1,05,23,212	82,26,524	82,26,524
ख. खुले औजार		-		-
ग) व्यापारगत माल				
तैयार माल		-		-
कार्य प्रगति पर कच्चा माल		-		-
2. विविध देनदार:				
क) छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण				
ख) अन्य संदिग्ध ऋण (ईपीएस)	27,54,96,445	27,54,96,445	26,70,00,740	26,70,00,740
3. हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट अग्रदाय सहित) (अनुबंध-7)	7,709	7,709	8,981	8,981
4. बैंक शेष:				
क) अनुसूचित बैकों में:				
- चालू खाते में (अनुबंध-8)	26,51,51,718	26,51,51,718	22,92,45,455	22,92,45,455
- जमा खाते में साखपत्र (मार्जिन मनी सहित)	1,21,03,678	1,21,03,678	1,15,33,326	1,15,33,326
- बचत खाते में				
ख) गैर अनुसूचित बैकों में		-		-
- चालू खाते में		-		-
- जमा खाते में		-		-
- बचत खाते में		-		-
5. डाकघर बचत खाता				
कुल (क)	**56,32,82,762**	**56,32,82,762**	**51,60,15,026**	**51,60,15,026**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI- 36
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	**Current Year (2020-21)**		**Previous Year (2019-20)**	
A. **CURRENT ASSETS:**				
1. **Inventories:**				
a) Stores and Spares (Note 6)	1,05,23,212	1,05,23,212	82,26,524	82,26,524
b) Loose Tools		-		-
c) Stock-in-trade				
Finished Goods		-		-
Work-in-progress Raw Materials		-		-
2. **Sundry Debtors:**				
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months				
b) Others - Doubtful debts (EPS)	27,54,96,445	27,54,96,445	26,70,00,740	26,70,00,740
3. **Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest) (Annexure-7)**	7,709	7,709	8,981	8,981
4. **Bank Balances:**				
a) With Scheduled Banks:				
- On Current Accounts (Annexure-8)	26,51,51,718	26,51,51,718	22,92,45,455	22,92,45,455
- On Deposit Accounts- for Letter of Credit (includes margin money)	1,21,03,678	1,21,03,678	1,15,33,326	1,15,33,326
- On Savings Accounts				
b) With non-Scheduled Banks		-		-
- On Current Accounts		-		-
- On Deposit Accounts		-		-
- On Savings Accounts		-		-
5. **Post Office-Savings Accounts**				
TOTAL (A)	**56,32,82,762**	**56,32,82,762**	**51,60,15,026**	**51,60,15,026**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)	चालू वर्ष (2020-21)		गत वर्ष (2019-20)	
ख.ऋण अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां				
1. **ऋण:**				
क) कर्मचारी (अनुबंध-9)	13,64,898	13,64,898	7,31,598	7,31,598
ख) इस संगठन के समान कार्यकलापों/ उद्देश्यों में लगे अन्य संगठन				
ग) अन्य (सेवा कर/जीएसटी)	4,65,43,477	4,65,43,477	3,05,79,283	3,05,79,283
घ) टीडीएस प्रतिदाय प्राप्य (खाते और अन्य में दिखाता है)	14,11,219	14,11,219	42,78,447	42,78,447
2. **नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अथवा प्राप्तव्य मूल्य हेतु निर्दिष्ट अग्रिम व अन्य राशि**				
क) पूँजी खाते पर				
ख) पूर्वभुगतान	8,52,256	8,52,256	6,81,427	6,81,427
ग) प्राप्य ब्याज	66,92,907	66,92,907	25,12,942	25,12,942
घ) अन्य (अनुबंध-10)	56,25,290	56,25,290	70,66,854	70,66,854
ङ) अन्य अग्रिम (एमएसी योजना सहित)	2,08,94,626	2,08,94,626	3,93,98,407	3,93,98,407
3. **उपार्जित आय:**				
क) चिह्नित/ स्थाई निधियों से निवेशों पर				
ख) निवेशो पर अन्य				
ग) ऋणों व अग्रिमों पर				
घ) अन्य ₹ (.................की वसूल न की गई बकाया आय सम्मिलित है)				
4. प्राप्य दो/प्राप्य लेखे	4,33,34,728	4,33,34,728	4,37,09,866	4,37,09,866
5. समुद्री खाद्य प्रदर्शनी/ऋणों एवं अग्रिम	28,41,870	28,41,870	1,80,86,753	1,80,86,753
कुल (ख)	**12,95,61,271**	**12,95,61,271**	**14,70,45,577**	**14,70,45,577**
कुल (क+ख)	**69,28,44,032**	**69,28,44,032**	**66,30,60,601**	**66,30,60,601**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.(Contd.)	Current Year (2020-21)		Previous Year (2019-20)	
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1. Loans:				
a) Staff (Annexure-9)	13,64,898	13,64,898	7,31,598	7,31,598
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the				
c) Others (service tax/GST))	4,65,43,477	4,65,43,477	3,05,79,283	3,05,79,283
d) TDS refund receivable (on Shows Account & Others)	14,11,219	14,11,219	42,78,447	42,78,447
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received				
a) On Capital Account				
b) Prepayments	8,52,256	8,52,256	6,81,427	6,81,427
c) Interest Receivable	66,92,907	66,92,907	25,12,942	25,12,942
d) Others (Annexure-10)	56,25,290	56,25,290	70,66,854	70,66,854
e) Advances others (Including MAC Project)	2,08,94,626	2,08,94,626	3,93,98,407	3,93,98,407
3. Income Accrued:				
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds				
b) On Investments - Others				
c) On Loans and Advances				
d) Others (includes income due unrealised Rs......................................)				
4. Claims Receivable/ Accounts Receivable	4,33,34,728	4,33,34,728	4,37,09,866	4,37,09,866
5. Loans & Advances Sea Food Shows	28,41,870	28,41,870	1,80,86,753	1,80,86,753
TOTAL (B)	**12,95,61,271**	**12,95,61,271**	**14,70,45,577**	**14,70,45,577**
TOTAL (A + B)	**69,28,44,032**	**69,28,44,032**	**66,30,60,601**	**66,30,60,601**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 12 - बिक्रियों / सेवाओं से आय	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
1) बिक्रियों से आय						
क) तैयार माल की बिक्री			-			-
ख) कच्चे माल की बिक्री			-			-
ग) रद्दी माल की बिक्री (पुरानी मदों की बिक्री)		-	-		-	-
घ) अन्य (मत्स्य/प्रॉन की बिक्री)			-			-
2) सेवाओं से आय						
क) श्रम व कार्रवाई प्रभार			-			-
ख) व्यावसायिक एवं परामर्श सेवाएं			-			-
ग) अभिकरण कमीशन व दलाली			-			-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)			-			-
ङ) अन्य (निर्दिष्ट करें) पट्टा किराया-एलीसा प्रयोगशाला)		-	-		-	-
कुल		**-**	**-**		**-**	**-**

(राशि ₹ में)

	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
असूची 13 - अनुदान/सब्सिडी	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
(अप्रत्यादेय अनुदान व प्राप्त सब्सिडी)						
1) केन्द्रीय सरकार(कम परिसंपत्ति खरीद को कम करके)	61,00,14,813	27,78,91,944	88,79,06,757	77,88,36,066	14,81,38,720	92,69,74,786
2) राज्य सरकार (रें)						
3) सरकारी अभिकरण/ईआईसी	2,00,00,000	-	2,00,00,000	2,00,00,000	-	2,00,00,000
4) संस्थाएं/कल्याणकारी निकाय						
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन						
6) अनुदान अ.जा./अ.ज.जा. कार्यक्रम	9,98,00,000		9,98,00,000	10,33,25,000		10,33,25,000
कुल	**72,98,14,813**	**27,78,91,944**	**1,00,77,06,757**	**90,21,61,066**	**14,81,38,720**	**1,05,02,99,786**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES / SERVICES	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
1) Income from Sales						
a) Sale of Finished Goods			-			-
b) Sale of Raw Material			-			-
c) Sale of Scraps (Sale of old items)		-	-		-	-
d) Others (Sale of Fish/Prawn)			-			-
2) Income from Services						
a) Labour and Processing Charges			-			-
b) Professional/Consultancy Services			-			-
c) Agency Commission and Brokerage			-			-
d) Maintenance Services (Equipment/Property)			-			-
e) Others (Specify) (Lease Rent- ELISA LABS)		-	-		-	-
TOTAL		-	-		-	-

(Amount ₹)

	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
SCHEDULE 13- GRANTS/SUBSIDIES	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)						
1. Central Government (less Asset purchase)	61,00,14,813	27,78,91,944	88,79,06,757	77,88,36,066	14,81,38,720	92,69,74,786
2. State Government(s)						
3. Government Agencies/EIC	2,00,00,000	-	2,00,00,000	2,00,00,000	-	2,00,00,000
4. Institutions/Welfare Bodies						
5. International Organisations						
6. Grants - SC/ST Programmes	9,98,00,000		9,98,00,000	10,33,25,000		10,33,25,000
TOTAL	**72,98,14,813**	**27,78,91,944**	**1,00,77,06,757**	**90,21,61,066**	**14,81,38,720**	**1,05,02,99,786**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 14 - शुल्क/अंशदान	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
1) प्रवेश शुल्क						
2) वार्षिक शुल्क/अंशदान/स्टाल किराया (अनुबंध-11)		1,48,26,495	1,48,26,495		1,29,83,672	1,29,83,672
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क (अनुबंध-12)		10,09,34,339	10,09,34,339		9,28,80,946	9,28,80,946
4) परामर्श शुल्क						
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)						
कुल	-	**11,57,60,834**	**11,57,60,834**	-	**10,58,64,618**	**10,58,64,618**

टिप्पणी : प्रत्येक मद के लिए लेखाकरण नीतियों का खुलासा किया जाना है।

अनुसूची 15 - निवेशों से आय	चिह्नित निधि से निवेश		निवेश-अन्य
	चालू वर्ष (2020-21)	गत वर्ष (2019-20)	चालू वर्ष
(निधियों में अंतरित चिह्नित/स्थायी निधियों से निवेशों पर आय)			
1) ब्याज			
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर			
ख) अन्य बंधपत्र/ऋणपत्र			
2) लाभांश:			
क) शेयरों पर			
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर			
3) किराया			
4) अन्य निवेशों से आय (अनुबंध-1)	1,83,49,382	1,49,81,409	
कुल	**1,83,49,382**	**1,49,81,409**	-
चिह्नित/स्थाई निधियों में अंतरित	**1,83,49,382**	**1,49,81,409**	-

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
1) Entrance Fees						
2) Annual Fees/Subscriptions/ Stall Rent (Annexure-11)		1,48,26,495	1,48,26,495		1,29,83,672	1,29,83,672
3) Seminar/Program Fees (Annexure-12)		10,09,34,339	10,09,34,339		9,28,80,946	9,28,80,946
4) Consultancy Fees						
5) Others (Specify)						
TOTAL	-	**11,57,60,834**	**11,57,60,834**	-	**10,58,64,618**	**10,58,64,618**

Note: Accounting Policies towards each item are to be disclosed

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS	Investment from Earmarked Fund		Investment - Others
	Current Year (2020-21)	Previous Year (2019-20)	Current Year
(Income on Investment from Earmarked / Endowment Funds transferred to Funds)			
1) Interest			
a) On Govt. Securities			
b) Other Bonds/Debentures			
2) Dividends:			
a) On Shares			
b) On Mutual Fund Securities			
3) Rents			
4) Others - Income from Investments (Annx -1)	1,83,49,382	1,49,81,409	
TOTAL	**1,83,49,382**	**1,49,81,409**	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	**1,83,49,382**	**1,49,81,409**	-

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 16 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
1) रॉयल्टी से आय		-	-		-	-
2) प्रकाशनों से आय (अनुबंध-13)		6,10,341	6,10,341		6,76,193	6,76,193
3) अन्य (निर्दिष्ट करें) (अनुबंध-14)		5,07,513	5,07,513		80,350	80,350
कुल	-	**11,17,854**	**11,17,854**	-	**7,56,543**	**7,56,543**

अनुसूची 17 अर्जित ब्याज	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
1. सावधि जमा पर		66,90,179	66,90,179		73,94,304	73,94,304
क) अनुसूचित बैकों में						
ख) गैर अनुसूचित बैकों में						
ग) संस्थाओं में						
घ) अन्य						
2. बचत खातों पर:						
क) अनुसूचित बैकों में						
ख) गैर अनुसूचित बैकों में						
ग) डाकघर बचत खाते						
घ) अन्य						
3. ऋणों पर						
क) अधिकारी/कर्मचारी (अनुबंध-15)		4,39,412	4,39,412		7,20,847	7,20,847
ख) अन्य						
4. देनदारों व अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज (बिजली)						
कुल	-	**71,29,591**	**71,29,591**	-	**81,15,151**	**81,15,151**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 16	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
1) Income from Royalty		-	-		-	-
2) Income from Publications(Annexure-13)		6,10,341	6,10,341		6,76,193	6,76,193
3) Others (Specify)(Annexure-14)		5,07,513	5,07,513		80,350	80,350
TOTAL	-	**11,17,854**	**11,17,854**	-	**7,56,543**	**7,56,543**

SCHEDULE 17	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
INTEREST EARNED	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
1. On Term Deposits		66,90,179	66,90,179		73,94,304	73,94,304
a) With Scheduled Banks						
b) With Non-Scheduled Banks						
c) With Institutions						
d) Others						
2. On Savings Accounts:						
a) With Scheduled Banks						
b) With Non-Scheduled Banks						
c) Post Office Savings Accounts						
d) Others						
3. On Loans						
a) Employees/Staff(Annexure-15)		4,39,412	4,39,412		7,20,847	7,20,847
b) Others						
4. Interest on Debtors and Other Receivables (Electricity)						
TOTAL	-	**71,29,591**	**71,29,591**	-	**81,15,151**	**81,15,151**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 18 - अन्य आय	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ						
क) स्वामित्वाधीन परिसंपत्तियाँ			-			-
ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ		(12,06,754)	(12,06,754)		(78,786)	(78,786)
2. प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन			-			-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क			-			-
4. विविध आय (आरटीआई सहित)		14,60,096	14,60,096		1,38,05,172	1,38,05,172
कुल	-	**2,53,342**	**2,53,342**	-	**1,37,26,386**	**1,37,26,386**

अनुसूची 19 तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/ (कमी) और कार्य प्रगति पर	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) अंतिम स्टॉक - तैयार माल - कार्य प्रगति पर ख) घटाएं: प्रारंभिक स्टॉक - तैयार माल						
निवल वृद्धि/(कमी) (क-ख)				-	-	-

अनुसूची 20 संस्थापना व्यय	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) वेतन व मज़दूरी	5,35,99,456	17,12,60,588	22,48,60,044	22,79,77,783	2,48,29,595	25,28,07,378
ख) भत्ते व बोनस	30,71,910	10,51,778	41,23,688	31,81,897	8,59,506	40,41,403
ग) भविष्य निधि में अंशदान						
घ) अन्य निधि में अंशदान (डीसीपीएस अंशदान)	-	56,93,176	56,93,176	-	87,91,019	87,91,019
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	75,653	3,10,944	3,86,597	80,349	3,52,893	4,33,242
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व सेवांत लाभों पर व्यय	2,22,66,030	20,51,22,775	22,73,88,805	33,49,854	21,33,72,492	21,67,22,346
छ) सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान						
ज) अन्य (निर्दिष्ट करें)						
कुल	**7,90,13,049**	**38,34,39,262**	**46,24,52,311**	**23,45,89,883**	**24,82,05,505**	**48,27,95,388**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 18-OTHER INCOME	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
1. Profit on Sale/disposal of Assets						
a) Owned assets			-			-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		(12,06,754)	(12,06,754)		(78,786)	(78,786)
2. Export Incentives realized			-			-
3. Fees for Miscellaneous Services			-			-
4. Miscellaneous Income (including RTI)		14,60,096	14,60,096		1,38,05,172	1,38,05,172
TOTAL	-	**2,53,342**	**2,53,342**	-	**1,37,26,386**	**1,37,26,386**

SCHEDULE 19 INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK- IN -PROGRESS	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) Closing stock - Finished Goods - Work-in-progress b) Less: Opening Stock - Finished Goods - Work-in-progress						
NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)				-	-	-

SCHEDULE 20 ESTABLISHMENT EXPENSES	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) Salaries and Wages	5,35,99,456	17,12,60,588	22,48,60,044	22,79,77,783	2,48,29,595	25,28,07,378
b) Allowances and Bonus	30,71,910	10,51,778	41,23,688	31,81,897	8,59,506	40,41,403
c) Contribution to Provident Fund						
d) Contribution to Other Fund (DCPS Contribution)	-	56,93,176	56,93,176	-	87,91,019	87,91,019
e) Staff Welfare Expenses	75,653	3,10,944	3,86,597	80,349	3,52,893	4,33,242
f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	2,22,66,030	20,51,22,775	22,73,88,805	33,49,854	21,33,72,492	21,67,22,346
g) Provision for Retirement Benefits						
h) Others (specify)						
TOTAL	**7,90,13,049**	**38,34,39,262**	**46,24,52,311**	**23,45,89,883**	**24,82,05,505**	**48,27,95,388**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) विद्युत एवं जल	87,28,269	16,73,148	1,04,01,417	1,00,82,800	13,65,196	1,14,47,996
ख) ए एम सी	34,33,210	5,83,421	40,16,632	28,32,844	3,88,961	32,21,805
ग) बीमा	6,86,551	1,78,040	8,64,591	6,36,768	65,778	7,02,546
घ) मरम्मत व अनुरक्षण	14,82,720	46,93,494	61,76,215	1,16,46,567	23,02,420	1,39,48,987
ङ) उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-
च) किराया, दर एवं कर	1,89,18,157	(2,89,624)	1,86,28,533	1,88,75,967	2,57,595	1,91,33,562
छ) वाहन चालन व अनुरक्षण	2,12,067	8,16,376	10,28,442	2,36,027	6,05,496	8,41,523
ज) डाक, दूरभाष व संचार प्रभार एवं मुद्रण व लेखन	60,94,099	15,26,739	76,20,837	67,26,413	10,80,842	78,07,255
झ) यात्रा व वाहन व्यय	1,17,00,179	12,26,634	1,29,26,813	2,13,73,068	65,92,423	2,79,65,491
ञ) सत्कार व्यय (मनोरंजन)	1,64,727	2,645	1,67,372	1,86,780	-	1,86,780
ट) व्यावसायिक प्रभार (विधिक प्रभार)	72,928	9,46,185	10,19,113	8,32,300	4,01,900	12,34,200
ठ) लेखा परीक्षक को पारिश्रमिक	-	9,84,000	9,84,000	3,26,608	11,38,015	14,64,623
ड) विज्ञापन एवं प्रचार	-	8,40,742	8,40,742		1,45,608	1,45,608
ढ) अन्य व्यय (अनुबंध-16)	2,33,29,704	1,81,56,082	4,14,85,787	3,89,15,972	1,45,97,978	5,35,13,950
कुल	**7,48,22,611**	**3,13,37,883**	**10,61,60,493**	**11,26,72,114**	**2,89,42,212**	**14,16,14,326**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD / YEAR ENDED 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 21	CURRENT YEAR (2020-21)			PREVIOUS YEAR (2019-20)		
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) Electricity and Water	87,28,269	16,73,148	1,04,01,417	1,00,82,800	13,65,196	1,14,47,996
b) AMC	34,33,210	5,83,421	40,16,632	28,32,844	3,88,961	32,21,805
c) Insurance	6,86,551	1,78,040	8,64,591	6,36,768	65,778	7,02,546
d) Repairs and maintenance	14,82,720	46,93,494	61,76,215	1,16,46,567	23,02,420	1,39,48,987
e) Excise Duty	-	-	-	-	-	-
f) Rent, Rates and Taxes	1,89,18,157	(2,89,624)	1,86,28,533	1,88,75,967	2,57,595	1,91,33,562
g) Vehicles Running and Maintenance	2,12,067	8,16,376	10,28,442	2,36,027	6,05,496	8,41,523
h) Postage, Telephone and Communication Charges & Printing and Stationary	60,94,099	15,26,739	76,20,837	67,26,413	10,80,842	78,07,255
i) Travelling and Conveyance Expenses	1,17,00,179	12,26,634	1,29,26,813	2,13,73,068	65,92,423	2,79,65,491
j) Hospitality Expenses (Entertainment)	1,64,727	2,645	1,67,372	1,86,780	-	1,86,780
k) Professional Charges (Legal charges)	72,928	9,46,185	10,19,113	8,32,300	4,01,900	12,34,200
l) Auditor's Remuneration	-	9,84,000	9,84,000	3,26,608	11,38,015	14,64,623
m) Advertisement & Publicity	-	8,40,742	8,40,742		1,45,608	1,45,608
n) Other Expenses (Annexure-16)	2,33,29,704	1,81,56,082	4,14,85,787	3,89,15,972	1,45,97,978	5,35,13,950
TOTAL	**7,48,22,611**	**3,13,37,883**	**10,61,60,493**	**11,26,72,114**	**2,89,42,212**	**14,16,14,326**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग स्वरूप अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

अनुसूची 22 अनुदानों, सब्सिडियों आदि पर व्यय	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) संस्थाओं/संगठनों को प्रदत्त अनुदान (अनुबंध-17)	11,50,00,000		11,50,00,000	9,84,69,920		9,84,69,920
ख) संस्थाओं/संगठनों को प्रदत्त सब्सिडी (अनुबंध-18)	25,98,66,430		25,98,66,430	16,53,24,878		16,53,24,878
ग) अन्य (अनुबंध-19)	8,59,90,557		8,59,90,557	12,88,12,315		12,88,12,315
कुल	**46,08,56,987**	-	**46,08,56,987**	**39,26,07,113**	-	**39,26,07,113**

टिप्पणी - संगठनों के नाम, अनुदान/सब्सिडी की राशि सहित उनके कार्यकलापों का खुलासा किया जाए।

अनुसूची 23 - ब्याज	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) मियादी ऋणों पर ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)						
कुल						

अनुसूची 24 - अ.जा/अ.ज.जा. कल्याण	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) अ.जा/अ.ज.जा. कल्याण	9,98,00,000	-	9,98,00,000	10,33,25,000	-	10,33,25,000
कुल	**9,98,00,000**	-	**9,98,00,000**	**10,33,25,000**	-	**10,33,25,000**

अनुसूची 25 - बीमांकिक मूल्यांकन व्यय	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा.व्यय	कुल
क) व्यय बीमांकिक ग्रैट्युटी	-	-	-	-	37,55,022.00	37,55,022.00
ख) व्यय बीमांकिक नकदीकरण छुट्टी	-	25,79,243	25,79,243	-	33,52,486.00	33,52,486.00
ग) व्यय बीमांकिक सेवानिवृत्ति	-	52,23,589	52,23,589	-	62,39,582.00	62,39,582.00
कुल	-	**78,02,832**	**78,02,832**	-	**1,33,47,090.00**	**1,33,47,090.00**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity:THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2021

(Amount ₹)

SCHEDULE 22	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) Grants given to Institutions / Organisations(Annexure-17)	11,50,00,000		11,50,00,000	9,84,69,920		9,84,69,920
b) Subsidies given to Institutions / Organisations(Annexure-18)	25,98,66,430		25,98,66,430	16,53,24,878		16,53,24,878
c) Others(Annexure-19)	8,59,90,557		8,59,90,557	12,88,12,315		12,88,12,315
TOTAL	**46,08,56,987**	**-**	**46,08,56,987**	**39,26,07,113**	**-**	**39,26,07,113**

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed

SCHEDULE 23	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
INTEREST	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) On Fixed Loans b) On other Loans (including Bank Charges) c) Others (specify)						
TOTAL						

SCHEDULE 24	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
SC/ST Welfare	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) SC/ST Welfare	9,98,00,000	-	9,98,00,000	10,33,25,000	-	10,33,25,000
TOTAL	**9,98,00,000**	**-**	**9,98,00,000**	**10,33,25,000**	**-**	**10,33,25,000**

SCHEDULE 25	Current Year (2020-21)			Previous Year (2019-20)		
Actuarial Valuation Expenses	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
a) Expenses - Actuarial Gratuity	-	-	-	-	37,55,022.00	37,55,022.00
b) Expenses - Actuarial Leave encashment	-	25,79,243	25,79,243	-	33,52,486.00	33,52,486.00
c) Expenses - Actuarial Superannuation	-	52,23,589	52,23,589	-	62,39,582.00	62,39,582.00
TOTAL	**-**	**78,02,832**	**78,02,832**	**-**	**1,33,47,090.00**	**1,33,47,090.00**

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए आय व व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची 26 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (निदर्शी)

1 **लेखाकरण परिपाटी**

प्राधिकरण वर्ष 2007-08 से आय व व्यय और तुलन पत्र तैयार करने में लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार को अपनाता है। जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण पूर्ववर्ती लागत परिपाटी के आधार पर व लेखाकरण की प्रोद्भवन रीति पर तैयार किए जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी विभागीय आय (आई ई बी आर) गैर-योजना के अन्तर्गत ली जाती है।

2 **वस्तु सूची का मूल्यांकन**

2.1 भंडार और कल पुर्जे (मशीनरी के कल पुर्जे सहित) का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

2.2 कच्चे मालों, अर्ध तैयार मालों और तैयार मालों का मूल्यांकन उनके कम मूल्य पर और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत भारित औसत लागत पर आधारित होती है। तैयार माल व अर्ध तैयार माल की लागत का निर्धारण, सामग्री, मज़दूरी व संबंधित ऊपरी व्यय के आधार पर विचार करके किया जाता है। - लागू नहीं

3 **निवेश**

3.1 दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों की वहनीय लागत में अस्थाई को छोड़कर ह्रास का प्रावधान किया जाता है। - लागू नहीं

3.2 चालू के रूप में वर्गीकृत निवेश निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में होने वाली कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश केलिए अलग रूप से किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली, अंतरण स्टॉंप जैसे अर्जन व्यय शामिल हैं।

4 **उत्पाद शुल्क**

निर्यात को छोडकर, संगठन द्वारा उत्पादित माल के उत्पाद शुल्क हेतु देयता को विनिर्माण पूर्ण होने पर लेखाबद्ध किया जाता है और वर्षांत में उत्पाद शुल्क योग्य विनिर्मित माल के लिए प्रावधान किया जाता है।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS) Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 26 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Authority follows accrual basis of accounting in the preparation of Income and Expenditure and Balance Sheet from the year 2007-08. The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting. All departmental incomes (IEBR) received by the Authority are taken under Non Plan.

2. INVENTORY VALUATION

2.1 Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost

2.2 Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and NRV. The costs are based on weightedaverage cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overhead - N.A

3. INVESTMENTS

3.1 Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments - N.A

3.2 Investments classified as "Current" are carried at lower cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.

3.3 Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. EXCISE DUTY

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture andprovision is made for excisable manufactured goods as at the year-end.

5 **स्थाई परिसंपत्तियां**

5.1. स्थाई परिसंपत्तियों का उल्लेख अर्जन की लागत पर किया जाता है जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा कर और अर्जन से संबंधित आकस्मिक व प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। जिन परियोजनाओं में निर्माण शामिल होता है, उनमें संबंधित पूर्व प्रचालन व्यय (इसके पूर्ण होने से पहले विशिष्ट परियोजना केलिए लिए गए ऋणों का ब्याज सहित है) पूँजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग बनते हैं।

5.2 गैर आर्थिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थाई परिसंपत्तियाँ, (संग्रह निधि में अनुदान को छोड़कर) पूँजी आरक्षित निधि में तदनुरूपी जमा द्वारा मूल्य आधार पर पूँजीकृत की जाती है।

6 **मूल्यह्रास**

6.1. स्थाई परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा देयताओं के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होनेवाले लागत समायोजनों पर मूल्यह्रास को छोड़कर, मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासित मूल्य (डब्ल्यू डी वी) पर किया जाता है, जो संबंधित परिसंपत्तियों की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

6.2. वर्ष के दौरान, स्थाई परिसंपत्तियों में हुई अभिवृद्धियों एवं कटौतियों के संबंध में, मूल्यह्रास पर आनुपातिक आधार पर विचार किया जाता है।

6.3. मूल्यह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों की मूल लागत के 95 प्रतिशत तक डब्ल्यू डी वी आधार पर किया जाता है और उसके बाद आगे और कोई मूल्यह्रास किए बिना खाता मूल्य पर रखा जाता है।

7 **विविध व्यय**

इस शीर्ष के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों केलिए प्रावधान बनाए गए हैं।

8 **बिक्रियों केलिए लेखाकरण**

बिक्रियों में उत्पादन शुल्क सम्मिलित है और बिक्री प्रतिलाभ, रिबेट व व्यापार छूट की वास्तविक राशि है। लागू नहीं

9 **सरकारी अनुदान/सब्सिडी**

9.1. परियोजनाओं की स्थापना की पूँजीकृत लागत के लिए अंशदान के रूप में दिए गए सरकारी अनुदान आरक्षित निधि के रूप में समझे जाते हैं।

9.2. अर्जित की गई विशिष्ट स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से की गई कटौती के रूप में दर्शाए जाते हैं।

9.3. सरकारी अनुदानों/ सब्सिडी को वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। लागू नहीं

5. FIXED ASSETS

5.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.

5.2 Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

6. DEPRECIATION

6.1 Depreciation is provided on Written Down Value (WDV) method except depreciation on cost adjustments arising on account ofconversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.

6.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on pro-rata basis.

6.3 Depreciation is provided on WDV basis upto 95% of the original cost of assets and thereafter retained at book value without any furtherdepreciation.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Under this head provision for employees' retirement and terminal benefits have been made.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount - N.A

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

9.1 Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.

9.2 Grants in respect of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.

9.3 Government grants/subsidy are accounted on realization basis - N.A

10 विदेशी मुद्रा में लेनदेन

10.1 विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लेनदेनों को लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।

10.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों व चालू देयताओं को वर्षांत में प्रचलित अभिभावी विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा में देयता स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित होने की स्थिति में स्थाई परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में उसे राजस्व माना जाता है।

11 पट्टा

पट्टा किराए पट्टे की शर्तों के अनुसार व्यय किए जाते हैं।

12 सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 तथा 12.2 प्रत्येक वर्ष उपदान, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन सारांशीकरण, पेंशन आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गैर योजना के तहत बजट प्रावधान बनाया जाता है और इसमें से व्यय की पूर्ति की जाती है। वर्ष के दौरान, 31.3.2021 की स्थिति के अनुसार मौजूद देयता का मूल्यंकन वास्तविक आधार पर किया गया है और देयता का प्रावधान लेखे में किया गया है। सेवानिवृत्ति/सेवांत लाभ के लिए कोई अलग आरक्षित निधि नहीं है। उपदान पर देयता आदि चालू वर्ष के लिए प्रोद्भूत नहीं की जाती है अतः आय एवं व्यय लेखे में प्रभारित नहीं किया जाता है। प्रतिबद्धताएं विशिष्ट प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निधियों को जारी करने के अधीन होगा।

दीपा		के. एस. श्रीनिवास
मुख्य लेखा अधिकारी	**सचिव**	**अध्यक्ष**

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

10.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

10.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/ loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is consideredto revenue.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms

12. RETIREMENT BENEFITS

12.1 & 12.2 Every year budget provision is made under non plan for the retirement benefits like gratuity, leave encashment, pension commutation, pension etc. and the expenditure is met from this. During the year, the liability existing as on 31.03.2021 have been valued onactuarial basis and the liability provided in the accounts. There is no separate reserve fund for retirement/terminal benefits. The liability on gratuity etc. are not accrued for the current year and hence not charged under Income and Expenditure Account. The commitments are subjected to release of funds by the Government towards the specific purposes.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER SECRETARY CHAIRMAN

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए आय व व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 27 - आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां (निदर्शी)

1 आकस्मिक देयताएं

1.1 संगठन के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है ₹..........-.......... (गत वर्ष ₹..........-..........)

1.2 निम्नलिखित के संबध में

- संगठन द्वारा /उसकी ओर से प्रदत्त बैंक गारंटी ₹..........-.......... (गत वर्ष ₹..........-..........)
- संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र ₹...........-......... (गत वर्ष ₹..........-..........)
- बैंकों के पास छूट प्राप्त बिल ₹..........-.......... (गत वर्ष ₹..........-..........)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित माँगें

आयकर ₹..........-.......... (गत वर्ष ₹..........-..........)
बिक्री कर ₹..........-.......... (गत वर्ष ₹..........-..........)
नगरपालिका कर ₹..........-.......... (गत वर्ष ₹..........-..........)

1.4 आर्डर पूरे न किए जाने पर पार्टी की ओर से किए गए दावे परन्तु जिनका संगठन ने विरोध किया है - लागू नहीं

2 **पूंजी प्रतिबद्धताएं**

पूंजी लेखे से निष्पादित किए जाने केलिए शेष संविदाओं का अनुप्रमाणित मूल्य और जिनका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों को छोडकर) ₹..........-.......... (गत वर्ष ₹....................)

3 **पट्टा दायित्व**

संयंत्र व मशीनरी हेतु की गई वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किराए के लिए की भावी दायित्व ₹...........-.......... (गत वर्ष ₹...................)

4 **चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम**

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलन पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के कम से कम बराबर राशि की वसूली पर होता है।

5 **कराधान**

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई करयोग्य आय नहीं है, आयकर हेतु कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36
SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2021

SCHEDULE 27- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative)

1 **CONTINGENT LIABILITIES**

1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts ₹……......-………. (Previous year ₹ .... - ....)

1.2 In respect of:

– Bank guarantees given by/on behalf of the Entity ₹……......-……... (Previous year ₹ ……........... - ……..........)

– Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity ₹…..........- ....(Previous year ₹……............. - ……...............)

– Bills discounted with banks ₹……......-………..(Previous year ₹ ……...…..... - ……...........)

1.3 Disputed demands in respect of

Income tax	₹................ -...................	(Previous year ₹ ……..…... - ……...........)
Sales-tax	₹................ -...................	(Previous year ₹ ……..…... - ……...........)
Municipal Taxes	₹................ -...................	(Previous year ₹ ……..…... - ……...........)

1.4 In respect of claims from parties on non execution of orders but contested by the entity - - N.A

2. **CAPITAL COMMITMENTS**

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances)
₹ .... - .... (Previous year ₹ ....)

3 **LEASE OBLIGATIONS**

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to
₹ .... - .... (Previous year ₹ ....)

4 **CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal atleast to the aggregated amount shown in the Balance Sheet.

5 **TAXATION**

In view of there being no taxable income under Income-Tax Act, 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)
संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36
31.03.2021 को समाप्त अवधि के लिए आय व व्यय के भागस्वरूप अनुसूचियाँ

(राशि ₹ में)

अनुसूची 27 आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर टिप्पणियां (निदर्शी)....जारी

	चालू वर्ष	गत वर्ष
6 विदेशी मुद्रा लेनदेन		
6.1 सी आई एफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य		
तैयार माल की खरीदी		
कच्चे माल व संघटक (मार्गस्थ सहित)		
पूँजी माल		
भंडार, कल पुर्जे व खपत योग्य वस्तुएं		
6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय		
क) यात्रा (दैनिक भत्ता)		अमे. डॉ. 16,820.25
ख) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में धन प्रेषण ब्याज भुगतान		
ग) अन्य व्यय:	अमे. डॉ. 3510	अमे. डॉ. 9,42,874.53
- **बिक्री पर कमीशन**		
कानूनी व व्यावसायिक व्यय		
विविध व्यय		
6.3 अर्जन:		
एफ ओ बी आधार पर निर्यातों का मूल्य - लागू नहीं		
6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक - लागू नहीं		
लेखा परीक्षकों के रूप में		
- कराधान मामले		
- प्रबंधन सेवाओं के लिए		
- प्रमाणन के लिए		
- अन्य		

7 जहाँ आवश्यक हुआ है, पूर्व वर्ष के तदनुरूपी संगत आँकडों को पुर्नसमूहित / पुर्नव्यवस्थित किया गया है।

8 अनुसूची 1 से 25 संलग्न है, और वे दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और **उस तिथि को समाप्त आयव्यय लेखे के अभिन्न अंग है।**

दीपा
मुख्य लेखा अधिकारी

सचिव

के. एस. श्रीनिवास
अध्यक्ष

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDULE 27- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative) - Contd.

	Current Year	Previous year
6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS		
6.1 Value of Imports Calculated on C.I.F. Basis:		
– Purchase of finished Goods		
– Raw Materials & Components (Including in transit)		
– Capital Goods		
– Stores, Spares and Consumables		
6.2 Expenditure in foreign currency		
a) Travel (per diem allowance)		US $ 16,820.25
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency		
c) Other expenditure:	US $ 3510	US $ 9,42,874.53
– Commission on Sales		
– Legal and Professional Expenses		
– Miscellaneous Expenses		

6.3 Earnings:

Value of Exports on FOB basis - N.A

6.4 Remuneration to auditors: - N.A

As Auditors

- Taxation matters
- For Management services
- For certification
- Others

7. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary
8. Schedule 1 to 25 are annexed to and forming an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2021 and the Income **Expenditure Account for the year ended on that date.**

Deepa	[signature]	[signature]
CHIEF ACCOUNTS OFFICER	SECRETARY	CHAIRMAN

वर्ष 2020-21 को समाप्त वर्ष के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात किास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के लेखाओं के साथ संलग्न और उनके भागस्वरूप टिप्पणियां

1. **पूँजी निधि**

दिनांक 01.04.2020 को निधि शेष ₹ 46,63,30,124/- था। निधि का संपूर्ण स्रोत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आबंटन था। वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय ₹ 6,33,91,724/- का है। वर्ष के दौरान योजना एवं गैर योजना के तहत स्थाई परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए अनुदान के रूप में उपयोगित निधि को विशिष्ट उपयोग के लिए चिह्नित निधि नहीं माना गया है क्योंकि यह किसी विशिष्ट परिसंपत्तियों के लिए नियत नहीं है, अपितु यह एमपीईडीए की सामान्य निधि से परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए पूँजीगत स्वरूप की निधि है परिसंपत्तियों के अर्जन के लिए प्रयुक्त ऐसे अनुदान ₹ 11,22,93,243/- है एवं ₹ 6,33,91,724/- के आय से अधिक व्यय को पूँजी निधि में जोड़ा गया है। दिनांक 31.03.2021 के अनुसार निधि पूँजी ₹ 51,52,31,643/- है।

2. **वर्ष के दौरान संगठन ने कोई पूँजी आरक्षित निधि/पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया है। सृजित/विनियोजित की गई कोई सामान्य आरक्षित निधि नहीं है।**

3. **वर्ष के दौरान मौजूदा चिह्नित निधियाँ हैं,**

क) आकस्मिक अवसंरचना निधि

यह निधि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 1998-1999 में प्राप्त हुई थी और इसका निवेश संयुक्त उद्यम कंपनी (मिडकॉन) के शेयरों में किया गया था। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार शेयर मूल्य ₹ 2,50,00,000/- है।

ख) इक्विटी सहभागिता योजना

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार निधि लेखे में शेष राशि ₹ 10,12,85,380/- है जिसमें मुख्य इक्विटी राशि तथा ब्याज शामिल है (₹ 5,54,90,700/- का शेयर मूल्य एवं ₹ 4,57,94,680/- का निवेश)। शेयर मूल्य ₹ 5,54,90,700/- की लागत पर लिया गया है।

माध्यस्थम पंचाट तथा कानूनी एवं प्रशासनिक व्यय के अनुसार शेयर मूल्य में वृद्धि के प्रावधान की गणना ₹ 37,67,81,825/- की गई है। सी एण्ड जी लेखा परीक्षकों की टिप्पणी के अनुसार पिछले वर्ष के लिए ₹ 27,54,96,445/- के माध्यस्थम एवं कानूनी व्यय के अनुसार निधि मूल्य तथा शेयर मूल्य में वृद्धि के प्रावधान में अन्तर का प्रकटन संदिग्ध ऋणों (अनुसूची 7) के लिए तथा वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखे में भी संदिग्ध ऋण (अनुसूची 11) के रूप में किया गया था।

एमपीईडीए ने फरवरी 1985 से मार्च 1998 के दौरान गभीर सागर मत्स्यन, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण और जलकृषि के क्षेत्र में 33 कंपनियों के प्रमोटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके निर्यात संवर्धन योजना के रूप में इक्विटी भागीदारी योजना (ईपीएस) शुरू की। वित्तीय सहयोग समझौते के खंड 6.2 के अनुसार, कंपनियों के प्रमोटरों के लिए एमपीईडीए द्वारा धारित शेयरों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख/एमपीईडीए द्वारा सहायता जारी करने की तारीख से 5 साल की समाप्ति पर पुनर्खरीद करना अनिवार्य है। इन सहायता प्राप्त कंपनियों की शेयर पूंजी में एमपीईडीए का योगदान प्रत्येक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के अधिकतम 11 तक था और योजना में एमपीईडीए द्वारा निवेश की गई कुल राशि 627.24 लाख रुपये थी।

NOTES ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS OF THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (MPEDA) FOR THE YEAR 2020-21

1. **CAPITAL FUND**

   Balance of the fund as on 01.04.2020 was ₹ 46,63,30,124/-. Entire source of fund was the allocation received from Central Government. Excess of expenditure over incomefor the year is ₹ 6,33,91,724/-. Fund utilized during the year as grants for acquisition of fixed assets under Plan and Non-Plan, has not been considered as earmarked funds for specific usage since it is not fund meant for any specific asset but is fund of capital nature for acquisition of assets from general fund of MPEDA. Such Grants utilized for acquisition of assets is ₹ 11,22,93,243/- and Excess of expenditure over income ₹ 6,33,91,724/-has been added to the Capital Fund. The fund capital as on 31.03.2021 is ₹ 51,52,31,643/-.

2. **The Organization has not created any capital reserves/revaluation reserves during the year. There is no General reservecreated/appropriated.**

3. **During the year earmarked funds existing are viz.,**

   a) **Critical Infrastructure fund**

   The fund was received in 1998-1999 from MOCI as grants-in-aid and the same was invested in shares of the Joint Venture Company (MIDCON). The Share value as on 31.03.2021 is ₹ 2,50,00,000/-.

   b) **Equity Participation Scheme**

   Balance in the fund account as on 31.03.2021 is ₹ 10,12,85,380/- which includes equity amount as well as interest. (Share Value of ₹ 5,54,90,700/-and investment of ₹ 4,57,94,680/-). The share value has been taken at cost for ₹ 5,54,90,700/-.

   The provision for increase in share value as per the arbitration awards and legal and administration expenses is calculated as ₹ 37,67,81,825/-. As per the comment of C&AG Auditors for the last year the difference in fund value and the provision for increase in share value as per arbitration and legal expenses of ₹ 27,54,96,445/- was disclosed as provision for doubtful debts(schedule 7) and also as doubtful debts (schedule 11) in annual accounts for the year 2020-21.

   MPEDA launched the Equity Participation Scheme (EPS) as an export promotion scheme, during February 1985 to March 1998by extending financial assistance to the promoters of 33 companies in the field of deep sea fishing, seafood processing and aquaculture. As per the clause 6.2 of the Financial Collaboration Agreement (FCA), it is mandatory for promoters of the companies to repurchase the shares held by MPEDA on expiry of 5 years from the date of commencement of commercial production / the date of release of assistance by MPEDA. The contribution of MPEDA to the share capital of these assisted companies was up to a maximum of 11% of the paid up share capital of each company and the total amount invested by the MPEDA in the scheme was ₹ 627.24 Lakh.

सहायता प्राप्त 33 कंपनियों में से, 22 कंपनियों के प्रमोटर वित्तीय सहयोग समझौते (एफ़सीए) में सहमति के अनुसार समय पर शेयरों को वापस खरीदने में विफल रहे। अत, एमओसीआई की सलाह के आधार पर एकमुश्त निपटान और बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव शुरू किया गया था। तदनुसार एमपीईडीए ने मंत्रालय को पत्र सं 3/07/2012/एआईएचओ दिनांक 01.10.2012 के तहत मंत्रालय को बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव भेजे।

एमओसी आई ने दिनांक 20.07.2015 के पत्र के तहत सूचित किया कि चूंकि एकमुश्त निपटान का निर्णय वाणिज्य विभाग के दायरे में नहीं है, इसलिए इसे व्यय विभाग को भेजा गया है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के निर्देशों के आधार पर एकमुश्त निपटान के लिए एक विस्तृत संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और इस संबंध में मंत्रालय से उत्तर की प्रतीक्षा है। एमपीईडीए ने मेसर्स लक्षद्वीप शिल्पी एक्वा लिमिटेड, कोच्चि को छोड़कर 21 कंपनियों के खिलाफ मामले शुरू किए और केरल, हैदराबाद, तेलंगाना, चेन्नई और मुंबई की विभिन्न अदालतों में पैरवी के मामले प्रक्रियाधीन हैं।

ग) एमपीईडीए कर्मचारियों की पेंशन निधि (एमईपीएफ)

पेंशन प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पेंशन निधि खाता खोला गया। सरकार द्वारा निर्धारित दर, आंशिक रूप से आईईबीआर एवं प्रशासनिक व्यय कम करके बचत की गई राशि तथा अन्य श्रोतों से पेंशन के लिए वार्षिक अंशदान द्वारा निधि बनाई जा सकती है। 31.03.2021 तक शेष राशि ₹ 41,71,684 है।

घ) सामान्य भविष्य निधि

यह निधि कर्मचारियों के संचित अंशदान तथा उस पर ब्याज की द्योतक है। दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार निधि शेष ₹ 11,64,74,788 था। अंशदान, ऋण वापसी के रूप में कुल योगदान ₹ 1,10,89,316 था। वर्ष के लिए प्राप्त और उपार्जित ब्याज ₹ 1,55,98,539 था। वर्ष के लिए कुल उपयोग ₹ 3,22,68,703 था। दिनांक 31.03.2021 को निधि खाते में शेष राशि ₹ 11,08,93,940 है।

ङ) पाकिस्तानी कब्जे में पडे मत्स्यन जलयानों के प्रतिस्थापन के लिए निधि (एमओए)

दिनांक 01.04.2020 को निधि में शेष और दिनांक 31.03.2021 को शेष राशि ₹ 8,35,656 रुपये है।

च) समुद्री खाद्य प्रदर्शनी और अक्वा अक्वेरिया प्रदर्शनी के लिए निधि

एमपीईडीए 1973 से द्विवार्षिक आधार पर भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी (आईआईएसएस) जैसे समुद्री खाद्य प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। आईआईएसएस का आयोजन एमपीईडीए और एसईएआई के सदस्य शामिल समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आयोजित समिति द्वारा एक कोर समिति गठित की जाती है और वित्तीय पहलुओं सहित सभी निर्णय कोर समिति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

प्रदर्शनियों की लेखाओं का प्रबंधन कोर कमेटी द्वारा किया जाता है और स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाता है। एमपीईडीए द्विवार्षिक आधार पर एक्वा एक्वेरिया शो (एएआई) भी आयोजित कर रहा है। प्रदर्शनी की लेखाओं को स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट और प्रमाणित किया जाता है। दोनों प्रदर्शनियों के निधि बकायों को एमपीईडीए की वार्षिक लेखाओं में तुलन पत्र में जोड़ा जाता है। निधि शेष को देयता के रूप में दिखाया गया है और प्रदर्शनी के निक्षेप और बैंक बकाए को संपत्ति के रूप में दिखाया गया है।

चूंकि प्रदर्शनी लेखाओं में कोई अलग पैन/ जीएसटीआईएन नहीं है, अतः एएआई और आईआईएसएस दोनों से संबंधित संयुक्त आय एमपीईडीए जीएसटीआईएन के जीएसटीआर 1 के माध्यम से दायर की गई है और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान योग्य जीएसटी इनपुट केडिट को समायोजित करने के बाद कर को हटा दिया गया है। प्रदर्शनी की आय और व्यय एमपीईडीए आय और व्यय लेखे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि प्रदर्शनी को उद्दिष्ट निधि के रूप में माना जाता है और आय / प्रदर्शनी के नुकसान को निधि बकाए के साथ समायोजित किया जाता है। दिनांक 31.03. 2021 को आईआईएसएस प्रदर्शनी और एक्वा एक्वेरिया प्रदर्शनी का निधि बकाया क्रमशः ₹ 6,49,14,371/- और ₹ 2,82,52,220/- है। आईआईएसएस प्रदर्शनी

Out of 33 companies assisted, the promoters of 22 companies failed to purchase back the shares in time as agreed in Financial Collaboration Agreement (FCA). Hence, the onetime settlement and the write off proposal were initiated based on the advice from the MoC&I. Accordingly MPEDA sent write off proposals to Ministry vide letter No. 3/07/2012/AI-HO dated 01.10.2012.

MoC&I vide letter 20.07.2015 informed that since the decision on one time settlement is not within the purview of Department ofCommerce, it has been referred to the Department of Expenditure. Further, based on the instructions of Department of Commerce a detailed revised proposal for One Time Settlement is submitted and a reply in this regard is awaited from Ministry. MPEDA initiated cases against 21 companies except M/s. Lakshadweep Shilpi Aqua Ltd, Kochi and the execution cases are under process at various courts of Kerala, Hyderabad, Telengana, Chennai and Mumbai.

c) MPEDA Employees Pension Fund (MEPF)

The pension fund account has been opened during the financial year 2016-17 for meeting the pension commitment. The fund can be sourced by yearly contribution towards pension as such rate as prescribed by Govt., partially from IEBR and amount saved by curtailing the administrative expenditures and other sources. The balance as on 31.03.2021 is ₹ 41,71,684/-.

d) GPF Fund

The fund represents the accumulated contribution by employees and interest thereon. The fund balance as on 01.04.2020 was ₹ 11,64,74,788/-.The total contribution by way of subscription and loan repayment aggregated to ₹ 1,10,89,316/- Interest received and accrued for the year was ₹ 1,55,98,539/-.Total utilization for the year was ₹ 3,22,68,703/-. The balance in the fund account as on 31.03.2021 is ₹ 11,08,93,940/-

e) Fund for Replacement of Fishing Vessels held in Captivity in Pakistan (MOA)

Balance in the fund as on 01.04.2020 and balance as on 31.03.2021 is ₹ 8,35,656/-

f) Fund for Seafood Shows and Aqua Aquaria shows

MPEDA is conducting seafood show on Biennial basis since 1973 such as India International Seafood Show (IISS). The IISS is conducted by an organizing committee consisting of members from MPEDA and SEAI. A Core Committee is constituted by organizing committee and all the decisions including the financial aspects are decided by Core Committees.

The accounts of the shows are managed by Core Committee and certified by independent Chartered Accountant. MPEDA is also conducting Aqua Aquaria Show (AAI) on Biennial basis. The accounts of the shows are audited and certified by the independent Chartered Accountant. The fund balance of both the shows are clubbed in the Annual Accounts of MPEDA in Balance sheet. The Fund balance is shown as liability and Deposit & Bank balance of the shows is shown as Asset.

As the shows Accounts has no separate PAN/GSTIN, the Combined Income pertaining to both AAI & IISS have filed through GSTR 1 of MPEDA GSTIN and the tax has been remitted after adjusting the eligible GST input credit during the current financial year. The Income & Expenditure of shows are not included in MPEDA Income & Expenditure Account, as the Shows are treated as Earmarked fund and Income/loss of shows are adjusted with fund balance.The fund balance of IISS shows and Aqua Aquaria shows as on 31.03.2021 is ₹ 6,49,14,371/-and ₹ 2,82,52,220/-

की वर्तमान देयता में ₹ 44,94,016/- शामिल हैं जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईआईएसएस प्रदर्शनी के जीएसटी रकम प्रेषण के कारण एमपीईडीए को देय है।

छ) अन्य निधियाँ

i) यू एन सी टी ए डी निधि

01.04.2020 को निधि में शेष और 31.03.2021 को शेष राशि 1,34,045 है।

ii) एमपीएनआरएल निधि

01.04.2020 तक एमपीआरएनएल निधि ₹ 15,94,150/- थी। वर्ष के दौरान प्राप्त निधि 5,00,000 और वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 13,45,114/- उपयोग किया गया था। 31.03.2021 तक शेष निधि ₹ 7,49,036/- थी।

iii) एनएफडीबी निधि (जलकृषि बीमा एवं ए क्यू एफ का विस्तारण)

दिनांक 01.04.2020 को निधि में शेष राशि ₹ 20,47,385/- है। वर्ष के दौरान एक्यूएफ के विस्तार के लिए एनएफडीबी से प्राप्त निधि ₹ 2,30,00,000/- थी और इसे आरजीसीए को हस्तांतरित कर दिया गया था। दिनांक 31.03.2021 को शेष निधि ₹ 20,47,385/- है।

iv) पीएमएमएफआर (प्रधान मंत्री राहत निधि)

पाकिस्तान द्वारा जब्त किए मत्स्यन यान के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान सॉफ्ट लॉन की योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹ 10,00,000/- की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 3,92,00,000/- निधि और बैंक ब्याज 27,580/ प्राप्त किया। वर्ष 2019-2020 के दौरान ₹ 1,92,00,000/- का उपयोग किया गया और 31.03.2019 एवं 31.03.2020 तक ₹ 2,10,27,580/- राशि शेष उपलब्ध है।

31.03.2021 के अनुसार निधि शेष ₹ 2,18,12,019/- है (जिसमें ₹ 7,84,439/- अर्जित ब्याज शामिल है) चालू वर्ष में कोई व्यय नहीं हुआ है।

v) निर्यात निरीक्षण परिषद से प्राप्त निधि

एनआरसीपी सैंपिलिंग से सम्बन्धित प्रयोगशाला व्यय को पूरा करने हेतु निर्यात निरीक्षण अभिकरण से 2 करोड़ प्राप्त हुआ। इसे सरकारी संस्थानों से प्राप्त अनुदान के रूप में दर्शाया गया है। 31.03.2021 को अंतिम शेष राशि शून्य है।

vi) एनएफडीबी से निधि (हैचरियों के लिए सहायता)

एमपीईडीए-आरजीसीए से तकनीकी जानकारी प्राप्त करके निजी/सरकारी उद्यमकर्ताओं द्वारा विविधीकृत जलकृषि प्रजाति हैचरियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एनएफडीबी से ₹ 2,13,37,665/- प्राप्त हुआ। लाभार्थियों को एनएफडीबी द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर निधि जारी किया जाएगा। 31.03.2021 के अनुसार बकाया निधि ₹ 1,33,92,537/- है।

vii) निधि सीएसआर

मछुआरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए पारदीप पोर्ट ट्रस्ट, ओडीशा से सीएसआर निधि के रूप में 1 लाख प्राप्त हुआ, समान को कार्यक्रम के आयोजन के लिए नेटफिश को अंतरित किया गया। 31.03.2021 के अनुसार बकाया शून्य है।

viii) एमओएफपीआई निधि (माइक्रोबयोलजी लैब)

माइक्रोबयोलजी लैब के खर्चों को पूरा करने के लिए एमओएफ़पीआई से ₹ 19,68,181/- प्राप्त हुए और इसका पूरी तरह से उपयोग किया गया। दिनांक 31.03.2021 को शेष राशि शून्य है।

respectively.The Current Liability of IISS show Includes ₹ 44,94,016/- which is payable to MPEDA on account of GST remittances of IISS Shows for the FY 2020-21.

g) **Other Funds**

i) **UNCTAD FUND**

Balance in the fund as on 01.04.2020 and balance as on 31.03.2021 is ₹ 1,34,045/-.

ii) **MPRNL FUND**

The MPRNL fund as on 01.04.2020 was ₹ 15,94,150/-. Fund received during the year was ₹ 5,00,000/- and ₹ 13,45,114/-was utilized during the year 2020-21 .The balance fund as on 31.03.2021is ₹ 7,49,036/-

iii) **NFDB FUND (Aqua Insurance & Expansion of AQF)**

Balance in the fund as on 01.04.2020was ₹ 20,47,385/-. Fund received during the year from NFDB was ₹ 2,30,00,000/- for expansion of AQF and same was transferred to RGCA. The balance fund as on 31.03.2021 is ₹ 20,47,385/-.

iv) **PMNRF (Prime Ministers Relief Fund)**

An amount of ₹ 10,00,000/- was received from Govt. of India during the year 2017-18 for the implementation of the scheme on soft loan for fishing vessel seized by Pakistan. Balance in the fund as on 01.04.2018 was ₹ 10,00,000/-. Received the fund during the year 2018-19 is ₹ 3,92,00,000/-and bank interest of ₹ 27,580/-. During the year 2019- 2020 an amount of ₹ 1,92,00,000/- utilized and the balance fund available as on 31.03.2019 & 31.03.2020 is ₹ 2,10,27,580/-.

The fund balance as on 31.03.2021is ₹ 2,18,12,019/-(which includes interest accrued of ₹ 7,84,439/-). No expenditure incurred in current year.

v) **Fund from Export Inspection Council**

₹ 2 Crorewas received from Export Inspection agency for meeting the part of the expenditure of lab in respect ofNRCP sampling. The same is shown as grants from Govt. Institutions. The Closing balance as on 31.03.2021 is nil

vi) **Fund from NFDB(Assistance to Hatcheries)**

₹ 2,13,37,665/- was received from NFDB for providing the financial assistance for establishing diversified aquaculture species hatcheries by private/Govt. entrepreneurs by availing technical know-how from MPEDA-RGCA. The fund will be released based on criteria stipulated by NFDB to the beneficiaries. Fund balance on 31.03.2021 is ₹ 1,33,92,537/-.

vii) **Fund CSR**

₹ 1 Lakh was received as CSR fund from Paradeep Port Trust, Odisha for conducting training programme for fisher folkssame was transferred to NETFISH for conducting the Programme. The balance as on 31.03.2021 is nil.

viii) **Fund MOFPI (For Microbiology Lab)**

₹ 19,68,181/- was received from MoFPI for meeting expenses of microbiology Lab and the same is fully utilized. The balance as on 31.03.2021 is nil.

4. स्थायी परिसंपत्तियां

क) स्थाई परिसंपत्तियों के अर्जन को उनकी लागत के साथ-साथ अर्जन या निर्माण के लिए आकस्मिक या आनुषंगिक रूप में उपगत व्यय के साथ लेखा बहियों में रिकार्ड किया जाता है। मूल्यह्रास को अवलिखित मूल्य (डब्ल्यू डी वी) पद्धति के अन्तर्गत लेखाओं में प्रभावित किया जाता है। मूल्यह्रास का प्रावधान परिसंपत्तियों के अर्जन की तिथि से आनुपातिक रूप से किया गया है। संगठनों द्वारा मूल्यह्रास की दर नियत की जाती है तथा स्थाई परिसंपत्तियों के संभावित उपयोग/जीवनकाल के आधार पर डब्ल्यूडीवी के तहत प्रभावित की जाती है।

ख) वर्ष के दौरान निपटान की गई पुरानी परिसंपत्तियों से ₹ 3,64,870/- प्राप्त हुए। निपटान की तारीख के अनुसार निपटान की गई परिसंपत्तियों का खाता मूल्य ₹ 15,71,624/- था। पुरानी परिसंपत्तियों की बिक्री पर ₹ 12,06,754/- की हानि अनुसूची 8 में दिखाया गया था।

ग) स्थाई परिसंपत्ति की अनुसूची में तमिलनाडु सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर सूखा मत्स्य भंडारण तूत्तिकोरिन शामिल है। निर्माण पूरा होने पर भंडार प्रबंधन के लिए टी एन एफ डी सी को सौंप दिया गया था।

घ) ₹ 61,98,900/- (वित्त वर्ष 2020 21 के दौरान ₹ 20,99,700/- और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 40,99,200/-) लैब नेल्लोर के परिसर के दीवार निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी, तिरुपति को अग्रिम के रूप में जारी किए गए थे; समान का वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निपटान किया गया था। ₹ 72,82,795/- क्षे प्र व लैब, भुवनेश्वर के विद्युत कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी भुवनेश्वर को जारी किया गया था। क्षे प्र व लैब, भुवनेश्वर के सिविल, आंतरिक कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी भुवनेश्वर को ₹ 93,62,730/- जारी किए गए और देय शेष राशि ₹ 6,07,370/- है।

ङ) सॉफ्टवेआर के विकास के लिए एनआईसी (₹ 14 लाख) और ब्राड लाइन कंप्यूटेर्स (₹ 1,782,310/-) के लिए दी गई ₹ 31,82,310/- की राशि की मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत अग्रिम के रूप में दिखाए गए है (अनुसूची 11)। एनआईसी भुगतान के अंशिका भाग का निपटान किया गया एवं एनआईसी से प्राप्त राशि ₹ 1,07,005/- है।

च) ज़मीन में (अनुसूची 8) 50 सेंट वह ज़मीन शामिल है जोकि मात्स्यिकी विभाग, ओड़ीशा सरकार से कसूल्यागंगा में गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए लीज़ होल्ड आधार पर प्राप्त की गई है। ₹ 34.79 लाख समान के लिए दो किश्तों में अदा किए गए हैं। ज़मीन में आंध्र प्रदेश सरकार से अम्बापुरम, नेल्लोर में हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त 45 सेंट ज़मीन भी शामिल है। पनवेल में एमपीईडीए को जून 2020 में डीपीआईआईटी से ₹ 1/- के लिए सोल्ट भूमि आवंटित की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित भीमावरम में 0.60 एकड़ भूमि को ₹ 1/- के लिए अनुसूची 8 में भूमि में शामिल किया गया था।

5. दिनांक 31.03.2021 को चिह्नित/स्थाई निधि निवेश

निधियों तथा निवेश की पद्धति का ब्योरा संक्षेप में निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2021 को चिह्नित/स्थाई निधि निवेश

क्रम सं.	निधि		राशि	निवेश	राशि
1	महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा निधि	निधि	2,50,00,000	संयुक्त उद्यमें के शेयरों में निवेश	2,50,00,000
2	ईपीएस	निधि	10,12,85,380	(1) इक्विटी शेयरों में निवेश (शेयरों में मूल्यवृद्धि सहित) (2) एसबीआई में चालू खाता (स्वीप अकाउंट)	5,54,90,700 4,41,47,748
				(3) निवेश पर ब्याज	16,46,932
		कुल	**10,12,85,380**	कुल	**10,12,85,380**

4. **<u>Fixed Assets</u>**

a) Fixed Assets are recorded in the books of accounts at its cost of acquisition together with expenditure incurred incidental or ancillary to acquisition or construction. Depreciation has been charged in the Accounts under Written Down Value (WDV) method. Depreciation has been provided proportionately on assets from the date of its acquisition. Rate of depreciation is fixed by the organizations and charged under WDV basis based on the expected utilization/life time of the fixed assets.

b) During the year old assets disposed off realized ₹ 3,64,870/- Book value of disposed assets as on the date of disposal was ₹ 15,71,624/- . The loss on sale of old assets of ₹ 1,20,6754/- is shown in Schedule 8.

c) The fixed asset schedule includes the Dry Fish Storage Tuticorin on the leasehold land given by TamilNadu Government. On completion of construction the storage was handed over to the TNFDC for management.

d) ₹ 61,98,900/- (₹ 20,99,700/- during FY 2019-20 and ₹ 40,99,200/- during FY 2020-21) was released as advance to CPWD, Tirupati for the compound wall construction of Lab Nellore; same was settled during FY 2020-21. ₹ 72,82,795/- was released to CPWD Bhubaneswar for electrical work of RD cum Lab, Bhubaneswar. ₹ 93,62,730/- was released to CPWD Bhubaneswar forcivil /interior work of RD cum Lab, Bhubaneswar and the balance amount payable is ₹ 6,07,370/-.

e) An amount of ₹ 31,82,310 given for NIC (Rs 14 lakhs) and M/s.Broad Line Computers (₹ 1,782,310/-)for development of software, was shown as advances under current assets. (Schedule 11). For the NIC payment partial settlement was done and ₹ 1,07,005/- is receivable from NIC.

f) The Land (schedule 8) includes 50 cents of land on lease hold basis acquired from Fisheries Department; Govt. of Odisha for setting up of QC Lab at Kasulyaganga. ₹ 34.79 Lakhs was paid for the same in two installments. The land also includes 45 cents of land in Ambapuram, Nellore from Govt. of Andhra Pradesh on alienation. Salt land was allotted to MPEDA in Panvel for an amount of ₹ 1/- from DPIIT on June 2020. Land of 0.60 Acres at Bhimavaram allotted by Govt of Andhra Pradesh included in Lands in Schedule 8 for an amount of ₹ 1/- .

5. **Earmarked/Endowment Fund Investments-as on 31.03.2021**

Break up of Funds and the pattern of Investment is briefly stated below

Earmarked/Endowment Fund Investments-as on 31.03.2021

Sl.No.	Fund		Amount	Investment	Amount
1	Critical infrastructure Fund	Fund	2,50,00,000	Invested in shares of joint venture	2,50,00,000
2	EPS	Fund	10,12,85,380	1. Invested in Equity Shares (including increase in value of shares) 2. Current A/c With SBI (Sweep A/c)	5,54,90,700 4,41,47,748
				(3) Interest on investment	16,46,932
		Total	**10,12,85,380**	**Total**	**10,12,85,380**

3	जीपीएफ	निधि	11,08,93,940	1. एसबाआई	2,98,70,370
		देयता	64,45,437	2. खजाना	8,36,02,065
				3. एसबीआई में बचत बैंक खाता	38,66,942
		कुल	**11,73,39,377**		**11,73,39,377**
4	भारतीय कृषि अनुसंधान निधि (एमपीआरएनएल)	निधि	7,49,036	एसबीआई में चालू खाता	7,49,036
5	मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन के लिए निधि	निधि	8,35,656	एसबीआई में चालू खाता	8,35,656
6	यू एन सी टी ए डी	निधि	1,34,045	एसबीआई में चालू खाता	1,34,045
7	एन एफ डी बी निधि (ए क्यू)	निधि	20,47,385	एसबीआई में चालू खाता	20,47,385
8	आईआई एसएस प्रदर्शनी निधि	समुद्री खाद्य प्रदर्शनी नधि आईआईएसएस			
		निधि	6,49,14,371	आईआईएसएस मियादी जमा	5,85,38,251
		चालू देयता	49,94,948	आईआईएसएस बैंक	85,29,198
				अन्य चालू संपत्तियां/अग्रिमें	28,41,870
		कुल	**6,99,09,319**	कुल	**6,99,09,319**
9	अक्वा अक्वेरिया प्रदर्शनी निधि	एएआई प्रदर्शनी निधि	2,82,52,220	एएआई मियादी जमा	1,77,72,892
		चालू देयता	78,44,892	एएआई बैंक	1,83,24,220
		कुल	**3,60,97,112**	कुल	**3,60,97,112**
10	पीएमएनआर निधि	पीएमएनआर निधि	2,18,12,019	एसबीआई में चालू खाता (स्वीप अकाउंट)	2,18,12,019
11	एनएफडीबी (हेचरी सहायता के लिए निधि)	एनएफडीबी निधि	1,33,92,537	एसबीआई में चालू खाता (स्वीप अकाउंट)	1,33,92,537

यू एन सी टी ए डी, एन एफ डी बी और मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन हेतु निधि शेष और मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन हेतु निधि में निधि शेष का निवेश मीयादी निक्षेपों में नहीं किया गया है क्योंकि ये चालू खाते हैं जिनमें से समय समय पर राजस्व भुगतान करना होता है।

6. दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार स्टॉक व स्पेयर्स के अंतर्गत राशि ₹ 1,05,23,213 हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

(i) समूल्य प्रकाशन, प्रपत्र, लेखन सामग्री एवं स्टैंप का स्टॉक - ₹ 29,08,091/-
(ii) रसायन का स्टॉक और मानक सदंर्भ - ₹ 76,15,122/-

(स्टॉक एवं स्पेयर्स को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।) **कुल** - ₹ **1,05,23,213/-**

7 (क) कर्मचारियों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के रूप में दर्शाई गई ₹ 13,64,898/- की बकाया राशि कर्मचारियों को प्रदत्त विभिन्न अग्रिमों की सूचक है। मूलधन की वसूली पहले की जाती है। मूलधन को पूर्ण रूप से वापस किए जाने के बाद ही ब्याज की वसूली होती है। ब्याज-आय को प्राप्ति आधार पर ही स्वीकार किया जाता है। वर्ष के लिए प्राप्य राशि हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है।

(ख) हर वर्ष एम पी ई डी ए उस वर्ष विशेष के लिए कर्मचारियों को पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का खर्च उठाने के लिए योजना एवं गैर योजना के तहत बजट प्रावधान करता है तथा व्यय की पूर्ति मंत्रालय द्वारा

3	GPF	Fund	11,08,93,940	1. SBI	2,98,70,370
		Liability	64,45,437	2. Treasury	8,36,02,065
				3. SB account with SBI	38,66,942
		Total	**11,73,39,377**	**Total**	**11,73,39,377**
4	Indian Agriculture ResearchFund (MPRNL)	Fund	7,49,036	Current Account at SBI	7,49,036
5	Fund for Replacement of Fishing Vessel	Fund	8,35,656	Current Account at SBI	8,35,656
6	UNCTAD	Fund	1,34,045	Current Account at SBI	1,34,045
7	NFDB Fund (AQ)	Fund	20,47,385	Current Account at SBI	20,47,385
8	IISS Shows Fund	Seafood show Fund-IISS			
		Fund	6,49,14,371	IISS-Fixed Deposit	5,85,38,251
		Current liabilities	49,94,948	IISS-Bank	85,29,198
				Other current Assets/Advances	28,41,870
		Total	**6,99,09,319**	**Total**	**6,99,09,319**
9	Aqua Aquaria Show Fund	AAI show Fund	2,82,52,220	AAI-Fixed Deposit	1,77,72,892
		Current liabilities	78,44,892	AAI-Bank	1,83,24,220
		Total	**3,60,97,112**	**Total**	**3,60,97,112**
10	PMNR Fund	PMNR Fund	2,18,12,019	Current Account at SBI (Sweep A/c)	2,18,12,019
11	NFDB (Fund for HatcheryAssistance)	NFDB fund	1,33,92,537	Current Account at SBI(Sweep A/c)	1,33,92,537

The balance of funds remaining in the UNCTAD, NFDB and Fund for Replacement of Fishing Vessel funds have not been invested inFixed Deposits as these are running accounts from which payment of revenue nature have to be made periodically.

6. Stock and Spares as on 31.03.2021 is ₹ 1,05,23,213/-includes:-

(i) Stock of priced publication, forms, Stationary & Stamp - ₹ 29,08,091/-
(ii) Stock of Chemicals & reference standards - ₹ 76,15,122/-

(Stock and spares are valued at cost) **Total - ₹ 1,05,23,213/-**

7 (a) A sum of ₹ 13,64,898/-shown outstanding towards loans and advances to staff refers to various advances providedto staff. The recovery of principal is made first. Interest repayment is made only after principal is fully repaid. Interest income is recognized only on receipt basis. No provision is made for receivables for the year as is the normal practice.

(b) Every year MPEDA makes Budget provision under Plan and Non-Plan for meeting Pension and other retirement benefits to the stafffor that particular year and the expenditure is met from the

जारी की गई निधियों से की जाती है। वर्ष 2020-21 दौरान भी ऐसा ही किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2009-10 से कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वर्ष 2020-2021 के दौरान दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नया वास्तविक मूल्यांकन किया गया है तथा लेखा बहियों में दोनों लाभ और हानि खाते एवं तुलन पत्र में प्रावधान किया गया है। सेवा निवृत्ति एवं सेवांत लाभ के लिए कोई अलग आरक्षित निधि नहीं है। तथा इसे आय और व्यय लेखे में प्रभावित नहीं किया गया है। प्रतिबद्धताएं सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजन के लिए जारी की गई निधियों के अधीन हैं।

विवरण	राशि (₹)
अधिवर्षिता एवं अन्य सेवांत लाभ	1,79,89,13,697
उपदान	11,63,82,437
अवकाश नकदीकरण	8,61,22,666
कुल	**2,00,14,18,800**
लाभ और हानि खाते में समायोजन (चालू वर्ष)	78,02,832
लाभ और हानि खाते में समायोजन (गत वर्ष)	1,33,47,090
तुलनपत्र में समायोजन	1,98,02,68,878

8. वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मेले के सहभागीदारों (निर्यातकों) से प्राप्त स्टॉल किराया अग्रिम के रूप में प्राप्त आय को (आईईबीआर) अनुबंध 14 में दर्शाया गया है।

9. मियादी निक्षेपों पर अर्जित ब्याज को विभागीय प्राप्तियों में लिया गया है। सभी विभागीय प्रप्तियों (आईईबीआर) को अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत लिया गया है। (पूर्व गैरयोजना)

10. जून 2017 तक ब्याज सहित सी लैब से प्राप्य राशि ₹ 2,30,29,791/- (बकाया राजस्व शेयर ₹ 1,51,45,196/-, प्राप्य अन्य व्यय ₹ 22,50,252/- और ब्याज ₹ 56,34,343/-) रिपोर्ट की गई है। 2018-19 की अवधि तक बकाया राशि ₹ 2.79 करोड़ थी और उसी का हिसाब प्राप्य खातों के रूप में था। समझौते के अनुसार, प्रति वर्ष 18 की दर से बकाए पर ब्याज होता है।

11. अनुदानों, सब्सिडी पर व्यय (अनुसूची 22) में स्थापना/प्रशासन और परिसंपत्तियों के अर्जन पर योजना व्यय सम्मिलित नहीं है।

12. ₹ 56,93,176/- का डीसीपीएस अंशदान, इस श्रेणी में आनेवाले कर्मचारियों के लाभार्थ, अंशदाई पेंशन योजना में नियोक्ता के अंशदान का द्योतक है। दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि के लिए नियोक्ता के अंशदान के साथ कर्मचारियों के हिस्से के रूप में प्राप्त अंशदान को अनुमोदित निधि प्रबंधक (एक्सिस बैंक) में अंतरित किया जा चुका है।

13. ए एम सी अनुबंध और बीमा से संबंधित भुगतान सामान्यतः एक वर्ष के लिए होता है, तथा अगले वित्तीय वर्ष से संबंधित व्यय के भाग को पूर्व भुगतान के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

14. वर्ष 2020-21 के लिए पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाओं, दूरभाष, किराया, दरें और कर, एचआरडी व्यय, डाक और तार, एचआरए व्यय, मुद्रण और लेखन सामग्री, प्रशिक्षुओं के लिए स्टाइपेंड इत्यादि जैसे व्ययों को अशोधित व्यय के रूप में गणना की गई।

15. अनुदान/इमदाद

क) सहायता के रूप में नेटफिश को इस वर्ष के दौरान ₹ 1.50 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई। नाक्सा कार्यकलापों के लिए सहायता के रूप में ₹ 4.50 करोड़ रुपये दिए गए। इसके अलावा,राजीव गांधी

funds released by the Ministry. The same was done during the year 2019- 2020 also. In addition to this, the retirement benefits payable to employees have been provided on actuarial valuation basis from 2009-10 onwards. During the year 2020-2021 a fresh actuarial valuation for the retirement benefits payable to employees as on 31.03.2021 has been made and provisions made in the books of accounts both profits and Loss Account and Balance sheet. There is no separate reserve fund for retirement/terminal benefits and not charged under Income & Expenditure Account. The commitments are subjected to release offunds by the Government towards the specific purpose.

Particulars	Amount (₹)
Superannuation & Other Retirement Benefit	1,79,89,13,697
Gratuity	11,63,82,437
Leave Encashment	8,61,22,666
Total	**2,00,14,18,800**
Adjustment of Profit & Loss A/c (Current Year)	78,02,832
Adjustment in Profit & Loss A/C (Previous Years)	1,33,47,090
Adjustment in Balance Sheet	1,98,02,68,878

8. The income received as stall rent and stall rent advance from the co-participants (exporters) of International fairs during the year is accounted as Income (IEBR) and shown under Schedule 14.

9. The interest earned on fixed deposits is taken under departmental receipts. All departmental receipts (IEBR) were taken under other administrative expense (earlier non-plan).

10. The dues amount receivable from Sea lab including interest up to June 2017 is reported as ₹ 2,30,29,791(outstanding revenue share ₹ 1,51,45,196, other expenses to be received ₹ 22,50,252 and interest ₹ 56,34,343). Dues up to the period 2018-19 was ₹ 2.79 Crore and same is accounted as accounts receivable. As per the agreement, interest@18% per annum is applicable on dues.

11. The expenditure on grants, subsidies (Schedule 22) does not include plan expenditure on establishment/ administration and acquisition of assets.

12. DCPS contribution of ₹ 56,93,176/- refers to contribution of the employer to contributory Pension Scheme for the benefit of employees falling under the category. Contribution received as employee's share together with employer's contribution for the period up to 31.03.2021have already been transferred to the approved Fund Managers (Axis Bank).

13. The payment relates to AMC Contract and Insurance is usually for one year and the part of expenses related to the next financial year is accounted as Pre-payments.

14. The expenses such as Books & periodicals, Telephone, Rent, rates & taxes, HRD expenses, postage & telegram, HRA expenses, printing & stationery, stipend to trainees etc. outstanding for the year 2020-21 was accounted as outstanding expenses.

15. Grants/ Subsidies

a) An amounts of ₹ 1.50 Crore have been disbursed during the year as Assistance to NETFISH. ₹ 4.50 Crore was given as Assistance to NaCSA activities. Further, ₹ 5.50 Crore was given as

जलकृषि केंद्र को अनुसंधान और विकास कार्यकलाप के लिए सहायता के रूप में ₹ 5.50 करोड़ रुपये और मैक वल्लारपाडम परियोजना के लिए ₹ 68 लाख रुपये जारी किए गए।

ख) वर्ष 2020-2021 के लिए वितरित कुल सब्सिडी ₹ 25,98,66,430/- है। वितरण को दर्शानेवाली सूची अनुबंध-18 के रूप में अलग रूप से संलग्न है जैसे व्यय सब्सिडी से जुडे कार्यकलाप के लिए/उससे संबंधित थी परंतु जिसे प्रत्यक्षतः सब्सिडी सहायता के रूप में नहीं माना जा सका था, उसे अनुबंध-19 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ग) हमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अ ज / अ ज जा निधि के रूप में ₹ 9.98 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसमें से ₹ 2.63 करोड़ रुपये नेटफिश को, ₹ 2.51 करोड़ रुपये नाक्सा और ₹ 2.76 करोड़ रुपये आरजीसीए को अ ज / अ ज जा कल्याण योजना के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए अनुदान के रूप में हस्तांतरित किए गए। एमपीईडीए के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अ ज / अ ज जा समुदाय के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यकलापों के लिए ₹ 2.08 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन कार्यक्रम, एओसी की स्थापना, विविध जलकृषि प्रजातियों पर अ ज / अ ज जा के लिए कृषक बैठक आदि शामिल हैं।

16. अक्वा सिस्टम का संस्थापन

₹ 2.14 करोड की अक्वा प्रणाली के संस्थापन के लिए मेसेर्स ब्लू अक्वा के साथ किए गए करार को पार्टी द्वारा करार के निष्पादन में हुए विलंब के कारण एमपीईडीए द्वारा रद्द कर दिया गया। 4 लाख का ईएमडी एवं ₹ 6,73,810/- का बैंक गारंटी (04.05.2018 को निरस्त किया गया) जो कुल ₹ 10,73,810/- होता है, को ₹ 63,13,992/- के अग्रिम भुगतान के स्थान पर कार्यालय द्वारा रखी गई। शेष ₹ 52,40,182/- राशि मेसेर्स ब्लू अक्वा के पास है। एमपीईडीए के हित की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई एवं मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री सिरि जगन को मेसर्स ब्लू अक्वा के साथ विवाद का निपटारा करने हेतु मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

न्यायालय पहले ही ऐसे आदेश जारी कर चुका हैः

1. अर्जित सामग्री को हटाने के विरुद्ध मेसर्सब्लू अक्वा को कोर्ट द्वारा निरोधाज्ञा आदेश जारी किया गया।
2. इन्वेन्टरी ली गई और अधिवक्ता आयुक्त द्वारा रिपोर्ट की गई। मेसर्स ब्लू अक्वा के पास उपलब्ध सामग्री जिसे कोर्ट द्वारा अटैच किया गया है, का अनुमानित मूल्य 1 करोड से अधिक है।
3. ब्लू एक्वा स्टूडियो के बैंक खाते को केनरा बैंक, जेपी नगर, बैंगलोर द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। कार्यवाही सं 38 दिनांक 17.03.2020 के अनुसार मध्यस्थ ने एमपीईडीए के अनुकूल फैसला दिया।

फैसले के आलोक में मेसर्स ब्लू एक्वा स्टूडियो को (i) ₹ 60,53,629/- (साठ लाख तिरपन हजार छह सौ उनतीस रुपये मात्र) पर प्रति वर्ष 12 की दर पर भविष्य के ब्याज के साथ ₹ 67,45,607/- (सरसठ लाख पैंतालीस हजार छह सौ सात रुपये मात्र) और (ii) ₹ 10,00,000/- (लागत के रूप में), भुगतान करने का निर्देश देते हुए माननीय जिला न्यायालय एर्नाकुलम ने एमपीईडीए के पक्ष में आदेश पारित किया।

मेसर्स ब्लू एक्वा स्टूडियो ने एमपीईडीए के पक्ष में जारी किए गए फैसले को चुनौती देते हुए 28.09.2020 को प्रधान उप न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष मध्यस्थता अपील दी है। हालांकि मेसर्स ब्लू एक्वा स्टूडियो ने फैसले पर रोक लगाने के लिए याचिकाएं दायर की हैं, लेकिन आज तक फैसले पर रोक नहीं लगाई गई है। फैसले के खिलाफ अपील अंतिम सुनवाई और निपटान के लिए प्रधान उप न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष लंबित है, और सुनवाई की अगली तारीख 30.09.2021 के रूप में नोट की गई है।

Assistance to Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture towards Research and Development activity and ₹ 68 Lakh released for MAC Vallarpadam project.

b) Total subsidy disbursed for the year 2020-21 is ₹ 25,98,66,430/-. A list showing disbursement is annexed separately vide Annexure-18. Expenditure which was attributable/ related to subsidy related activity but could not be directly considered as subsidy assistance have been classified under Annexure 19.

c) We have received Rs 9.98 crores as SC/ST fund for the FY 2020-21. Out of this, transferred ₹ 2.63 Crores to NETFISH, ₹ 2.51 Crores to NaCSA & ₹ 2.76 Crores to RGCA as grant for the various activities under SC/ST Welfare plan. Rs 2.08 crores was utilized by Regional offices of MPEDA for various activities for the welfare of SC/ST Community comprises training program, demonstration program, Setting up of AOC's, farmers meet for SC/ST on diversified aqua culture species etc.

16. Installation of Aqua System

The agreements executed with M/s Bloo Aqua for installation of Aqua systems worth ₹ 2.14 Crore was terminated by MPEDA due to delay from party for execution of agreement .The EMD of ₹ 4 Lakh and Bank guarantee for ₹ 6,73,810/- (revoked on 04.05.2018) totaling ₹ 10,73,810/- has been retained by the office against the advance payment of ₹ 63,13,992/-. The balance amount of ₹ 52,40,182/- is lying with M/s Bloo Aqua. In order to safe guard the interest, the legal actions have been initiated and arbitration proceedings are over. Appointed justice (Retd) Sri. Siri Jagan as an arbitrator for settling the dispute with M/s Bloo Aqua.

The Court has already issued orders such as:

1. Injunction Order against alienating the materials procured has been served to M/s Bloo Aqua by the Court.
2. Inventory has been taken and reported by the Advocate Commissioner. The value of materials available with M/s Bloo Aqua which has been attached by the court is approximately more than ₹ 1 crore.
3. The bank account of Blue Aqua studio has been freezed by the Canara bank, JP Nagar, Bangalore As per the proceeding no.38 dated 17.03.2020, the Arbitrator has issued the award in favour of MPEDA.

In light of the Award directing M/s Bloo Aqua Studio to pay (i) ₹ 67,45,607/- (Rupees Sixty Seven Lakhs Forty Five Thousand Six Hundred and Seven only) with future interest on ₹ 60,53,629/- (Rupees Sixty Lakhs Fifty Three Thousand Six Hundred and Twenty Nine only) @ 12% per annum; & (ii) ₹ 10,00,000/- (as costs), the Hon'ble District Court Ernakulam passed an order finding the reliefs in favor of MPEDA.

M/s Bloo Aqua Studio has given Arbitration appeal before the Principal Sub-Court, Ernakulam on 28.09.2020 challenging the Award issued in favor of MPEDA. Though M/s.Bloo Aqua Studio has filed petitions for stay of the award, no stay of the award is granted till date. The appeal against award is pending for final hearing and disposal before the Principal Sub-Court, Ernakulam, and the next date for hearing is noted as 30.09.2021.

एमपीईडीए ने दिनांक 07/09/2020 को मेसर्स ब्लू एक्वा स्टूडियो की संपत्ति की कुर्की और बिक्री के लिए सीसीएच 83 LXXXII अडीशनल सिटी सिविल सेशन्स जड्ज, वाणिज्यिक अदालत, बेंगलुरु के समक्ष निष्पादन कार्यवाही दायर की है। मेसर्स ब्लू एक्वा स्टूडियो ने बैंगलोर में दायर निष्पादन याचिका की संधार्यता को चुनौती दी, और पार्टियों को सुनने के बाद, मेसर्स ब्लू एक्वा स्टूडियो द्वारा दायर संधार्यता याचिका को माननीय वाणिज्यिक न्यायालय, बैंगलोर द्वारा दिनांक 06.04.2021के आदेश द्वारा ₹ 2,000/- लागत के साथ मुलतवी किया गया एवं एमपीईडीए के पक्ष में माननीय जिला न्यायालय, एर्नाकुलम के आदेश के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। कोविड-19 के आलोक में जारी सरकारी निर्देशों को देखते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए दिनांक 30.07.2021 को रखा गया है।

17. वर्ष 2007-08 से प्राधिकरण आय व व्यय तथा तुलन पत्र की तैयारी में लेखाकरण के प्रोद्‌भवन आधार को अपनाता है।

18. अधिकांश निवेश अल्पावधि निक्षेपों में किए गए थे।

19. वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक की अवधि में वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के लिए सेवा कर मांग और अपील वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सबका विकास (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019 के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जमा ₹ 10,08,286/- सेवा कर अपील शुल्क निक्षेप का समायोजन करके निपटाया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जीएसटी पंजीकरण (राज्य वार) लिया गया था तथा जीएसटी एकत्रित और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग को प्रेषित किया जाता है और निर्धारित समय के भीतर मासिक और वार्षिक रिटर्न फाइल किया जाता है।

20. एमपीईडीए ने दिनांक 07.03.1981 को मुलवुकाड गॉव के वल्लारपाडम में मेसर्स टी स्टेंस एंड कंपनी लिमि., कोयम्बत्तूर से ₹ 2,81,516/- राशि की जमीन खरीदी। स्वत्त विलेख के अनुसार, एमपीईडीए ने कणयन्नूर तालुका, वल्लारपाडम देशम, एर्णाकुलम जिले में 8 एकड़ 91.29 सेंट जमीन खरीदी।

लेखा परीक्षा प्रश्न के आधार पर, अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर, एर्णाकुलम को जमीन के पुन सर्वे करने के लिए पत्र लिखा एवं दिनांक 22 एवं 23 नवंबर 2018 को कणयन्नूर तालुका के सर्वेक्षण विभाग ने सर्वे किया। सर्वे के अनुसार, एमपीइडीए, वल्लारपाडम जमीन का मौजूदा माप निम्नानुसार है।

सर्वे किया गया कुल क्षेत्र	03.5546 हेक्टेयर (08.78335 एकड़)
बीटीआर के अनुसार कुल क्षेत्र	03.6070 (08.912775 एकड़)

जिला कलेक्टर एर्णाकुलम के निदेशानुसार, विजिलन्स एंटी करेप्शन ब्यूरो, एर्णाकुलम के साथ साथ राजस्व सतर्कता द्वारा भी जांच की गई। उपर्युक्त एजेंसियों के निदेशानुसार, उस समय के उप निदेश (प्रशा.) क्रमश दिनांक 19.07.2019 एवं 20.07.2019 को जांच के लिए उपस्थित हुए एवं एमपीईडीए की टिप्पणी प्रस्तुत की। इस संबंध में आगे प्राधिकरण से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

21 पेंशनभोगियों को 7वें सीपीसी एरियर लागू करने पर देय राशि ₹ 9.11 करोड़ (अनंतिम) थी। मंत्रालय ने पेंशनभोगियों को एमपीईडीए के पास धन की उपलब्धता के अधीन 7 वें वेतन आयोग लाभ की मंजूरी दी है। तदनुसार, हमने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पेंशन बकाया के ₹ 3.77 करोड़ का भुगतान किया है। अतिरिक्त पेंशन भुगतान को समायोजित करने के बाद बकाया राशि जारी किया गया है और सभी देय राशि/ बकाया का भुगतान वित्त वर्ष 2020-21 में किया गया है।

22 इन आँकडों को, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ है, आपस में जोड़ा गया है।

दीपा		के. एस. श्रीनिवास
मुख्य लेखा अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष

MPEDA has filed Execution Proceedings on 07/09/2020 for attachment and sale of assets of M/s. Bloo Aqua Studio, before the CCH-83 LXXXII ADDL CITY CIVIL AND SESSIONS JUDGE (Commercial court), Bengaluru. M/s.Bloo Aqua Studio challenged the maintainability of the Execution Petition filed in Bangalore, and after hearing the parties, the maintainability petition filed by M/s.Bloo Aqua Studio has been set aside by the Hon'ble Commercial Court, Bangalore, vide Order dated 06.04.2021 with cost of ₹ 2,000/- and status quo has been directed to be maintained as per order of the Hon'ble District Court, Ernakulam in favor of MPEDA. The case is next posted for hearing on 30.07.2021 given the Governmental directives issued in light of Covid-19.

17. The Authority follows accrual basis of accounting for the preparation of Income & Expenditure and Balance Sheet w.e.ffinancial year 2007-08.

18. Most of the investments were on short term deposits.

19. The service tax demands and appeals for the period 2014-15 to 2016-17 covering the period w.e.f 2010-11 to 2016-17 was settled during the FY 2019-20 under "SabkaVishwas (Legacy dispute resolution) scheme 2019", by adjusting the service tax appeal fee deposit of ₹ 10,08,286/- deposited in the FY 2015-16.GST registration (state e wise) was taken during FY 2017-18 and GST is collecting & remitting to Central Excise & Customs Department and filing the monthly and annual returns within stipulated time.

20. MPEDA has purchased a land at Vallarpadam in Mulavukad Village on 07.03.1981 from M/s. T Stanes and Company Ltd., Coimbatore for an amount of ₹ 2,81,516/-. As per title deed, MPEDA purchased 8 acres and 91.29 cents of land in KanayannurTaluk, Vallarpadam Desam in Ernakulam District.

    Based on the audit query, Chairman had written a letter to the District Collector, Ernakulam to conduct a resurvey of the land and the survey was conducted on 22nd and 23rd November 2018 by the Survey Department of Kanayannur Taluk. As per the survey, the present measurement of MPEDA Vallarpadam land is detailed below:

Total area as surveyed	03.5546 Hectare (08.78335 Acres)
Total area as per BTR	03.6070 (08.91275 Acres)

    As ordered by the District Collector, Ernakulum, an enquiry was conducted by the Revenue Vigilance as well as the Vigilance and Anti- Corruption Bureau, Ernakulum. As directed by the above Agencies, the then Deputy Director (Admn) had appeared before the inquiry on 19.07.2019 and 20.07.2019 respectively and submitted MPEDA's comments further in this regard report is awaited from the Authority.

21. The amount payable to the pensioners on implementation of 7th CPC arrears was ₹ 9.11 Crores (Provisional). Ministry has approved the 7th pay commission benefit to the pensioners subject to the availability of funds with MPEDA. Accordingly, we have paid Rs 3.77 Cr of pension arrears during the FY 2019-20. Balance dues are released after adjusting excess pension payment and all the dues/ arrears are settled in the FY 2020-21.

22. The figures have been clubbed together wherever necessary.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER   SECRETARY   CHAIRMAN

अनुबंध 1 चिह्नित/स्थाई निधि

	महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा निधि	ईपीएस निधि	जीपीएफ निधि	मत्स्यन यान को हटाने केलिए निधि	भारतीय कृषि अनुसंधान निधि (एम पीआर एन एल)	अन्य (यूएनसी टीएडी)	राष्ट्रीय मात्स्यिकी बोर्ड निधि (जलकृषि बीमा एवं एक्यूएफ का विस्तार)	निधि एनएफडीबी (आरजीसीए हैचरी सहायता)	निधि अक्वा अक्वेरिया प्रदर्शनी	पीएमएनएफआर (प्रधान मंत्री राहत निधि)	एमईपीएफ (पेंशन निधि)	सीएसआर निधि	कुल
क) निधियों का अथशेष	2,50,00,000	9,96,38,448	11,64,74,788	8,35,656	15,94,150	1,34,045	20,47,385	2,13,37,665	1,56,16,651	2,10,27,580	38,63,780	-	30,75,70,148
ख) निधियों में अभिवृद्धि													
(i) दान/अनुदान	-	-	-		5,00,000	-	2,30,00,000			-		1,00,000	2,36,00,000
(ii) निधियों से किए गए निवेशों से आय	-	16,46,932	1,55,98,539		-	-	-	7,96,007		-	3,07,904		1,83,49,382
(iii) अन्य अभिवृद्धियाँ	-		1,10,89,316	-	-	-	-	-	1,26,35,569	7,84,439	-		2,45,09,324
(iv) अभिवृद्धि के लिए प्रावधान/ संदिग्ध ऋण		27,54,96,445											27,54,96,445
कुल (क) + (ख)	**2,50,00,000**	**37,67,81,825**	**14,31,62,643**	**8,35,656**	**20,94,150**	**1,34,045**	**2,50,47,385**	**2,21,33,672**	**2,82,52,220**	**2,18,12,019**	**41,71,684**	**1,00,000**	**64,95,25,299**
ब) निम्न के लिए निधियों का उपयोग/ व्यय													-
निधियों के उद्देश्य													-
I पूंजी व्यय													-
- स्थाई परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-				-		-
- अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
कुल (i)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. - राजस्व व्यय													
- वेतन, मज़दूरी व भत्ते आदि	-	-	-	-	13,45,114	-	-			-			13,45,114
- किराया	-	-	-	-	-	-	-				-		-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-		-							-
प्रावधान /अन्य व्यय	-	27,54,96,445	3,22,68,703	-	-	-	2,30,00,000	87,41,135				1,00,000	33,96,06,283
कुल (ii)	-	**27,54,96,445**	**3,22,68,703**	-	**13,45,114**	-	**2,30,00,000**	**87,41,135**	-	-	-	**1,00,000**	**34,09,51,397**
कुल (ग) (i+ii)	-	**27,54,96,445**	**3,22,68,703**	-	**13,45,114**	-	**2,30,00,000**	**87,41,135**	-	-	-	**1,00,000**	**34,09,51,397**
वर्षांत तक निवल शेष (क)+(ख)-(ग)	**2,50,00,000**	**10,12,85,380**	**11,08,93,940**	**8,35,656**	**7,49,036**	**1,34,045**	**20,47,385**	**1,33,92,537**	**2,82,52,220**	**2,18,12,019**	**41,71,684**	-	**30,85,73,903**

Annexure-1 - Earmarked / Endowment funds

	Critical Infrastrucrure Fund	EPS Fund	GPF FUND	Fund for replacement of Fishing Vessel	Indian Agri. Research Fund (MPRNL)	Others (UNCTAD)	National Fisheries Board Fund (AQ Insurance & Expansion of AQF)	Fund NFDB (Hatchery assistance RGCA)	Fund- Aqua Aquaria Show	PMNFR (Prime Ministers Relief Fund)	MEPF (Pension Fund)	CSR Fund	TOTAL
a) Opening balance of the funds	2,50,00,000	9,96,38,448	11,64,74,788	8,35,656	15,94,150	1,34,045	20,47,385	2,13,37,665	1,56,16,651	2,10,27,580	38,63,780	-	30,75,70,148
b) Additions to the funds													
(i) Donations / grants	-	-	-		5,00,000	-	2,30,00,000			-		1,00,000	2,36,00,000
(ii) Income from investment made out of funds	-	16,46,932	1,55,98,539		-	-	-	7,96,007		-	3,07,904		1,83,49,382
(iii) Other additions	-		1,10,89,316	-	-	-	-	-	1,26,35,569	7,84,439	-		2,45,09,324
(iv) Provision for additions / doubtful debts		27,54,96,445											27,54,96,445
TOTAL (a)+(b)	**2,50,00,000**	**37,67,81,825**	**14,31,62,643**	**8,35,656**	**20,94,150**	**1,34,045**	**2,50,47,385**	**2,21,33,672**	**2,82,52,220**	**2,18,12,019**	**41,71,684**	**1,00,000**	**64,95,25,299**
c) Utilisation / Expenditure towards													-
objectives of funds													-
I Capital Expenditure													-
– Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-				-		-
– Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOTAL (i)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ii. Revenue Expenditure													
– Salaries, Wages and allowances etc.	-	-	-	-	13,45,114	-	-			-			13,45,114
– Rent	-	-	-	-	-	-	-				-		-
– Administrative expenses	-	-	-	-		-							-
– Provisions/Other Expenses	-	27,54,96,445	3,22,68,703	-	-	-	2,30,00,000	87,41,135				1,00,000	33,96,06,283
TOTAL (ii)	**-**	**27,54,96,445**	**3,22,68,703**	**-**	**13,45,114**	**-**	**2,30,00,000**	**87,41,135**	**-**	**-**	**-**	**1,00,000**	**34,09,51,397**
TOTAL (c) (i + ii)	**-**	**27,54,96,445**	**3,22,68,703**	**-**	**13,45,114**	**-**	**2,30,00,000**	**87,41,135**	**-**	**-**	**-**	**1,00,000**	**34,09,51,397**
NET BALANCE AS AT THE YEAR - END (a) + (b) - (c)	**2,50,00,000**	**10,12,85,380**	**11,08,93,940**	**8,35,656**	**7,49,036**	**1,34,045**	**20,47,385**	**1,33,92,537**	**2,82,52,220**	**2,18,12,019**	**41,71,684**	**-**	**30,85,73,903**

अनुसूचियों के अनुलग्नक

अनुबंध - 2 (राशि ₹)

प्राप्य अग्रिम	31.03.2021	31.03.2020
ई एम डी मुख्यालय	30,49,796	71,96,246
ई एम डी क्षेत्रीय केन्द्र, विजयवाडा	40,000	40,000
ई एम डी क्षेत्रीय केन्द्र, पनवेल	9,000	9,000
ई एम डी व्यापार संवर्धन कार्यालय, नई दिल्ली	9,000	9,000
प्रतिभूति निक्षेप मुख्यालय	59,96,690	39,06,903
कुल	**91,04,486**	**1,11,61,149**

अनुबंध - 3 (राशि ₹)

सांविधिक देयताएं	31.03.2021	31.03.2020
प्रतिनियुक्ति पर सी जी आई एस/ एल आई सी	16,463	17,843
डी सी पी एस अंशदाई भविष्य निधि वसूली	18,11,886	18,26,116
जी आई एस सामूहिक बीमा योजना		
प्रतिनियुक्ति पर सामान्य भविष्य निधि अंशदान	77,364	1,00,674
प्रतिनियुक्ति पर जी पी एफ ऋण वसूली	-	-
आयकर	7,86,700	4,12,190
वेतन कटौती-जीपीएफ ऋण वसूली	3,65,660	10,66,535
वेतन कटौती-जीपीएफ अंशदान	12,07,288	27,21,838
व्यावसायिक कर वेतन के अलावा	-	-
कुल	**42,65,361**	**61,45,196**

अनुबंध - 4 (राशि ₹)

अन्य चालू देयताएं	31.03.2021	31.03.2020
न्यायालय अटैचमेंट	50,761	18,761
सेन्ट्रल सर्विस कोऑपरेटीव सोसाइटी	14,16,220	15,18,547
एच डी एफ सी	-	-
जीवन बीमा निगम	2,07,178	2,28,552
प्रतिनियुक्ति पर एम सी ए	-	-
एम पी ई डी ए उपभोक्ता सोसाइटी	1,800	1,800
एम पी ई डी ए कर्मचारी कल्याण निधि	1,77,217	1,93,057
देय वेतन (मुख्यालय)	94,92,381	1,05,75,181
देय वेतन संयुक्त निदेशक, विजयवाडा	425	425
देय वेतन (तंजावूर)	2,288	2,288
देय वेतन - उप क्षेत्रीय कार्यालय, रत्नागिरी	832	832
टीडीएस देय	3,37,534	2,01,290
स्टॉफ क्लब अंशदान	6,340	3,160
अर्बन कोओपरेटीव सोसाइटी	3,790	3,790
बकाया व्यय	94,55,983	40,17,865
एच आर डी	1,23,038	93,744
अन्य वसूलियाँ	8,17,496	6,62,156

Annexures to Schedules

Annexure-2

(Amount -₹)

Advances Received	31.03.2021	31.03.2020
EMD HO	30,49,796	71,96,246
EMD RC VIJAYAWADA	40,000	40,000
EMD RC Panvel	9,000	9,000
EMD TPO New Delhi	9,000	9,000
Security Deposit HO	59,96,690	39,06,903
TOTAL	**91,04,486**	**1,11,61,149**

Annexure-3

(Amount -₹)

Statutory Liabilities	31.03.2021	31.03.2020
CGIS / LIC on Deputaion	16,463	17,843
DCPS. Contributory PF Recovery	18,11,886	18,26,116
GIS Group Insurance Scheme		
GPF Subscription Deputation	77,364	1,00,674
GPF Loan Recovery on Deputation	-	-
Income Tax	7,86,700	4,12,190
Salary deductions - GPF Loan Recovery	3,65,660	10,66,535
Salary deductions - GPF Subscription	12,07,288	27,21,838
professional tax other than salary	-	-
TOTAL	**42,65,361**	**61,45,196**

Annexure-4

(Amount -₹)

Other Current Liabilities	31.03.2021	31.03.2020
Court attachment	50,761	18,761
Central Service Co-operative Society	14,16,220	15,18,547
HDFC	-	-
LIC	2,07,178	2,28,552
MCA on deputation	-	-
MPEDA Consumer Society	1,800	1,800
MPEDA Employees welfare Fund	1,77,217	1,93,057
Salary payable (HO)	94,92,381	1,05,75,181
Salary payable JD VIJAYAWADA	425	425
Salary payable (Thanjavur)	2,288	2,288
Salary Payable - SRO Ratnagiri	832	832
TDS Payable	3,37,534	2,01,290
Staff Club Subscription	6,340	3,160
Urban Cooperative Society	3,790	3,790
Outstanding expenses	94,55,983	40,17,865
HRD	1,23,038	93,744
Other Recoveries	8,17,496	6,62,156

जारी......		
अन्य (देय लेखे)	7,44,37,020	4,53,97,297
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2016	-	-
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2018	46,944	46,944
अक्वाअक्वेरिया इंडिया 2017	15,000	-
सेवा कर	-	-
कृषि कल्याण सेज़ रसीदी	20,129	20,129
स्वच्छ भारत सेज़	-	-
नाक्सा योजनाएं	1,62,100	1,62,100
सीजीएसटी एवं एसजीएसटी	(4,69,104)	1,47,385
जीएसटी सेस - केरल बाढ़	3,473	779
जीएसटी टीडीएस (जीएसटी भुगतान पर टीडीएस)	3,40,575	1,48,528
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2020	6,22,815	27,96,941
देय वेतन - उ.क्षे.प्र. रत्नागिरी	2,080	2,080
देय वेतन - क्षे.का. विज़ाग	-	656
देय वेतन - क्षे.के. कोचीन	11,033	11,033
देय वेतन - क्षे.के. पनवेल	600	630
देय वेतन - प्रयोगशाला, भीमावरम	400	
देय वेतन - प्रयोगशाला, नेल्लूर	23,360	
देय वेतन - क्षे.के. भुवनेश्वर	3,000	
देय वेतन - क्षे.का. चेन्नई	9,346	
देय वेतन - क्षे.का. मुंबई	200	
देय वेतन - उ.क्षे.के, कारवार	600	
देय वेतन - क्षे.का. कोलकाता	1,883	1,923
देय वेतन - साटलाईट केन्द्र, नेल्लूर	800	200
देय वेतन - उ.क्षे.के. भीमावरम	9,200	3,600
देय वेतन - उ.क्षे.का. भुवनेश्वर	1,800	1,800
वेतन कटौतियां -	7,370	12,010
वेतन कटौतियां - वृत्ति कर	24,063	16,452
कुल क	**9,73,67,969**	**6,62,91,934**
कमी		
वेतन कटौती - प्रतिनियुक्ति पर जीपीएफ ऋण वसूली	21,300	21,300
वेतन कटौतियां - समूह बीमा योजना	21,162	32,812
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	5,81,332	
कुल ख	**6,23,794**	**55,998**
कुल	**9,67,44,175**	**6,62,35,936**

Contd......		
Others (Accounts Payable)	7,44,37,020	4,53,97,297
India International Seafood Show 2016	-	-
India International Seafood Show 2018	46,944	46,944
Aqua Aquaria India 2017	15,000	-
Service Tax	-	-
Krishi Kalyan cess receipt	20,129	20,129
Swach Bharat cess	-	-
NaCSA - Schemes	1,62,100	1,62,100
CGST & SGST	(4,69,104)	1,47,385
GST Cess - Kerala Flood	3,473	779
GST TDS (TDS on GST payment)	3,40,575	1,48,528
India International Seafood Show 2020	6,22,815	27,96,941
Salary Payable - SRD Ratnagiri	2,080	2,080
Salary Payable - RO Vizag	-	656
Salary Payable - RC Cochin	11,033	11,033
Salary Payable - RC Panvel	600	630
Salary Payable - Lab Bhimavaram	400	
Salary Payable - Lab Nellore	23,360	
Salary Payable - RC Bhubaneswar	3,000	
Salary Payable - RO Chennai	9,346	
Salary Payable - RO Mumbai	200	
Salary Payable - SRC Karwar	600	
Salary Payable - RO Kolkata	1,883	1,923
Salary Payable - Satellite Centre Nellore	800	200
Salary Payable - SRC Bhimavaram	9,200	3,600
Salary Payable - SRO Bhubaneswar	1,800	1,800
Salary deductions -	7,370	12,010
Salary deductions - Professional Tax	24,063	16,452
TOTAL A	**9,73,67,969**	**6,62,91,934**
Less		
Salary dedn - GPF Loan Recovery on Deputation	21,300	21,300
Salary deductions - Group Insurance Scheme	21,162	32,812
Leave salary and Pension Contribution	5,81,332	
TOTAL B	**6,23,794**	**55,998**
TOTAL	**9,67,44,175**	**6,62,35,936**

अनुबंध - 5

(राशि (₹)

ईपीएस इक्विटी सहभागिता निधि निवेश लागत पर इक्विटी शेयरों में ईपीएस निवेश	31.03.2021	31.03.2020
अंडमान फिशरीज़, पोर्ट ब्लेअर	3,30,000	3,30,000
बे लाइनर्स, हैदराबाद	27,00,000	27,00,000
ब्लू गोल्ड मारिटेक, चेन्नई	5,00,000	5,00,000
कोरोमन्डल फिशरीज़, हैदराबाद	24,75,000	24,75,000
डी सी एल मारिटेक, हैदराबाद	35,00,000	35,00,000
फिशिंग फाल्कन्स लिमिटड, हैदराबाद	49,00,000	49,00,000
इन्डो अक्वाटिक्स, हैदराबाद	36,00,000	36,00,000
इंटीग्रेटड रूबियन एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड	30,00,000	30,00,000
कल्याण सीफूड्स, हैदराबाद	34,48,000	34,48,000
किंग इन्टरनैशनल अक्वा मराइन, कोल्लम	50,00,000	50,00,000
कोलुत्तरा एक्स्पोर्ट्स, कोचीन	2,90,000	2,90,000
लक्षद्वीप शिल्पी अक्वा, कोचीन	30,00,000	30,00,000
मीनम फिशरीज़ लिमि., चेन्नई	-	-
ओशियन बाउंटी, कोचीन	4,40,000	4,40,000
ओशियानिक एन्टरप्राइसेस लिमि., भुवनेश्वर	4,00,000	4,00,000
ओरिक्वा लिमि., कोलकाता	-	-
रॉय्स मराइन प्रोडक्टस लिमि., हैदराबाद	-	-
एस.के बिगस्टार फुड्स लिमि., विज़ाग	-	-
समुदिरा मराइन फार्मस् लिमि.	5,00,000	5,00,000
सुदेश सीफूड्स, मुंबई	36,00,000	36,00,000
सम्मुरा मारीटाइम ट्रेड्स, हैराबाद	12,07,700	12,07,700
सूर्य चक्र सीफूड्स, हैदराबाद	25,00,000	25,00,000
सूर्यो फुड्स लिमि. भुवनेश्वर	-	-
सुवर्णा अक्वा फार्म्स, हैदराबाद	50,00,000	50,00,000
टेक्नोमिन अक्वा एक्स्पोर्ट्स, विजयवाड़ा	16,00,000	16,00,000
तिरुमाला फुजी टेक, हैदराबाद	50,00,000	50,00,000
विजया श्रिम्प फार्म, हैदराबाद	25,00,000	25,00,000
कुल	**5,54,90,700**	**5,54,90,700**

अनुबंध - 6

(राशि (₹)

अन्य	31.03.2021	31.03.2020
एफ डी सामान्य भविष्य निधि	11,34,72,435	11,56,31,036
पेंशन निधि	41,54,292	38,46,388
पेंशन निधि बचत बैंक खाता (एमईपीएफ)	17,392	17,392
सामान्य भविष्य निधि बचत बैंक खाता	38,36,962	72,95,209
सावाधि जमा - आईआईएसएस प्रदर्शनी निधि	5,85,38,251	4,53,65,437
निवेश - ईपीएस	-	-
सावधि जमा - अक्वा अक्वेरिया प्रदर्शनी निधि	1,77,72,891	1,67,38,116
बैंक शेष - आईआईएसएस प्रदर्शनी निधि	85,29,198	3,01,84,803
बैंक शेष - अक्वा अक्वेरिया प्रदर्शनी निधि	1,83,24,220	29,61,734
कुल	**22,46,45,641**	**22,20,40,115**

Annexure-5

(Amount -₹)

EPS - Equity Participation Fund Investment EPS Investment in Equity shares at cost	31.03.2021	31.03.2020
Andaman Fisheries ,Port Blair	3,30,000	3,30,000
Bay Liners, Hyderabad	27,00,000	27,00,000
Blue Gold Maritech ,Chennai	5,00,000	5,00,000
Coromandel Fisheries,Hyderabad	24,75,000	24,75,000
DCL Maritech, Hyderabad	35,00,000	35,00,000
Fishing Falcons Ltd ,Hyderabad	49,00,000	49,00,000
Indo Aquatics,Hyderabad	36,00,000	36,00,000
Integrated Rubian Exports Ltd	30,00,000	30,00,000
Kalyan sea foods,Hyderabad	34,48,000	34,48,000
King International Aqua Marine,Quilon	50,00,000	50,00,000
Koluthara Exports,Cochin	2,90,000	2,90,000
Lakshadeep Shilpi Aqua,Cochin	30,00,000	30,00,000
Meenum Fisheries Ltd., Chennai	-	-
Ocean Bounty,Cochin	4,40,000	4,40,000
Oceanic Enterprises Ltd, Bhubaneswar	4,00,000	4,00,000
Oriqua Ltd., Kolkata	-	-
Royce Marine Products Ltd, Hyderabad	-	-
S K Bigstar Foods Ltd, Vizag	-	-
Samudira Marine Farms Ltd	5,00,000	5,00,000
Sudhesh Sea Foods,Bombay	36,00,000	36,00,000
Summura Maritime Trades ,Hyderabad	12,07,700	12,07,700
Surya chakra Sea Foods,Hyderabad	25,00,000	25,00,000
Suryo Foods Industries Ltd, Bhubaneswar	-	-
Suvarna Aqua Farms ,Hyderabad	50,00,000	50,00,000
Technomin Aqua Exports,Vijayawada	16,00,000	16,00,000
Thirumala Fuji Tech ,Hyderabad	50,00,000	50,00,000
Vijaya Shrimp Farm,Hyderabad	25,00,000	25,00,000
TOTAL	**5,54,90,700**	**5,54,90,700**

Annexure-6

(Amount -₹)

Others	31.03.2021	31.03.2020
FD GPF	11,34,72,435	11,56,31,036
Pension Fund	41,54,292	38,46,388
SB A/C PENSION FUND (MEPF)	17,392	17,392
SB A/C GPF	38,36,962	72,95,209
Fixed Deposit - IISS show fund	5,85,38,251	4,53,65,437
Investments - EPS	-	-
Fixed Deposit - -Aqua Aquaria show fund	1,77,72,891	1,67,38,116
Bank balance - IISS show fund	85,29,198	3,01,84,803
Bank balance - Aqua Aquaria show fund	1,83,24,220	29,61,734
TOTAL	**22,46,45,641**	**22,20,40,115**

अनुबंध - 7 क

(राशि (₹)

नकद शेष	31.03.2021	31.03.2020
मुख्यालय	-	17
प्रयोगशाला नेल्लूर	-	378
लक्षद्वीप कार्यालय	-	246
क्षेत्रीय प्रभाग कोचीन	17	-
क्षेत्रीय प्रभाग मुंबई	257	-
उप क्षेत्रीय प्रभाग तूत्तीकोरिन	1,098	-
व्यापार संवर्धन कार्यालय जापान	494	-
कुल	**1,866**	**641**

अनुबंध - 7 ख

(राशि ₹)

अग्रदाय नकद शेष	31.03.2021	31.03.2020
क्षेत्रीय कार्यालय वेरावल	90	870
प्रयोगशाला भीमावरम	630	200
प्रयोगशाला नेल्लोर	627	668
क्षेत्रीय प्रभाग भुवनेश्वर	-	425
क्षेत्रीय प्रभाग कोच्ची	99	55
क्षेत्रीय प्रभाग पनवेल	840	440
क्षेत्रीय प्रभाग तंजावूर	524	-
क्षेत्रीय प्रभाग वलसाड	342	99
क्षेत्रीय प्रभाग चेन्नई	635	695
क्षेत्रीय प्रभाग कोलकाता	155	254
क्षेत्रीय प्रभाग मुंबई	-	890
क्षेत्रीय प्रभाग विशाखपट्टनम	500	500
उप क्षेत्रीय प्रभाग भीमावरम	420	420
उप क्षेत्रीय प्रभाग कारवार	-	142
उप क्षेत्रीय प्रभाग भीमावरम	421	-
उप क्षेत्रीय प्रभाग भुवनेश्वर	-	421
उप क्षेत्रीय प्रभाग गोआ	-	182
उप क्षेत्रीय प्रभाग मौंगलूर	500	500
उप क्षेत्रीय प्रभाग पोरबंदर	60	185
उप क्षेत्रीय प्रभाग तूत्तीकोरिन	-	1,000
व्यापार संवर्धन कार्यालय, नई दिल्ली	-	394
कुल	**5,843**	**8,340**
अनुबंध (7क + 7ख) का योग	**7,709**	**8,981**

Annexure-7 A

(Amount -₹)

Cash Balance	31.03.2021	31.03.2020
Head Office	-	17
Lab Nellore	-	378
Lakshadweep office	-	246
RD Cochin	17	-
RD Mumbai	257	-
SRD Tuticorin	1,098	-
TPO Japan	494	-
TOTAL	**1,866**	**641**

Annexure-7 B

(Amount -₹)

Imprest Cash Balance	31.03.2021	31.03.2020
RO Veraval	90	870
Lab Bhimavaram	630	200
Lab Nellore	627	668
RD Bhubaneswar	-	425
RD Cochin	99	55
RD Panvel	840	440
RD Thanjavur	524	-
RD Valsad	342	99
RD Chennai	635	695
RD Kolkata	155	254
RD Mumbai	-	890
RD Vishakapatnam	500	500
SRD Bhimavaram	420	420
SRD Karwar	-	142
SRD Bhimavaram	421	-
SRD Bhubaneswar	-	421
SRD Goa	-	182
SRD Mangalore	500	500
SRD Porbandar	60	185
SRD Tuticorin	-	1,000
TPO New Delhi	-	394
TOTAL	**5,843**	**8,340**
Total of Annexure(7 A+ 7B)	**7,709**	**8,981**

अनुबंध - 8

(राशि ₹)

बैंक में नकद	31.03.2021	31.03.2020
एक्सिस बैंक	11,06,782	1,01,007
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एरणाकुलम	7,843	13,44,702
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	9,288	10,704
प्रयोगशाला, भीमावरम	9,42,223	6,04,760
प्रयोगशाला, नेल्लोर	3,47,800	2,83,851
लक्षद्वीप	17,245	82,290
क्षेत्रीय प्रभाग भुवनेश्वर	11,03,074	28,031
क्षेत्रीय प्रभाग कोचीन	9,09,397	3,91,567
क्षेत्रीय प्रभाग पनवेल	12,86,709	5,87,676
क्षेत्रीय प्रभाग नागपट्टिनम	11,12,811	5,02,438
क्षेत्रीय प्रभाग वल्साड	13,21,289	19,45,847
क्षेत्रीय प्रभाग विजयवाडा	1,01,12,578	20,28,317
क्षेत्रीय प्रभाग चेन्नई	5,47,171	3,29,587
क्षेत्रीय प्रभाग कोलकाता	61,98,106	6,91,222
क्षेत्रीय प्रभाग मुंबई	2,65,067	7,75,984
क्षेत्रीय प्रभाग वेरावल	69,10,022	66,21,771
क्षेत्रीय प्रभाग विशाखपट्टनम	10,71,396	3,87,196
एसबीआई मुख्यालय (कर 67397839900)	3,40,423	5,23,724
एस बी आई, पनंपिल्ली नगर	22,08,00,075	18,95,21,098
एसबीआई मुख्यालय (रसीद खाता 67396510751)	26,51,380	70,20,340
उप क्षेत्रीय प्रभाग भीमावरम	19,27,323	13,30,898
उप क्षेत्रीय प्रभाग कण्णूर	-	1,45,286
उप क्षेत्रीय प्रभाग कारवार	-	66,605
उप क्षेत्रीय प्रभाग भीमावरम	4,21,697	9,38,964
उप क्षेत्रीय प्रभाग गोआ	-	47,443
उप क्षेत्रीय प्रभाग गुवाहाती	1,05,461	46,458
उप क्षेत्रीय प्रभाग मैंगलूर	5,92,191	1,68,864
उप क्षेत्रीय प्रभाग पोरबंदर	20,49,752	20,10,055
उप क्षेत्रीय प्रभाग तूत्तीकोरिन	88,290	2,70,264
व्यापार संवर्धन कार्यालय, जापान	16,95,544	2,10,796
व्यापार संवर्धन कार्यालय, नई दिल्ली	4,17,423	4,17,278
व्यापार संवर्धन कार्यालय, न्यूयॉर्क	5,74,539	94,20,334
उप क्षेत्रीय प्रभाग रत्नागिरी	-	1,96,112
उप क्षेत्रीय प्रभाग हैदराबाद	74,199	49,369
व्यापार संवर्धन कार्यालय, जापान (डॉलर खाता)	1,44,618	1,44,618
कुल	**26,51,51,718**	**22,92,45,455**

Annexure-8

(Amount -₹)

Cash At Bank	31.03.2021	31.03.2020
Axis Bank	11,06,782	1,01,007
Central Bank of India - Ernakulam	7,843	13,44,702
Central Bank of India - New Delhi	9,288	10,704
Lab Bhimavaram	9,42,223	6,04,760
Lab Nellore	3,47,800	2,83,851
Lakshwadweep	17,245	82,290
RD Bhubaneswar	11,03,074	28,031
RD Cochin	9,09,397	3,91,567
RD Panvel	12,86,709	5,87,676
RD Nagapattinam	11,12,811	5,02,438
RD Valsad	13,21,289	19,45,847
RD Vijayawada	1,01,12,578	20,28,317
RD Chennai	5,47,171	3,29,587
RD Kolkata	61,98,106	6,91,222
RD Mumbai	2,65,067	7,75,984
RD Veraval	69,10,022	66,21,771
RD Visakhapatnam	10,71,396	3,87,196
SBI HO (Tax 67397839900)	3,40,423	5,23,724
SBI Panampilly Nagar	22,08,00,075	18,95,21,098
SBI HO (Receipt A/c 67396510751)	26,51,380	70,20,340
SRD Bhimavaram	19,27,323	13,30,898
SRD Kannur	-	1,45,286
SRD Karwar	-	66,605
SRD Bhimavaram	4,21,697	9,38,964
SRD Goa	-	47,443
SRD Guwahati	1,05,461	46,458
SRD Mangalore	5,92,191	1,68,864
SRD Porbandar	20,49,752	20,10,055
SRD Tuticorin	88,290	2,70,264
TPO Japan	16,95,544	2,10,796
TPO New Delhi	4,17,423	4,17,278
TPO New York	5,74,539	94,20,334
SRD Ratnagiri	-	1,96,112
SRD Hyderabad	74,199	49,369
TPO Japan (Dollar account)	1,44,618	1,44,618
TOTAL	**26,51,51,718**	**22,92,45,455**

अनुबंध - 9

(राशि ₹)

ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां	31.03.2021	31.03.2020
कर्मचारी		
कंप्यूटर अग्रिम	1,24,432	1,54,012
गृह निर्माण अग्रिम	6,650	18,050
मोटर वाहन अग्रिम	10,965	18,705
स्कूटर अग्रिम	28,105	33,495
साइकिल अग्रिम	2,175	2,175
त्योहार अग्रिम	6,55,475	7,475
छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	67,750	34,750
दौरा अग्रिम	4,69,346	4,62,936
कुल	**13,64,898**	**7,31,598**

अनुबंध - 10

(राशि ₹)

निक्षेप	31.03.2021	31.03.2020
वेतन के अलावा अन्य व्यावसायिक कर	690	690
विद्युत निक्षेप, मुख्यालय	9,10,582	9,10,582
विद्युत निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	34,080	34,080
विद्युत निक्षेप, टी सी ए वल्लारपाडम	1,64,250	1,64,250
विद्युत निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, कण्णूर	2,12,281	2,12,281
विद्युत निक्षेप, प्रयोगशाला, नेल्लोर	44,000	44,000
विद्युत निक्षेप, प्रयोगशाला, भीमावरम	44,750	44,750
विद्युत निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, नागपट्टिनम	36,474	36,474
विद्युत निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, वलसाड	94,517	94,517
विद्युत निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग,भुवनेश्वर	5,10,989	5,10,989
विद्युत निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, मैंगलोर	64,659	64,659
गैस निक्षेप, टी सी ए वल्लारपाडम	8,900	8,900
गैस निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, मैंगलोर	1,739	1,739
गैस निक्षेप, मुख्यालय	6,523	6,523
गैस निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची	3,000	3,000
गैस निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, विज़ाग	2,550	2,550
गैस निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, मुंबई	5,000	5,000
गैस निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, कोल्लम	-	-
गैस निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, भुवनेश्वर	20,000	20,000
गैस निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, तूत्तीकोरिन	1,600	1,600
गैस निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, नागपट्टिनम	1,850	1,850
गैस निक्षेप, प्रयोगशाला, भीमावरम	(4,500)	
गैस निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, कण्णूर	5,000	5,000
पेट्रोल निक्षेप, मुख्यालय	56,160	56,160
पेट्रोल निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची	10,000	10,000
किराया निक्षेप, मुख्यालय	47,234	1,46,234
किराया निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, भुवनेश्वर	5,48,640	5,48,640

Annexure-9

(Amount -₹)

Loans ,Advances & Other Assets	31.03.2021	31.03.2020
Staff		
Computer Advance	1,24,432	1,54,012
House Building Advance	6,650	18,050
Motor Car Advance	10,965	18,705
Scooter Advance	28,105	33,495
Bicycle Advance	2,175	2,175
Festival Advance	6,55,475	7,475
LTC Advance	67,750	34,750
Tour Advance	4,69,346	4,62,936
TOTAL	**13,64,898**	**7,31,598**

Annexure-10

(Amount -₹)

Deposits	31.03.2021	31.03.2020
professional tax other than salary	690	690
Electricity Deposit, HO	9,10,582	9,10,582
Electricity Deposit, RD Mumbai	34,080	34,080
Electricity Deposit, TCA Vallarpadom	1,64,250	1,64,250
Electricity Deposit, SRD Kannur	2,12,281	2,12,281
Electricity Deposit, Lab Nellore	44,000	44,000
Electricity Deposit , Lab Bhimavaram	44,750	44,750
Electricity Deposit, RD Nagapattinam	36,474	36,474
Electricity Deposit, RD Valsad	94,517	94,517
Electricity Deposit , SRD BBSR	5,10,989	5,10,989
Electricity Deposit, SRD Mangalore	64,659	64,659
GAS Deposit, TCA Vallarpadom	8,900	8,900
GAS Deposit , SRD Mangalore	1,739	1,739
GAS Deposit, HO	6,523	6,523
GAS Deposit , RD Cochin	3,000	3,000
GAS Deposit, RD Vizag	2,550	2,550
GAS Deposit, RD Mumbai	5,000	5,000
GAS Deposit, SRD Quilon	-	-
GAS Deposit, SRD BBSR	20,000	20,000
GAS Deposit, SRD Tuticorin	1,600	1,600
GAS Deposit, RD Nagapattanam	1,850	1,850
GAS Deposit, LAB Bhimavaram	(4,500)	
GAS Deposit, SRD Kannur	5,000	5,000
Petrol Deposit, HO	56,160	56,160
Petrol Deposit, RD Cochin	10,000	10,000
Rent Deposit, HO	47,234	1,46,234
Rent Deposit, RD, BBSR	5,48,640	5,48,640

निक्षेप जारीः..		
किराया निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, भुवनेश्वर	91,362	91,362
किराया निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, विज़ाग	1,75,000	1,75,000
किराया निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, कोलकाता	1,30,340	1,30,340
किराया निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, चेन्नई	-	2,46,165
किराया निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, वेरावल	30,000	30,000
किराया निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, तूत्तीकोरिन	20,000	20,000
किराया निक्षेप, व्यापार संवर्धन कार्यालय, न्यूयॉर्क	4,57,600	4,57,600
किराया निक्षेप, व्यापार संवर्धन कार्यालय, न्यूयॉर्क (आवास)	(6,48,000)	-
किराया निक्षेप, व्यापार संवर्धन कार्यालय, टोक्यो	14,15,626	14,15,626
किराया निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, नागपट्टिनम	2,31,200	2,31,200
किराया निक्षेप, व्यापार संवर्धन कार्यालय, नई दिल्ली	1,11,703	1,11,703
किराया निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, पनवेल	1,51,032	1,51,032
किराया निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, विजयवाडा	52,500	52,500
किराया निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची	1,91,250	1,91,250
किराया निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, गुवाहाती	54,000	54,000
किराया निक्षेप, प्रयोगशाला, नेल्लूर	2,35,872	2,35,872
किराया निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, मुंबई	23,352	23,352
टेलिफोन निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, वेरावल	8,900	8,900
टेलिफोन निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, वलसाड	10,619	10,619
टेलिफोन निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, कारवार	220	220
टेलिफोन निक्षेप, मुख्यालय	13,652	12,152
टेलिफोन निक्षेप, उप क्षेत्रीय प्रभाग, कण्णूर	4,000	4,000
टेलिफोन निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, कोच्ची	7,530	7,530
टेलिग्राम निक्षेप, मुख्यालय	26,240	26,240
टेलिग्राम निक्षेप, क्षेत्रीय प्रभाग, विजयवाड़ा	324	324
अक्वा अक्वेरियाइंडिया 2019	-	4,45,399
कुल	**56,25,290**	**70,66,854**

अनुबंध - 11 (राशि ₹)

वार्षिक शुल्क / अंशदान	31.03.2021	31.03.2020
एमपीईडीए न्यूज़ लेटर के लिए अंशदान	2,96,660	3,29,900
अंशदान स्टॉल किराया (प्रदर्शनी/मेले)	1,45,29,835	1,26,53,772
प्राइम के लिए अंशदान	-	-
कुल	**1,48,26,495**	**1,29,83,672**

Deposits contd…..		
Rent Deposit, SRD BBSR	91,362	91,362
Rent Deposit, RD, Vizag	1,75,000	1,75,000
Rent Deposit, RD, Kolkata	1,30,340	1,30,340
Rent Deposit, RD Chennai	-	2,46,165
Rent Deposit, RD Veraval	30,000	30,000
Rent Deposit, SRD Tuticorin	20,000	20,000
Rent Deposit, TPO New York	4,57,600	4,57,600
Rent Deposit, TPO New York Residence	(6,48,000)	-
Rent Deposit, TPO Tokyo	14,15,626	14,15,626
Rent Deposit, RD Nagapattanam	2,31,200	2,31,200
Rent Deposit, TPO New Delhi	1,11,703	1,11,703
Rent Deposit, RD Panvel	1,51,032	1,51,032
Rent Deposit, RD Vijayawada	52,500	52,500
Rent Deposit, RD Cochin	1,91,250	1,91,250
Rent Deposit , SRD Guwahati	54,000	54,000
Rent Deposit, Lab Nellore	2,35,872	2,35,872
Rent Deposit, RD Mumbai	23,352	23,352
Telephone Deposit, RD Veraval	8,900	8,900
Telephone Deposit, RD Valsad	10,619	10,619
Telephone Deposit, SRD Karwar	220	220
Telephone Deposit, HO	13,652	12,152
Telephone Deposit, SRD Kannur	4,000	4,000
Telephone Deposit, RD Kochi	7,530	7,530
Telegram Deposit, HO	26,240	26,240
Telegram Deposit, RD Vijayawada	324	324
Aqua Aquaria India 2019	-	4,45,399
TOTAL	**56,25,290**	**70,66,854**

Annexure-11

(Amount -₹)

Annual fees / Subscription	31.03.2021	31.03.2020
Subscription for MPEDA Newsletter	2,96,660	3,29,900
Stall Rent (Exhibitions / Fairs)	1,45,29,835	1,26,53,772
Subscription for Prime	-	-
TOTAL	**1,48,26,495**	**1,29,83,672**

अनुबंध - 12

(राशि ₹)

सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	31.03.2021	31.03.2020
पंजीकरण/ जीएसपी प्रमाणपत्र / पुर्नवैधीकरण शुल्क	90,77,276	89,16,462
एचएसीसीपी विभागीय रसीदें	-	12,00,000
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (आलंकारिक मत्स्य निर्यात)	17,000	29,000
पकड़ (कैच) प्रमाण-पत्र शुल्क	1,82,88,800	2,10,73,500
डी एस 2031	3,59,70,000	3,87,31,500
आईसीसी एटी शुल्क	1,62,500	4,89,800
ड्यूटी फ्री प्रमाणपत्र शुल्क आयात	5,25,000	4,75,000
आरसीएमसी	10,50,085	12,39,100
आई यू यू रसीदें	-	3,900
वित्तीय सहायता शुल्क	9,06,199	22,48,902
लोगो प्रमाणीकरण	-	-
पीसीआर प्रयोगशाला परीक्षण (टेस्ट) शुल्क	1,24,458	1,40,120
जलकृषि प्रशिक्षण शुल्क	6,00,540	10,06,500
वाणिज्यिक नमूना परीक्षण शुल्क	10,00,655	2,27,500
एलीसा प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क	2,43,65,568	1,56,25,308
नॉन रेडियो एक्टिव प्रमाण-पत्र शुल्क	2,48,000	57,000
डोल्फिन मुफ्त प्रमाण-पत्र शुल्क	-	-
आय - मूल्यवर्धन प्रशिक्षण शुल्क	-	12,96,678
आय - हैचरी नामांकन शुल्क	1,40,000	1,14,676
आय - लीगल ओरिजिन शुल्क का प्रमाण-पत्र/ ओरिजिन शुल्क	40,02,240	2,000
आय - अक्वा हैचरियों का प्रामण-पत्र	13,77,119	4,000
आय - फार्म नामांकन शुल्क	20,81,600	-
आय - वेबिनार शुल्क	9,97,300	
कुल	**10,09,34,339**	**9,28,80,946**

अनुबंध - 13

(राशि ₹)

प्रकाशनों से आय	31.03.2021	31.03.2020
अन्य प्रकाशनों की बिक्री	31,127	1,27,173
एम पी ई डी ए न्यूज़ लेटर में विज्ञापन	5,79,214	5,49,020
कुल	**6,10,341**	**6,76,193**

अनुबंध - 14

(राशि ₹)

रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	31.03.2021	31.03.2020
प्रपत्रों की बिक्री	-	100
निविदा शुल्क	5,04,238	75,500
जी एस पी फार्मस्	3,275	4,750
कुल	**5,07,513**	**80,350**

अनुबंध - 15

(राशि ₹)

कर्मचारियों को ऋणों पर अर्जित ब्याज	31.03.2021	31.03.2020
एचबीए	4,22,261	6,55,703
कंप्यूटर अग्रिम पर ब्याज	6,409	39,469
स्कूटर	10,742	20,325
मोटोर कार अग्रिम पर ब्याज	-	5,350
कुल	**4,39,412**	**7,20,847**

Annexure-12

(Amount -₹)

Seminar / Programme fee	31.03.2021	31.03.2020
Registration/GSP Certificate/Revalidation fee	90,77,276	89,16,462
HACCP Department Receipts	-	12,00,000
Health certificate (Ornamental Fish Export)	17,000	29,000
Catch Certification fee	1,82,88,800	2,10,73,500
DS 2031	3,59,70,000	3,87,31,500
ICC AT Fee	1,62,500	4,89,800
Duty free Certificate fee- Import	5,25,000	4,75,000
RCMC	10,50,085	12,39,100
I U U Receipts	-	3,900
Financial assistance fee	9,06,199	22,48,902
Logo Certification	-	-
PCR Lab test fee	1,24,458	1,40,120
Aquaculture Training fee	6,00,540	10,06,500
Commercial sample testing fee	10,00,655	2,27,500
Elisa Lab Testing fee	2,43,65,568	1,56,25,308
Non Radio Active Certificate fee	2,48,000	57,000
Dolphin Free certificate Fee	-	-
Income - Value Addition Training fees	-	12,96,678
Income- Hatchery Enrollment Fees	1,40,000	1,14,676
Income-Certificate of Legal Orgin fee / Origin fee	40,02,240	2,000
Income-Certificate of Aqua Hatheries	13,77,119	4,000
Income- Farm Enrollment Fees	20,81,600	-
Income-Webinar fees	9,97,300	
TOTAL	**10,09,34,339**	**9,28,80,946**

Annexure-13

(Amount -₹)

Income from Publications	31.03.2021	31.03.2020
Sale of other publication	31,127	1,27,173
Advertisement in MPEDA Newsletter	5,79,214	5,49,020
TOTAL	**6,10,341**	**6,76,193**

Annexure-14

(Amount -₹)

Income from Royalty, Publication etc	31.03.2021	31.03.2020
Sale of Forms	-	100
Tender fee	5,04,238	75,500
GSP Forms	3,275	4,750
TOTAL	**5,07,513**	**80,350**

Annexure-15

(Amount -₹)

Interest earned on loans to employees	31.03.2021	31.03.2020
HBA	4,22,261	6,55,703
Interest on Computer Advance	6,409	39,469
Scooter	10,742	20,325
Interest on Motor Car Advance	-	5,350
TOTAL	**4,39,412**	**7,20,847**

अनुबंध - 16 (राशि ₹)

अन्य व्यय अन्य	चालू वर्ष (2020-21)			गत वर्ष (2019-20)		
	योजना	अन्य प्रशा. व्यय	कुल	योजना	अन्य प्रशा. व्यय	कुल
बैंक प्रभार	97,607	4,90,085	5,87,693	2,08,465	4,38,525	6,46,990
हिन्दी कार्यान्वयन	-	1,66,560	1,66,560	(3,966)	4,61,220	4,57,254
विविध प्रशा. व्यय	33,00,787	79,82,074	1,12,82,862	40,27,077	1,02,27,134	1,42,54,212
किताबें और आवधिक पत्र	1,73,697	1,34,191	3,07,888	3,90,002	2,71,161	6,61,163
छुट्टी यात्रा रियायत	19,719	21,29,395	21,49,114	15,23,766	1,22,768	16,46,534
चिकित्सा दावा	9,19,621	20,31,314	29,50,935	29,97,657	7,90,521	37,88,178
सदस्यता शुल्क	12,500	1,000	13,500	17,59,510	1,000	17,60,510
अन्य व्यय		37,39,164	37,39,164		6,16,450	6,16,450
वृत्तिक शुल्क		12,04,362	12,04,362		11,68,603	11,68,603
प्रशिक्षण कार्यक्रम	25,07,885	-	25,07,885	2,06,51,287	-	2,06,51,287
एचआरडी व्यय	1,55,62,388	2,77,937	1,58,40,325	29,09,865	5,00,596	34,10,461
कृषि कल्याण सेस	-	-	-	-	-	-
प्रशिक्षुओं के लिए स्टाइपेंड	7,35,500	-	7,35,500	44,52,309	-	44,52,309
कुल	**2,33,29,704**	**1,81,56,082**	**4,14,85,787**	**3,89,15,972**	**1,45,97,978**	**5,35,13,950**

अनुबंध - 17 (राशि ₹)

अन्य अनुदान	31.03.2021	31.03.2020
आरजीसीए ऊष्मायन परियोजना	5,50,00,000	5,00,00,000
नाक्सा तकनीकी परामर्श का लाभ उठाने केलिए सहायता	4,50,00,000	2,94,69,920
नेटफिश के लिए सहायता	1,50,00,000	1,90,00,000
कुल	**11,50,00,000**	**9,84,69,920**

अनुबंध - 18 (राशि ₹)

संस्थाओं/संगठनों को दी गई सब्सिडी	31.03.2021	31.03.2020
शीतभंडार की स्थापना केलिए सब्सिडी	6,08,92,958	4,52,88,439
लघु प्रयोगशाला की स्थापना केलिए सब्सिडी	15,08,165	4,45,442
रोधीकृत मत्स्य डिब्बों केलिए सब्सिडी		
अवसंरचना सुविधा (जीएस,डब्ल्यूपीएस,ईटीपी, एफआईएमएम, सीआर, यूडीएस)		1,00,000
मूल्यवर्धन, प्रक्रिया स्वचालन, और पैकिंग के लिए सहायता	13,46,79,253	8,94,74,369
नाक्सा द्वारा खेती की विकास (सोसाइटी के लिए सहायता)	80,17,596	26,00,000
प्राथमिक उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए सहायता	1,86,30,480	1,41,01,001
बाज़ार पहुँच की ओर प्रमाणीकरण के लिए सहायता	3,61,37,978	1,15,72,749
ज़िन्दा/शीतित और सूखे समुद्री उत्पादों के निर्यात हैंडलिंग इकाई के लिए सहायता		17,42,878
कुल	**25,98,66,430**	**16,53,24,878**

Annexure-16

(Amount -₹)

Other expenses Others	Current year (2020-21)			Previous year (2019-20)		
	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL	Schemes	Other Admin Expenses	TOTAL
Bank Charges	97,607	4,90,085	5,87,693	2,08,465	4,38,525	6,46,990
Hindi Implementation	-	1,66,560	1,66,560	(3,966)	4,61,220	4,57,254
Misc. Admn. Expenses	33,00,787	79,82,074	1,12,82,862	40,27,077	1,02,27,134	1,42,54,212
Books & Periodicals	1,73,697	1,34,191	3,07,888	3,90,002	2,71,161	6,61,163
Leave Travel Concession	19,719	21,29,395	21,49,114	15,23,766	1,22,768	16,46,534
Medical Claim	9,19,621	20,31,314	29,50,935	29,97,657	7,90,521	37,88,178
Membership Fee	12,500	1,000	13,500	17,59,510	1,000	17,60,510
Other Expenses		37,39,164	37,39,164		6,16,450	6,16,450
Professional charge		12,04,362	12,04,362		11,68,603	11,68,603
Training Programme	25,07,885	-	25,07,885	2,06,51,287	-	2,06,51,287
HRD expenses	1,55,62,388	2,77,937	1,58,40,325	29,09,865	5,00,596	34,10,461
Krishi Kalyan Cess	-	-	-	-	-	-
Stipend to Trainees	7,35,500	-	7,35,500	44,52,309	-	44,52,309
TOTAL	**2,33,29,704**	**1,81,56,082**	**4,14,85,787**	**3,89,15,972**	**1,45,97,978**	**5,35,13,950**

Annexure-17

(Amount -₹)

Other Grants	31.03.2021	31.03.2020
Incubation Project RGCA	5,50,00,000	5,00,00,000
Assistance for availing Technical consultancy NaCSA	4,50,00,000	2,94,69,920
Assistance to Netfish	1,50,00,000	1,90,00,000
TOTAL	**11,50,00,000**	**9,84,69,920**

Annexure-18

(Amount -₹)

Subsidy given to Institutions / Organisation	31.03.2021	31.03.2020
Subsidy for setting up of cold storage	6,08,92,958	4,52,88,439
Subsidy for setting up of mini lab	15,08,165	4,45,442
Subsidy for insulated fish boxes		
Infrastructure facilities (GS,WPS,ETP,FIMM,CR,UDS)		1,00,000
Assistance for value addition,process automation and packing	13,46,79,253	8,94,74,369
Farming culture development through NaCSA (Assitance to societies)	80,17,596	26,00,000
Assistance for certification of primary production	1,86,30,480	1,41,01,001
Assisstance forcertification towards market access	3,61,37,978	1,15,72,749
Assisstance for export handlingunit for live/chilled and dried marine		17,42,878
products		
TOTAL	**25,98,66,430**	**16,53,24,878**

अनुबंध - 19

(राशि ₹)

अनुदान/सब्सिडी पर व्यय	31.03.2021	31.03.2020
व्यावसायिक प्रभार	38,77,061	44,00,971
प्रचार एवं बाज़ार संवर्धन (विज्ञापन व प्रभार)	1,48,67,879	33,88,899
संदर्भ मानक	11,90,518	56,87,521
रसायन	10,96,077	23,75,469
ग्लासवेअर	3,59,297	1,42,806
प्रशिक्षण/अन्य व्यय	3,17,76,599	8,49,32,440
व्यापार संवर्धन कार्यालय व्यय	1,69,03,384	2,49,26,990
व्यय - जीआईएस नामांकन एवं रोग निदान	-	-
व्यय - एलीसा किट	72,04,431	-
व्यय - विविध/तकनीकी उपभोज्य वस्तुएं	49,54,563	-
एनआरसीपी	37,60,748	29,57,218
कुल	**8,59,90,557**	**12,88,12,315**

टिप्पणी 1. अन्य व्यय में अनुदान, सब्सिडी व स्थापना व्यय को छोड़कर योजना के अन्तर्गत किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

अनुबंध - 20

(राशि ₹)

व्यापार संवर्धन कार्यालय व्यय	2020-21	2019-20
बैंक प्रभार	19,191	11,758
विविध प्रशा. व्यय	2,59,079	3,12,843
किताबें एवं पत्रिकाएं	4,270	1,20,870
चिकित्सा दावा	93,351	16,517
बिजली एवं जल	4,02,778	3,50,162
एएमसी	31,500	-
बीमा	62,749	-
मरम्मत और रख-रखाव	5,629	56,985
किराया, दर एवं कर	1,17,42,996	1,67,45,469
डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क और मुद्रण एवं स्टेशनरी	7,11,857	11,63,890
यात्रा एवं वाहन व्यय	27,33,902	26,82,353
अतिथि व्यय (मनोरंजन)	16,052	77,067
अन्य	8,20,030	33,89,076
कुल	**1,69,03,384**	**2,49,26,990**

Annexure-19

(Amount -₹)

Expenditure on grant / subsidies	31.03.2021	31.03.2020
Professional charges	38,77,061	44,00,971
Publicity & Market Promotion(Advt.& Publicity)	1,48,67,879	33,88,899
Reference standards	11,90,518	56,87,521
Chemicals	10,96,077	23,75,469
Glasswares	3,59,297	1,42,806
Training/Other Expenses	3,17,76,599	8,49,32,440
Trade Promotion Offices Expenses	1,69,03,384	2,49,26,990
Expenses-EnrollmentGIS & Desease Diagonistic	-	-
Expenses - Elisa kits	72,04,431	-
Expenses - Miscellaneous /Technical Consumables	49,54,563	-
NRCP	37,60,748	29,57,218
TOTAL	**8,59,90,557**	**12,88,12,315**

Note 1. Other Expenses include all expenses incurred under Plan except Grants, Subsidies & Establishment expenses

Annexure-20

(Amount -₹)

Trade Promotion office expenses- others	2020-21	2019-20
Bank Charges	19,191	11,758
Misc. Admn. Expenses	2,59,079	3,12,843
Books & Periodicals	4,270	1,20,870
Medical Claim	93,351	16,517
Electricity and Water	4,02,778	3,50,162
AMC	31,500	-
Insurance	62,749	-
Repairs and maintenance	5,629	56,985
Rent, Rates and Taxes	1,17,42,996	1,67,45,469
Postage, Telephone and Communication Charges & Printing and Stationary	7,11,857	11,63,890
Travelling and Conveyance Expenses	27,33,902	26,82,353
Hospitality Expenses (Entertainment)	16,052	77,067
Others	8,20,030	33,89,076
TOTAL	**1,69,03,384**	**2,49,26,990**

अनुबंध 21

31.03.2021 को एसाइड योजना के तहत प्राप्त एवं प्रयुक्त अनुदान (वित्तीय वर्ष 2015-16 से) (₹ लाखों में)

क्रम सं	परियोजना	एसाइड से अंशदान	सरकार से प्राप्त राशि (एसाइड)	एमपीईडीए से प्राप्त अंशदान	एसईएआई से प्राप्त अंशदान	एनएफडीबी से अंशदान	कुल परियोजना लागत	प्रयुक्त राशि	वापस की गई राशि	निधियों से सृजित परिसंपत्ति	अभ्युक्तियां
1	सीलैब, अरूर का उन्नयन	225.00	225.00		75.00		300.00	282.56	17.44	स्थायी परिसंपत्ति प्रयोगशाला उपकरण	
2	क (सी पी सी अम्बलप्पुषा)	334.34	334.34	25.00	35.00		394.34	394.34		स्थायी परिसंपत्तियां 10 पीपीसी के बिल्डिंग, बर्फ निर्माण के संयंत्र, ईटी पी, शीत कक्ष, प्रयोगशाला, कार्यालय आदि के लिए।	पूरा किया गया और एसईएआई को सौंपा गया
	ख) सी पी सी शक्तिकुलंगरा	280.00	280.00				280.00	280.00		स्थायी परिसंपत्तियां 10 पीपीसी के बिल्डिंग, बर्फ निर्माण संयंत्र, ई टी पी, शीत कक्ष, प्रयोगशाला, कार्यालय आदि के लिए	पूरा किया गया और एसईएआई को सौंपा गया।
	ग) सी पी सी बालरामगढी	330.00	165.00	35.00	55.00		420.00	90.00	।165.00	कार्य प्रगति पर	
3	ए क्यू एफ नीलांकरै चेन्नई, (आरजीसीए)	1500.00	1500.00			1050.00	2550.00	2550		अवसंरचना	संपूर्ण
	कुल	**2669.34**	**2504.34**	**60.00**	**165.00**	**1050.00**	**3944.34**	**3596.90**	**182.44**		

वर्ष 2015-16 के लिए एसाईड से प्राप्त धनराशि, मंत्रालय द्वारा प्राप्त निदेशानुसार वापस की गई।

₹ 3596.90 लाख में से स्थाई परिसंपत्ति ₹ 3506.90 लाख एवं कार्य प्रगति पर ₹ 90 लाख है।

Annexure 21

GRANTS RECEIVED & UTILISED UNDER ASIDE AS ON 31.03.2021 (FY 2015-16 onwards)

(₹ In Lakhs)

Sl.No.	Project	Contribution from ASIDE	Amount receivedfrom Govt. (ASIDE)	Contribution ofMPEDA received	Contribution ofSEAI received	Contribution of NFDB	Total Project Cost	Amount utilised	Amount returned	Asset created out of funds	Remarks
1	Upgradation of Sea LabAroor	225.00	225.00		75.00		300.00	282.56	17.44	Fixed Assets - Laboratory equipments	
2	a) CPC Ambalapuzha	334.34	334.34	25.00	35.00		394.34	394.34		Fixed Assts- Building for 10PPC, ice making plant, ETP,Chill room, Laboratory, Office etc.	Completed and handed over to SEAI
	b) CPC Sakthikulangara	280.00	280.00				280.00	280.00		Fixed Assts- Building for 10PPC, ice making plant, ETP,Chill room, Laboratory, Office	Completed and handed over to SEAI
	c) CPC Balaramgarhi	330.00	165.00	35.00	55.00		420.00	90.00	*165.00	Work in progress	
3	AQF Neelankarai Chennai (RGCA)	1500.00	1500.00			1050.00	2550.00	2550		Infrastructure	Completed
	TOTAL	**2669.34**	**2504.34**	**60.00**	**165.00**	**1050.00**	**3944.34**	**3596.90**	**182.44**		

*The amount received from ASIDE returned as directed by Ministry for the year 2015-16

Out of ₹ 3596.90 lakh,Fixed Asset is ₹ 3506.90 lakh and Work in Progress is ₹ 90 lakh

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर-लाभकारी संगठन)

संगठन का नामः समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

	प्राप्तियां	2020-21		2019-20			भुगतान	2020-21		2019-20	
1	अथ शेष		22,92,54,434		16,70,19,517	1	व्यय		67,07,09,492.02		75,26,99,826
	नकद	8,981		60,248			स्थापना व्यय	46,24,52,310		48,27,95,388	
	बैंक खाता	22,92,45,453		16,69,59,269			प्रशासनिक व्यय	10,61,60,494		14,16,14,326	
							प्राप्य समायोजन	22,96,688		2,49,65,112	
2	जमा/निधि की प्राप्ति		6,21,08,283		5,74,33,090		अ.जा/अ.ज.जा.कार्यक्रम	9,98,00,000		10,33,25,000	
	एमईपीएफ निधि	38,63,780		35,34,519		2	निम्न निधि के लिए भुगतान किया		46,08,56,987.45		39,26,06,813
	कानूनी प्रभार के लिए निधि	0		0			अनुदान/इमदाद पर व्यय	8,59,90,557		12,88,12,315	
	जमा (एलसी)	1,21,03,678		1,15,33,326			संस्थानों को दिया अनुदान	11,50,00,000		9,84,69,620	
	एनएफडीबी(हैचरी एवं एक्यूएफ)	2,51,13,245		2,13,37,665			इमदाद	25,98,66,430		16,53,24,878	
	पीएमएनआरएफ	2,10,27,580		2,10,27,580		3	निवेश और जमा किए गए:-		5,44,10,383.67		6,15,37,931
							एमईपीएफ निधि	41,71,684		38,63,780	
3	प्राप्य अनुदान		1,14,00,00,000		1,12,33,25,000		एमपीआरएनएल निधि	7,49,036		15,94,150	
							एनएफडीबी/यूएनसीटीएडी	21,81,430		21,81,430	
	मंत्रालय से अनुदान(योजना और गैर योजना)						स्वयं की निधि के अलावा (निवेश अन्य)	1,21,03,678		1,15,33,326	
	अनुदान योजना स्कीम	72,00,00,000		85,00,00,000			एनएफडीबी (हैचरी सहायता)	1,33,92,537		2,13,37,665	
	अनुदान गैर योजना/अन्य	30,02,00,000		15,00,00,000			पीएमएनआरएफ	2,18,12,019		2,10,27,580	
	अनुदान अन्य (ईआईसी)	2,00,00,000		2,00,00,000							
	अनुदान अ.जा/अ.ज.जा.कार्यक्रम	9,98,00,000		10,33,25,000							
4	निवेशों पर आय		2,50,58,194		50,57,015						
	चिह्नित और स्थाई निधियों में					4	अचल संपत्ति और पूंजीगत कार्य पर व्यय कार्य प्रगति पर		9,63,60,004.00		4,62,03,113
	एम पी आर एन एल निधि	5,00,000		7,20,000			अचल परिसंपत्तियों की खरीद एवं डब्लयू आई पी	12,59,27,443		4,62,03,113	
	एनएफडीबी/यूएनटीएडी/सीएसआर	2,41,03,911		30,81,430			भुगतान के अग्रिमों का समायोजन एवं पूंजी	-2,95,67,439			
	ब्याज (जमाएलसी)	4,54,283		12,55,585			के खिलाफ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
5	बैंक जमा पर प्राप्त		71,29,602		81,15,151						
क)	ब्याज सामान्य निक्षेप	66,90,190		81,15,151							
ख)	ऋण/अग्रिमें आदि										
	गृह निर्माण अग्रिम से ब्याज	4,39,412									
6	अन्य आय		11,68,78,688		10,89,72,704	6	अन्य भुगतान		3,31,86,249.00		18,02,679
	शुल्क/सदस्यता	10,12,30,999		9,32,10,846			एमपीआरएनएल	13,45,114		9,02,679	
							सीएसआर निधि	1,00,000		9,00,000	
	रॉयल्टी/प्रकाशन से आय	11,17,854		7,56,543			एनएफडीबी निधि की वापसी	2,30,00,000		0	
	अक्वा अक्वेरिया/आई आई एसएस	-		23,51,543			एनएफडीबी (हैचरी)	87,41,135		0	
							पीएमएनआरएफ निधि	-		0	
						7	अन्त शेष				
	अन्य (स्टॉल किराया)	1,45,29,835		1,26,53,772					26,51,59,426.00		22,92,54,434
							नकद हाथ में	7,709		8,981	
7	अन्य कोई रसीदें		2,53,341		1,41,82,319		बैंक में शेष:-	26,51,51,717		22,92,45,453	
	आय पुरानी संपत्तियों की बिक्री	0		4,55,933							
	विविध और अन्य आय	2,53,341		1,37,26,386							
	कुल		1,58,06,82,542		1,48,41,04,796		कुल		1,58,06,82,542		1,48,41,04,796

दीपा
मुख्य लेखा अधिकारी

सचिव

के. एस. श्रीनिवास
अध्यक्ष

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI -36
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

	Receipts	2020-21		2019-20			Payments	2020-21		2019-20	
1	Opening Balance		22,92,54,434		16,70,19,517	1	Expenses		67,07,09,492.02		75,26,99,826
	Cash	8,981		60,248			Establishment Expenses	46,24,52,310		48,27,95,388	
	Bank Account	22,92,45,453		16,69,59,269			Administrative Expenses	10,61,60,494		14,16,14,326	
							Stock adjustment	22,96,688		2,49,65,112	
2	Receipt of Deposits/Funds		6,21,08,283		5,74,33,090		SC/ST programmes	9,98,00,000		10,33,25,000	
	MEPF Fund	38,63,780		35,34,519		2	Payments made against fund for		46,08,56,987.45		39,26,06,813
	Fund for legal fees	0		0			Exp.on grants/subsidy:-	8,59,90,557		12,88,12,315	
	Deposit(LC)	1,21,03,678		1,15,33,326			Grants given to Institutions	11,50,00,000		9,84,69,620	
	NFDB(Hathery & AQF)	2,51,13,245		2,13,37,665			Subsidies	25,98,66,430		16,53,24,878	
	PMNRF	2,10,27,580		2,10,27,580		3	Investments & Deposits made:-		5,44,10,383.67		6,15,37,931
							MEPF fund	41,71,684		38,63,780	
3	Grant Received		1,14,00,00,000		1,12,33,25,000		MPRNL fund	7,49,036		15,94,150	
							NFDB /UNCTAD	21,81,430		21,81,430	
	Grant from Ministry(Plan & Non Plan)						Out of Own Funds (Investments-Others)	1,21,03,678		1,15,33,326	
	Grant - Plan Scheme	72,00,00,000		85,00,00,000			NFDB(Hathery Assistance)	1,33,92,537		2,13,37,665	
	Grant Non-Plan/other	30,02,00,000		15,00,00,000			PMNRF	2,18,12,019		2,10,27,580	
	Grant Others(EIC)	2,00,00,000		2,00,00,000							
	Grant-SC/ST programmes	9,98,00,000		10,33,25,000							
4	Income from Investment from		2,50,58,194		50,57,015						
	Towards Earmarked/Endow.fund					4	Expense on Fixed Assets and Capital Work-In -Progress		9,63,60,004.00		4,62,03,113
	MPRNL fund	5,00,000		7,20,000			Purchase of Fixed Assets & WIP	12,59,27,443		4,62,03,113	
	NFDB/UNTAD/CSR	2,41,03,911		30,81,430			Adjustment of Advaces of PY & changes	-2,95,67,439			
	Interest(Deposit-LC)	4,54,283		12,55,585			in working capital aginst Capital				
5	Interest received on Bank Deposits		71,29,602		81,15,151						
a)	Interest -General Deposit	66,90,190		81,15,151							
b)	Loans ,advances etc:-										
	Interest -HBA	4,39,412									
6	Other Income		11,68,78,688		10,89,72,704	6	Other Payments		3,31,86,249.00		18,02,679
	Fees/Subsciption	10,12,30,999		9,32,10,846			MPRNL	13,45,114		9,02,679	
							CSR FUND	1,00,000		9,00,000	
	Income from Royalty/publication	11,17,854		7,56,543			Refund of NFDB fund	2,30,00,000		0	
	Aqua Aquaria /IISS	-		23,51,543			NFDB (Hatchery)	87,41,135		0	
							PMNRF fund	-		0	
						7	Closing Balance				
	Others (Stall rent)	1,45,29,835		1,26,53,772					26,51,59,426.00		22,92,54,434
							Cash in hand:-	7,709		8,981	
7	Any other receipts		2,53,341		1,41,82,319		Bank balance:-	26,51,51,717		22,92,45,453	
	Income- sale of old asset	0		4,55,933							
	Miscellaneous & other income	2,53,341		1,37,26,386							
	TOTAL		**1,58,06,82,542**		**1,48,41,04,796**		**TOTAL**		**1,58,06,82,542**		**1,48,41,04,796**

Deepa
CHIEF ACCOUNTS OFFICER

SECRETARY

CHAIRMAN

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 की धारा 19 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्ति एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, के 31 मार्च 2021 तक के संलग्न तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में प्राधिकरण की यूनिटों /शाखाओं की लेखाएं शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानक एवं प्रकटीकरण मानदंड आदि से संबंधित लेखाकरण निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियम व विनियम (औचित्य और नियमित) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन और दक्षता एवं निष्पादन पहलू आदि, यदि है, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा अलग रूप से दिखाया जाता है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों केलिए यह अपेक्षित है कि, इन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम अपनी लेखापरीक्षा को योजनाबद्ध होकर निष्पादित करें। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है।। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को एक यथोचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं किः

   i. जहाँ तक हमारी जानकारी एवं विश्वास है, हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

   ii. तुलन पत्र तथा इस रिपोर्ट के साथ निपटाए गए आय व व्यय लेखे/प्राप्ति व भुगतान लेखे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार की गई है।

   iii. हमारी राय में, बहियों की जाँच करने से प्रकट होता है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 की धारा 19 के अन्तर्गत अपेक्षित रूप से प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त लेखा बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रखरखाव किया जा रहा है।

   iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

1. We have audited the attached Balance Sheet of the MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (Authority) as at 31st March 2021 and the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 19 (2) of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972. These financial statements include the accounts of units/ branches of the Authority. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3 We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that

   i We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   ii The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

   iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority as required under Section 19 of the Marine products Export Development Authority Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.

   iv We further report that

	तुलन पत्र
क	**1. कॉर्पस/ पूंजी निधि और देयताएं**
	1.1. मौजूदा देयताएं और प्रावधान ₹ 239.98 करोड़
	राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए) के साथ पट्टा करार की शर्तों से विचलन में बहु प्रजाति जलकृषि परियोजना, वल्लारपाडम के संचालन से नुकसान के हिस्से का प्रावधान न होने के कारण उपरोक्त को ₹ 0.38 करोड़ कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरुप समान राशि द्वारा कॉर्पस/पूंजी निधि में किए गए घाटे को कम करके दिखाया गया है।
	2. अचल परिसंपत्तियाँ ₹ 31.03 करोड़
	उपरोक्त में वल्लारपाडम में मैक परियोजना से संबंधित संपत्तियों का शुद्ध बही मूल्य ₹ 9.52 करोड़ शामिल है। पट्टा करार की शर्तों के अनुसार इन संपत्तियों का स्वामित्व राजीव गांधी जलकृषि केंद्र के पास है। प्राधिकरण की बही में इसके लेखांकन के परिणामस्वरूप संपत्ति में ₹ 9.52 करोड़ की अत्युक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरू 1.69 करोड़ रुपये के संचित मूल्यह्रास को अधिक दिखाया गया और समान राशि द्वारा कॉर्पस/ पूंजी निधि को कम करके दिखाया गया है।
	3. मौजूदा संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि ₹ 69.28 करोड़
	उपरोक्त में रु 3 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है, जो एक चालू परियोजना के लिए समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफ़आरआई) के लिए अग्रिम भुगतान किया गया है और उपयोग प्रमाण पत्र लंबित होने के बावजूद व्यय के रूप में लिया गया है। एमपीईडीए ने उपरोक्त अग्रिम राशि को 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 'प्रशिक्षण व्यय' शीर्ष और 'अन्य' शीर्ष के तहत राजस्व व्यय के रूप में लिया है। इसके परिणामस्वरूप समान राशि द्वारा कॉर्पस /पूंजी निधि में किए गए घाटे को अधिक दिखाया गया है।
ख	**आय एवं व्यय लेखा**
	1. व्यय
	1.1 स्थापना व्यय ₹ 46.24 करोड़
	क. प्राधिकरण ने 'चालू देयताओं और प्रावधानों' के तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए ₹ 198.02 करोड़ की देयता दिखाई है, जिसे आय और व्यय लेखे के माध्यम से रूट करने के बजाय बैलेंस शीट में विविध व्यय में तदनुरूपी डेबिट के साथ दिखाया है। पिछले वर्षों के एसएआर में भी समतुल्य टिप्पणी को उजागर किया गया था, तथापि, प्राधिकरण द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी है। इसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय को कम बताया गया तथा वर्ष के दौरान कॉर्पस/पूंजी निधि में ₹ 198.02 करोड़ का घाटा और उस सीमा तक 'विविध व्यय' की अत्युक्ति हुई।
	ख. बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पेंशन देयताओं के लिए अपर्याप्त प्रावधान के कारण उपरोक्त शीर्ष को भी 155.54 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया गया है। इसके परिणामस्वरूप भी वर्ष के दौरान "स्थापना व्यय" को कम बताया गया तथा रु 155.54 करोड़ का घाटा कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया।
	2. प्रशिक्षण/अन्य व्यय ₹ 3.18 करोड़
	उपरोक्त में क्युसी लैब्स पोरबंदर और भुवनेश्वर में 2 माइक्रो बैलेंस की खरीद के लिए प्रावधान किए गए ₹ 0.32 करोड़ की राशि शामिल है। चूंकि लेन देन अभी शुरू होना बाकी है, इसलिए रिपोर्टिंग तिथि पर कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई है। इसके परिणामस्वरूप व्यय और देय लेखाओं (अन्य) को ₹ 0.32 करोड़ से अधिक बताया गया।

A.	**Balance Sheet** **1. Corpus/Capital Fund and Liabilities** **1.1. Current Liabilities and Provisions: ₹ 239.98 crore** The above is understated by ₹ 0.38 Crore due to non-provision of share of loss from the operation of Multi-species Aquaculture Project, Vallarpadam in deviation from the terms of lease agreement with Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA). This has resulted in corresponding understatement of deficit carried to Corpus/Capital fund by the same amount. **2. Fixed Assets: ₹ 31.03 Crore** The above includes ₹ 9.52 crore being net book value of assets pertaining to MAC project at Vallarpadam. The ownership of these assets is with Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture as per the terms of lease agreement. Accounting the same in the books of Authority resulted in overstatement of asset by ₹ 9.52 crore. This also resulted in overstatement of accumulated depreciation of ₹ 1.69 crore with corresponding understatement of Corpus/capital fund by the same amount. **3. Current Assets, Loans, Advances etc: ₹ 69.28 crore** The above is under stated by ₹ 3 crore being advance paid to Centre for Marine Fisheries and Research Institute (CMFRI) for an ongoing project and recognised as expenditure even though utilisation certificate is pending. MPEDA treated the above advance amounts as revenue expenditure under the head "Training Expenses" and under the head "Others", in 2019-20 (₹ 1 crore) and in 2020-21(₹ 2 crore) respectively. This has resulted in overstatement of deficit carried to Corpus/ Capital fund by the same amount.
B.	**Income and Expenditure Account** **1. Expenditure** **1.1 Establishment Expenses ₹ 46.24 crore** a. The Authority has shown ₹ 198.02 crore being the liability for retirement benefits of employees under 'Current Liabilities and Provisions with corresponding debit to 'Miscellaneous Expenditure' in Balance sheet instead of routing it through Income and Expenditure Account. Similar comment was also highlighted in the SARs for the previous years; however, no corrective action has been taken by the Authority. This resulted in understatement of 'Establishment Expenses and deficit carried to Corpus/Capital fund during the year by ₹ 198.02 crore and overstatement of 'Miscellaneous Expenditure, to that extent. b. The above head is also understated by ₹ 155.54 crore due to inadequate provision for pension liabilities as per actuarial valuation. This also resulted in understatement of "Establishment Expenses" and deficit carried to Corpus/Capital fund during the year by ₹ 155.54 crore.
	2. Training/Other Expenses - ₹ 3.18 crore The above includes an amount of ₹ 0.32 crore being provision created for purchase of 2 Micro Balances at QC Labs Porbandar and Bhubaneswar. Since the transaction is yet to commence, no liability has arisen on the reporting date. This resulted in overstatement of expenses and Accounts Payables (Others) by ₹ 0.32 crore.

ग	**सामान्य** वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में तैयार किए गए प्राप्तियों और भुगतान लेखों में कहा गया है कि वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि रु 114 करोड़ है। तथापि वित्तीय विवरणों ने राजस्व अनुदान और पूंजीगत अनुदान के रूप में क्रमश रु 100.77 करोड़ और ₹ 11.23 करोड़ दिखाया जो कुल मिलाकर 112 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, 2 करोड़ रुपये की राशि के शेष अनुदानों के उपयोग और लेखांकन की स्थिति का समाधान करने और वित्तीय विवरणों में सही स्थिति का खुलासा करने की आवश्यकता है।
घ	**सहायता अनुदान** वर्ष 2019-20 के दौरान रु 114 करोड़ सहायता अनुदान (आईईबीआर को छोड़कर) प्राप्त हुआ तथा इस वर्ष के दौरान रु 112 करोड़ का उपयोग किया गया जबकि शेष राशि के उपयोग की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

v. पूर्ववर्ती पैरा में किए गए अवलोकन के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा; प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरुप है।

vi. हमारी राय में और हमारी जानकारी तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखाओं पर टिप्पणियों और लेखा नीतियों के साथ पठित कथित वित्तीय विवरण, ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के **अनुबंध 1** में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के बारे में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

(क) जहाँ तक इसका संबंध तुलनपत्र से है, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति, तथा

(ख) जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय व व्यय लेखे के साथ इसका संबंध स्थापित करता है।

केलिए और की ओर से
भारतीय नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक

(देविका नायर)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महा निदेशक, चेन्नै

स्थानः चेन्नै
तारीखः 15.11.2021

C.	**General** The Receipts and Payments Accounts prepared as part of the financial statements state that the grants received during the year amounts to ₹ 114 crore. However financial statements disclosed accounting of ₹ 100.77 crore and ₹ 11.23 crore as revenue grants and capital grants respectively totalling to ₹ 112 crore. Thus, status of utilisation and accounting of remaining grants amounting to ₹ 2 crore needs to be reconciled and correct status should be disclosed in financial statements.
D	**Grants in Aid** Grants-in-aid of (excluding IEBR) of ₹ 114 Crore was received during the year 2020-21 and ₹ 112 crore was utilized during the year while status of utilisation of the remaining amount was not provided to the Audit.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance sheet and Income & Expenditure Account; Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with Accounting policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure - I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Marine Products Export Development Authority as at 31st March 2021; and,

(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General
of India

(Devika Nayar)
Director General of Commercial Audit,
Chennai

Place: Chennai
Date: 15.11.2021

अनुबंध - I	
1	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्राधिकरण के आकार और प्रकृति के अनुसार पर्याप्त है और प्राधिकरण के अनुरूप है।
2	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तताः** वर्ष 2020-21 के लिए प्राधिकरण द्वारा 23 कार्यालयों में से केवल 6 कार्यालयों की ही लेखा परीक्षा की गयी।
3	**स्थाई परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणालीः** प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के दौरान संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है।
4	**वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणालीः** प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया है।
5	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितताः** प्राधिकरण सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमित था।

निदेशक (सीए)

ANNEXURE -I	
1	**Adequacy of Internal Control System :** Internal control system is adequate and commensurate with the size and nature of the Authority.
2	**Adequacy of Internal Audit System:** Audit of only 6 offices out of 23 offices were conducted by the Authority for the year 2020-21.
3	**System of Physical Verification of Fixed Assets:** The Authority has conducted physical verification of assets during the year 2020-21.
4	**System of Physical Verification of Inventory:** The Authority has conducted physical verification of inventory during the year 2020-21
5	**Regularity in payment of Statutory Dues:** The Authority was regular in payment of statutory dues.

Director (CA)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), की 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रत्युत्तर

	लेखा परीक्षा टिप्पणी	लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रत्युत्तर
1	हमने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 की धारा 19 (2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, के 31 मार्च 2021 तक के संलग्न तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखे तथा प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में प्राधिकरण की यूनिटों /शाखाओं की लेखाएं शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण प्राधिकरण के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।	कोई टिप्पणी नहीं
2	इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धति के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानक एवं प्रकटीकरण मानदंड आदि से संबंधित लेखाकरण निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियम व विनियम (औचित्य और नियमित) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन और दक्षता एवं निष्पादन पहलू आदि, यदि है, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा अलग रूप से दिखाया जाता है।	कोई टिप्पणी नहीं
3	हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों केलिए यह अपेक्षित है कि, इन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त होने के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम अपनी लेखापरीक्षा को योजनाबद्ध होकर निषादित करें। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को एक यथोचित आधार प्रदान करती है।	कोई टिप्पणी नहीं
4 i.	हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं किः जहाँ तक हमारी जानकारी एवं विश्वास है, हमने अपनी लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
ii.	तुलन पत्र तथा इस रिपोर्ट के साथ निपटाए गए आय व व्यय लेखे/प्राप्ति व भुगतान लेखे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
iii.	हमारी राय में, बहियों की जाँच करने से प्रकट होता है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 की धारा 19 के अन्तर्गत अपेक्षित रूप से प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त लेखा बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का रखरखाव किया जा रहा है।	कोई टिप्पणी नहीं

REPLY TO SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2021

	Audit Comments	Reply to Audit Comments
1	We have audited the attached Balance Sheet of the MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (Authority) as at 31 March 2021 and the Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 19 (2) of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972. These financial statements include the accounts of units/ branches of the Authority. These financial statements are the responsibility of the Authority's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.	No Comments
2	This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.	No Comments
3	We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.	No Comments
4 i.	Based on our audit, we report that We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit	No Comments
ii.	The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.	No Comments
iii.	In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority as required under Section 19 of the Marine products Export Development Authority Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.	No Comments

iv.	हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:	
क	**तुलन पत्र**	
	1. कॉर्पस/ पूंजी निधि और देयताएं	
	1.1. मौजूदा देयताएं और प्रावधान ₹ 239.98 करोड़	
	राजीव गांधी जलकृषि केंद्र (आरजीसीए) के साथ पट्टा करार की शर्तों से विचलन में बहु प्रजाति जलकृषि परियोजना, वल्लारपाडम के संचालन से नुकसान के हिस्से का प्रावधान न होने के कारण उपरोक्त को ₹ 0.38 करोड़ कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप समान राशि द्वारा कॉर्पस/पूंजी निधि में किए गए घाटे को कम करके दिखाया गया है।	मैकआरजीसीए के संचालन पर होने वाले नुकसान के लेखांकन हिस्से के लिए आवश्यक प्रावधानों का लेखाजोखा वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया जाएगा।.
	2. अचल परिसंपत्तियाँ ₹ 31.03 करोड़	
	उपरोक्त में वल्लारपाडम में मैक परियोजना से संबंधित संपत्तियों का शुद्ध बही मूल्य ₹ 9.52 करोड़ शामिल है। पट्टा करार की शर्तों के अनुसार इन संपत्तियों का स्वामित्व राजीव गांधी जलकृषि केंद्र के पास है। प्राधिकरण की बही में इसके लेखांकन के परिणामस्वरूप संपत्ति में ₹ 9.52 करोड़ की अत्युक्ति हुई है। इसके परिणामस्वरूप 1.69 करोड़ रुपये के संचित मूल्यह्रास को अधिक दिखाया गया और समान राशि द्वारा कॉर्पस/पूंजी निधि को कम करके दिखाया गया है।	आरजीसीए एमपीईडीए के तहत एक सोसायटी है और समझौता ज्ञापन मैक परियोजना के उचित कामकाज के लिए केवल आंतरिक व्यवस्था है। मैक परियोजना के लिए उपलब्ध कराई गई सभी अंतर्निहित आधारभूत संरचना एमपीईडीए द्वारा वित्त पोषित है और तदनुसार सभी संपत्तियों को एमपीईडीए की संपत्ति के रूप में माना जाता है और एमपीईडीए की बहियों में मान्यता प्राप्त है। आरजीसीए की बहियों में मैक परियोजना से संबंधित किसी भी संपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है। इस संबंध में समझौता ज्ञापन में आपसी सहमति से आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।.
	3. मौजूदा संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि ₹ 69.28 करोड़	
	उपरोक्त में ₹ 3 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है, जो एक चालू परियोजना के लिए समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफ़आरआई) के लिए अग्रिम भुगतान किया गया है और उपयोग प्रमाण पत्र लंबित होने के बावजूद व्यय के रूप में लिया गया है। एमपीईडीए ने उपरोक्त अग्रिम राशि को 2019-20 (₹ 1 करोड़) और 2020-21 (₹ 2 करोड़) में क्रमशः "प्रशिक्षण व्यय" शीर्ष और "अन्य" शीर्ष के तहत राजस्व व्यय के रूप में लिया है। इसके परिणामस्वरूप समान राशि द्वारा कॉर्पस /पूंजी निधि में किए गए घाटे को अधिक दिखाया गया है।	हमें केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान से वर्ष 2020-21 का उपयोगिता प्रमाण पत्र विधिवत प्राप्त हो गया है। उसी के आधार पर चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आवश्यक प्रविष्टियां पारित की जाएंगी।
ख	**आय एवं व्यय लेखा**	
	1. व्यय	
	1.1 स्थापना व्यय ₹ 46.24 करोड़	
	क. प्राधिकरण ने "चालू देयताओं और प्रावधानों" के तहत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए ₹ 198.02 करोड़ की देयता दिखाई है, जिसे आय और व्यय लेखे के माध्यम से रूट करने के बजाय बैलेंस शीट में विविध व्यय में तदनुरूपी डेबिट के साथ दिखाया है। पिछले वर्षों के एसएआर में भी समतुल्य टिप्पणी को उजागर किया गया था, तथापि, प्राधिकरण द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गयी है। इसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय को कम बताया गया तथा वर्ष के दौरान कॉर्पस/पूंजी निधि में ₹ 198.02 करोड़ का घाटा और उस सीमा तक "विविध व्यय" की अत्युक्ति हुई।	बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट में बीमांकक द्वारा प्रकट देयता को एसबीआई बीमा योजना स्कीम द्वारा और अधिक छूट दी गई थी, एसबीआई योजना स्कीम के तहत प्रकट मूल्य को भविष्य की देयता को पूरा करने के लिए माना गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।

iv	We further report that:	
A.	**BALANCE SHEET**	
	1. CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	
	1.1. Current Liabilities and Provisions ₹ 239.98 crore	
	The above is understated by ₹ 0.38 crore due to non-provision of share of loss from the operation of Multi-species Aquaculture Project, Vallarpadam in deviation from the terms of lease agreement with Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA). This has resulted in corresponding understatement of deficit carried to Corpus/Capital fund by the same amount.	Necessary Provisions for accounting share of losses on operation of MAC-RGCA will be accounted in the Financial Year 2021-22.
	2. FIXED ASSETS ₹ 31.03 crore	
	The above includes ₹ 9.52 crore being net book value of assets pertaining to MAC project at Vallarpadam. The ownership of these assets is with Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture as per the terms of lease agreement. Accounting the same in the books of Authority resulted in overstatement of asset by ₹ 9.52 crore. This also resulted in overstatement of accumulated depreciation of ₹ 1.69 crore with corresponding understatement of Corpus/ capital fund by the same amount.	RGCA is a society under MPEDA and MOU is only the internal arrangement for the proper functioning of the MAC project. All the underlying Infrastructure made available for the MAC project is funded by MPEDA and accordingly all the assets are considered as assets of MPEDA and recognized in the books of MPEDA. No assets related to the MAC Project are recognized in the books of RGCA. Necessary amendments will be done in the MOU in this regard, with mutual consent.
	3. CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. ₹ 69.28 crore	
	The above is under stated by ₹ 3 crore being advance paid to Centre for Marine Fisheries and Research Institute (CMFRI) for an ongoing project and recognised as expenditure even though utilisation certificate is pending. MPEDA treated the above advance amounts as revenue expenditure under the head "Training Expenses" and under the head "Others", in 2019-20 (₹ 1 crore) and 2020- 21(₹ 2 crore) respectively. This has resulted in overstatement of deficit carried to Corpus/Capital fund by the same amount.	We have duly received the Utilization Certificate for the year 2020-21 from Central Marine Fisheries Research Institute. Based on the same, necessary entries will be passed during the current financial year 2021-22.
B.	**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT**	
	1. EXPENDITURE	
	1.1 Establishment Expenses ₹ 46.24 crore	
	a. The Authority has shown ₹ 198.02 crore being the liability for retirement benefits of employees under 'Current Liabilities and Provisions with corresponding debit to 'Miscellaneous Expenditure' in Balance sheet instead of routing it through Income and Expenditure Account. Similar comment was also highlighted in the SARs for the previous years; however, no corrective action has been taken by the Authority. This resulted in understatement of 'Establishment Expenses and deficit carried to Corpus/Capital fund during the year by ₹ 198.02 crore and overstatement of 'Miscellaneous Expenditure, to that extent.	The Liability disclosed by the actuary in actuarial valuation report was further discounted by the SBI insurance plan scheme the Value disclosed under the SBI plan scheme was considered for meeting the future liability. Necessary provisions in this regard will be made in the financial year 2021-22.

	ख. बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पेंशन देयताओं के लिए अपर्याप्त प्रावधान के कारण उपरोक्त शीर्ष को भी 155.54 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया गया है। इसके परिणामस्वरूप भी वर्ष के दौरान "स्थापना व्यय" को कम बताया गया तथा ₹ 155.54 करोड़ का घाटा कॉर्पस/पूंजी निधि में ले जाया गया।	लेखा परीक्षा अवलोकन को भविष्य के मार्गदर्शन के लिए नोट किया जाता है।
	2. प्रशिक्षण/अन्य व्यय ₹ 3.18 करोड़	
	उपरोक्त में क्यूसी लैब्स पोरबंदर और भुवनेश्वर में 2 माइक्रो बैलेंस की खरीद के लिए प्रावधान किए गए ₹ 0.32 करोड़ की राशि शामिल है। चूंकि लेन देन अभी शुरूहोना बाकी है, इसलिए रिपोर्टिंग तिथि पर कोई देयता उत्पन्न नहीं हुई है। इसके परिणामस्वरूप व्यय और देय लेखाओं (अन्य) को ₹ 0.32 करोड़ से अधिक बताया गया।	इस प्रकार किए गए प्रावधान को वित्तीय वर्ष 2021-22 में उलट दिया जाएगा, इसे संपत्ति के रूप में माना जाएगा, और मूल्यह्रास तदनुसार प्रदान किया जाएगा।
ग	**सामान्य**	
	वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में तैयार किए गए प्राप्तियों और भुगतान लेखों में कहा गया है कि वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि ₹ 114 करोड़ है। तथापि वित्तीय विवरणों ने राजस्व अनुदान और पूंजीगत अनुदान के रूप में क्रमश ₹ 100.77 करोड़ और ₹ 11.23 करोड़ दिखाया जो कुल मिलाकर 112 करोड़ रूपये था। इस प्रकार, 2 करोड़ रूपये की राशि के शेष अनुदानों के उपयोग और लेखांकन की स्थिति का समाधान करने और वित्तीय विवरणों में सही स्थिति का खुलासा करने की आवश्यकता है।	एमपीईडीए को ₹ 112 करोड़ (एमओसीआई से ₹ 100 करोड़ और ईआईसी से ₹ 2 करोड़) का अनुदान मिला है। तदनुसार समान केलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त सामान्य अनुदान को परिसंपत्ति खरीद के समायोजन के बाद आय और व्यय लेखे में शामिल किया जाता है और इसे लेखाओं का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है। प्राप्ति और भुगतान लेखे के संबंध में अंतर का समाधान किया जाएगा और वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाएगा।
घ	**सहायता अनुदान**	
	वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 114 करोड़ सहायता अनुदान (आईईबीआर को छोड़कर) प्राप्त हुआ तथा इस वर्ष के दौरान ₹ 112 करोड़ का उपयोग किया गया जबकि शेष राशि के उपयोग की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।	एमपीईडीए को सिर्फ ₹ 112 करोड़ का अनुदान मिला है। (एमओसीआई से ₹ 100 करोड़ और ईआईसी से ₹ 2 करोड़)। तदनुसार समान केलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
v.	पूर्ववर्ती पैरा में किए गए अवलोकन के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय लेखा; प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा, लेखा बहियों के अनुरुप है।	कोई टिप्पणी नहीं
vi.	हमारी राय में और हमारी जानकारी तथा हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखाओं पर टिप्पणियों और लेखा नीतियों के साथ पठित कथित वित्तीय विवरण, ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-1 में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरुप निम्नलिखित के बारे में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	(क) जहाँ तक इसका संबंध तुलनपत्र से है, 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति, तथा	
	(ख) जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष के आय व व्यय लेखे के साथ इसका संबंध स्थापित करता है।	

	b. The above head is also understated by ₹ 155.54 crore due to inadequate provision for pension liabilities as per actuarial valuation. This also resulted in understatement of "Establishment Expenses" and deficit carried to Corpus/Capital fund during the year by ₹ 155.54 crore.	The audit observation is noted for future guidance.
	2. Training/Other Expenses - ₹ 3.18 crore	
	The above includes an amount of ₹ 0.32 crore being provision created for purchase of 2 Micro Balances at QC Labs Porbandar and Bhubaneswar. Since the transaction is yet to commence, no liability has arisen on the reporting date. This resulted in overstatement of expenses and Accounts Payables (Others) by ₹ 0.32 crore.	The provision so made will be reversed in financial year 2021-22, same will be considered as Asset, and depreciation will be provided accordingly
C	**GENERAL**	
	The Receipts and Payments Accounts prepared as part of the financial statements states that the grants received during the year amounts to ₹ 114 crore. However financial statements disclosed accounting of ₹ 100.77 crore and ₹ 11.23 crore as revenue grants and capital grants respectively totalling to ₹ 112 crore. Thus, status of utilisation and accounting of remaining grants amounting to ₹ 2 crore needs to be reconciled and correct status should be disclosed in financial statements.	MPEDA has received grant of ₹ 112 crore (₹ 100 crore from MoCI and ₹ 2 crore from EIC) Utilisation certificates for the same has been submitted accordingly. The General grant received is accounted in Income & Expenditure Account after adjustment of Asset purchase and the same is disclosed in notes forming part of Accounts. With respect to the Receipts and Payments account the difference will be reconciled and disclosed in the financial statements of 2021-22.
D	**GRANTS-IN-AID**	
	Grants-in-aid of (excluding IEBR) of ₹ 114 crore was received during the year 2020-21 and ₹ 112 crore was utilized during the year. While status of utilisation of the remaining amount was not provided to the Audit.	MPEDA has received grant of ₹ 112 crore only. (₹ 100 crore from MoCI and ₹ 2 crore from EIC) Utilisation certificates for the same has been submitted accordingly
v	Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance sheet and Income & Expenditure Account; Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.	No Comments
vi	In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with Accounting policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure - I to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India	No Comments
	(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Marine Products Export Development Authority as at 31 March 2021; and,	
	(b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.	

अनुबंध 1		
1	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**	
	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्राधिकरण के आकार और प्रकृति के अनुसार पर्याप्त और अनुरूप है।	कोई टिप्पणी नहीं
2	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता** वर्ष 2020-21 के लिए प्राधिकरण द्वारा 23 कार्यालयों में से केवल 6 कार्यालयों की ही लेखा परीक्षा की गयी	समय समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने और आंतरिक लेखा परीक्षा नीतियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उप निदेशक की अध्यक्षता में प्राधिकरण में एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा स्कन्ध का गठन किया गया है। समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा योजना तैयार की जाती है।
3	**स्थाई परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**	
	प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के दौरान संपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
4	**वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**	
	प्राधिकरण ने वर्ष 2020-21 के दौरान वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
5	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता**	
	प्राधिकरण सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमित था।	कोई टिप्पणी नहीं

ANNEXURE I		
1	**Adequacy of Internal Control System:**	
	Internal control system is adequate and commensurate with the size and nature of the Authority.	No Comments
2	**Adequacy of Internal Audit System:** Audit of only 6 offices out of 23 offices were conducted by the Authority for the year 2020-21.	A separate Internal Audit wing has been formed in the authority headed by Deputy Director to conduct Internal Audit of field offices at periodic intervals and ensure adherence to internal audit policies. Audit plan is formulated for audit of all field offices in a time bound and phased manner.
3	**System of Physical Verification of Fixed Assets:**	
	The Authority has conducted physical verification of assets during the year 2020-21.	No Comments
4	**System of Physical Verification of Inventory:**	
	The Authority has conducted physical verification of inventory during the year 2020-21	No Comments
5	**Regularity in payment of Statutory Dues:**	
	The Authority was regular in payment of statutory dues	No Comments

MPEDA

We're active everywhere.

Follow us now.

LOBSTER
MASALA
MPEDA
mpeda.gov.in

mpeda.gov.in
MPEDA
RIBBON FISH FRIED

MPEDA

www.mpeda.gov.in

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एम पी ई डी ए हाउस, पनम्पिल्ली एवन्यू , कोच्ची - 682 036, केरल, भारत
दूरभाष : +91 484 2311901 फैक्स: +91 484 2314467
ई-मेल: ho@mpeda.gov.in वेबसाइट: www.mpeda.gov.in

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)

MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi – 682 036, Kerala, India
Phone: +91 484 2311901 Fax: +91 484 2314467
E-mail: ho@mpeda.gov.in Website: www.mpeda.gov.in